

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुरुक के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ्/दुर्ग/ सी. ओ./सयपुर/17/2002.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 54]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 24 मार्च 2005 - चैत्र 3, शक 1927

विधि और विधायी कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 11 मार्च, 2005

क्रमांक 2127/21-अ/प्रारुपण/05.— छत्तीसगढ़ विधानसभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 27-01-2004 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, इसके पश्चात् महामिहम राष्ट्रपति महोदय द्वारा दिनांक 01-03-2005 को अनुमित प्राप्त हो चुकी है. एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ मूल्य सर्वर्धित विक्य कर अधिनियम –2005 Chhattisgarh Valu Added Sales Tax Act - 2005

छत्तीसगढ़ मूल्य सवंधित विक्यकर (संशोधन)अधिनियम –2006 Chhattisgarh Valu Added SalesTax (Amemdment)Act -2006

छत्तीसगढ़ मूल्य सर्वार्धित कर नियम –2006 Chhattisgarh Valu Added Tax Rules -2006

छत्तीसगढ़ अधिनियम (क्रमांक 2 सन् 2005)

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित विक्रय कर अधिनियम, 2005

विषय-सूची

खण्ड :

अध्याय-1

प्रारंभिक

- संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.
- 2. परिभाषाएं.

अध्याय-2

कर विनिर्धारक प्राधिकारी

3. कर विनिर्धारक तथा अन्य अधिकारी.

अध्याय-3

कर का भार

- कर का भार.
- कर का भुगतान करने के दायित्व का अवधारण.
- व्यापारियों के कतिपय वर्गों का संयुक्त और पृथक दायित्व.
- 7. केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 74 सन् 1956 के अधीन रिजस्ट्रीकृत व्यापारी का कर चुकाने का दायित्व.

अध्याय-4

कर का उद्ग्रहण

- कर का उद्ग्रहण.
- 9. क्रय कर का उद्ग्रहण.
- 10. ब्रह्म का प्रशासन.
- 11. व्यापारी कतिपव परिस्थितियों में कर का भार कृषकों तथा उद्वान कर्मियों पर नहीं डाह्रेगा.
- 12. आधान (केटेनर) या संबेष्टन सामग्री (पेकिंग मटेरिवल) पर कर की दर.
- 13. अस्टिका का विकेट
- 14. ভতুর আ মান_
- 15. 現 東南 和京

N. 10-5

त्यापादेवीं का र्रावस्टोकरण

- 16. व्यापारियों का रविस्ट्रोकरण.
- 17. इच्छुक निर्माताओं का अनन्तिम र्राक्रम्पीकरण
- म्रोत पर कटौती का दायित्व आने वाले व्यक्तियों का र्रावेस्ट्रोकरण.

अध्याय-6

विवरणियां, निर्धारण, भुगतान तथा कर की वसूली

- 19. विवरणियां.
- 20. म्रोत पर कटौती का दायित्व आने पर विवरणियां प्रस्तुत करना.
- 21. कर का निर्धारण.
- 22. कृतिपय प्रारिस्थिति में कर निर्धारण/पुनः कर निर्धारण.
- 23. कर निर्धारण कार्यवाहियों में समय का अपवर्जन.
- 24. विनिर्धारक प्राधिकारियों के समक्ष उपस्थिति.
- 25. कर, व्याज, शास्ति तथा अन्य शोध्यों का भुगतान तथा उनकी वसूली.
- 26. विवरणियाँ प्रस्तुत करने में चूक होने पर निर्धारण के पूर्व अग्रिम में कर का भुगतान.
- 27. कतिपय मामलों में कटौती और कर का भुगतान.
- 28. उन व्यक्तियों के लिए व्यावृत्ति जो म्रोत पर कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी हैं.
- 29. वसूली की विशेष रीति.
- 30. कारबार के हस्तांतरण या बंद करने की दशा में कर का भुगतान.
- 31. फर्मों का दायित्व.
- 32. राजस्व के कपटवंचन के लिए किए गए अंतरण शून्य होंगे.
- 33. विधिक प्रतिनिधियों का कर निर्धारण/पुनः कर निर्धारण.
- 34. विशेष मामलों में कर निर्धारण.
- 35. कर प्रथम भार होगा.
- 36. एक पक्षीय आदेश को अपास्त करने की शक्ति.
- 37. व्यापारियों द्वारा कर का संग्रहण.
- 38. विक्रय जो कर के दायित्वाधीन नहीं होंगे.

अध्याय-7

प्रतिदाय

- 39. प्रतिदाय.
- 40. कतिपय मामलों में प्रतिदाय को रोक रखने की शक्ति.

अध्याय-8

लेखा तथा बिल, बीजक या केशमेमों जारी करना

41. लेखे.

42. व्यापारियों द्वारा बिलों, बीजकों या केशमेमों का दिया जाना.

अध्याय-9

आयुक्त की कतिपय शक्तियां और आयुक्त द्वारा अपनी शक्तियों का प्रत्यायोजन.

- 43. आयुक्त की शक्तियाँ और कर्त्तव्यों का प्रत्यायोजन.
- 44. कार्यवाहियों का अंतरण.
- 45. शपथ पर साक्ष्य आदि लेने की आयुक्त तथा उसके सहायकों की शक्ति.
- 46. कतिपय मामलों में जानकारी मंगाने की आयुक्त की शक्ति.
- 47ं. कार्यवाहियों को रोकने की आयुक्त की शक्ति.

अध्याय-10

अपील, पुनरीक्षण तथा परिशुद्धि

- 48. अपील.
- 49. आयुक्त द्वारा पुनरीक्षण की शक्ति.

- 50. अपील या पुनरीक्षण में अतिरिक्त साक्ष्य.
- 51. अपील के ज्ञापन पर तथा पुनरीक्षण संबंधी आवेदन पर न्यायालय फीस स्टाम्प.
- 52. परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 4 तथा 12 का लागू होना.
- 53. कतिपय मामलों में परिसीमा काल का विस्तारण.
- 54. कतिपय परिस्थितियों में शास्ति अधिरोपित करने की आयुक्त या अपीलीय उपायुक्त या बोर्ड की शक्ति.
- 55. उच्च न्यायालय को मामले का विवरण.
- 56. भूलों का परिशोधन.

अध्याय-11

कर के अपवंचन का पता लगाना तथा उसका निवारण

- 57. कर चुकाने के लिए दायी व्यापारियों द्वारा कर के अपवंचन का पता लगाने तथा उसकी जॉच के लिए एक समिति का गठन और स्वप्रेरणा से या ऐसी समिति की रिपोर्ट पर किसी व्यापारी द्वारा कर के अपवंचन का अन्वेषण करने की आयुक्त की शक्ति.
- 58. जॉच चौिकयों की स्थापना तथा नाकों (बेरियर्स) का बनाया जाना.
- 59. राज्य में से होकर सड़क द्वारा माल का अभिवहन तथा अभिवहन पास (ट्रांजिट पास) का जारी किया जाना.
- 60. माल लादने तथा उतारने के स्थान की जांच करने की शक्ति.
- 61. अभिवहन के माल की जांच करने की शक्ति.
- 62. निकासी, अग्रेषण या बुकिंग अभिकर्ता और माल का परिवहन करने वाले किसी व्यक्ति पर नियंत्रण तथा ऐसे अभिकर्ता या व्यक्तिं द्वारा जानकारी का दिया जाना.
- 63. बैंककारी कंपनियां और गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों से जानकारी मंगाने की शक्ति.

अध्याय-12

अपराध तथा शास्तियां

64. अपराध तथा शास्तियां.

अध्याय-13

प्रकीर्ण

- 65. कर समाशोधन प्रमाणपत्र पेश किया जाना.
- 66. कतिपय कार्यवाहियों का वर्जन.
- 67. कतिपय मामलों में अभियोजन का वर्जन.
- 68. सद्भावपूर्वक कार्य करने वाले व्यक्तियों का संरक्षण और वाद तथा अभियोजन की परिसीमा.
- 69. लोक सेवक द्वारा जानकारी प्रकटन.
- 70. विवादग्रस्त प्रश्नों का अवधारण.

अध्याय-14

नियम बनाने की शक्ति, निरसन तथा व्यावृत्ति, अस्थाई उपबंध तथा कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.

- 71. नियम बनाने की शक्ति.
- 72. निरसन तथा व्यावृत्ति.
- 73. अस्थायी उपबंध.
- 74. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति.
 - अनुसूची-1
 - अनुसूची-2
 - अनुसूची-3

छत्तीसगढ़ अधिनियम (क्रमांक 2 सन् 2005)

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित विक्रय कर अधिनियम 2005

छत्तीसगढ़ राज्य में माल के विक्रय तथा क्रय पर कर के उद्ग्रहण हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

अध्याय-1 प्रारंभिक

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित विक्रय कर अधिनियम 2005 है.

संक्षिप्त नाम, विस्तार और पारंभ.

- (2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर है.
- (3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे.
- 2. इस अधिनियम में, जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो,-

वरिभाषाएं,

- (क) "अपीलीय उपायुक्त" से अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन नियुक्त किया गया कोई अपीलीय उपायुक्त विक्रय कर और उसमें अपीलीय अपर उपायुक्त विक्रय कर सम्मिलित है;
- (ख) "सहायक आयुक्त" से अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन नियुक्त किया गया सहायक आयुक्त विक्रय कर और उसमें अपर सहायक आयुक्त विक्रय कर सम्मिलित है;
- (ग) "बोर्ड" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (1959 का सं.20) के अंतर्गत गठित राजस्व मंडल;
- (घ) "कारबार" में सम्मिलित है;-
 - (एक) कोई व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण अथवा व्यापार, वाणिज्य या विनिर्माण के प्रकार का कोई समुद्यम या व्यापारिक संस्था, चाहे ऐसा व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, समुद्यम या व्यापारिक संस्था अभिलाभ या लाभ प्राप्त करने के हेतु से चलाई जाती हो या नहीं और चाहे ऐसे व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, समुद्यम या ऐसी व्यापारिक संस्था से कोई अभिलाभ या लाभ प्रोदभ्त होता हो या नहीं और चाहे ऐसे व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, समुद्यम या व्यापारिक संस्था का कोई परिमाण हो या न हो अथवा उसमें कोई आवृत्ति, सातत्य या नियमितता हो या न हो; और
 - (दो) खण्ड (एक) में निर्दिष्ट किए गए व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, समुद्यम या व्यापारिक संस्था के संबंध में या उससे प्रासंगिक या आनुषंगिक ऐसा संव्यवहार जो माल के विक्रय या क्रय के संबंध में हो, अर्थात्-
 - (क) उस प्रकार के माल के चाहे वह माल अपने मूल रूप में हो या बरते हुए (सेकेंड

हैंड), अनुपयोगी (अन-सर्विसेबल) माल, अप्रचलित (आब्सीलीट), रट्ट् किए गए (डिस्कार्डेड) माल, मात्र स्क्रेप या क्षेप्य (वेस्ट) सामग्री के रूप में हो या न हो, और

- (ख) उस माल के, जो अन्य माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) के या खनन या विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के या वितरण के अनुक्रम में अथवा शक्ति (पावर) के किसी अन्य रूप के उत्पादन या वितरण के अनुक्रम में क्षेप्य (वेस्ट) उत्पादों या उपात्पादोरूप में अभिप्राप्त किया गया हो;
- (ङ) । "पूंजीगत माल" से अभिष्रेत है, ऐसी सिविल संरचना जो कि विहित की जाए, को अपवर्जित करते हुए संयंत्र (प्लांट), मशीनरी तथा उपस्कर जो प्रत्यक्षतः विनिर्माण प्रक्रिया में उपयोग में लाए जाते हैं;
 - (च) "आयुक्त" से अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन नियुक्त किया गया आयुक्त, विक्रय कर;
 - (छ) "व्यापारी" से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जो प्रत्यक्ष रूप से या अन्यथा, या तो नकदी के या आस्थिगित भुगतान के बदले में या कमीशन, पारिश्रमिक या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के बदले में माल का क्रय, विक्रय, प्रदाय या वितरण करने का कारबार करता है और उसमें सम्मिलित है,-
 - (एक) कोई स्थानीय प्राधिकारी, कंपनी, अविभक्त हिंदु कुटुम्ब या कोई सोसाइटी (किसी सहकारी सोसाइटी को सम्मिलित क्ररते हुए) क्लब, फर्म या संस्था (एसोसिएशन) जो ऐसा कारबार करती है/करता है;
 - (दों) कोई सोसाइटी (किसी सहकारी सोसाइटी को सम्मिलित करंते हुए) वलब, फर्म या संस्था जो अपने सदस्यों से माल क्रय करता है या उनको उसका विक्रय, प्रदाय या वितरण करता है:
 - (तीन) कमीशन अभिकर्ता, दलाल, प्रत्यायक अभिकर्ता (डेलक्रेडियर एजेन्ट) नीलामकर्ता या कोई भी अन्य वाणिज्यिक अभिकर्ता, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो जो मालिक की ओर से माल क्रय, विक्रय, प्रदाय या वितरण करने का कारबार करता है;
 - (चार) कोई ऐसा व्यक्ति जो कारबार के अनुक्रम में किसी अन्य व्यक्ति को, किसी माल का जिसमें उसको पट्टे पर देना सम्मिलित है, किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग करने के अधिकार का अंतरण (चाहे वह किसी भी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए है या नहीं है) करता है;
 - स्पष्टीकरण-एक. प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जो किसी अनिवासी व्यापारी के अभिकर्ता के रूप में, अर्थात् राज्य के बाहर निवास करने वाले किसी व्यापारी की ओर से अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है और ऐसे व्यापारी की ओर से राज्य में माल का क्रय, विक्रय, प्रदाय या वितरण करता है या ऐसे व्यापारी की ओर से-
 - (एक) माल विक्रय अधिनियम, 1930 (1930 का सं. 3) में यथापरिभाषित वाणिज्यिक अभिकर्ता के रूप में; या



- (दो) माल का अथवा माल से संबंधित हक के दस्तावेजों का हस्तन करने के लिए अभिकर्ता के रूप में; या
- (तीन) माल के विक्रय मूल्य के संग्रहण या संदाय के लिए अभिकर्ता के रूप में ऐसे संग्रहण या संदाय के लिए प्रति-भू के रूप में कार्य करता है: और राज्य के बाहर स्थित फर्म या कंपनी की प्रत्येक स्थानीय शाखा को, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए व्यापारी समझा जाएगा.
- ्यष्टीकरण-दो. केन्द्र सरकार या कोई राज्य सरकार या उनके विभागों या कार्यालयों में से कोई भी विभाग या कार्यालय, जो चाहे अपने कामकाज के अनुक्रम में या अन्यधा, प्रत्यक्ष रूप से या अन्यधा नकदी के या आस्थिगित भुगतान के बदले में, या कमीशन या पारिश्रमिक या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के बदले में माल का क्रय, विक्रय, प्रदाय या वितरण करता है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए व्यापारी समझा जाएगा.
- स्पष्टीकरण-तीन. कोई अव्यापारिक, वाणिज्यिक या वित्तीय स्थापना जिसमें कोई बैंक, बीमा कंपनी, परिवहन (ट्रांसपोर्ट) कंपनी और ऐसी ही कोई कंपनी सम्मिलित है, जो चाहे अपने कामकाज के अनुक्रम में या अन्यथा प्रत्यक्ष रूप से या अन्यथा नकदी के लिए या आस्थिगित भुगतान के बदले में या कमीशन या पारिश्रमिक या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के बदले में माल का क्रय, विक्रय प्रदाय या वितरण करता है इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए व्यापारी समझा जाएगा.
- (ज) अभिव्यक्ति "घोषित माल" का वहीं अर्थ होगा जो उसके लिए केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम,1956 (1956 का सं.74) में उसके लिए दिया गया है;
- (झ) अपायुक्त" से अभिप्रेत धारा 3 के अधीन नियुक्त किया गया उपायुक्त, विक्रय कर और उसमें
 अपर उपायुक्त, विक्रय कर सम्मिलित है;
- (व) 'दस्तावेज' से अभिप्रेत है हक, विलेख, लेख या अंतरालेखन और उसमें सम्मिलित है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 (क्रमांक 21 सन् 2000) में यथापरिभाषित ''इलेक्ट्रानिक रिकार्ड'' और ''इलेक्ट्रानिक फार्म'' तथा ऐसी ही कोई वस्तु जिससे साक्ष्य प्रस्तुत होता है;
- (ट) 'माल'' से अभिप्रेत है, समस्त प्रकार की जंगम संपत्ति जिसमें कम्प्यूटर साफ्टवेयर सम्मिलित है, किन्तु उसमें अनुयाज्य दावे, समाचार पत्र, स्टाक, अंश, प्रतिभृतियाँ या सरकारी स्टाम्प सम्मिलित नहीं हैं और उसके अंतर्गत समस्त सामग्रियाँ, वस्तुएँ तथा वाणिज्यायें आती है चाहे वे जंगम या स्थावर संपत्ति के संनिर्माण, अन्वायोजन, सुधार या मरम्मत के लिए उपयोग में लाई जाने वाली हों या नहीं और उसके अंतर्गत ऐसी समस्त उगती फसलें, घास, वृक्ष, पौधे तथा चीजें भी आती हैं जो भूमि से संलम्न हैं या भूमि का भाग हैं, जिनके संबंध में यह करार किया गया है कि उन्हें विक्रय के पूर्व या विक्रय की संविद्य के अधीन पृथक कर दिया जाएगा;

- (ठ) अायात से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य में, इस राज्य के बाहर के किसी स्थान से माल का लाया जाना या मंगवाया जाना;
- (ड) "आगत कर" (इनपुट टैक्स) से अभिप्रेत है अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट किसी माल के क्रय के संबंध में किसी रिजस्ट्रीकित व्यापारी द्वारा धारा 8 के खण्ड (1) के अधीन विक्रय करने वाले किसी रिजस्ट्रीकृत व्यापारी को जो ऐसे माल के विक्रय पर उक्त खण्ड के अधीन कर का संदाय

करने का दायी है तथा कर के रूप में संदत्त की गई या देय कोई रकम;

- (ढ) "विनिर्माण" में कोई ऐसी गतिविधि सम्मिलित है जो किसी प्रक्रिया, उपचार, श्रम के परिणामस्वरूप किसी वस्तु या वस्तुओं में परिवर्तन ला देती है और जिसका परिणाम एक नई और भिन्न वस्तु के रूप में रूपांतरण है जो वाणिज्यिक सम्भाषण में एक सुभिन्न नाम, चरित्र और उपयोग के रूप में इस प्रकार समझी जाती हो किन्तु इसमें विनिर्माण की ऐसी गतिविधि सम्मिलित नहीं है, जो कि अधिसुचित की जाए;
- (ण) "कारबार का स्थान" से अभिप्रेत है कोई ऐसा स्थान जहाँ कोई व्यापारी किसी माल का क्रय या विक्रय करता है या माल का भण्डारण करता है या अपने क्रयों तथा विक्रयों या दोनों के दस्तावेज या लेखा रखता है और उसमें निम्नलिखित भी सम्मिलित है;-
 - (एक) जहाँ कोई व्यापारी किसी अभिकर्ता के मार्फत कारबार करता है, ऐसे अभिकर्ता के कारबार का स्थान;
 - (दो) कोई ऐसा स्थान या भवन, चाहे वहां कोई कारबार किया जाता है या नहीं, जिसमें कारबार करने वाला व्यक्ति उसके कारबार से संबंधित लेखा, पुस्तक, दस्तावेज, स्टाक या अन्य वस्तुओं में से कोई भी लेखा पुस्तक, दस्तावेज, स्टाक या अन्य वस्तुएं रखता है;
- (त) ''विहित'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के द्वारा विहित;
- (थ) ''क्रय मूल्य'' में निम्नलिखित समाविष्ट होंगे-
 - (एक) ''साधारणतः'' माल के क्रय के लिए मूल्यवान प्रतिफल के रूप में किसी व्यापारी द्वारा देय रकम;

परन्तु जहाँ माल का क्रय उसकी संवेष्टन सामग्री (पेकिंग मटेरियल) या उसके आधान (कंटेनर) के साथ किया गया है, जहां इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे माल के क्रय मूल्य में ऐसी संवेष्टन सामग्री या आधान की कीमत या लागत या मूल्य, चाहे ऐसी कीमत या लागत या मूल्य पृथक से संदत्त किया गया है या नहीं, सिम्मिलित होगा मानो कि ऐसी संवेष्टन सामग्री या ऐसा आधान क्रय किया गया माल है;

CARLES PROPERTY.

- (दो) परिवहन खर्च, यदि कोई है;
- (तीन) व्यापार कमीशन, यदि कोई है, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो;
- (चार) अग्रेषण और उठाई-धराई (हैंडलिंग) के प्रभार, यदि कोई है;
- (पांच) बीमा प्रभार, यदि कोई है;
- (छः) स्थानीय कर, यदि कोई है;



- (सात) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 (1944 का सं.1) के अधीन उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क, यदि कोई है;
- (आठ) संवेष्टन सामग्री, यदि कोई है, की लागत; और
- (नौ) ऊपर विनिर्दिष्ट प्रभारों या लागत से भिन्न कोई अन्य प्रभार या लागत, यदि वह इस प्रकार क्रय किए गए माल के संबंध में उपगत या संदत्त की गई है;

स्पष्टीकरण- इस खण्ड के प्रयोजन के लिए ''परिवहन खर्च'' के अंतर्गत ऐसे व्यय आते हैं जो विक्रेता के माल का परिदान लेने के पश्चात्, माल के परिवहन पर व्यापारी द्वारा उपगत किए गए हैं.

- (द) "र्राजिस्ट्रीकृत व्यापारी" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यापारी;
- (ध) ''विक्रय'' से उसके समस्त व्याकरकणिक रूप भेदों तथा सजातीय पदों सहित, अभिप्रेत है नकदी या आस्थिगित भुगतान के बदले में या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के बदले में किया गया माल में के ब्वत्व का कोई अंतरण और उसमें सम्मिलित है,-
 - (एक) नकदी, आस्थिगत भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के बदले में किया गया किसी माल में के स्वत्व का कोई ऐसा अंतरण, जो किसी संविदा के अनुसरण में न किया जाकर अन्यथा किया गया है;
 - (दो) माल में के किसी स्वत्व का चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में कोई अंतरण जो किसी संकर्म-संविदा के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त है;
 - (तीन) अवक्रय पर या किश्तों द्वारा संदाय की किसी पद्धति से माल का कोई परिदान;
 - (चार) व्यक्तियों की किसी अनिगमित संस्था (एसोसिएशन) या निकाय द्वारा नकदी, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के बदले में अपने किसी सदस्य को माल का कोई प्रदाय;
 - (पांच) किसी सेवा के रूप में या किसी सेवा के भाग के रूप में या किसी भी अन्य रीति में किसी ऐसे माल का प्रदाय, जो खाद्य है या मानव उपयोग के लिए कोई अन्य वस्तु है अथवा कोई पेय है (चाहे वह मादक है या नहीं है) जबकि ऐसा प्रदाय या ऐसी सेवा नकदी, आस्थिगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के बदले में है;
 - (छः) नकदी, आस्थिगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के बदले में किसी माल का जिसमें उसको पट्टे पर दिया जाना सम्मिलित है, किसी प्रयोजन के लिए उपयोग करने के अधिकार का अंतरण (चाहे वह विनिर्दिष्ट कालावृधि के लिए है या नहीं है) सम्मिलित है:

और किसी माल के ऐसे अंतरण, परिदान या प्रदाय के बारे में यह समझा जाएगा कि वह उस माल का उस व्यक्ति द्वारा किया गया विक्रय है जो ऐसा अंतरण, परिदान या प्रदाय करता है तथा उस मान का उस व्यक्ति द्वारा किया गया क्रय है, जिसको ऐसा अंतरण, परिदान या प्रदाय किया जा है, किन्तु उसमें उसका कोई बंधक आडमान (हाईपोधिकेशन) या उसका भारित किया जाना या गिरवी रखा जाना सम्मिलित नहीं है।

- स्पर्धवरण-(क) माल विक्रय अधिनियम, 1930 (1930 का स.3) में अतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ माल का कोई विक्रय के किसी विक्रय संविदा के अनुसरण में किया जाता है जहां, चाहे विक्रय मा क्रय की संविदा, कहीं भी की गई हो, ऐसे स्थान को विचार में लाए बिना ऐसा विक्रय या क्रय इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए छत्तीसगढ राज्य में हुआ समझा जाएगा, यदि वह माल, भ
 - (एक) विनिर्दिष्ट या अभिनिश्चित माल की दशा में, विक्रय या की की संविद्य किए जाने के समय; और
 - (दो) अनिभिनिश्चित या भावी माल की दशा में, विक्रेता द्वारा या क्रेता द्वारा विक्रय या क्रय की संविदा के मद्दे उसके विनियोजित किए जाने के समय, चाहे अन्य पक्ष की अनुमित ऐसे विनियोजन के पूर्व मिली हो या उसके पश्चात्, राज्य के भीतर है; और
 - (ख) जहां एक से अधिक स्थानों पर स्थित माल के विक्रय या क्रय की एक ही संविदा है, वहां खण्ड (क) के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसे स्थानों में से प्रत्येक स्थान पर स्थित माल के संबंद में पृथक-पृथक संविदाएं हैं;
- (न) ''विक्रय मूल्य'' से अभिष्रेत है किसी माल के विक्रय के लिए मूल्यवान प्रतिफल के रूप में किसी व्यापारी को देय ऐसी रकम, या कोई अन्य प्रतिफल जिसमें से साधारण व्यापार प्रथा के अनुसार नकदी बट्टे के रूप में अनुज्ञात की गुई कोई राशि कम कर दी गई है, किन्तु जिसमें माल भाड़े या परिदान के खर्चे या प्रतिष्ठान के खर्चे को, जबिक ऐसा खर्च अलग से प्रभावित किया गया है, छोड़कर माल के परिदान के समय या उसके पूर्व उसके संबंध में व्यापारी द्वारा की गई किसी बात के लिए प्रभारित की गई कोई राशि सम्मिलित है:
 - स्पष्टीकरण-(एक) जहां माल अवक्रय या किश्तों द्वारा भुगतान किए जाने की किसी अन्य पद्धति के अंतर्गत बेचा गया है, वहां ऐसे माल के विक्रय मूल्य में बीमा प्रभार, ब्याज और भाड़ा प्रभार तथा अन्य ऐसे प्रभार जैसे कि विहित किए जाएं, सम्मिलित नहीं होंगे.
 - (यो) जहां माल को ऐसे माल के अधान करने के अधिकार के अंतरण के तौर पर बेचा गया है, वहां उसका विक्रय मूल्य, ऐसे अंतरण के लिए अंतरणकर्ता द्वारा प्राप्त की गई या प्राप्त किए जाने योग्य मूल्यवान प्रतिभूति की स्कम होगा;
- (प) ''विक्रय कर अधिकारी'' से अभिप्रेत है, धारा 3 के अन्तर्गत नियुक्त विक्रय कर अधिकारी और उसमें कोई अतिरिक्त विक्रय कर अधिकारी सम्मिलित है;
- (क) ''कर'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन देय कर;
- (ब) किसी कालावधि के लिए किसी व्यापार के संबंध में ''कर योग्य कुल राशि'' से अभिप्रेत है, किसों व्यापारी की कुल राशि (टर्न ओवर) का वह भाग जो उसमें से निम्नलिखित घटाने के पश्चात् बाकी बचे,-

108 (9)

- (1) धारा 15 के अधीन कर मुक्त घोषित किए गए माल का विक्रय मूल्य;
- ऐसे माल के संबंध में जिस पर धारा ह के खण्ड (एक) के अधीन कर देय है; (2)
 - (एक) ऐसे माल का विक्रय मूल्य जिसके संबंध में अधिनियम के अधीन कटौती उपबंधित है;
 - (दो) वह रकम जो निम्नलिखित सूत्र लागू करके आती है :-

कर की दर x विक्रय मूल्य का योग 100 + धारा 8(1) के अंर्तगत कर की दर

- ऐसे माल के संबंध में जिस पर धारा 8 के खण्ड (दो) के अधीन कर देय है,-
 - (एक) ऐसे माल का विक्रय मूल्य जो ऐसे व्यापारी के हाथ में करदत्त माल के रूप में
 - (दो) ऐसे माल का विक्रय मूल्य जिसके संबंध में अधिनियम के अधीन कटौती उपबंधित है:
 - (तीन) वह रकम जो निम्नलिखित सूत्र लागू करके आती है :-

कर की दर x विक्रय मूल्य का योग 100 + धारा 8(2) के अंर्तगत कर की दर

परन्तु-

- उपर्युक्त सूत्र के आधार पर उपखण्ड (दो) के पैरा (2) अथवा उपखण्ड (तीन) के पैरा (3) के अधीन कोई कटौती उस दिशा में नहीं की जावेगी जबिक कर की वह रकम किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा धारा 8 के खण्ड (एक) अधवा खण्ड (दो) के अन्तर्गत अधिनियम के उपबंधों के अनुसार वसूल की जाकर विक्रय मूल्य के योग में से अन्यथा घटाई जा चुकी हो;
- जहां किसी व्यापारी की विक्रय राशि धारा 8 के खण्ड (एक) अथवा 🗶 (母) खण्ड (दो) के अधीन भिन्न-भिन्न दरों पर कर योग्य है, वहां उपखण्ड (दो) के पैरा (दो) अथवा उपखण्ड (तीन) के पैरा (तीन) के अधीन वर्णित सूत्र कुल राशि (टर्न ओवर) के ऐसे भाग के संबंध में कर की भिन्न दर के अनुरूप लागू किया जावेगा.

स्पष्टीकरण- धारा 8 के खण्ड (एक) और खण्ड (दो) के अधीन कर के उद्ग्रहण के प्रयोजन के लिए कर योग्य कुल राशि (टर्न ओवर) पृथक रूप से अवधारित की जाएगी.

अनुसूची-2 के भाग तीन तथा चरा में विनिर्दिष्ट किसी माल जिस पर धारा 8 के खण्ड (दो) के अधीन कर देय है, के संबंध में ''करदत्त माल' से अभिप्रेत है कोई ऐसा माल, जिसका क्रय किसी व्यापारी ने किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का सं.74) की धारा 4 के अर्थ के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर किया है;

(म) किसी कालावधि के संबंध में "कुल राशि" (टर्न ओवर) से अभिप्रेत है उस कालावधि के दौरान किए गए माल के किसी विक्रय या प्रदाय या वितरण के संबंध में व्यापारी द्वारा प्राप्त किए गए तथा प्राप्त किए जाने योग्य विक्रय मूल्य की कुल राशि (टर्न ओवर) चाहे वह संपूर्णतः या उसका कोई भाग कर के दायित्वाधीन है या नहीं, किन्तु उसमें से वह रकम यदि कोई है, जो कि ऐसे विक्रय की तारीख से छः मास के भीतर क्रेता द्वारा क्रय किए गए या लौटा दिए गए किसी माल के संबंध में व्यापारी द्वारा ऐसे क्रेता को प्रतिदाय कर दी गई है, घटा दी जाएगी;

परन्तु-

- (एक) छत्तीसगढ़ भ्-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (ङ) में यथा परिभाषित वास्तविक कृषक द्वारा घी के, जो कि उसके स्वयं द्वारा उत्पादित किया है, विक्रय के मामले; या
- (दो) किसी व्यक्ति द्वारा, ऐसी कृषि या उद्यान कृषि उपज के, जो कि उसके स्वयं के द्वारा उगाई गई है या किसी ऐसी भूमि पर उगाई गई है जिसमें कि वह चाहे स्वामी, भोग चंधकदार, अभिधारी के रूप में या अन्यथा हित रखता है, विक्रय के मामले में, उस स्थिति में जबिक ऐसी उपज का विक्रय, उसे उपभोग के योग्य बनाने के हेतु उसे केवल भूसी रहित किए जाने, साफ किए जाने, छांटे जाने या चुने जाने के सिवाए उस पर कोई भौतिक, रासायनिक या अन्य प्रक्रिया न की जाकर उसी रूप में किया जाए जिसमें कि उसका उत्पादन किया गया था,

ऐसे विक्रयों में जंबंधित प्रतिफल की रकम उसकी कुल राशि (टर्न ओवर) में से अपवर्जित कर दी जाएगी.

- (य) ''मूल्य संवर्धित विक्रय कर'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन माल के विक्रय या क्रय पर देय कर;
- (र) ''वर्ष'' से अभिप्रेत है 31 मार्च को समाप्त होने वाले बारह माह.

अध्याय-2 कर विनिर्धारक प्राधिकारी

- - (क) अपर आयुक्त, विक्रय कर
 - (ख) अपीलीय उपायुक्त या अपर अपीलीय उपायुक्त, विक्रय कर;
 - उपायुक्त या अपर उपायुक्त, विक्रय कर;

- (घ) सहायक आयुक्त या अपर सहायक आयुक्त, विक्रय कर;
- (ङ) विक्रय कर अधिकारी या अपर विक्रय कर अधिकारी;
- (च) सहायक विक्रय कर अधिकारी; और
- (छ) निरीक्षक, विक्रय कर.
- (2) आयुक्त, विक्रय कर तथा अपर आयुक्त विक्रय कर, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जायेंगे और उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किए गए अन्य अधिकारी राज्य सरकार द्वारा या ऐसे अन्य प्राधिकारी द्वारा, जिसके संबंध में राज्य सरकार निर्देश दे, नियुक्त किए जाएंगे.
- (3) आयुक्त, विक्रय कर तथा अपर आयुक्त, विक्रय कर संपूर्ण राज्य में उन समस्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा उन समस्त कर्त्तव्यों का पालन करेंगे जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन आयुक्त को प्रदत्त की गई है या उस पर अधिरोपित किए गए हैं और इस प्रयोजन के लिए किसी भी ऐसे निर्देश के, जो इस अधिनियम में आयुक्त के प्रति किया गया है, संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसमें अपर आयुक्त विक्रय कर के प्रति निर्देश सम्मिलित है.
- (4) उपधारा (2) में विर्दिष्ट किए गए अन्य अधिकारी, उन क्षेत्रों के भीतर जिन्हें कि नियुक्त प्राधिकारी, साधारण या विशेष आदेश, द्वारा विनिर्दिष्ट करें, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेंगे जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त की जाएं या अधिरोपित किए जाएं.

(3-05-5621020)

अध्याय-3

कर का भार

4. (1) प्रत्येक ऐसा व्यापारी जिसकी कुल राशि (टर्न ओवर) इस अधिनियम के प्रारंभ होने के ठीक पूर्ववर्ती बारह मास की कालावधि के दौरान विहित सीमा, जो पांच लाख रुपये से अधिक नहीं र्रहोगी, से अधिक हो जाती है, छत्तीसगढ़ में उसके द्वारा किए गए माल के विक्रयों या प्रदायों के संबंध में इस अधिनियम के अधीन कर ऐसे प्रारंभ होने के समय से चुकाने का दायी होगा, व्यापारियों के भिन्न-भिन्न प्रवर्गों के लिए भिन्न-भिन्न सीमाएं विहित की जा सकेंगी.

कर का भार.

- (2) प्रत्येक ऐसा व्यापारी, जिसको उपधारा (1) लागू नहीं होती है, छत्तीसगढ़ में उसके द्वारा किए गए माल के विक्रयों या प्रदायों के संबंध में इस अधिनियम के अधीन कर चुकाने का दायी उस तारीख से होगा जिसको कि ऐसी तारीख से एक वर्ष में उसकी कुल राशि (टर्न ओवर) उक्त उपधारा के अधीन विहित की गई सीमाओं से प्रथम बार अधिक हो जाती है, किंतु उस वर्ष के लिए कर के निर्धारण के प्रयोजन के लिए, उसकी कुल राशि (टर्न ओवर) में से केवल उतनी ही कुल राशि (टर्न ओवर) को हिसाब में लिया जाएगा जो कि ऐसी सीमाओं से अधिक है.
- . (1) आयुक्त इस अधिनियम के अधीन कर का भुगतान करने के किसी व्यापारी के दायित्व का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए कार्यवाहियां विहित रीति में, संस्थित करेगा. ऐसा दायित्व, आदेश द्वारा अवधारित किया जाएगा और ऐसा अवधारण, ऐसी कार्यवाहियां संस्थित किए जाने की तारीख से बारह मास की कालावधि के भीतर किया जाएगा.

कर का भुगतान करने के दायित्व का अवधारण.

(2) धारा 4 की उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन

किसी व्यापारी के कर का भुगतान करने के दायित्व का अवधारण,-

- (एक) उपधारा (1) के अधीन कार्यवाहियां संस्थित किए जाने की तारीख; या
- (दो) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की विधिमान्यता की तारीख,

इनमें से जो भी पूर्वत्तर हो, से पांच वर्ष पूर्व की तारीख से नहीं किया जाएगा.

व्यापारियों के कतिपय वर्गों का संयुक्त और पृथक दावित्व.

(1)

- (क) जहां कोई व्यापारी (जो इसमें इसके पश्चात् ठेकेदार के रूप में निर्दिष्ट है) उसके द्वारा की गई संकर्म संविदा के निष्पादन के अनुक्रम में माल के प्रदाय का कारबार किसी दूसरे ऐसे व्यापारी की मार्फत (जो इसमें इसके पश्चात् उप-ठेकेदार के रूप में निर्दिष्ट है) सीधे या अन्यथा करता है और उप-ठेकेदार ने ऐसी संकर्म संविदा का निष्पादन किया है और उनमें से प्रत्येक या कोई इस अधिनियम के अधीन कर चुकाने का दायी है, तब इस अधिनियम के अधीन के अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ठेकेदार और उप ठेकेदार ऐसी संकर्म संविदा के निष्पादन में अंतर्विलत माल में की संपत्ति चाहे माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में हो, के अंतरण के संबंध में संयुक्ततः और पृथकतः कर चुकाने के लिए दायी होंगे.
- (ख) यदि ठेकेदार आयुक्त के समाधानप्रद रूप में विहित रीति में यह साबित कर देता है कि संकर्म संविदा के निष्पादन के अनुक्रम में प्रदाय किए गए माल की कुल राशि (टर्न ओवर) पर उप-ठेकेदार द्वारा कर का भुगतान कर दिया गया है तो ठेकेदार ऐसे माल की कुल राशि (टर्न ओवर) पर पुनः कर का भुगतान करने का दायी नहीं होगा.
- (2) (क) जहां कोई व्यापारी, अपने मालिक की ओर से अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट किसी माल, का, किसी तय किए गए प्रतिफल (जो इसमें इसके पश्चात् कमीशन अभिकर्ता के नाम से निर्दिष्ट है) के बदले में, वास्तविक क्रय करता है या विक्रय करता है, वहां ऐसा कमीशन अभिकर्ता तथा उसका मालिक दोनों संयुक्ततः और पृथकतः इस अधिनियम के अधीन कर चुकाने के दायी होंगे.
 - (ख) (एक) यदि मालिक, जिसकी ओर से कमीशन अभिकर्ता ने माल का विक्रय किया है, आयुक्त के समाधानप्रद रूप में विहित रीति में यह साबित कर देता है कि ऐसे माल पर उसके कमीशन अभिकर्ता के द्वारा कर का भुगतान कर दिया गया है या देय है तो मालिक ऐसे माल के विक्रय के संबंध में कर चुकाने का दायी नहीं होगा.
 - (दो) यदि कमीशन अभिकर्ता, जिसने मालिक की ओर से माल का विक्रय किया है, आयुक्त को समाधानप्रद रूप में विहित रीति में यह साबित कर देता है कि ऐसे माल पर उसके मालिक के द्वारा कर का भुगतान कर दिया गया है तो कमीशन अभिकर्ता ऐसे माल के विक्रय के संबंध में कर चुकाने का दायी नहीं होगा.
- (3) जहां कोई व्यापारी या व्यक्ति कर के भुगतान का अपवंचन करने की दृष्टि से या किसी आगत कर से छूट का दावा करने के लिए जिसके लिए वह अन्यथा पात्र नहीं है या किसी व्यक्ति के नाम से उसे सहयुक्त करके या तो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः चाहे किसी अभिकर्ता, कर्मचारी, प्रबंधक, भागीदार या मुख्तारनामा धारक, प्रत्याभूति-दाता, नातेदार या संबंधित संस्थान के

रूप में वा किसी अन्य हैसियत से कारदार कर रहा था, वहां ऐसा व्यक्ति और वह व्यापारी विसके नाम से रिनिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किया गया था; संयुक्ततः और पृथकतः अधिनियम के अधीन निर्धारित कर, देय ब्याच तथा अधिरोपित शास्ति का भुगतान करने के कर दावी होगा और ऐसे ब्याज तथा शास्ति की बसूली समस्त या किन्हीं भी ऐसे व्यक्तियों से इस प्रकार की जाएगी मानों कि ऐसा या ऐसे व्यक्ति अधिनियम के अधीन व्यापारी है/हैं.

केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम, 1956 (1956 की सं.74) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया कोई व्यापारी जो धारा 5 के अधीन कर चुकाने के दायित्वाधीन नहीं है, फिर भी किसी ऐसे माल के अपने विक्रयों पर जिसके क्रयों के संबंध में उसने उक्त अधिनियम् की धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन घोषणा दी है या किसी ऐसे माल के, जिसके कि विनिर्माण में ऐसा माल उपयोग में लाया गया है, विक्रय पर ऐसी दर से, जो कि धारा 8 में विनिर्दिष्ट की गई है, कर चुकाने के दायित्वाधीन होगा.

केन्द्रीय अधिनियम, 1956 की सं. 74 के अधीन राजिस्टीकृत व्यापारी का कर चुकाने का दायित्व.

प्रत्येक ऐसा व्यापारी जिसे उपधारा (1) लागू होती है, धारा 19, 21, 25 तथा 41 के प्रयोजनों के लिए रजिस्ट्रीकृत व्यापारी समझा जाएगा.

अध्याय-4

कर का उद्ग्रहण

(एक) अनुस्वी-2 के भाग-एक, दो, चार तथा पांच में विनिर्दिष्ट माल पर कर योग्य कुल राशि पर कर ऐसी दर से जो उसके कालम (3) में तत्स्थानी प्रविध्टि में वर्णित है; और (दो) उक्त अनुसूची के भाग-तीन राथा चार में विनिर्दिष्ट माल पर कर योग्य कुल राशि पर कर ऐसी दर से जा उसके कालम् (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित है;

ःसृहोत किया जाएंगा और ऐसा कर, इस अधिनियम के अधीन कर का चुकारा करने के लिए दायी ज्यापारी की कर योग्य कुल राशि (टैक्सेबल धर्न ओवर) पर उद्गृहीत किया जाएगा.

सिवाय उसके, जहां माल धारा 2 के खंड (भ) के अर्थ के अंतर्गत करवत्त माल है, प्रत्येक ऐसा यापारी, जो अपने व्यापार के अनुक्रम में कोई ऐसा माल जो अनुसूची-2 में ब्रिनिर्दिष्ट है कसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से भिन्न किसी व्यक्ति से या किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से उन ारिस् तियों में जिनमें कि ऐसे माल के विक्रय मृत्य पर धारा ४ के अधीन कोई कर उस जिस्टोकृत व्यापारी द्वारा देय नहीं है, क्रय करता है वहां वह ऐसे भाल के क्रय मूल्य पर कर वकाने के दायित्वाधीन होगा यदि,-

माल का उसके क्रय के पश्चात् छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर या अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में या भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय नहीं किया जाता है, किन्तु उसका विक्रय या व्ययन अन्य प्रकार से किया जाता है या धारा 15) के अधीन कर मुक्त होषित किए गए माल के विनिर्माण में उसका उपयोग जातर दिया न

ऐसा माल जो अनुस्ची-3 के अंतर्गत है, माल के विनिर्माण में उपभोग या उपयोग किया जाता है; या

ऐसा माल जो अनुसूची-3 के अंतर्गत नहीं आता है, अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट किए गए किसी माल के विनिर्माण में उपयोग या उपभोग के पश्चात्,

0 m25/

(एक) विनिर्मित माल के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य में या अंतर्राज्यिक व्यापार या वाशिज्य के अनुक्रम में या भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय से भिन्न रूप में व्ययन किया जाता है;

properties (a)

) विनिर्मित माल के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य में या अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में या भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय किया जाता है.

तथा तब ऐसा कर-

- (क) खण्ड (क), खण्ड (ख) और खण्ड (ग) के उप खण्ड (एक) में निर्दिष्ट माल के संबंध में अनुसूची-2 के कालम (3) और (4) में विनिर्दिष्ट दर से, और
- (ख) खण्ड (ग) के उप-खण्ड (दो) में निर्दिष्ट माल के संबंध में उक्त अनुसूची के कालम (4) में विनिर्दिष्ट दर से, उद्गृहीत किया जाएगा जिस दर से राज्य के भीतर ऐसे माल के विक्रय पर ऐसे क्रय की तारीख को उद्गृहीत किया गया होता.
- (2) इस धारा के अधीन कोई कर-
 - (क) किसी ऐसे व्यापारी पर, किसी वर्ष के संबंध में उद्गृहीत नहीं किया जाएगा जिसकी कुल राशि (टर्न ओवर) वर्ष में धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन विहित की गयी सीमा से अधिक नहीं है;
 - (ख) किसी अन्य व्यापारी पर, जिसकी कोई कुल राशि (टर्न ओवर) न हो, किसी भी वर्ष के संबंध में उदगृहीत नहीं किया जाएगा यदि समस्त माल के क्रय मूल्यों का योग ऐसी रकम, जो कि विहित की जाए, से अधिक नहीं है.
- (3) प्रत्येक ऐसे व्यपारी को, जिसकी कोई कुल राशि (टर्न ओवर) नहीं है और जो उपधारा (1) के अधीन कर चुकाने के दायित्वाधीन है, धारा 19, 21, 22, 25, 26 तथा 41 के प्रयोजन के लिए रिजिस्ट्रीकृत व्यापारी समझा जाएगा.
- कर का प्रभम. 10. (1) (क) आयुक्त ऐसे निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं किसी रिजस्ट्रीकृत व्यापारी को जो उसके द्वारा की गई संकर्म संविदा के निष्पादन के अनुक्रम में पूर्णतः या भागतः माल का प्रदाय करने का कारोबार करता है उसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन देय कर के बदले 15 प्रतिशत से अनिधक ऐसी दर से, जो विहित की जाए, विहित रीति से एकमुश्त रकम प्रशमन के रूप में भुगतान करने की अनुज्ञा दे सकेगा.
 - (ख) राज्य सरकार खण्ड (क) के अधीन प्रशमन के रूप में एकमुश्त रकम के अवधारण के प्रयोजन के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार की संविदाओं के लिए भिन्न-भिन्न दरें विहित कर सकेंगी,
 - (2) (अ) कोई रिजिस्ट्रीकृत व्यापारी जो राज्य के भीतर किसी ऐसे अन्य व्यापारी से, धारा 8 के

अपिया कोई अलावशिक्य जनापरी (ना पठ ६० चित्रका अरुगरी

खण्ड (एक) के अधीन कर का उसकी भुगतान करने के पश्चात् अनुस्ची-2 में विनिर्दिष्ट माल का क्रय कर रहा हो और/या अनुस्ची-1 में विनिर्दिष्ट माल क्रय कर सहा हो और/या अनुस्ची-1 में विनिर्दिष्ट माल क्रय कर सहा हो, और जिसकी कुल राशि (टर्न ओवर) किसी वर्ष में साधारणतया पांच लाख किये से अधिक नहीं होती है, ऐसे वर्ष के प्रारंभ होने के एक माह के भीतर विहित दिल्ल प्रक्रिय प्रक्रूप में धारा 8 के खण्ड (एक) के अधीन उसके द्वारा देय कर के बदले में एकमुश्त प्रारंभ रहते हुए जैसी दर से, ऐसी रिति में तथा ऐसे निर्वन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जैसी कि विहित किए जाएं, चुकाने का विकल्प ले सकेगा.

यदि कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी उस वर्ष के दौरान जिसके लिए उसके द्वारा ऐसा विकल्प दिया गया है 'उपधारी (1) के अधीन विहित किन्हीं भी निर्वन्धनों तथा शर्तों का उल्लंघन करता है, तो उसके द्वारा दिया गया विकल्प प्रतिसंहत हो जाएगा.

अपित मार्ट मिलाइ अपि के व्यान माया आरंका हो ने के पश्चाल अपना के जारी केया आयार माया के जारी केया आयार माया के जारी केया आयार माया के जारी के 12 मन 2 208)

ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यापारी जो उपधारा (1) के अधीन कर के प्रशमन के लिए विकल्प देता है उस वर्ष के दौरान जिसके संबंध में ऐसा विकल्प का व्यापारी द्वारा प्रयोग किया गया है विक्रीत माल के संबंध में आगत कर के किसी रिबेट के लिए पात्र नहीं होगा.

- (3) धारा 19, 21, 41 तथा 42 के उपबन्ध ऐसे किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी को जिसे उपधारा (1) प्रशमन के रूप में एकमुशंत रकम संदाय करने को अनुज्ञा दी गई है और जो उक्त उपधारा के अधीन विहित निर्वंधों तथा शर्तों का अनुपालन करता है ऐसी अवधि के लिए तथा ऐसी वस्तुएं जिसके लिए ऐसे कर का प्रशमन किया गया है तथा ऐसे व्यापारी को जिसके द्वारा उपधारा (2) के अधीन कर के प्रशमन के लिए विकल्प दिया गया है लागू नहीं होंगे.
- 11. कोई भी व्यापारी किसी ऐसे व्यक्ति से, जो स्वयं अपने द्वारा उगाई गई या किसी ऐसी भूमि पर, जिसमें वह स्वामी, भोग बंधकदार अथवा अभिधारी के रूप में अन्यथा हित रखता है उगाई गई या उद्यान कृषि उपज बेचता है उस स्थिति में कर के रूप में कोई रकम संगृहित नहीं करेगा जबिक ऐसी उपज का विक्रय, उसे उपभोग के योग्य बनाने हेतु उसे केवल भूसी रहित किए जाने, साफ किए जाने, छांटे जाने या चुने जाने के सिवाय उस पर कोई भौतिक, रासायनिक या अन्य प्रक्रिया न की जाकर उसी रूप में किया जाए जिसमें कि उसका उत्पादन किया गया था.

व्यापारी कतिपय परिस्थितियों में कर का भार कृषकों तथा उदयान कर्मियों पर नहीं डालेगा.

12. धारा 8 या धारा 9 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई माल किसी आधान या संवेष्टन सामग्री में पैक किया हुआ विक्रय या क्रय किया जाता है वहां उस आधान या संवेष्टन सामग्री के, जिसमें ऐसा माल इस प्रकार से पैक किया गया है, संबंध में यह समझा जाएगा कि उसका विक्रय या क्रय ऐसे माल के साथ किया गया है और धारा 8 वा धारा 9 के अधीन कर ऐसे आधान या संवेष्टन सामग्री के विक्रय या क्रय पर कर की उसी दर पर, यदि कोई हो, उदग्रहणीय होगा जो स्वयं उस माल के यथा स्थिति विक्रय या क्रय को लागू होती है:

आधान (कंटेनर) या संवेष्टन सामग्री (पेकिंग, मटेरियल) पर कर की दर.

परंतु धारा 8 या धारा 9 के अधीन वहां कोई कर उद्गृहित नहीं किया जाएगा जहां आधान या संवेष्टन सामग्री का विक्रय या क्रय ऐसे माल के साथ किया जाता है जो धारा 15 के अधीन कर मुक्त घोषित किए गए हैं

13. (1) उपधारा (5) के उपबंधों और ऐसे निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जो कि विहित की जाए, स धारा में यथा उपवंधित आगत कर के रिवेट का दावा नीचे विनिर्दिष्ट की गई प्रमेस्थितिय में किसी रिजस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा किया जाएगा या उसे ऐसा करने के लिए अनुजा कि या जाएगा, -

आगत कर का रिबेट.

(क) () जब कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी, अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट कोई माल छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर अन्य ऐसे व्यापारी से धारा 8 के खण्ड (एक) के अधीन उसे कर का भुगतान करने के पश्चात् छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर या अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में या भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय के लिए क्रय करता है, तब वह ऐसे कर की राशि के आगत कर के रिबेट का दावा ऐसी रीति में तथा ऐसी कालावधि के भीतर जैसी कि विहित की जाए, करेगा या उसे ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा;"

(ii) -- - ·

- (ख) जब कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी, अनुसूची-3 में विनिर्दिष्ट माल से भिन्न कोई माल जो कि अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर अन्य ऐसे व्यापारी से धारा 8 के खण्ड (एक) के अधीन उसे कर का भुगतान करने के पश्चात् ऐसे माल का अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट किसी माल की जिसमें पूंजीगत माल सम्मिलित है, के उपयोग के लिए/विनिर्माण के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर या अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में या अनुसूची एक अथवा अनुसूची दो में विनिर्दिष्ट किसी माल के भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात, करने के अनुक्रम में विक्रय के लिए क्रय करता है, तब वह ऐसे कर की राशि के आगत कर के रिवेट का दावा ऐसी रीति में तथा ऐसी कालाविध के भीतर जैसी कि विहित की जाए, करेगा या उसे ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा; "
- (ग) जहां कोई व्यापारी, इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर या उसके पश्चात् धारा 16 की उपधारा (2) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के प्रदान किए जाने के लिए कोई आवेदन करता है, तब वह,-
 - (1) इस अधिनियम के ऐसे प्रारंभ पर या उसके पश्चात् उसके द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर किसी ऐसे दूसरे व्यापारी से उसे धारा 8 के खण्ड (एक) के अधीन कर का भुगतान करने के पश्चात्, क्रय किए गए माल के संबंध में, जो अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट है, खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए; या
 - (2) इस अधिनियम के ऐसे प्रारंभ पर या उसके पश्चात् उसके द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर, उसे धारा 8 के खण्ड (एक) के अधीन कर का भुगतान करने के पश्चात् क्रय किए गए ऐसे माल के संबंध में जो अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट है किन्तु जो अनुसूची-3 में विनिर्दिष्ट माल से भिन्न है, खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए,

और उसे, धारा 16 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन जारी किए गए रिजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की वैधता की तारीख को उसके द्वारा स्टाक के धारित,

- (एक) खण्ड (क) में निर्दिष्ट माल के संबंध में उक्त खण्ड के अधीन ऐसी कर की रकम,
- (दो) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट माल के संबंध में उक्त खण्ड के अधीन ऐसी कर की रकम,

आगत कर का दावा ऐसी रीति में तथा ऐसी कालावधि के भीतर जैसी कि विहित की जाए, करेगा या उसे इसके लिए अनुज्ञात किया जाएमा.



(2) (क) उपघारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी उक्त उपघारा के खण्ड (क) और (ख) में कथित परिस्थितियों में अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट कोई माल, अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी कमीशन अभिकर्ता को विक्रय के लिए भेजता है, छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर विक्रय के प्रयोजन के लिए क्रय किए गए ऐसे माल के संबंध में किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा आगत कर के रिबेट का दावा किया जाएगा या उसे ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जो कमीशन पर विक्रय के लिए माल प्राप्त करता है.

8 3177=1,27914

- (ख) किसी आगत कर के रिबेट का दावा किसी ऐसे व्यापारी (मालिक), द्वारा नहीं किया जाएगा या न ही ऐसा करने के लिए उसे अनुज्ञात किया जाएगा, जो उक्त प्रयोजन के लिए ऐसा माल भेजता है.
- (3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन रिजस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा आगत कर के रिबेट ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, इस अधिनियम के अधीन उसके या केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का सं.74) के अधीन उसके द्वारा देय किसी कर के मद्दे समायोजित किया जाएगा और अधिशेष, यदि कोई हो, पश्चात्वर्ती वर्ष में देय किसी कर के मद्दे समायोजन के लिए लिया जाएगा.
- (4) किसी रिजस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा भारत राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय के लिए अथवा धारा 38 की उपधारा (1) के खण्ड (चार) के प्रावधानों के अनुरूप विशेष आर्थिक क्षेत्र में पंजीयत व्यवसायी को विक्रय के लिये, ऐसे क्रयं के संबंध में आगत कर के रिबेट की कोई रकम जिसके लिए कोई रिजस्ट्रीकृत व्यापारी हकदार है, उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा देय किसी कर के मद्दे समायोजित नहीं है, ऐसी रिबेट उसे प्रतिदाय के रूप में प्रदान की जाएगी.
 - (5) (क) (एक) जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी ने उपधारा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट कोई माल विक्रय के प्रयोजन के लिए अन्य ऐसे व्यापारी से क्रय करके उक्त उपधारा के खण्ड (क) या खण्ड (ग) के उपखण्ड (एक) के अधीन ऐसे माल के संबंध में आगत कर के रिबेट का दावा किया है और अपनी विवरणी या विवरणियों के अनुसार उसके द्वारा देय कर के मद्दे ऐसी रिबेट को समायोजित किया है तो ऐसा व्यापारी छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर या अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में या भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय के रूप से अन्यथा ऐसे माल के व्ययन की दशा में ऐसी कर की राशि चुकाने का दायी होगा. जिसके मद्दे पूर्वोक्त माल के संबंध में आगत कर के रिबेट उसके द्वारा समायोजित की गई थी.
 - (दो) जहां किसी रिजस्ट्रीकृत व्यापारी ने उपधारा (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के उपखण्ड (दो) में निर्दिष्ट कोई माल अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट किसी माल के उपयोग के लिए अथवा विनिर्माण के लिए/विनिर्माण में या खनन के लिए/खनन में ऐसे माल के उपयोग या उपभोग के प्रयोजन के लिए अन्य ऐसे व्यापारी से क्रय करने के पश्चात् उक्त उपधारा के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन ऐसे माल के संबंध में आगत कर के रिबेट का दावा किया है और अपनी विवरणी या विवरणियों के अनुसार उसके द्वारा देय कर के मद्दे ऐसी रिबेट समायोजित की है, तो ऐसा व्यापारी छत्तीसगढ़ राज्य में या अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में या भारत के राज्य क्षेत्र के

बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय से अन्यथा रीति में विनिर्मित किए गए ब खनन किए गए माल के व्ययन की दशा में, ऐसी कर की राशि चुकाने का दायी होगा जिसके मद्दे पूर्वोक्त माल के संबंध में आगत कर के रिबेट उसके द्वारा समायोजित की गई थी.

- (तीन) जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी जिसने उपधारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट कोई माल क्रय किया है और उक्त खण्डों के अधीन उक्त माल के संबंध में आगत कर के रिबेट का दावा किया है, का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र धारा 16 की उपधारा (10) के अधीन निरस्त कर दिया जाता है तो ऐसा व्यापारी उस तारीख को जब रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण प्रभावशाली होता है, उसके द्वारा स्टाक में धारित माल के संबंध में उक्त खण्ड के अधीन आगत कर के रिबेट के रूप में दावा की गई रकम चुकायेगा.
- (ख) जहां कर की वह राशि या आगत कर के रिबेट की वह राशि जिसे कि कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी खण्ड (क) के अधीन चुकाने का दायी है, उसके खाते में किसी आगत कर के मद्दे समायोजन योग्य नहीं है, वहाँ ऐसा व्यापारी इस प्रकार देय कर की राशि पर खण्ड (क) के उपखण्ड (एक) या उपखण्ड (दो) में कथित रीति में माल के व्ययन की तारीख से प्रारंभ होने वाली कालावधि के लिए उसके भुगतान की तारीख तक एक प्रतिशत प्रतिमाह की दर से व्याज चुकाने का दायी होगा.
- (6) रिजस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा,-
 - (एक) अनुसूची-2 में चिनिर्दिष्ट किसी माल के संबंध में. जो विक्रय के लिए ऐसे अन्य व्यापारी से उसके द्वारा क्रय किया गया हो किंतु जो मुपत सेंपल या दानस्वरूप या बदले के तौर पर उसके द्वारा दिया गया है या प्राप्त किया गया है;
 - (दों) अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट माल के संबंध में, जो माल के विनिर्माण या खनन के उपयोग या उपभोग के लिए है किंतु ऐसा विनिर्मित या खनित माल मुपत सेंपल या दानस्वरूप या बदले के तौर पर उसके द्वारा दिया गया है या प्राप्त किया गया है:
 - (तीन) उस माल के संबंध में जो कि धारा 10 के उपबंधों के अधीन कर के प्रशमन का विकल्प देने वाले व्यापारी द्वारा क्रय किया गया है. उपधारा (1) के अधीन आगत कर के रिबेट का दावा नहीं किया जाएगा या न ही उसे इसके लिए अनुज्ञात किया जाएगा.
- (7) (क) राज्य सरकार, यदि वह उचित समझे, अधिसूचना द्वारा, इस धारा के अधीन आगत कर के रिबेट का दावा करने या रिबेट अनुज्ञात करने के प्रयोजन के लिए अनुसूची-2 के भाग तीन में वर्णित किसी माल को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जब कोई रिजस्ट्रीकृत व्यापारी छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर किसी अन्य व्यापारी से ऐसा माल,-
 - (एक) धारा 8 के खण्ड दो के अधीन कर का उसको भुगतान करने के पश्चात्, या
 - (दो) जो विक्रय करने वाले रिजस्ट्रीकृत व्यापारी के पास करदत्त माल के रूप में हो, ऐसे माल का अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट किसी माल के विनिर्माण के लिए/ विनिर्माण में/ खनन के लिए/खनन में उपयोग या उपभोग के लिए छत्तीसगढ़

,(2)

राज्य के भीतर या अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में विक्रय के लिए क्रय करता है और तदुपिर ऐसे माल के संबंध में आगत कर के रिबेट का दावा ऐसी रीति में ऐसी सीमा तक, ऐसी कालावधि के भीतर तथा ऐसे निर्बन्धन तथा शर्तों जैसी कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, के अध्यधीन रहते हुए करेगा या उसे ऐसा करने के लिए अनुशात किया जाएगा.

- (ख) उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (दो) तथा उपधारा (2) से (5) के उपबंध आगत कर के रिबेट के लिए लागू होंगे जिसका खण्ड (क) में निर्दिष्ट माल के संबंध में दावा किया जा सकेगा या उसे ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा.
- 14. यह साबित करने का भार कि किसी व्यापारी द्वारा किया गया कोई विक्रय या क्रय यथास्थिति, धारा 8 या धारा 9 के अधीन कर के दायित्वाधीन नहीं है, अथवा यह कि वह धारा 13 के अधीन आगत कर के रिवेट के लिए पात्र है, व्यापारी पर होगा.

सब्त का भार.

15. (I) अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट किए गए माल के विक्रय या क्रय पर, उसके कालम-तीन की तत्संबंधी प्रविध्टि में दी गई शर्तों और अपवादों के, यदि कोई हो, अध्यधीन रहते हुए, कोई कर देय नहीं होगा.

कर मुक्त माल.

अध्याय-5

व्यापारियों का रजिस्ट्रीकरण

16. (1) प्रत्येक ऐसा व्यापारी, जिसकी कुल राशि (टर्न ओवर) इस अधिनियम के प्रारंभ होने के ठीक पूर्ववर्ती बारह मास के दौरान धारा 4 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट की गई सीमाओं से अधिक हो जाती है, स्वयं को इस अधिनियम के प्रारंभ होने के तीस दिन के भीतर विहित रीति में रिजिस्टीकृत कराएगा.

व्यापारियों रजिस्ट्रीकरण.

- (2) (क) ऐसा व्यापारी, जिसे उपधारा (1) लागू होती है, से भिन्न प्रत्येक व्यापारी उस तारीख से जिसको कि उसकी कुल राशि (टर्न ओवर) किसी वर्ष में धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन विहित की गई सीमाओं से प्रथम बार अधिक हो जाती है, विहित कालाविध के भीतर स्वयं को रजिस्ट्रीकृत कराएगा;
 - (ख) धारा 17 की उपधारा (6) द्वारा रजिस्ट्रीकृत किया जाने के लिए अपेक्षित प्रत्येक व्यक्ति उक्त उपधारा में विहित कालाविध में स्वयं को रजिस्ट्रीकृत कराएगा.
 - (ग) प्रत्येक त्र्यापारी धारा 30 की उपधारा (1) के अर्थ के अंतर्गत किसी कारबार का अंतरिती होने के कारण, उस कारबार के अंतरण की तारीख से तीस दिन के भीतर जिसका कि वह एक अंतरिती है, स्वयं को रजिस्ट्रीकृत कराएगा;
- (3) (क) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन स्वयं को रिजस्ट्रीकृत कराने के लिए अपेक्षित प्रत्येक व्यापारी, आयुक्त को ऐसे प्ररूप तथा ऐसी रीति थें, जैसी कि विहित की जाए, आवेदन कर सकेगा, जिसमें सही तथा सम्पूर्ण विशिष्टियों दी जाएंगी. ऐसे आवेदन के साथ, आवेदन में दी गई विशिष्टियों के समर्थन में एक शपथपत्र होगा और उसके साथ पांच सौ रुपये की रिजर्ट्राकरण फीस के विहित रीति में भुगतान का समाधानप्रद सबूत दिया जाएगा.
 - (ख) कोई व्यापारी या व्यक्ति, यद्यपि वह धारा 4 के अधीन कर चुकाने का दायी नहीं है

स्वेच्छया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करना चाहता है, आयुक्त को विहित प्रारूप में विहित प्रक्रिया अनुरूप एक आवेदन उसमें सही तथा संपूर्ण विशिष्टियां देते हुए देगा. ऐसे आवेदन के साथ, आवेदन में दी गई विशिष्टियों के संबंध में एक शपध पत्र होगा और आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकरण फीस का समाधानप्रद भुगतान भी होगा. जहां आवेदन किसी ऐसे व्यापारी या व्यक्ति द्वारा दिया जाता है जो संकर्म संविदा हाथ में लेता है वहीं आवेदन के साथ संकर्म संविदा दिए जाने की प्रतिलिपि भी साथ होगी.

परन्तु जहां आवेदन ऐसे व्यक्ति ने दिया हो जो धारा 17 के अधीन अंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र धारण करता है वहां ऐसी फीस का भुगतान नहीं किया जाएगा.

- (4) (क) जिस दिन, उपधारा (1) या उपधारा (2) द्वारा यथा अपेक्षित रिजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए आवेदन प्राप्त होता है, उस दिन उक्त प्राधिकारी, आवेदक को विहित प्ररूप में अस्थायी रिजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करेगा.
 - (ख) खण्ड (क) में वर्णित अस्थायी रिजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के दिए जाने के पश्चात् आयुक्त आवेदक से यह अपेक्षा करेगा कि वह सत्यापन के लिये उसके समक्ष आवेदन में दी गई विशिष्टियों के संबंध में साक्ष्य तथा दस्तावेजों और कारबार के संबंधित, लेखे भी प्रस्तुत करे. साक्ष्य, दस्तावेजों और लेखाओं के प्रस्तुत किए जाने पर आयुक्त आवेदन में दी गई विशिष्टियों का सत्यापन करेगा. विशिष्टियों के सही होने के संबंध में समाधान हो जाने पर आयुक्त ऐसी कालाविध के भीतर जो रिजस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र दिये जाने के आवेदन प्राप्त होने की तारीख के तीस दिन के पश्चात् की न हो आवेदक को विहित प्ररूप में स्थायी रिजस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र जारी करेगा.
 - (ग) जहां आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि आवेदक द्वारा अपने आवेदन में दी गई विशिष्टियां सही नहीं है या आवेदक ने कितपय तथ्यों का दुर्व्यपदेशन किया है तो वह आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् आवेदन को नामंजूर कर देगा और आवेदन प्राप्त होने की तारीख के तीस दिन के भीतर आवेदक को खण्ड (क) के अधीन जारी किया गया अस्थायी रिजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी किये जाने की तारीख से रद्द कर देगा.

•

.

- (5) उपधारा (4) के अधीन प्रदान किया गया रज़िस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र-
 - (क) उस मामले में, जहां कोई व्यापारी उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन विहित या खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर स्वयं को उपधारा (2) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन रिजस्ट्रीकृत कराने के लिए अपेक्षित है, या खण्ड (ख) के अधीन रिजस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको कि किसी वर्ष में उसकी कुल राशि (टर्न ओवर) धारा 4 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट की गई सीमाओं से प्रथम बार अधिक हो जाती है;
 - (ख) उस मामले में, जहां कि उस व्यापारी ने जो उपधारा (2) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन स्वयं को रिजस्ट्रीकृत करा लेने के लिए अपेक्षित है यथास्थिति विहित या विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने के पश्चात् रिजस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर दिया है, उस तारीख से प्रभावी होगा, जिसको कि वह रिजस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करता है;

- (ग) उस मामले में जहां कि उस व्यापारी ने, जो धारा 30 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के हेतु आवेदन करने के लिये अपेक्षित है, कारवार के अंतरण के तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन कर दिया है उस तारीख से जिसको कि कारवार का स्वामित्व उसे संपूर्णतः अंतरित हो जाता है, और
- (घ) उस मामले में जहां कि उस व्यापारी ने, जो धारा 30 की उपधारा (1) के अधीन स्वयं को रजिस्ट्रीकृत करा लेने के लिए अपेक्षित है, कारबार के अन्तरण के तीन दिन की समाप्ति के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन कर दिया है, उस तारीख से जिसको कि रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर देता है,
- (ङ) जहाँ किसी व्यापारी ने जो उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन या उपधारा (2) के खण्ड (घ) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर दिया है, ऐसे आवेदन की तारीख से प्रभावी होगा.
- (6) धारा 21 की उपधारा (6) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जब किसी व्यापारी ने उपधारा (1) या उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार विहित समय के भीतर, युक्तियुक्त हेतु के बिना, स्वयं को रिजस्ट्रीकृत नहीं कराया है तो आयुक्त, ऐसे व्यापारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् उसे यह निर्देश दे सकेगा कि वह देय फीस के अतिरिक्त पांच सौ रूपये से अनाधिक की राशि को शास्ति के रूप में भुगतान करे.
- (7) प्रत्येक ऐसा व्यापारी, जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर, इस अधिनियम द्वारा निर्मासत किए गए अधिनियम के उपबंधों के अधीन रिजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र धारण करता है, ऐसे प्रारंभ पर, इस अधिनियम के समस्त प्रयोजनों के लिए इस धारा के अधीन रिजस्ट्रीकृत किया गया तथा रिजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र धारण करने वाला व्यापारी समझा जायेगा.
- (8) यदि कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी या अन्य व्यापारी, जो धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित है-
 - (क) उसका कारबार या उसके कारबार का कोई भाग या स्थान का विकय करता है या अन्यथा रूप से व्ययनित करता है या कारबार के स्वामित्व में कोई अन्य परिवर्तन करता है या ऐसा परिवर्तन उसकी जानकारी में आना है; या
 - (ख) उसके कारवार को बंद कर देता है या अपने कारवार के स्थान को परिवर्तित कर देता है या कारवार को नये स्थान पर खोलता है; या
 - (ग) उसके कारबार के नाम या प्रकृति को चौरवर्तित कर देता है. तो वह या यदि उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका विधिक प्रतिनिधि विदेत समय के भीतर विहित प्राधिकारी को तदनुसार स्वित करेगा.
- (9) (क) आयुक्त-
 - (एक) किसी रिवस्ट्रीकृत कारणे द्वारा अपने रिवस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को उपधारा (४) के उपबंधों के अनुसरण में वा अन्यधा संज्ञीधित किया जाने के लिए आवेदन किया बाने पर, देसी बांच उसी कि वह उचित समझे, करने के पश्चात् उस व्यापामी के रिवस्ट्रीकरण उसाणपत्र को ऐसे आवेदन की प्राप्ति

की तारीख से 30 दिन के भीतर संशोधित करेगा या संशोधन करेगा या संशोधन संबंधी आवेदन को नामंजूर करेगा; और

- (दो) यह समाधान हो जाने पर कि किसी व्यापारी को जारी किए गए रजिस्ट्रींकरण प्रमाणपत्र में उसमें विनिर्दिष्ट की गई कतिपय विशिष्टियों के संबंध में संशोधन किया जाना अपेक्षित है तो वह व्यापारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को संशोधित करेगा.
- (ख) जब्द रूजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र उपधारा (8) में विनिर्दिष्ट किन्हीं घटनाओं के अनुसरण में खण्ड (क) के उपखण्ड (एक) के अधीन संशोधित किया जाता है तो ऐसा संशोधन ऐसी घटना होने की तारीख से प्रभावी होगा और उक्त उपखण्ड के अधीन आने वाले अन्य समस्त मामलों में संशोधन आवेदन की तारीख से प्रभावी होगा. खण्ड (क) के उपखण्ड (दो) के अधीन संशोधन, ऐसा संशोधन करने के आदेश की तारीख से प्रभावंशील होगा.

(10) जब-

- (क) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी अपना कारबार बंद कर देता है या उसका अंतरण कर देता है; या
- (ख) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी का कर चुकाने का दायित्व समाप्त हो जाता है; या
- (ग) किसी रिजस्ट्रीकृत व्यापारी को भूल से रिजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र मंजूर कर दिया जाता है; या
- (घ) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी पर इस अधिनियम के अधीन या इस अधिनियम द्वारा निरिसत अधिनियम के अधीन शोध्य कर या शास्ति या किसी अन्य राशि का बकाया है; या
- (ङ) आयुक्त की लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, यह राय है कि रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र किसी अन्य कारण से रदद कर दिया जाना चाहिए.

तो आयुक्त या तो स्वप्रेरणा से या इस संबंध में व्यापारी के आवेदन पर, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर संकेगा; किन्तु ऐसे रद्दकरण के होते हुए भी व्यापारी उस कालावधि के लिये जिसके कि दौरान उसका रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रवृत्त रहा है, कर चुकाने का दायी होगा;

चंतु जहां आयुक्त इस उपधारा के अधीन किसी व्यापारी का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र रद्द करना प्रस्तावित करता है वहां वह ऐसे व्यापारी को सुनवाई का अवसर देगा.

(11) कोई भी ऐसा व्यापारी जिसका रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र उपधारा (10) के खण्ड (घ) या खण्ड (ङ) के अधीन रद्द कर दिया गया है धारा 21 की उपधारा (6) के प्रयोजनों के लिए जेमा व्यापारी समझा जाएगा जिसने रजिस्ट्रीकरण कराने के लिए आवेदन करने में चूक की है,

delete

कोई भी त्यक्ति जो वर्ष में एक लाख रुपये से अधिक मूल्य के विक्रयार्थ माल का विनिर्माण करने के प्रयोजन से राज्य में कारबार स्थापित करने का आश्रय रखता है और जो राज्य में लघु औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिये राज्य सरकार के उद्योग विभाग में रिजस्ट्रीकृत है या जिसे उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम 1951 (1951 का सं. 65) के उपबंधों के अधीन राज्य में कोई नवीन औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिए जहां कहीं आवश्यक हो, अनुज्ञप्ति दी जावे जिसमें सूचना संबंधी ज्ञापन केन्द्रीय सरकार को भेजा है. इस बात के होते हुए भी व धारा 16 के अधीन रिजस्ट्रीकरण के लिये आवेदन विहित रीति में अधिन संकंगा जिसके साथ उस संबंध में पाँच सौ रुपये रिजस्ट्रीकरण फीस चुकाने का समाधानप्रद सबूत संलग्न होगा.

इच्छुक निर्माताओं का अनंतिम रजिस्ट्रीकरण.

- (2) आवेदन प्राप्त होने के दिन उक्त प्राधिकारी आवेदक को विहित प्रारूप में अनन्तिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र मंजूर कर सकेगा.
- (3) उपधारा (2) के अधीन दिया गया रजिस्ट्रीकरण का अनित्तम प्रमाणपत्र उस तारीख से प्रभावी होगा जिस तारीख को कि उस व्यक्ति ने रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया था और धारा 4 के उपबंधों में होते हुए भी, प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिसे इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकरण का अनित्तम प्रमाणपत्र मंजूर किया गया है, इस अधिनियम के अधीन कर चुकाने के लिए उस समय तक दायी रहेगा जब तक कि ऐसा प्रमाणपत्र प्रवृत रहता है.
- (4) इस धारा के अधीन मंजूर किया गया रजिस्ट्रीकरण का अनन्तिम प्रमाणपत्र ऐसी कालावधि तक प्रवृत रहेगा जो कि उसमें विनिर्दिष्ट की जाये और धारा 16 की उपधारा (9) तथा (11) के उपबंध, यथाशक्य, उसके संबंध में लागू होगा.

परन्तु आयुक्त, रजिस्ट्रीकरण के अनित्तम प्रमाणपत्र धारी से, उक्त प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट प्रभावी कालावधि के अवसान के पूर्व, आवेदन प्राप्त होने पर लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से रजिस्ट्रीकरण के अनित्तम प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट कालावधि को, जो प्रत्येक अवसर पर छः मास से अधिक नहीं होगा, बढ़ा सकेगा.

- (5) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसे इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकरण का अनन्तिम प्रमाणपत्र मंजूर किया गया है, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रीकरण व्यापारी समझा जायेगा.
- (6) जहां कोई व्यक्ति जिसे इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकरण का अनन्तिम प्रमाणपत्र मंजूर किया गया है, रजिस्ट्रीकरण के अनन्तिम प्रमाणपत्र के प्रवृत रहने की कालावधि के दौरान माल का विनिर्माण तथा विक्रय प्रारंभ कर देता है, जो वह, उस तारीख के पूर्व जिसको कि रजिस्ट्रीकरण के अनन्तिम प्रमाणपत्र का अवसान होना है, धारा 16 के अधीन स्वयं को रजिस्ट्रीकृत करवा लेगा और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, उस तारीख से प्रभावी होगा जिस तारीख को कि रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया गया है, मंजूर किया जाने पर रजिस्ट्रीकरण का अनन्तिम प्रमाणपत्र ऐसी तारीख से प्रवृत नहीं रहेगा.
- (7) इस धारा न उपबंध केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को या पब्लिक सेक्टर के किसी उपक्रम को भी, जो कि राज्य में कोई नवीन औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने का आशय रखता/ रखती हो, लागू होंगें.

स्पष्टीकरण- इस धारा में अभिव्यक्ति औद्योगिक उपक्रम का वही अर्थ होगा जो कि उसे उद्योग विकास और विनिमय अधिनियम 1951 (1951 का सं. 65) की धारा 3 के खण्ड (ध) में दिवा गा है. म्रोत पर कटौती का दायित्व आने वाले व्यक्तियों का रजिस्ट्रीकरण.

- 18. (1) प्रत्येक व्यक्ति, जो धारा 27 के अंतर्गत म्रोत पर कटौती हेतु करदायी है, निर्धारित रीति एवं प्रारूप में आयुक्त से प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा.
 - (2) प्रत्येक व्यक्ति उपधारा (1) के अंतर्गत, कर दायित्व आने के पश्चात् 30 दिवस के अंदर निर्धारित प्रारूप में आयुक्त के समक्ष रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत करेगा आयुक्त जो जांच उचित एवं आवश्यक समझते हैं, कराने के पश्चात्, आवेदन सही पाये जाने पर, आवेदन प्राप्ति के 30 दिवस के अंदर रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करेंगे.
 - (3) यदि कोई व्यक्ति कर दायित्व होते हुए भी उपधारा (2) के अंतर्गत रिजस्ट्रीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं करता, ऐसी परिस्थिति में, आयुक्त उस व्यक्ति को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के पश्चात्, एक सौ रुपये की शास्ति प्रत्येक दिवस के विलम्ब हेतु आरोपित करेगा, जो पांच हजार से अधिक नहीं होगी.
 - (4) यदि कोई व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण हेतु दायी होते हुए अपने आवेदन में गलत जानकारी, इस धारा के अंतर्गत प्रस्तुत करता है तो ऐसी स्थिति में आयुक्त, उस व्यक्ति को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के पश्चात्, शास्ति आरोपित करेगा, जो पाँच हजार से अधिक नहीं होगी.

अध्याय-6

विवरणियां निर्धारण, भुगतान तथा कर की वसूली

विवरणियां.

- 19. (1) (क) (एक) प्रत्येक ऐसा व्यापारी, जिसे आयुक्त द्वारा विहित रीति में तामील की गई सूचना द्वारा, ऐसा करने के लिए अपेक्षित किया जाए; और
 - (दो) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यापारी; और
 - (तीन) प्रत्येक व्यापारी, जिसका रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र धारा 16 की उपधारा (10) के खण्ड (घ) या खण्ड (ङ) के अधीन निरस्त किया गया है,

विवरणियां ऐसे प्ररूप में, ऐसी रीति में ऐसी कालावधि के लिए, ऐसी तारीख तक तथा ऐसे प्राधिकारी को देगा जैसा विहित किया जाए;

परन्तु आयुक्त ऐसे निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जो कि विहित की जाए किसी ऐसे व्यापारी को ऐसी विवरणियां तथा पत्रक देने से छूट दे सकेगा या किसी ऐसे व्यापारी को यह अनुज्ञा दे सकेगा कि वह उक्त विवरणियां ऐसी भिन्न कालावधि के लिए, ऐसे अन्य प्ररूप में, और ऐसे प्राधिकारी को दे जैसा कि वह निदेश दे.

- (ख) प्रत्येक व्यापारी जिसे खण्ड (क) के अधीन विवरणियां देने के लिए अपेक्षित किया जाए, ऐसी तारीख को ऐसी कालावधि के लिए एक पत्रक ऐसे प्ररूप तथा ऐसी रीति में और ऐसे प्राधिकारी को जिसे विहित किया जाए, देगा.
- (ग) प्रत्येक व्यापारी जिसे धारा 41 की उपधारा (2) के अधीन अंकेक्षण रिपोर्ट देने के लिए अपेक्षित किया जाए खण्ड (ख) में निर्दिष्ट पत्रक के साथ ऐसी अंकेक्षण रिपोर्ट भेजेगा.

- (2) यदि किसी व्यापारी को उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन उसके द्वारा दी गई विवरणी में किसी लोप, गलती या गलत कथन का पता चलता है, तो वह विहित रीति में तथा विहित समय के भीतर पुनरीक्षित विवरणी दे सकेगा.
- politica loise er de m. éculos dos de
- (3) उपधारा (1) के अधीन विवरणी फाइल करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक व्यापारी धारा 25 की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार देय कर की पूरी रकम या उक्त धारा की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित देयकर की रकम का अंतर पुनरीक्षित विवरणी के अनुसार और उपधारा के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन देय ब्याज की पूरी रकम, यदि कोई हो, का भुगतान करेगा और यथास्थिति, विवरणी या पुनरीक्षित विवरणी के साथ ऐसे भुगतान का सबूत प्रस्तुत करेगा.
- (4) (क) यदि उपधारा (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित कोई व्यापारी :-
 - (एक) धारा 25 की उपधारा (2) के अधीन विहित रीति में किसी कालावधि के लिए विवरणी के अनुसार देयकर की राशि का भुगतान नहीं करता है; या
 - (दो) उपधारा (2) के अधीन पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत करके उसमें उसके द्वारा मूल विवरणी में दर्शाई गई कर की रकम से अधिक कर की रकम शोध्य होना दर्शाता है; या
 - (तीन) विवरणी नहीं देता है,

तो ऐसा व्यापारी,-

- (1) विवरणी के अनुसार उसके द्वारा कर; या
- (2) पुनरीक्षित विवरणी के अनुसार देय कर की रकम के अन्तर; या
- (3) उस कालावधि के लिए जिसके लिए उसने विवरणी नहीं दी है, देय कर के संबंध में 1 25 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज उस तारीख से जिसको कि ऐसा देय कर शोध्य हो गया था उसके भुगतान की तारीख तक या कर निर्धारण आदेश की तारीख तक, जो भी पूर्ववर्ती हो, चुकाने का दायी होगा.

स्पष्टीकरण- इस खण्ड के प्रयोजन के लिए-

- (1) जहां चूक की कालाविध एक मास की कालाविध से कम है, वहां ऐसी कालाविध के लिए देय ब्याज की संगणना आनुपातिक रूप से की जाएगी.
- (2) ''मास'' से अभिप्रेत है तीस दिन.
- (ख) यदि कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी किसी कालावधि के लिए उपधारा (2) के अधीन विवरणी प्रस्तुत कर देता है या उपधारा (2) के अधीन पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत कर देता है, और उस विवरणी के अनुसार या पुनरीक्षित विवरणी के अनुसार कर का भुगतान उसके लिए विहित समय के पश्चात् करता है, किन्तु खण्ड (क) के उपबंधों के

अनुसार ऐसी विवरणी के साथ ब्याज का भुगतान करने में चूक करता है तो आयुक्त ऐसा ब्याज तब उद्गृहीत करेगा जिसे ऐसा व्यापारी भुगतान करने के दायित्वाधीन है और ऐसे व्यापारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् उसे यह निदेश दे सकेगा कि वह उसके द्वारा देय या चुकाये गए कर और उसके द्वारा देय ब्याज के अतिरिक्त शास्ति के रूप में ऐसी रकम जो उस तारीख से जिसको कि ऐसा ब्याज शोध्य हो गया था उसके भुगतान की तारीख तक, या कर निर्धारण आदेश की तारीख तक जो भी पूर्ववर्ती हो, J.25 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से बराबर हो, शास्ति के रूप में चुकाये.

- (ग) यदि कोई व्यापारी पर्याप्त हेतुक के बिना उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सूचना की अपेक्षाओं का अनुपालन करने से चूक जाए तो आयुक्त व्यापारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् उसे यह निदेश दे सकेगा कि वह उसके द्वारा देय या चुकाये गए किसी कर के अतिरिक्त शास्ति के रूप में पांच हजार रुपये के अधिकतम के अध्यधीन रहते हुए, ऐसी रकम जो व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन के लिए एक सौ रुपये होगी, चुकाये.
- (घ) जहां,
 - (एक) खण्ड (क) के उपखण्ड (तीन) के अधीन व्यतिक्रम करने वाले किसी रिजस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा कोई कर देय नहीं है; या
 - (दो) यदि रजिस्ट्रीकृत व्यापारी विवरणी के अनुसार देय कर का भुगतान समय पर करने के पश्चात् समय पर चिवरणी देने में असफल रहता है:

तो आयुक्त, ऐसे व्यापारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् उसे यह निर्देश दे सकेगा कि बह एक हजार रुपये के अधिकतम के अध्यद्यान रहते हुए, व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन के लिए पचास रुपए की राशि शास्ति के रूप में चुकाये.

(5) (3)

क्रोट स कटीनों का दायित्व 20. जामें पर विवरणियां प्रस्तुत करना.

बन कर निर्माणा

प्रत्येक व्यक्ति, जो धारा 18 के अंदर पंजीयत है, ऐसे अधिकारी को, ऐसे प्रारूप में, ऐसी कालावधि के लिए, ऐसी तारीख तक, जैसा कि निहित किया जाये, विवरणियां देगा.

- (2) इस प्रकार प्रस्तुत प्रत्येक विवरणी देय कर के पूर्ण राशि के भुगतान के प्रमाण में कोषालय के चालान के साथ प्रस्तुत की जायेगी. चालान के अभाव में विवरणी प्रस्तुत की हुई नहीं मानी जावेगी.
- (3) यदि कोई व्यक्ति, बिना किसी उचित कारण के निर्धारित तिथि तक विवरणियां प्रस्तुत नहीं करता, तो आयुक्त, ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर देते हुए, शास्ति आरोपित करेगा, जो प्रत्येक दिवस के विलम्ब हेतु एक सौ रुपये से अधिक नहीं होगी.
- (4) राज्य शासन ऐसी परिस्थितियों में, जो विनिर्दिष्ट की जायेगी, किसी व्यक्ति अथवा वर्ग के व्यक्तियों को विवरणियां प्रस्तुत करने से मुक्त कर सकता है.
- 21. (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यापारी का कर का निर्धारण प्रत्येक वर्ष के लिए अलग कर का निर्धारण, अलग होगा:



परन्तु-

- (क) आयुक्त, ऐसी शर्तों तथा निर्बन्धनों के अध्यधीन रहते हुए, जैसी कि विहित की जाएं, किसी व्यापारी से किसी वर्ष के किसी भाग के लिए कर का निर्धारण कर सकेगा;
- (ख) ऐसा कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी जो धारा 13 की उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन आगत कर के रिबेट के प्रतिदाय का दावा,-
 - (एक) किसी वर्ष की किसी तिमाही के लिए अपनी विवरणों में करता है और ऐसी या उस तारीख के पूर्व जिसकों कि पश्चात्वर्ती तिमाही के लिए विवरणी देना नियत है, उस प्रयोजन के लिए आवेदन करता है: या
 - (दो) एक वर्ष के लिए अपनी विवरणी में करता है और उस जिसको कि पश्चात्वर्ती वर्ष की प्रथम तिमाही के लिए विवरणी देना नियत है, उस प्रयोजन के लिए आवेदन करता है,

तो यथास्थिति उस तिमाही या वर्ष के लिए ऐसे व्यापारी का निर्धारण उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार आवेदन प्राप्त होने की तारीख से तीन मास की कालावधि के भीतर किया जाएगा.

- (2) जहां उपधारा (1) के परंतुक में निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से भिन्न कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी-
 - (एक) किसी वर्ष के लिए समस्त विवरणियां और/या
 - (दो) ऐसे वर्ष की किसी तिमाही या किन्हीं तिमाहियों के लिए पुनरीक्षित विवरणी, विहित रीति में और विहित समय के भीतर या उस तारीख से पूर्व प्रस्तुत कर चुका है जिसके कि पश्चात्वर्ती वर्ष की प्रथम तिमाही के लिए विवरणी देना नियत है और ऐसी विवरणियों या पुनरीक्षित विवरणियों के अनुसार देय कर तथा देय ब्याज भी, यदि कोई हो, संदत्त कर चुका है;
 - (तीन) ऐसी विवरणियों या पुनरीक्षित विवरणियों के अनुसार देय कर तथा देय ब्याज भी, यदि कोई हो, संदत्त कर चुका है; और
 - (चार) धारा 18 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन विहित समय के भीतर पत्रक दे चुका है,

वहां उस वर्ष के लिए ऐसे व्यापारी द्वारा दी गई विवरणियां या पुनरीक्षित विवरणियां स्वीकार की जाएंगी और उसका निर्धारण उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए किया गया समझा जाएगा;

परंतु इस धारा के अधीन ऐसे प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यापारी जिससे धारा 41 की उपधारा (2) के अधीन अंकेक्षण रिपोर्ट देने की अपेक्षा की गई है, का निर्धारण ऐसा किया गया समझा जाएगा यदि ऐसे व्यापारी ने उपखण्ड (चार) में निर्दिष्ट पत्रक के साथ अंकेक्षण रिपोर्ट दे दी है. से राज कर्ना ० इर वर्ग

उपधारा (2) के उपबंधों के होते हुए भी, आयुक्त उतनी संख्या में ऐसे व्यापारियों का पुनः निर्धारण के लिए चयन करेगा जैसा कि वह उचित समझे, जिनका निर्धारण एक वर्ष के लिए उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार उपधारा (1) के अधीन किया गया समझा गया है और ऐसां चयन उक्त वर्ष के ठीक आगामी वर्ष के दौरान किया जाएगा.

- (4) (क) आयुक्त, उपधारा (1) या उपधारा (3) के परंतुक में निर्दिष्ट किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी पर या किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी पर जो उपधारा (2) के अधीन निर्धारण के लिए पात्र नहीं है, विहित प्ररूप में एक नोटिस तामील करेगा, जिसमें स्थान नियत करते हुए उसे यह निदेशित किया जाएगा कि वह,-
 - (एक) स्वयं या किसी ऐसे अभिकर्ता की मार्फत् जो कि धारा 24 के उपबंधों के अनुसार उपसंजात होने के लिए हकदार है, उपसंजात हो; या
 - (दो) विवरणियों के समर्थन में साक्ष्य पेश करे या साक्ष्य पेश करवाए; या
 - (तीन) उसके कारबार से संबंधित ऐसे लेखा, रजिस्टर, रोक-ज्ञाप (केश मेमोरण्डा) या अन्य दस्तावेज पेश करे या पेश करवाए.
 - (ख) आयुक्त, रजिस्ट्रीकृत व्यापारी या उसके अभिकर्ता की सुनवाई करने और खण्ड (क) के उपखण्ड (दो) या उपखण्ड (तीन) की अपेक्षाओं के अनुपालन में पेश किए गए साक्ष्य की तथा ऐसे और साक्ष्य की, जिसकी कि वह अपेक्षा करे, परीक्षा के पश्चात्, उस पर कर का निर्धारण या पुनःनिर्धारण करेगा.
- (5) यदि उपधारा (4) कें खण्ड (क) में निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत व्यापारी ने,-
 - (क) किसी कालावधि के संबंध में, विवरणियां और विवरण पत्रक विहित तारीख तक नहीं दी है; या
 - (ख) किसी कालावधि के लिए जानते हुए अपूर्ण या गलत विवरणियां या विवरण पत्रक दी हैं; या
 - (ग) ऐसी विवरणियां देने पर, उपधारा (4) के खण्ड (क) के अधीन जारी की गई सूचना के निबंधनों में से किसी निबंधन का अनुपालन नहीं किया गया है; या
 - (घ) (एक) कोई लेखा नहीं खा है; या
 - (दो) उसके द्वारा रखा गया लेखा धारा 41 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार नहीं है; या
 - (तीन) ऐसा लेखा रखने की किसी एक पद्धति को नियमित रूप से काम में नहीं लाया है; या
 - (चार) काम में लाई गई पद्धति ऐसी है कि आयुक्त की राय में, उसके आधार पर कर निर्धारण उचित रूप से नहीं हो सकता है,

तो आयुक्त, स्थान नियत करते हुए विहित प्ररूप में सूचना जारी करने के पश्चात् अपनी सर्वोत्तम विवेक बुद्धि से व्यापारी का विहित रीति में कर निर्धारण करेगा.

- (6) (क) यदि आयुक्त का उसके कब्जे में आई हुई किसी जानकारी के आधार पर यह समाधान हो जाए कि किसी ऐसे व्यापारी ने जो किसी कालावधि के संबंध में कर चुकाने के दायित्वाधीन है, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन नहीं किया है, तो आयुक्त, धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन की कार्यवाहियों के पूर्ण होने की तारीख से एक कलैंडर वर्ष के भीतर, ऐसे व्यापारी का कर निर्धारण, ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, करने के लिए अग्रसर होगा और उसका ऐसी संपूर्ण कालावधि के संबंध में अपनी सर्वोत्तम विवेक बुद्धि से कर निर्धारण करेगा तथा उस पर शास्ति के रूप में ऐसी राशि अधिरोपित करेगा जो इस प्रकार निर्धारित की गई रकम की दुगनी हो.
 - (ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट की गई कालावधि के पश्चात्वर्ती कालावधियों के संबंध में जिसके दौरान व्यापारी रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने में असफल रहा है, उक्त खंड में निर्दिष्ट कर की वह रकम जो उससे शोध्य है, प्रतिवर्ष के लिए पृथकतः निर्धारित की जाएगी.
- (7) (एक) कर निर्धारण उपधारा (4) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी के संबंध में ऐसी कालावधि जिसके लिए कर निर्धारण किया जाना है, की समाप्ति से एक कलैंडर वर्ष की कालावधि के भीतर किया जाएगा; और
 - (दो) कर निर्धारण उपधारा (6) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी व्यापारी के संबंध में किसी कालावधि के लिए ऐसी कालावधि की समाप्ति से कि कलैंडर वर्ष के भीतर किया जाएगा;
 - (तीन) उपधारा (6) के खण्ड (क) के अधीन ऐसे व्यापारी के संबंध में उक्त उपधारा के अधीन कार्यवाहियों के प्रारंभ होने से दो कलैंडर वर्ष की कालाविध के भीतर किया जाएगा;

परंतु,-

8. 8d . 200

जहां धारा 48, 49 तथा 55 के अधीन किसी आदेश में अंतर्विष्ट किसी निष्कर्ष या निर्देशों को या किसी सिविल न्यायालय, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के किसी आदेश को कार्योन्वित करने के लिए कोई नवीन कर निर्धारण किया जाना है, वहां ऐसा कर निर्धारण यथास्थिति ऐसे निष्कर्ष या निदेश को अंतर्विष्ट करने वाले आदेश की तारीख से या मिविल न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के आदेश की तारीख से एक कलैंडर वर्ष की कालाविध के भीतर किया जाएगा;

(ख) जहां उपधारा (4) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी का एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश अपास्त कर दिया जाता है और धारा 22 के अधीन नवीन कर निर्धारण करने के लिए मामला पुनः खोला जाता है, वहां ऐसे एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश के अपास्त किए जाने की तारीख से छः कलैंडर मास की कालावधि के भीतर या खण्ड (एक) में अधिकथित कालावधि के भीतर, इनमें जो भी पश्चात्वर्ती है, किया जाएगा; और

at 126 50 2019

1

- (ग) इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात धारा 22 के अधीन शुरू की गई कार्यवाहियों को या कर निर्धारण या पुनः निर्धारण से भिन्न किन्हीं भी कार्यवाहियों को, जो इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन संस्थित की जाएं, लागू नहीं होगी.
- (8) उपधारा (7) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां किसी व्यापारी की बाबत किसी कालाविध से संबंधित कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण कार्यवाहियां उक्त उपधारा हैं सके लिए विनिर्दिष्ट कालाविध का अवसान होने के पूर्व पूर्ण नहीं की जा सकती है, वहां राज्य सरकार, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, ऐसे व्यापारी की बाबत ऐसा कर निर्धारण कार्यवाहियां पूर्ण किए जाने के लिए कालाविध को अधिसूचना द्वारा ऐसी और कालाविध तक के लिए बढ़ा सकेगी जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए.
- (9) (क) जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी किसी तिमाही के लिए उसकी विवरणी में या किसी वर्ष के लिए विवरणी या विवरणियों में कर या आगत कर के रिबेट के प्रतिदाय का दावा करता है और उक्त तिमाही या उक्त वर्ष के अपने निर्धारण के लिए आवेदन करता है किन्तु उसका निर्धारण उपधारा (1) के परंतुक में विनिर्दिष्ट समय के भीतर पूर्ण नहीं होता है, वहां उक्त तिमाही या वर्ष के लिए विवरणी या विवरणियों में किया गया दावा स्वीकार हो जाएगा और ऐसा व्यापारी कर या आगत कर के रिबेट की रकम के प्रतिदाय का हकदार होगा.
 - (ख) जहां, किसी वर्ष के लिए,-
 - (एक) उपधारा (1) के परंतुक में निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से भिन्न, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी; और
 - (दो) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी या किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यापारी जिसने उस वर्ष के लिए विवरणी या विवरणियां प्रस्तुत नहीं की हैं,

का कर का निर्धारण उपधारा (4) या उपधारा (5) के अधीन किया जाना है, उपधारा (7) में उपबंधित समय के भीतर या उपधारा (8) के अधीन बढ़ाए गए समय के भीतर नहीं किया गया है, तब,-

- (क) उपरोक्त (एक) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा प्रस्तुत की गई विवरणियां स्वीकृत हो जाएंगी तथा उसका अधिनियम के प्रयोजन के लिए कर निर्धारण किया गया समझा जाएगा.
- (ख) उपरोक्त (दो) में रजिस्ट्रीकृत व्यापारी का कर निर्धारण अवधि बाह्य हो जाएगा.
- कितपय परिस्थिति में कर 22. (1) जहां इस अधिनियम के या इस अधिनियम द्वारा निरिसत किए गए अधिनियम के अधीन किसी व्यापारी का कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण किया जा चुका है और इस अधिनियम के या इस अधिनियम द्वारा निरिसत किए गए अधिनियम के अधीन कर के दायित्वाधीन माल के किसी विक्रय या क्रय पर किसी कारण से, किसी कालाविध के दौरान,-
 - (क) कम कर निर्धारण हुआ है या वह कर निर्धारण से छूट गया है; या

- (ख) उस पर कम दर से कर निर्घारण हुआ है; या
- (ग) कर निर्धारण करते समय उसमें से कोई कटौती गलत तौर पर की गई है; या
- (घ) कर निर्धारण करते समय आगत कर की रिबेट गलती से अनुज्ञात की गई है; या
- (ङ) वह किसी न्यायालय या बोर्ड के किसी निर्णय या आदेश जो अंतिम हो चुका है, के परिणामस्वरूप या उसकी दृष्टि से गलत और राजस्व के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला हो जाता है;

तो आयुक्त, कर निर्धारण के आदेश की तारीख से तीन कलैंडर वर्ष की कालावधि के भीतर, किसी भी समय, विहित प्ररूप में नोटिस जारी करके ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी कि वह आवश्यक समझे, ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए, उस कर का जो ऐसे व्यापारी द्वारा देय है, यथास्थिति, कर निर्धारण करने के लिए अग्रसर हो सकेगा तथा कर के लिए उसका निर्धारण या पुनःनिर्धारण कर सकेगा.

- (2) जहां उपधारा (1) के अधीन किया गया कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण व्यापारी के कारण हुआ माना जा सकता है, वहां आयुक्त, इस प्रकार निर्धारित या पुनः निर्धारित की गई कर की रकम के दो गुने से अनिधक ऐसी शास्ति व्यापारी पर अधिरोपित करेगा किन्तु वह निर्धारित की गई कर की रकम से कम की नहीं होगी.
- (3) उपधारा (1) के अधीन कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण उक्त उपधारा के अधीन कार्यवाहियां प्रारंभ होने की तारीख से दो कलैंडर वर्ष की कालावधि के भीतर किया जाएगा.
- 23. धारा 21 या धारा 22 के अधीन यथास्थिति, कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण के लिए विहित किए गए पिसीमा काल की संगणना करने में वह समय छोड़ दिया जाएगा जिसके कि दौरान किसी सिविल न्यायालय या अन्य सक्षम न्यायालय के आदेश के अधीन या धारा 47 के अधीन जारी किए गए आयुक्त के विशेष या साधारण आदेश के अधीन कोई कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण कार्यवाही रूकी रही रहै.

कर निर्धारण कार्यवाहियों में समय का अपवर्जन.

24. (1) कोई भी व्यापारी, जो उस स्थिति को छोड़कर जबिक वह धारा 45 के अधीन शपथ या प्रतिज्ञान पर परीक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के अपेक्षित किया गया है, इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में धारा 3 के अधीन नियुक्त किए गए किसी अधिकारी के समक्ष हाजिर होने के लिए या उपसंजात होने के लिए हकदार है या अपेक्षित किया गया है, उस निमित्त किसी व्यक्ति द्वारा लिखित में प्राधिकृत किये गये ऐसे व्यक्ति के माध्यम से हाजिर या उपसंजात हो सकेगा जो व्यापारी का संबंधी है या चार्टर्ड अकाउन्टेंट या कर विधि व्यवसायी है.

विनिर्घारक प्राधिकारियों के समक्ष उपस्थिति,

- (2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, कोई भी व्यक्ति जो;
 - (क) इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पूर्व विक्रय कर विधि व्यवसायी (सेल्स टैक्स प्रेक्टिशनर)
 कर व्यवसायी (टैक्स प्रेक्टिशनर) के रूप में नामांकित किया गया था; या
 - (ख) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा निगमित किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा या ऐसे किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा जिसे कि राज्य सरकार, समय-समय पर, अधिसूचना

द्वारा, विनिर्दिष्ट करे, प्रदत्त विधि या वाणिज्य की उपाधि या कला स्नातक (बी.ए.) की उपाधि जिसमें कि अर्थशास्त्र उसके विषयों में से एक विषय हो, धारण करता है; या

(ग) उपखण्ड (ख) में निर्दिष्ट की गई अर्हताओं में से कोई भी अर्हता नहीं रखता है किंतु जिसने विक्रयकर/वाणिज्यिक कर विभाग में कम से कम दस वर्ष तक कोई ऐसा पद धारण किया है जो सहायक विक्रय कर अधिकारी/सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी से निम्न श्रेणी का नहीं है और जिसे आयुक्त ने उस विभाग में उसकी सेवा के अभिलेख को ध्यान में रखते हुए, इस आशय का प्रमाणपत्र दिया है कि वह इस अधिनियम के अधीन किसी भी कार्यवाही में उपसंजात होने के लिए योग्य व उपयुक्त व्यक्ति है,

कर विधि व्यवसायी के रूप में उपसंजात होने के लिए हकदार होगा.

- (3) उपधारा (2) के खण्ड (ख) या कि (ग) में निर्दिष्ट प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन किन्हीं भी कार्यवाहियों में कर-विधि व्यवसायों के रूप में उपसंजात होने के लिए पात्र है, ऐसी फीस का भुगतान करके जो कि विहित की जाए, स्वयं को उस रूप में नामांकित कराएगा.
- (4) यदि आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि नामांकन के लिए किया गया आवेदन व्यवस्थित है, तो वह आवेदक को नामांकन प्रमाणपत्र विहित प्ररूप में जारी करेगा, यदि आयुक्त का, ऐसी जांच, जैसी कि वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात् तथा आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ऐसा समाधान नहीं होता है, तो वह लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, उस आवेदन को नामंजूर कर देगा.
- (5) उपधारा (1) तथा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई जिसने वाणिज्यिक/ विक्रय कर विभाग में कोई ऐसा पद धारण किया हो जो वाणिज्यिक/विक्रय कर निरीक्षक की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो, इस अधिनियम के अधीन किसी भी कार्यवाही में किसी व्यापारी का प्रतिनिधित्व करने का,-
 - (एक) उस दशा में कि उसने, जब कि वह उस विभाग में कोई पद धारण किए हुए था, ऐसी कार्यवाहीं में किसी भी समय कोई आदेश पारित किया था;
 - (दो) उस दशा में जब कि उस व्यापारी का, जिसका कि प्रतिनिधित्व करना चाहता है, कारबार का स्थान उस जिले का सर्किल में है जिसके कि प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के भीतर वाणिज्यिक/विक्रय कर विभाग के उस कार्यालय का, जिसमें कि उसने ऐसा पद धारण किया था, मुख्यालय स्थित है. उस समय तक जब तक कि उस समय से, जबिक वह उस पद का धारणकर्ता नहीं रह गया है, दो वर्ष व्यतीत नहीं हो गए हैं;

हकदार नहीं होगा:

परन्तु खण्ड (दो) में की गई कोई भी बात उस दशा में ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जबिक प्रतिनिधित्व ऐसे पदाधिकारी के समक्ष किया जाना है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा अंत में धारण किए गए पद से उच्चतर पद धारण करता है.

(6) कोई भी व्यक्ति, जो शासकीय सेवा से पदच्युत कर दिया गया है उपधारा (1) के अधीन किसी व्यापारी का प्रतिनिधित्व करने के लिए अर्ह नहीं होगा.

(7) यदि कोई कर व्यवसायी का प्रतिनिधित्व या केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 74) के अधीन या इस अधिनियम द्वारा निरित्तत अधिनियम के अधीन किसी भी कार्यवाही के संबंध में, आयुक्त द्वारा अवचार का दोषी पाया जाए तो आयुक्त उसे दंड देने के लिए कोई आदेश जो कि वह उचित समझे, पारित कर सकेगा जिसमें इसे उपरोक्त अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में कर व्यवसायी के रूप में उपस्थित होने से निरिर्हित करना भी सम्मिलित है:

परंतु ऐसा आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे मुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो.

- (8) कोई कर विधि व्यवसायी जिसका कि नामांकन के लिए आवेदन उपधार (4) के अधीन नामंजूर कर दिया जाता है, या जो उपधारा (7) के अधीन निर्देश हो गया हो, उससे संवंधित निदेश दिए जाने के साठ दिन के भीतर बोर्ड को अपील कर सकेगा.
- (9) यदि कोई अधिवक्ता या चार्टर्ड अकाउन्टेंट इस अधिनियम के अधीन की या इस अधिनियम द्वारा निरिसत अधिनियम के अधीन किसी भी कार्यवाही के संबंध में अवचार का दोषी पाया जाए, तो आयुक्त इन व्यवसायों के व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने के लिए सशक्त प्राधिकारी को समुचित कार्यवाई करने के लिए मामला निर्दिष्ट करेगा.
- 25. (1) प्रत्येक वर्ष के लिए देय कर का इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में ऐसे अंतरालों पर भुगतान किया जाएगा जो कि विहित किए जाएं.

कर, ब्याज, शास्ति तथा अन्य शोध्यों का भुगतान तथा उनकी वसूली.

- (2) इसके पूर्व कि कोई रिजस्ट्रीकृतं व्यापारी धारा 19 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित कोई विवरणी दे वह धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन ऐसी विवरणी तथा ब्याज की रकम, यदि कोई हो, इसके द्वारा देय कर की पूरी रकम का भुगतान विहित रीति में तथा विहित समय के भीतर करेगा.
- (3) यदि किसी रिजस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा धारा 19 की उपधारा (1) की खण्ड (ख) के अधीन दिया जाने वाला विवरण पत्रक या उक्त धारा 19 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रस्तुत की गई पुनरीक्षित विवरणी में, मूल विवरणी या विवरणियों में दर्शाई गई कर की रकम से कर की अधिक रकम शोध्य होना दर्शाई गई है, तो वह अंतर तथा देय ब्याज, यदि कोई हो, का भुगतान धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन ऐसी रीति में तथा ऐसे समय पर करेगा, जैसा कि विहित किया जाए.
- (4) उपधारा (2) या उपधारा (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां रिजस्ट्रीकृत व्यापारी केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या उनके विभागों में से कोई विभाग है. वहां आयुक्त, ऐसे निबंधनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो कि विहित की जाएं, ऐसे व्यापारी को कर की रकम का भुगतान पुस्तक समायोजन द्वारा करने की अनुज्ञा दे सकेगा.
- (5) कर की वह रकम-
 - (क) जो उस स्थिति में शोध्य हो जबिक विवरणियां कर का पूरा भुगतान किए बिना दी गई
 है; या
 - (ख) जो धारा 21 की उपधारा (4) तथा (5) के अधीन निर्धारित या पुनः निर्धारित की गई हैं उसमें से उस राशि को, यदि कोई हो, घटाकर जो व्यापारी या व्यक्ति द्वारा उक्त वर्ष

के संबंध में पहले ही चुका दी है, और उसके साथ चुकाए जाने के लिए अपेक्षित ब्याज, यदि कोई हो, तथा ऐसी शास्ति, यदि कोई हो, जिसका भुगतान किए जाने का निदेश धारा 19 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) के अधीन दिया गया है; या

- (ग) (एक) जो धारा 21 की उपधारा (6) या धारा 22 के अधीन निर्धारित की गई है और उसके साथ ब्याज और/या ऐसी शास्ति, यदि कोई हो, जिसका कि भुगतान किए जाने का उसके अधीन निर्देश दिया गया है; और
 - (दो) उपखण्ड (ख) तथा (म) के अंतर्गत न आने वाली शास्ति की स्कम, यदि कोई हो, जो इस अधिनियम के किन्हीं भी उपबंधों के अधीन अधिरोपित की गई है या जिसका भुगतान किया जाने के लिए निदेश दिया गया है,

व्यापारी या व्यक्ति द्वारा विहित रीति में उस तारीख तक चुकायी जाएगी जो आयुक्त द्वारा इस प्रयोजन के लिए विहित प्ररूप में, जारी की जाने वाली सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए और इस प्रकार विनिर्दिष्ट की जाए और इस प्रकार विनिर्दिष्ट की जाने वाली तारीख साधारणतया ऐसी सूचना की तामील की तारीख से कम से कम तीस दिन की होगी.

- (6) जहां किसी प्रथम अपील या द्वितीय अपील के ग्रहण किए जाने पर अपील प्राधिकारी निर्धारित कर की किसी रकम या अधिरोपित की गई शास्ति की वसूली को स्थिगित कर देता है और उसके द्वारा विनिश्चय पर ऐसी अपील में कर की रकम या शास्ति, जो स्थिगित कर दी गई थी, पूर्णतः या भागतः, यथावत रखी जाती है, तो व्यापारी ऐसी रकम पर धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन उस तारीख से जिसको कि अपील प्राधिकारी द्वारा ऐसी रकम की वसूली स्थिगत कर दी गई थी, अपील में विनिश्चय की तारीख के पश्चात् उस रकम के भुगतान की तारीख तक की कालाविध के लिए 1.25 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज चुकाने के दायित्वाधीन होगी.
- (7) यदि, किसी कारण से, कोई व्यापारी या व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन, उस पर निर्धारित किए गए कर, देय या उद्गृहित ब्याज या इस अधिनियम के अधीन उस पर अधिरोपित की गई शास्ति, या कर निर्धारण से पूर्व अग्रिम में उसके द्वारा देय कर का भुगतान उस समय के भीतर, जो कि मांग की सूचना में उसके लिए विनिर्दिष्ट किया गया है, करने में असमर्थ है, तो वह आयुक्त को लिखित में यह आवेदन कर सकेगा कि ऐसी रकम का भुगतान करने के लिए उसे और अधिक समय मंजूर किया जाए या यह कि ऐसी रकम किश्तों में चुकाने की उसे अनुज्ञा दी जाए. ऐसी शर्तों तथा निर्बन्धनों के अध्यधीन रहते हुए, जैसी कि विहित की जाएं, आयुक्त ऐसे व्यापारी या व्यक्ति को और समय मंजूर कर सकेगा या ऐसी रकम का भुगतान किश्तों में भुगतान करने के लिये उसे ऐसी शर्तों पर जिन्हें कि अधिरोपित करना वह उचित समझे, अनुज्ञात कर सकेगा, जहाँ समय कुछ बढ़ा दिया गया है या किश्तों में भुगतान करने की अनुज्ञा दे दी गई है वहां व्यापारी या व्यक्ति ऐसी रकमों पर ब्याज का भुगतान ऐसी अंतिम तारीख से, जिसको कि रकम ऐसी मांग की सूचना के अनुसार चुकायी जानी चाहिए थी, करने के दायित्वाधीन होगा. ब्याज ऐसी अंतिम तारीख से प्रारंभ होने वाली कालाविध के लिए 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से चुकाया जाएगा.
- (8) जहां कोई व्यापारी या व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन उस पर निर्धारित किए गए कर का या उद्गृहित ब्याज का या इस अधिनियम के अधीन उस पर अधिरोपित की गई शास्ति का या इस अधिनियम के अधीन उससे शोध्य किसी अन्य रकम का भुगतान मांग की सुचना में उसके लिए

विनिर्दिष्ट किए गए समय के भीतर नहीं करता है और उस व्यापारी या व्यक्ति ने उपधारा (7) के अधीन कोई आदेश अभिप्राप्त नहीं किया है या आयुक्त द्वारा उपधारा (7) के अधीन पारित किए गए आदेश के अनुसार उस रकम का भुगतान नहीं किया है, वहां आयुक्त, उस व्यापारी या व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् यह निदेश देगा कि ऐसा व्यापारी या व्यक्ति शोध्य रकम के अतिरिक्त, ऐसे कर शास्ति की रकम या शोध्य किसी अन्य रकम के (1.25) प्रतिशत के बराबर हो, शास्ति के रूप में, उस कालावधि के प्रत्येक मास के लिए चुकार्य जिस कालावधि के लिए उसने ऐसी रकम चुकार्यी जाने के लिए नियत अंतिम

तारीख के पश्चात् भुगतान करने में विलंग किया है.

(9) (क) जहां राज्य सरकार की, ऐसी जांच के पश्चात् जैसा कि वह उचित समझे, यह राय हो कि शोध्यों की किसी रकम की, जो किसी व्यापारी या व्यक्ति के विरुद्ध बकाया निकलती है, वस्ली के लिए शुरू की गई किन्हीं कार्यवाहियों के कारण उस व्यापारी या व्यक्ति की ऐसी रकम चुकाने के लिए उस व्यापारी या व्यक्ति को अतिरिक्द समय ऐसे निर्बन्धनों तथा शतों के, जैसा कि विहित किया जाए, साथ दे सकेगी या ऐसी रकम का किश्तों में भुगतान करने की सुविधा दे सकेगी तथा राज्य सरकार शोध्यों की वसूली को उस समय तक के लिए रोक सकेगी जब तक कि ऐसी जांच पूरी न हो जाए. प्रत्येक ऐसी सुविधा की बाबत् व्यापारी या व्यक्ति की उपधारा (7) में विनिर्दिष्ट दर से व्याज का भुगतान करने का दायी होगा:

परंतु ऐसी कोई भी सुविधा किसी व्यापारी या व्यक्ति को तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि उसने प्रथमतः आयुक्त को उपधारा (7) के अधीन इस संबंध में आवेदन नहीं कियां है.

- (छ) यदि कोई व्यापारी या व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा पारित किए गए किसी आदेश का पालन नहीं करता है तो आयुक्त उस पर उपधारा (8) के अधीन शास्ति अधिरोपित करेगा.
- (10) जहां आयुक्त की यह राय हो कि उस व्यापारी द्वारा, जिसे कोई सुविधा उपधारा (7) या उपधारा (9) के अधीन दी गई है, देय ब्याज उस व्यापारी के लिए कठिनाई कारित हुई है, वहां आयुक्त, शोध्य पर देय ब्याज के उतने भाग का या निर्धारण आदेश के अनुसार अधिरोपित शास्ति पर या शास्ति अधिरोपित करने वाले आदेश का परिहार कर सकेगा जितना कि उस कर से जिसका कि भुगतान किया जाना या उस शास्ति से जिसको कि संदत्त या देय है, अधिक है;

परंतु आयुक्त व्याज का परिहार तब तक नहीं करेगा, जन तक कि व्यापारी उसके द्वारा संदत्त की जाने के लिए अपेक्षित कर और/या शास्ति की रकम का पूर्ण रूप से भुगतान नहीं कर देता.

(11) (क) यदि कर, ब्याज, शास्ति की कोई रकम या कोई अन्य रकम जो इस अधिनियम या अधिनियम क्र. 2 सन् 1995 की धारा 81 द्वारा निरिसत अधिनियम (जो इसमें इसके पश्चात् निरिसत अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) के अधीन शोध्य है उसकी देनगी के लिए विहित कालाविध की समाप्ति पर या इस अधिनियम या निरिसत अधिनियम के अधीन या इस अधिनियम या निरिसत अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन जारी की गई किसी मांग सूचना में या दिए गए आदेश में उसकी देनगी के लिए विनिर्दिष्ट की गई कालाविध की समाप्ति पर अदत्त रहे तो ऐसी रकम चुकाने के लिए दायी व्यापारी या व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने उस पर उस समय

किया समस्य स्कान के बारे में अधिक्रम किया है.

- क्स निक्ष क् (क) डण्ड पा है पक्षी मक्कीक के क्षित्र का खाप है पा खा है। कि (छ) के क्षित्र के क्षित
- (एक) अाधुक्त, विक्रम कर को छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क. 20 सन् 1959) के अधीन आधुक्त की सभी शक्तियां होगी तथा वह उन सभी शक्तियों को प्रयोग में लाएगा और उन सभी कर्तव्यों का पालन करोगा;
- (क) अभिरिक्त आयुक्त, किक्रम कर को उक्त संहिता के अधीन करेक्टर, की सभी परिक्रम के प्रयोग में लाएगा और उन सभी शक्तियों के प्रयोग में लाएगा और उन सभी श्राक्तियों का पालन कर्मव्यों कर्मव्यों का पालन कर्मव्यों का पालन कर्मव्यों का पालन कर्मव्यों कर्मव्या कर्मव्यों कर्मव्या कर्मव्या क्राव्य क
- किनिक क्षिप्त कि उड़किक मिश्रस् की किड़ीम किड कि उस करकी ,किश्रुस एट (मि) र्किनिक क्षिप्त मह उद्देश गणाल में गणिए कि किनिक्ष कि उस प्रथा कि गणि स्था;
- (जार) सहायक आधुक्त, विक्रम कर को उक्त संहिता के अधीन सहायक या एक कलकरर की सभी शक्तियों होंगी तथा वह उस सभी शक्तियों को प्रयोग में लाएगा और उस सभी कर्नव्यों का पालन करेगा;
- (जांच) किया कर अधिकारी कोए सहायक विक्रम कर अधिकारी का उक्क प्रांचित (जांच) (क्रांचित कि प्रांचित कि अधिकारी ति कि अधिकारी स्था वह उस सभी श्रांचित के सम्प्रा के प्रांचित के प

•

•

•

- (ग) खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शाक्तियों को प्रयोग में ठाठे हुए जारी की गई प्रलेक सूचना या कीर किया गया आदेश इस अधिनियम की धारा 48, 49, 55, 56 और 66 किया गया प्रयोजन के लिए इस अधिनियम के अधीन जारी की गई सूचना या पारित किया गया आदेश समझा जाएगा.
- -पूर कि सका उत्तर किसी कर शास्त के विकास भी किसी कार किसी अर हिस्सी कर किसी विका किसी कर किसी कर किसी किसी कर किसी कार किसी किसी कर किसी कार किसी के किसी के किसी किसी के कि

37

26. (1) जहां कोई रिकेस्ट्रीकृत व्यापारी धारा 19 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित की गई किसी कालावधि के लिए कोई विवरणी नहीं देता है और ऐसी कालावधि के लिए देव कर नहीं चुकाता है, वहां आयुक्त,-

विवर्णयां प्रस्तुत करने में चूक होने पर निर्धारण के पूर्व अग्रिम में कर का भुगतान.

- (क) उस दशा में जबिक किसी वर्ष ऐसे व्यापारी द्वारा देय कर मामूली तौर से दस हजार स्पये
 से अधिक नहीं होता है: और
- (ख) उस दशा में जबिक किसी वर्ष में ऐसे व्यापारी द्वारा देय कर दस हजार रुपये से अधिक होता है,

ऐसे व्यापारी से यह अपेक्षा करेगा कि वह उस कर निर्धारण के, जो कि धारा 21 के अधीन किया जा सकता है पूर्व अग्रिम में ही ऐसा कर निम्नलिखित उपधाराओं में अधिकथित की गई रीति में चुकाये.

- (2) उपधारा (1) के अधीन अग्रिम में देय कर की रकम की संगणना आयुक्त द्वारा निम्न प्रकार से की जाएगी,-
 - (क) जहां रिजस्ट्रीकृत व्यापारी पर किसी पूर्व वर्ष या उसके भाग के लिए कर निर्धारण किया गया हो, वहां अग्रिम में देय कर वह रकम होगी जिसका कि अंतिम पूर्ववर्ती वर्ष या उसके भाग के संबंध में निर्धारित किए गए कर की रकम के साथ ही वही अनुपात हो जो कि उस कालावधि का, जिसके लिए कि कर अग्रिम में देय है उस कालावधि के साथ है जिसके लिए कि अंतिम निर्धारण किया गया था; या
 - (ख) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यापारी पर किसी पूर्व वर्ष या उसके किसी भाग के लिए कर निर्धारण नहीं किया गया है किन्तु उसने किसी भी कालावधि के लिए धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित की गई विवरणी प्रस्तुत कर दी है वहां अग्रिम में देय कर वह रकम होगी जिसका किसी ऐसी विवरणी अनुसार देय कर की अधिकतम रकम के साथ वही अनुपात हो जो कि, उस कालावधि को, जिसके लिए कि कर अग्रिम देय है, उस कालावधि के साथ है, जिसके लिए कि कर की ऐसी अधिकतम रकम ऐसी विवरणी के अनुसार देय थी.
 - (ग) जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी पर किसी पूर्व वर्ष का इस अधिनियम के अधीन कर निर्धारण न किया हो और ऐसे वर्ष के लिए उसके द्वारा कोई विवरणियां प्रस्तुत की न गई हों, या जहां ऐसे व्यापारी को कोई पूर्व वर्ष न हो, वहां अग्रिम देय कर ऐसी रकम होगी जो आयुक्त अपने सर्वोत्तम निर्णय से अवधारित करे.
 - (3) उस तारीख की, जिस तक कि विवरणी प्रस्तुत की जानी है, समाप्ति के पश्चात् आयुक्त किसी रिजस्ट्रीकृत व्यापारी को जिसने ऐसी विवरणी नहीं दी है विहित प्ररूप में सूचना जारी कर सकेगा जिसमें उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह उपधारा (2) के अनुसार संगणित किया गया अग्रिम में देय कर विहित रीति में तथा विहित समय के भीतर चुका दे.
 - (4) यदि कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी, जो कि कर का भुगतान अग्रिम में करने के लिए उपधारा (3) के अधीन अपेक्षित किया गया है, धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत कर देता है और उपधारा (3) के अधीन जारी उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार कर की रकम चुका देता है या आयुक्त का यह समाधान कर देता है कि विवरणी उसके द्वारा उस तारीख तक,

जिस तक कि वह अतुत की जानी थी, पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी थी, तो उक्त सूचना रद्द हो जाएगी.

- (5) अग्रिम में देय कर या उसका कोई भाग, जो उपधारा (3) के अधीन जारी की गई सूचना में विनिर्दिष्ट किए गए समय के भीतर अदत्त रह गया है, भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य होगा और इस प्रयोजन के लिए धारा 25 की उपधारा (11), और (12) के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे.
- (6) इस धारा के अधीन चुकाया गया कर धारा 19 के अधीन निर्धारित और पुनर्निर्धारित किए गए कर के मद्दे समायोजित किया जाएगा.
- कतिपय मामलों में कटौती 27. और कर का भुगतान.
- (1) कोई भी व्यक्ति, जो किसी व्यापारी को, ऐसे व्यापारी तथा केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार (जो इसमें इसके पश्चात् इस धारा के क्रेता के नाम से निर्दिष्ट है) के बीच हुई किसी संविदा के अनुसरण में किसी माल के विक्रय या प्रदाय के प्रतिफलस्वरूप किसी राशि का भुगतान करने के पूर्व या उसका नकद में या चैक या ड्रांफ्ट जारी करने या किसी अन्य रीति में भुगतान करने के पूर्व, ऐसी रकम की, जो क्रेता द्वारा व्यापारी को कर के तौर पर देय रकम के बराबर है, जहां ऐसी बिल की कुल रकम पांच हजार रुपये से अधिक है, कटौती करेगा, और उसे ऐसी रीति में राज्य सरकार को चुकाएगा जैसी कि विहित की जाए.
- (2) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, तीन लाख रुपये से अधिक मूल्य की संकर्म संविदा, जिसके निष्पादन के अनुक्रम मैं ठेकेदार द्वारा किसी माल का विक्रय अंतर्विलत है, को किसी ठेकेदार को पट्टे पर देने वाला कोई व्यक्ति, ठेकेदार को ऐसी संविदा के मूल्य के मद्दें किसी कर के मद्दे दो प्रतिशत की दर से रकम का भुगतान करने के पूर्व, इस अधिनियम के अधीन ठेकेदार द्वारा देय रकम में कटौती करेगा.

Ant. Act (5. 12 87 2008)

उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन रकम की कटौती कर लेने पर ऐसी कटौती करने वाला व्यक्ति उसके लिए व्यापारी या ठेकेदार को एक प्रमाणपत्र विहित प्ररूप में जारी करेगा और ऐसी रकम को ऐसी रीति में और ऐसी कालाविध के भीतर सरकारी खजाने में जमा करेगा जैसा कि विहित किया जाए.

- (4) किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में, जिसने उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन भुगतान किया है, यह समझा जाएगा कि उसने भुगतान व्यापारी या ठेकेदार के प्राधिकार से या व्यापारी या ठेकेदार की ओर से किया है और ऐसे भुगतान की रसीद, उस क्रेता को व्यापारी या ठेकेदार से दायित्व का उस रकम की सीमा तक, जो ऐसी रसीद में विनिर्दिष्ट है, अच्छा और पर्याप्त उन्मोचन होगा.
- (5) जहां किसी व्यक्ति द्वारा किसी ठेकेदार की ओर से उपधारा (2) के अधीन किसी रकम का कोई भुगतान किया गया है, तो ऐसा भुगतान ऐसी संकर्म संविदा के, जिसके मूल्य के भुगतान में से ऐसी रकम की कटौती उपधारा (1) के अधीन कर ली गई है, निष्पादन के अनुक्रम में माल के विक्रय पर होगा और ऐसी रकम ठेकेदार के उत्तरदायित्व का अच्छा और पर्याप्त उन्मोचन होगा और ऐसी रकम ठेकेदार द्वारा ऐसे माल के विक्रय पर देय कर के मद्दे समायोजित की जाएगी.
- (6) जहां कोई व्यक्ति उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) के उपबंधों का उल्लंधन करता है, वहां आयुक्त ऐसे व्यक्ति पर शास्ति के रूप में ऐसी एकम, जो उपधारा (3) वा

उपधारा (2) के अधीन कटौती किए जाने के लिए अपेक्षित रकम का दो प्रतिशत प्रतिमाह होगी, ऐसी रकम अधिकतम 25 प्रतिशत के अध्यधीन होगी, अधिरोपित कर सकेगा.

- (7) कोई ऐसी राशि जिसे कोई व्यक्ति उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कटौती करने के लिए अपेक्षित है, या उपधारा (6) के अधीन अधिरोपित कोई शास्ति, यदि वह असंदत्त रह जाती है तो वह भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली योग्य होगी.
- (8) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कटौती करने वाला प्रत्येक व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी को ऐसे प्ररूप में एक पत्रक, ऐती रीति में और ऐसे समय के भीतर जैसा कि विहित किया जाए, देगा.

स्पष्टीकरण-उपधारा (2) के प्रयोजन के लिए "व्यक्ति" से अभिप्रेत है,-

- (एक) केन्द्र या राज्य सरकार का विभाग;
- (दो) सार्वजनिक उपक्रम (पब्लिक सेक्टर अण्डरटेकिंग);
- (तीन) नगरपालिकाएं और नगर पालिक निगम;
- (चार) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित प्राधिकरण;

(पांच) पब्लिक लिमिटेड कंपनी.

अञ्चल का ब्रह्म कहीती

28. धारा 27 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी व्यापारी या व्यक्ति को देय किसी प्रतिफल में से उक्त धाराओं के उपबंधों के अधीन कर के मद्दें कोई कटौती नहीं की जाएगी, यदि ऐसा व्यापारी या व्यक्ति किसी माल के विक्रय या प्रदाय के संबंध में किसी रकम का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को ऐसे प्राधिकारी का, ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी रीति में जो कि विहित किया जाए, एक लिखित प्रमाणपत्र दे, देता है.

उन व्यक्तियों के लिए व्यावृत्ति जो स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी हैं.

29. (1) धारा 25 में या किसी विधि या किसी संविदा में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, आयुक्त या धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (छः) के अधीन नियुक्त किए गए किसी अधिकारी से भिन्न कोई अधिकारी, किसी भी समय या समय-समय पर विहित प्ररूप में सूचना द्वारा, जिसकी एक प्रति व्यापारी या व्यक्ति को उसके ऐसे अंतिम प्रते पर, जो कि सूचना देने वाले अधिकारी को ज्ञात है, भेजी जाएगी;-

वसूली की विशेष रीति.

- (क) किसी भी ऐसे व्यक्ति से, जिसके द्वारा उस व्यापारी को या व्यक्ति को जिसने इस अधिनियम के अधीन शोध्य किसी रकम के लिए मांग की सूचना का अनुपालन नहीं किया है, कोई रकम शोध्य है या शोध्य हो जाए;
- (ख) किसी ऐसे व्यक्ति से, जो ऐसे व्यापारी या व्यक्ति की ओर से या उसके लेखे कोई धन धारण करता है या तत्पश्चात् धारण करे, यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह उस धन में से उतने धन को जितना कि इस अधिनियम के अधीन कर के बकाया ब्याज तथा शास्ति के संबंध में उस व्यापारी या व्यक्ति से शोध्य रकम का भुगतान करने के बराबर हो या वह संपूर्ण धन जबिक वह उस रकम से कम हो या तो तत्काल या धन के शोध्य हो जाने पर या धारण कर लिए जाने पर या सूचना में विनिर्दिष्ट किए गए समय के भीतर

(जो धन शोध्य होने या धारण किए जाने के पूर्व का न हो) सरकारी खजाने में भुगतान

स्पष्टीकरण- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यापारी या व्यक्ति को शोध्य रकम या उसके द्वारा व्यापारी या व्यक्ति की ओर से या उसके लेखे धारण किए, धन की संगणना, ऐसे दावों की, यदि कोई है, हिसाब में लेने के पश्चात् की जाएगी जो ऐसे व्यापारी या व्यक्ति द्वारा ऐसे व्यक्ति को भुगतान करने के लिए शोध्य हो गए हैं जो विधिपूर्णतः अस्तित्व में

- उपधारा (1) के अधीन सूचना जारी करने वाला अधिकारी, किसी भी समय या समय-समय (2) पर, किसी ऐसी सूचना को संशोधित या प्रतिसंहत कर सकेगा या सूचना के अनुसरण में कोई भुगतान करने के लिए समय बढ़ा सकेगा.
- उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सूचना के अनुपालन में भुगतान करने वाले किसी भी व्यक्ति के संबंध में यह समझा जाएगा कि उसने व्यापारी या व्यक्ति के प्राधिकार के अधीन भुगतान किया है और ऐसे भुगतान से संबंधित खजाने की रसीद, रसीद में विनिर्दिष्ट की गई रकम की सीमा तक ऐसे व्यापारी को ऐसे व्यक्ति के दायित्व का समुचित तथा पर्याप्त उन्मोचन होगा.
- कोई भी व्यक्ति, जिसे उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सूचना की उस पर तामील होने के पश्चात् व्यापारी या व्यक्ति के प्रति दायित्व का उन्मोचन करना है, तो वह उन्मोचित दायित्व की सीमा तक या कर या शास्ति या दोनों के संबंध में व्यापारी या व्यक्ति के दायित्व की सीमा तक, जो भी कम हो, राज्य सरकार के प्रति स्वयं दायी होगा.
- (5) जहां कोई भी व्यक्ति, जिस पर उपधारा (1) के अधीन सूचना तामील की गई है, सूचना जारी करने वाले अधिकारी को समाधानप्रद रूप में यह साबित कर देता है कि मांगी गई राशि या उसका कोई भाग उस समय जबकि उस पर सूचना तामील की गई थी, उसके द्वारा व्यापारी या व्यक्ति को, शोध्य नहीं था या वह व्यापारी या व्यक्ति की ओर से या उसके लेखे कोई धन धारण नहीं करता था, तो इस धारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात ऐसे व्यक्ति को यथास्थिति ऐसे किसी धन या उसके भाग का सरकार को भुगतान करने के लिए अपेक्षित करने वाली नहीं समझी जाएगी.
- कोई भी धनराशि, जिसका भुगतान करने के लिए किसी भी व्यक्ति से उपधारा (1) के अधीन (6) अपेक्षा की जाती है या जिसके लिए वह उपधारा (4) के अधीन राज्य सरकार के प्रति स्वयं दायी है, यदि वह अदत्त रह जाए, भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूली योग्य होगी.
- (7) इस धारा के उपबंधों का किसी भी ऐसी कार्यवाही पर प्रतिकृल प्रभाव नहीं पड़ेगा जो व्यापारी या व्यक्ति से शोध्य कर के बकाया, ब्याज तथा शास्ति की, यदि कोई हो, वसूली के लिए की जा सकती है.

जब इस अधिनियम के अधीन कर चुकाने के दायित्वाधीन किसी व्यापारी के कारबार का कारबार के हस्तांतरण या (1) 30. स्वामित्व पूर्णतः हस्तांतरित हो जाए, तो अंतरणकर्ता और अंतरिती संयुक्ततः और पृथकतः ऐसी शास्ति ब्याज सहित कर, यदि कोई हो, या किसी वर्ष के लिए या किसी वर्ष के किसी भाग के संबंध में ऐसे कारबार के संबंध में देय कर ब्याज या शास्ति जो कि उक्त अंतरण के

बंद करने की दशा में कर का भुगतान.

समय असंदत्त रह गई हो, को चुकाने के दायित्वाधीन होंगे और अंतरिती ऐसे अंतरण की तारीख से उसके द्वारा किए गए माल के विक्रयों या क्रयों पर कर चुकाने के भी दायित्वाधीन होगा और यदि उसके पास पहले से ही रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र न हो तो वह ऐसे अंतरण से तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा.

- (2) जब कोई व्यापारी, फर्म या व्यक्तियों की संस्था या संयुक्त हिंदू कुटुम्ब हो तथा ऐसी फर्म, संस्था या कुटुम्ब ने कारबार बंद कर दिया हो तो-
 - (क) इस प्रकार बंद किए जाने की तारीख तक की कालावधि के लिए ऐसी फर्म, संस्था या कुटुम्ब द्वारा इस अधिनियम के अधीन देय कर इस प्रकार निर्धारित तथा अवधारित किया जा सकेगा मानो कि कारबार इस प्रकार बंद ही नहीं हुआ हो; और
 - (ख) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का, जो कारबार के इस प्रकार बंद किए जाने के समय ऐसी फर्म का भागीदार या ऐसी संस्था या कुटुम्ब का सदस्य था, कारबार के इस प्रकार बंद किए जाने के बावजूद भी, ऐसी फर्म, संस्था या कुटुम्ब द्वारा देय कर का भुगतान करने के लिए पृथकतः तथा संयुक्ततः दायी होगा, चाहे ऐसा कर निर्धारण कारबार के इस प्रकार बंद किए जाने के पूर्व या पश्चात् किया गया हो और पूर्वोक्त के अध्यधीन रहते हुए इस अधिनियम के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति या भागीदार स्वयं व्यापारी हो :

परंतु जब यह पाया जाए कि फर्म या संस्था के गठन में परिवर्तन हो गया है या ऐसी फर्म या संस्था ने अपना कारबार अंतरित कर दिया है और पूर्वोक्त रूप में भागीदार या सदस्य द्वारा देय कर उससे वसूल नहीं किया जा सकता है तो वह पुनर्गठित फर्म या संस्था में अथवा अंतरिती से वसूल किया जा सकेगा.

स्पष्टीकरण-फर्म या व्यक्तियों की संस्था का विघटन या पुनर्गठन या संयुक्त हिंदू कुटुम्ब का विभाजन इस उपधारा के अर्थों के अंतर्गत कारबार का बंद होना समझा जाएगा.

- (3) इस धारा के उपबंध ऐसे कर के किन्हीं भी बकाया को यथावश्यक परिवर्तन सिंहत लागू होंगे जो अधिनियम क्रमांक 5 सन् 1995 की धारा 81 द्वारा निरिसत अधिनियम या इस अधिनियम द्वारा निरिसत अधिनियम के अधीन देय हो और यथा स्थिति कारबार के ऐसे अंतरण भागीदारी के बंद होने या विघटित होने या अविभक्त हिंदू कुटुम्ब के विभाजन से पूर्व किसी वर्ष के लिए शोध्य हो या किसी वर्ष के किसी भाग से संबंधित हो.
- 31. तत्प्रतिकूल किसी संविदा के होते हुए भी जहां कोई फर्म इस अधिनियम के अधीन कर चुकाने के दायित्वाधीन है, वहां फर्म तथा फर्म के भागीदारों में से प्रत्येक भागीदार ऐसे भुगतान के लिए संयुक्ततः और पृथकतः दायित्वाधीन होगा:

फर्मों का दायित्व.

परंतु जहां कोई ऐसा भागीदार फर्म से निवृत्त हो जाता है वहां भले ही उसका कर निर्धारण उस तारीख को न हुआ हो, ऐसे कर, ब्याज और ऐसी शास्ति, यदि कोई हो, चुकाने के, जो उसकी निवृत्ति के समय अदत्त रही है और निवृत्ति की तारीख तक शोध्य कोई कर चुकाने के, दायित्वाधीन होगा.

32. जहां इस अधिनियम के अधीन या अधिनियम क्र. 5 सन् 1995 की धारा 81 द्वारा निरिसत अधिनियम या इस अधिनियम द्वारा निरिसत अधिनियम के अधीन या छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) के अधीन किसी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान कोई व्यापारी राजस्व का

राजस्व के कपटवंचन के लिए किए गए अंतरण ज्न्द होंगे. विधिक प्रतिनिधियों का कर निर्धारण अधिनियम के निर्धारण/पुन: कर निर्धारण. 33. जहां किसी व्यापारी की मृत्यु हो जाती है, वहां उसका निष्पादक, प्रशासक या अन्य विधिक प्रतिनिधि इस प्रयोजनों के लिए व्यापारी समझा जाएगा और इस अधिनियम के उपबंध उक्त मृत व्यापारी के कारबार के संबंध में उसको लागू होंगे:

परंतु मृत व्यापारी द्वारा देय होने के रूप में निर्धारित/पुनः निर्धारित किए गए किसी कर या अधिरोपित की गई किसी शास्ति या देय ब्याज या किसी ऐसे कर या शास्ति या ब्याज के संबंध में जो उसकी मृत्यु न होने की दशा में इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा देय होता, ऐसा निष्पादक, प्रशासक या अन्य विधिक प्रतिनिधि, मृतक की उन अस्तियों की सीमा तक दायित्वाधीन होगा जो कि उसके हाथ में है.

विशेष मामलों में कर निर्धारण.

34.

36.

किसी अवयस्क या अन्य असमर्थ व्यक्ति के संरक्षक, न्यासी या अभिकर्ता के मामले में जो कि उस अवयस्क या अन्य असमर्थ व्यक्ति की ओर से तथा उसके फायदे के लिए कारबार चला रहा है, कर, यथास्थिति, ऐसे संरक्षक, न्यासी या अभिकर्ता पर उसी रीति में और उसी सीमा तक उद्गृहित किया जाएगा तथा उससे वसूली योग्य होगा, जिस प्रकार वह किसी ऐसे अवयस्क या अन्य असमर्थ व्यक्ति पर उस दशा में उद्गृहणीय और उससे वसूली योग्य होता यदि वह पूर्ण आयु तथा स्वस्थ चित्त का रहा होता तथा वह स्वयं कारबार चला रहा होता, और इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के समस्त उपबंध तद्नुसार लागू होंगे.

कर प्रथम भार होगा.

35. तत्समय प्रवृत्त िकसी विधि में अंतर्विष्ट िकसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी तथा कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 1) की धारा 530 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, िकसी व्यापारी या अन्य व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन देय कर तथा/या शास्ति या ब्याज, यदि कोई हो, की कोई रकम उस व्यापारी या ऐसे व्यक्ति की संपत्ति पर प्रथम भार होगी.

एक पश्तीय आदेश को अपास्त करने की शक्ति.

- जहां किसी कालाविध के लिए किसी व्यापारी का कर निर्धारण/पुनः कर निर्धारण करने की कार्यवाही में आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है, व्यापारी,-
 - (क) यदि उसे सुनवाई की तारीख की पूर्व सूचना थी, सुनवाई की तारीख के तीस दिन के भीतर, और
 - (ख) यदि उसे सुनवाई की तारीख की पूर्व सूचना नहीं थी, ऐसे आदेश की तामील की तारीख से तीस दिन के भीतर,

आयुक्त को यह आवेदन कर सकेगा कि वह आदेश अपन्य कर दिया जाए तथा उस मामले को पुनः आरंभ किया जाए और यदि आयुक्त का समाधान हो जाता है कि आवेदक को सूचना प्राप्त नहीं हुई थी गा कि वह नियत की गई तारीख को उपसंजात होने से पर्याप्त कारणवश निवारित हो गया था, तो वह उस आदेश को अपास्त कर सकेगा तथा उस मामले की सुनवाई के लिए पुनः आरंभ कर सकेगा :

ताम देवित है हिपरंतु - क्षित्रेक इन्द्र कर

- (एक) एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश को अपास्त करने के लिए कोई भी आवेदन तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके साथ कर की उस रकम के, जो कि व्यापारी द्वारा स्वीकार की गई हो, भुगतान का समाधानप्रद सबूत न हो;
- (दो) ऐसा कोई आवेदन किसी कार्यवाही के दौरान केवल एक ही बार ग्रहण किया जाएगा.
- 37. (1) (एक) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से; या

व्यापारियों द्वारा कर का संग्रहण.

- (दो) किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसे उपधारा (9) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यापारी समझा जाता है; या
- (तीन) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर के तौर पर किसी रकम की कटौती करने के लिए अपेक्षित किसी व्यक्ति से, भिन्न कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन कर के तौर पर किसी रकम का संग्रहण नहीं करेगा. उपरोक्त (एक) से (तीन) में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा कर का कोई भी संग्रहण इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार ही किया जाएगा अन्यथा नहीं.
- (2) किसी व्यक्ति द्वारा उपधारा (1) के उपबंधों के उल्लंघन से संगृहित कोई रकम या किसी व्यक्ति द्वारा कर के रूप में या किसी अन्य रीति से संगृहित कोई रकम, जो इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन देय नहीं है, और जो उसके द्वारा उस व्यक्ति को जिससे वह संग्रहित की गई थी लौटाई नहीं गई है, राज्य सरकार के पक्ष में समपहरणीय होगी.
- (3) यदि आयुक्त को, इस अधिनियम के अधीन की किन्हीं कार्यवाहियों के अनुक्रम में या अन्यथा, यह विश्वास करने का कारण है कि कोई रकम उपधारा (2) के अधीन समपहरणीय है तो वह, उस व्यक्ति पर, जिसने ऐसी रकम संगृहित की है, एक सूचना विहित प्ररूप में तामील करेगा जिसमें उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह यह कारण दर्शाए कि क्यों न उक्त रकम राज्य सरकार के पक्ष में समपहृत कर ली जाए और उसका उत्तर यदि कोई हो, प्राप्त होने पर आयुक्त जांच करेगा और ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, ऐसा आदेश, और उसके साथ समपहरण का आदेश भी जैसा वह उचित समझे, पारित करेगा.
- (4) जहां उपधारा (3) के अधीन समपहरण का कोई आदेश किया है, वहां अप्राधिकृत संग्रहण करने वाला व्यक्ति इस प्रकार समपहृत रकम का संदाय करेगा और उसके ऐसा करने में असफल रहने पर ऐसी रकम उससे उसी प्रकार वसूली योग्य होगी मानो वह उससे शोध्य कोई कर है.
- (5) जब समपहरण का कोई आदेश पारित कर दिया जाता है तब आयुक्त, उसकी एक सूचना, उसमें ऐसे ब्यौरे देते हुए, जो विहित किए जाएं, उन व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनसे इस प्रकार समपहृत की गई रकम संगृहीत की गई है, विहित रीति में प्रकाशित करेगा या प्रकाशित करवाएगा.
- (6) उपधारा (5) के अधीन सूचना का प्रकाशन होने पर, ऐसी रकम या उसके भाग की वापसी का दावा उस व्यक्ति द्वारा, जिससे वह कर के रूप में अप्राधिकृत रूप से वसूल की गई थी, उक्त सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के भीतर राज्य सरकार से किया जा सकेगा और इस प्रयोजन के लिए वापसी का दावा करने वाला व्यक्ति विहित प्ररूप में आवेदन करेगा.

- (7) उपधारा (6) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, आयुक्त, ऐसी जांच करेगा जैसी वह ठीक समझे, और यदि उसका समाधान हो जाता है कि दावा विधिमान्य और ग्राहय है और वापसी के रूप में दावा की गई रकम, राज्य सरकार को वस्तुतः चुकायी गई थी और उस रकम के संबंध में कोई वापसी, या परिहार मंजूर नहीं किया गया है, तो आयुक्त संबंधित व्यक्ति को ऐसी रकम या उसके भाग को वापस करेगा.
- (8) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी व्यक्ति द्वारा संगृहित कोई रकम इस धारा के अधीन राज्य सरकार को समपहत हो गई है वहां ऐसा समपहरण, यदि समपहत रकम का भुगतान राज्य सरकार को कर दिया गया है, तो उसे, उस रकम को उस व्यक्ति को वापस करने के दायित्व से उन्मोचित कर देगा जिससे वह इस प्रकार संगृहित की गई थी.
- (9) धारा 16 की उपधारा (11) में विनिर्दिष्ट कोई व्यापारी, उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए रिजस्ट्रीकृत व्यापारी समझा जाएगा.

विक्र य जो कर के 38. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित मामलों में माल के विक्रय दायित्वाधीन नहीं होंगे. या क्रय पर कर इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित नहीं किया जाएगा,

- (एक) जहां ऐसा विक्रय या क्रय छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर होता है; या
- (दो) जहां ऐसा विक्रय या क्रय अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में होता है; या
- (तीन) जहां ऐसा विक्रय या क्रय भारत के राज्य क्षेत्र में माल के आयात या उनके बाहर माल के निर्यात के अनुक्रम में होता है;
- (चार) जहां ऐसा विक्रय, किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र में अवस्थित इकाई में निर्माण, उत्पादन, प्रसंस्करण, संयोजन, मरम्मत, सुधार, पुनः अभियांत्रिकी, संवेष्टन के प्रयोजन के लिये या उपसाफन, या व्यापार या वेष्ठन सामग्री के रूप में उपयोग के लिये ऐसे पंजीयत व्यवसायी, जिसे इस हेतु केन्द्रीय शासन द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा ऐसी इकाई स्थापित करने हेतु प्राधिकृत किया हो, को किया गया है.

•

- (2) इस धारा के प्रयोजन के लिए, इस बात का अवधारण कि क्या विक्रय या क्रय,-
 - (एक) छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर हुआ है; या
 - (दो) अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में हुआ है; या
 - (तीन) भारत के राज्य क्षेत्रों में माल के आयात या ऐसे राज्य क्षेत्र के बाहर माल के निर्यात के अनुक्रम में हुआ है, केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 74) की धारा 3, 4 तथा 5 में विनिर्दिष्ट किए गए सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा.
 - (चार) इस खंड के प्रयोजन के लिए अभिन्यक्ति ''विशेष आर्थिक क्षेत्र'' का आशय, केन्द्रीय आबकारी अधिनियम, 1944 (क्र. 1 सन् 1944) की धारा 3 के परन्तुक के स्पष्टीकरण 2 के खण्ड (iii) में नियत अर्थ से होगा.

अध्याय-7 प्रतिदाय

39. (1) यदि आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि किसी वर्ष के लिए किसी व्यापारी द्वारा या उसकी ओर से चुकाया गया कर या शास्ति या दोनों या ब्याज, उस वर्ष के लिए इस अधिनियम के अधीन इस उस पर निर्धारित कर या अधिरोपित शास्ति या देय व्याज की रकम से अधिक होती है, या यह कि रजिस्ट्रीकृत व्यापारी धारा 13 की उपधारा (3) के अधीन रिबेट के प्रतिदाय के लिए हकदार है, तो वह (आयुक्त) ऐसी रकम जिसका कि अधिक भुगतान किया जाना पाया जाए, या तो नकदी में या व्यापारी से किसी अन्य वर्ष के संबंध में शोध्य कर की रकम के मद्दे ऐसे आधिक्य का समायोजन करके विहित रीति में, प्रतिदाय करेगा.

प्रतिदाय.

- (2) यदि आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम के अधीन या इस अधिनियम द्वारा निरिसत अधिनियम या केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 74) के अधीन देय किसी रकम को सरकारी खजाने में जमा करते समय व्यापारी द्वारा की गई गलती के कारण इस प्रकार चुकायी गई रकम का उस प्रयोजन के लिए लेखांकन नहीं किया जा सकता है जिसके कि लिए वह जमा की गई है, तो वह (आयुक्त) उपधारा (4) के उपबंधों के अध्ययीन रहते हुए ऐसी रकम या तो नकदी में या किसी अन्य वर्ष के संबंध में व्यापारी से शोध्य कर की रकम के मदूदे समायोजन करके विहित रीति में प्रतिदाय करेगा.
- (3) यदि अपील प्राधिकारी या आयुक्त का वैसा समाधान हो जाता है तो वह कोई भी ऐसी रकम का, जिसका गलत तौर पर भुगतान किया जाना या अधिक भुगतान होना पाया गया है, प्रतिदाय करवाएगा.
- (4) उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रतिदाय की मंजूरी देने के लिए सशक्त प्राधिकारी किसी वर्ष के संबंध में प्रतिदाय योग्य रकम को इस अधिनियम के अधीन या इस अधिनियम द्वारा निरिसत अधिनियम के अधीन या केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 74) के अधीन शोध्य किसी कर, शास्ति, ब्याज या उनके भाग की वसूली के लिए उपयोजित करेगा और तत्पश्चात् वह शेष बच रही रकम का, यदि कोई हो, प्रतिदाय करेगा.
- (5) जहां उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन प्रतिदाय की किसी रक्म का, प्रतिदाय के आदेश के पारित होने की तारीख से साठ दिन के भीतर प्रतिदाय नहीं किया गया है या वह उपधारा (4) में वर्णित प्रयोजनों के लिए उपयोजित नहीं की गई है, ऐसी साठ दिन की उक्त कालाविध का अवसान होने की तारीख से प्रारंभ होने वाली तथा यथास्थित उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन प्रतिदाय की रक्म देने या उपधारा (4) में वर्णित प्रयोजनों के लिए उपयोजन करने की तारीख तक समाप्त होने वाली कालाविध के लिए, उस राशि पर एक प्रतिशत प्रतिमाह की दर से व्यापारी ब्याज का हकदार होगा.
 - स्पष्टीकरण- (एक) इस उपधारा में जहां वह अवधि जिसके लिए ब्याज का भुगतान किया जाना है, एक माह की कालावधि से कम है, वहां ऐसी कालावधि के लिए देय ब्याज की संगणना आनुपातिक रूप से की जाएगी;
 - (दो) इस उपघारा के प्रयोजन के लिए "मास" से अभिप्रेत है तीस दिन.

कतिषय मामलों में प्रतिदाय को ऐक रखने की शक्ति. 40. जब कोई ऐसा आदेश पारित किया जाता है जिससे कि प्रतिदाय का प्रश्न उत्पन्न हो जाता है और आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि प्रतिदाय की मंजूरी दे देने से राजस्व के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है और धारा 49 की उपधारा (3) या उपधारा (5) के अधीन कार्रवाई का शुरू किया जाना अपेक्षित है या उद्गृहित कर में या अधिरोपित की गई शास्ति में वृद्धि करने के लिए बोर्ड को आवेदन किया जाना अपेक्षित है या उक्त आदेश धारा 55 के अधीन किसी कार्यवाही की विषयवस्तु है, तो आयुक्त, प्रतिदाय को ऐसे समय तक रोके रह सकेगा जब तक कि पूर्वोक्त कार्यवाहियों का अंतिम रूप से विनिश्चय नहीं हो जाता है;

परंतु व्यापारी को प्रतिदाय की उस रकम पर, जो कि अंततोगत्वा पूर्वोक्त कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप शोध्य अवधारित की गई है उस कालावधि के लिए, जो उस आदेश के, जिससे कि प्रतिदाय का प्रश्न उत्पन्न हो गया था, प्राप्त होने की तारीख से साठ दिन समाप्त हो जाने के पश्चात् प्रारंभ होती है, धारा 39 की उपधारा (5) के अधीन ब्याज का भुगतान किया जाएगा.

अध्याय-8

लेखा तथा बिल, बीजक या केशमेमो जारी करना

लेखे.

- 41. (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यापारी तथा इस अधिनियम के अधीन कर का भुगतान करने के दायित्वाधीन प्रत्येक अन्य व्यापारी अपने क्रयों, विक्रयों तथा स्टाक का सही लेखा रखेगा जिसमें विभिन्न प्रकार के उन मालों का, जो इस अधिनियम के अधीन कर की भिन्न-भिन्न दरों के अध्यधीन है, मृत्य पृथक-पृथक दर्शाया जाएगा.
 - (2) प्रत्येक व्यापारी जिसकी कुल आय (टर्न ओवर) वर्ष में चालीस लाख से अधिक है वह अपने लेखाओं की संपरीक्षा चार्टर्ड अकाउन्टेंट से विहित तारीख के पूर्व कराएगा और ऐसी संपरीक्षा की रिपोर्ट ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर जैसी कि विहित की जाए, देगा.

•

.

- (3) यदि आयुक्त का यह विचार है कि किसी व्यापारी या व्यापारियों के किसी वर्ग द्वारा रखे गए लेखे उसे धारा 19 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट की गई विवरणियों का सत्यापन करने के लिए पर्याप्त रूप से समर्थ नहीं बनाते या यह कि उसके आधार पर कर निर्धारण नहीं किया जा सकता है, तो वह, आदेश द्वारा, किसी व्यापारी से, या अधिसूचना द्वारा व्यापारियों के किसी वर्ग से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वे ऐसे लेखे, जिनमें विनिर्माण, विक्रयों, क्रयों या अंतरणों के अभिलेख भी सम्मिलित हैं, ऐसे प्ररूपों तथा रीति में रखे जैसा कि वह इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन रहते हुए निदेश दे.
- (4) यदि आयुक्त का यह विचार है कि व्यापारियों का कोई वर्ग उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार लेखा रखने की स्थिति में नहीं है तो वह अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से उक्त उपधारा के उपबंधों के प्रवर्तन से व्यापारियों के ऐसे वर्ग को छूट दे सकेगा.

व्यापारियों द्वारा बिलों, बीजकों या केशमेमों का दिया जाना. (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यापारी उसके द्वारा किए गए प्रत्येक विक्रय के लिए क्रेता को विहित प्ररूप में एक बिल, बीजक या केशमेमों, जिसमें मशीन से तैयार बिल, बीजक या केशमेमों भी सम्मिलित हैं, जारी करेगा, संगृहित कर की राशि यदि पृथक से वसूल की गई है तो, सम्मिलित कर विहित विशिष्टियां अंतर्विष्ट करते हुए जिस पर ऐसे व्यापारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा तारीख डाली जाएगी. ऐसा प्रत्येक व्यापारी, उसके द्वारा जारी किए गए प्रत्येक बिल,

108 (47) (47)

बीजक या केशमेमों का प्रतिपर्ण या दूसरी प्रति भी रखेगा जिस पर हस्ताक्षर, तारीख तथा अन्य समस्त पूर्वोक्त विशिष्टियां होंगी और उन्हें ऐसी तारीख से कम से कम पांच वर्ष की कालाविध तक या कर निर्धारण पूर्ण होने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, परिरक्षित करेगा; यह उत्तर की कि

परंतु जहां रुपये पांच सौ से अनिधक मूल्य के किसी माल का विक्रय किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से भिन्न किसी व्यक्ति को किया जाता है तो वहाँ बिल, बीजक या केशमेमो जारी नहीं किया जा सकेगा.

(2) यदि कोई रजिस्टीकृत व्यापारी उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो आयुक्त ऐसे व्यापारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उसे यह निदेश दे सकेगा कि वह प्रत्येक विक्रय के लिए, जिसके कि संबंध में ऐसा उल्लंघन हुआ है, अधिकतम पांच हजार रुपये के अध्ययीन रहते हुए, एक सौ रुपये की राशि शास्ति के तौर पर चुकाए.

अध्याय-9

आयुक्त की कतिपय शक्तियां और आयुक्त द्वारा अपनी शक्तियों का प्रत्यायोजन

इस अधिनियम के उपबंधों के और ऐसे निर्बन्धनों तथा शर्तों के, जो कि विहित की जाएं, अध्यधीन रहते हुए, आयुक्त लिखित आदेश द्वारा, धारा 57 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) तथा धारा 65 की उपधारा (2) के अधीन की शक्तियों तथा कर्त्तव्यों को छोड़कर, इस अधिनियम के अधीन अपनी कोई भी शक्तियां तथा कर्त्तव्य अपनी सहायता के लिए धारा 3 के अधीन नियुक्त किए गए किसी भी व्यक्ति को प्रत्यायोजित कर सकेगा:

आयुक्त की शक्तियां तथा कर्त्तं व्यों का प्रत्यायोजन.

परंतु धारा 40 तथा 49 के अधीन की शक्ति, उपायुक्त, विक्रय कर से निम्न श्रेणी के अधिकारी को प्रत्योजित नहीं की जाएगी.

- आयुक्त, इस अधिनियम के किसी भी उपबंध के अधीन किसी भी कार्यवाही या कार्यवाहियों 44. - के किसी भी वर्ग को स्वयं के पास से किसी ऐसे व्यक्ति को अंतरित कर सकेगा जो कि उसकी सहायता के लिए धारा 3 के अधीन नियुक्त किया गया है और वह इसी प्रकार किसी भी ऐसी कार्यवाही को (जिसमें इस उपधारा के अधीन पूर्व में अंतरित की गई कार्यवाही सम्मिलित हैं) किसी ऐसे एक व्यक्ति से जो कि उसकी सहायता के लिए धारा 3 के अधीन नियुक्त किया गया है, किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को या स्वयं को अंतरित कर सकेगा. किसी ऐसी कार्यवाही या कार्यवाहियों के अंतरण के बारे में प्रज्ञापना व्यापारी को भेजी जाएगी.
 - जहां कोई कार्यवाही या कार्यवाहियों का कोई वर्ग अंतरित किया गया है, वहां वह व्यक्ति, जिसको ऐसी कार वाही या कार्यवाहियों का वर्ग अंतरित किया गया है, अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं पर ध्यान दिए बिना उसका निपटारा करने के लिए उसी प्रकार अग्रसर होगा मानो कि वह उक्त व्यक्ति द्वारा ही शुरू की गई हो. ऐसे अंतरण के कारण, अंतरण के पूर्व पहले से ही जारी की गई किसी सूचना का पुनः जारी किया जाना आवश्यक नहीं होगा और वह व्यक्ति, जिसको कार्यवाही या कार्यवाहियों का वर्ग अंतरित किया गया है, उसे उसी प्रक्रम से ही चालू रख सकेगा जिस प्रक्रम पर वह उस व्यक्ति द्वारा दी गई थी, जिसके पास से उसका अंतरण किया गया था.

कार्यवाहियों का अंतरण.

शपथ पर साक्ष्य आदि लेने की आयुक्त सथा उसके सहायकों की शक्ति.

- (1) बोर्ड, आयुक्त या धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त उक्त उपधारा के खण्ड (छः) में निर्दिष्ट अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का सं. 5) के अधीन सिविल अधिकारिता वाले न्यायालय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी,-
 - (एक) किसी व्यक्ति को समन करना तथा उसे हाजिर कराना और शपथ या प्रतिज्ञान पर उसकी परीक्षा करना:
 - (दो) दस्तावेज या लेखे पेश करने के लिए विवश करना और उनको परिबद्ध करना या निरोध में रखना:
 - (तीन) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना; और
 - (चार) तथ्यों का सबूत शपथ-पत्रों द्वारा अपेक्षित करना या उसे प्रतिगृहित करना; और
 - (पांच) ऐसी और शक्तियां, जो कि विहित की जाएं.
- (2) बोर्ड या आयुक्त या धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन आयुक्त की सहायता के लिए नियुक्त किए गए निरीक्षक से भिन्न किसी व्यक्ति के समक्ष इस अधिनियम के अधीन की प्रत्येक कार्यवाही भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 की 45) की धारा 193 तथा 228 के अर्थ के अंतर्गत और धारा 196 के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी.

कतिपय मामलों में जानकारी 46. आयुक्त, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, - मंगाने की आयुक्त की शक्ति.

- (क) किसी फर्म या किसी अविभक्त हिंदू कुटुम्ब से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह यथास्थिति ऐसी फर्म के भागीदारों के नामों तथा पतों का या ऐसे कुटुम्ब के प्रबंधक तथा सदस्यों के नामों तथा पतों का विवरण दे:
- (ख) किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके संबंध में उसे यह विश्वास करने का कारण है कि वह न्यासी, संरक्षक, प्रबंधक या अधिकर्ता है, यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह उस व्यक्ति के नाम तथा पते का विवृरण दे, जिसके लिए वह न्यासी, संरक्षक, प्रबंधक या अधिकर्ता है;
- (ग) किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके संबंध में उसे यह विश्वास करते का कारण है कि उसने छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर या उसके बाहर से माल का क्रय किया है यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह उस व्यक्ति के नाम तथा पते का, जिससे कि उसने ऐसा माल क्रय किया है और उस माल के प्रकार और मूल्य का तथा उस रीति का, जिसमें कि वह माल उसे परिवृत्त किया गया था, विवरण दे;
- (घ) किसा ऐसे व्यक्ति से जिसके संबंध में उसे यह विश्वास करने का कारण है कि उसने छत्तीसगढ़ राज्य के मीतर या उसके बाहर किसी स्थान को माल भेजा है, यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह उस व्यक्ति के नाम तथा पते का, जिसको उसने ऐसा माल भेजा है और उस माल के प्रकार तथा मूल्य का विवरण दे.

47. आयुक्त,-

कार्यवाहियों को रोकने की आयुक्त की शक्ति.

- (क) विधि के किसी प्रश्न की परीक्षा लंबित रहने तक,
 - (एक) अपने समक्ष; या
 - (दो) धारा 55 की उपधारा (1) के अधीन अपील किए जाने पर बोर्ड के समक्ष; या
 - (तीन) धारा 55 की उपधारा (2) के अधीन अपील किए जाने पर उच्च न्यायालय के समक्ष; या
- (ख) लेखबद्ध किए जाने वाले किसी अन्य कारण से;

किसी व्यापारी या व्यापारियों के किसी वर्ग के संबंध में धारा 21 के अधीन कार्यवाही या कार्यवाहियां साधारण या विशेष आदेश द्वारा रोक सकेगा.

अध्याय-10 अपील, पुनरीक्षण तथा परिशुद्धि

48. (1) कोई भी व्यापारी या व्यक्ति जो उसके संबंध में धारा 21 के अधीन पारित किए गए शास्ति या शास्ति रिहत कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण के किसी आदेश से या उस पर शास्ति अधिरोपित करने वाले किसी आदेश से या ऐसे किसी आदेश से जिसके परिणामस्वरूप प्रतिदाय या आगत कर रिबेट में कमी होती हो या धारा 54 के अधीन पारित किसी आदेश से व्यथित हो, विहित रीति में, ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील, अपीलीय उपायुक्त को कर सकेगा:

अपील.

परंतु किसी ऐसे मामले में जिसमें कि धारा 36 के अधीन किया गया आवेदन नामंजूर कर दिया गया है, वहां ऐसा व्यापारी या व्यक्ति कर निर्धारण के एक पक्षीय आदेश के विरुद्ध अपील वैसी ही रीति में कर सकेगा, और अपील फाइल करने के लिए परिसीमा काल की संगणना करने में धारा 36 के अधीन आवेदन फाइल किए जाने की तारीख से उस तारीख, जिसको कि ऐसे आवेदन को नामंजूर करने वाले आदेश की तामील की गई हो, तक कि कालावधि अपवर्जित कर दी जाएगी.

- (2) उपधारा (1) के अधीन फाइल की गई अपील में पारित किसी आदेश से, व्यथित कोई व्यापारी या व्यक्ति विहित रीति में ऐसे आदेश के विरुद्ध बोर्ड को अपील कर सकेगा:
- (3) बोर्ड द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन विरचित नियमों या विनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपायुक्त की श्रेणी से अनिम्न श्रेणी के किसी भी ऐसे अधिकारी को जो आयुक्त द्वारा इस संबंध में सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया गया है, यह अधिकार होगा कि उसे उपधारा (2) के अधीन अपील की सुनवाई में सुना जाए.
- (4) कोई अपील,-
 - (एक) अपीलीय उपायुक्त द्वारा उपधारा (1) के अधीन, तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक कि व्यापारी द्वारा शोध्य कुल अतिशेष में से,-

- (क) उस दशा में, जब िक उस कालाविध के लिए जिससे िक वह आदेश, जिसके िक विरुद्ध अपील की गई है, संबंधित है, समस्त विवरिणयां फाइल कर दी गई हैं, तथा ऐसी विवरिणयों के अनुसार देय कर का भुगतान कर दिया गया है, ऐसे अतिशेष का दस प्रतिशत;
- (ख) उस दशा में जब कि उस कालायधि के लिए जिससे कि वह आदेश, जिसके कि विरुद्ध अपील की गई है, संबंधित है, एक या अधिक विवरणियां फाइल नहीं की गई हैं तथा कर का भुगतान नहीं किया गया है या उस दशा में जब कि ऐसी विवरणी या विवरणियां फाइल की गई हैं किन्तु कर का भुगतान नहीं किया गया है, अतिशेष का,-
 - (एक) तैंतीस प्रतिशत, जहां व्यतिक्रम एक तिमाही से संबंधित है;
 - (दो) पचास प्रतिशत, जहां व्यतिक्रम दो तिमाही से संबंधित है; तथा
 - (तीन) पचहत्तर प्रतिशत, जहां व्यतिक्रम दो तिमाही से अधिक से संबंधित है;

के बराबर होगा.

- (ग) उस दशा में जब कि धारा 54 के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित की गई है, ऐसे अतिशेष का पचास प्रतिशत;
- (घ) उस दशा में जब कि वह आदेश, जिसके कि विरुद्ध अपील की गई है, धारा 22 के अधीन पारित किया गया है और उक्त धारा के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित की गई है, ऐसे अतिशेष का प्रचास प्रतिशत; और
- (ङ) किसी अन्य दशा में ऐसे अतिशेष का पच्चीस प्रतिशत, और
- (दो) बोर्ड द्वारा उपधारा (2) के अधीन अपील तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक कि उपधारा (1) के अधीन अपील में पारित आदेश के पश्चात् व्यापारी द्वारा शोध्य कुल अतिशेष में से ऐसे अतिशेष का बीस प्रतिशत नहीं चुका दिया गया है और अपील के ज्ञापन के साथ ऐसी रकम के भुगतान का समाधानप्रद सबूत संलग्न नहीं किया गया है और तदुपिर बोर्ड कर तथा/या शास्ति के अतिशेष की वसूली अपील का विनिश्चय होने तक के लिए रोक देगा:

परंतु जहां कोई व्यापार्रा खण्ड (एक) के उपधारा (1) के अधीन फाइल की गई किसी अपील के मामले में खण्ड (1) के एक से अधिक उपखण्डों में अंतर्गत आता है, वहां ऐसे व्यापारी को उस उपखण्ड के उपबंध लागू होंगे जो उच्चतम रकम के भुगंतान की अपेक्षा करता है और अपीलीय उपायुक्त द्वारा अपील केवल तभी स्वीकार की जाएगी जबकि व्यापारी ने ऐसी रकम का भुगतान कर दिया है;

(5) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अपील अपीलीय उपायुक्त के समक्ष तीस दिन के भीतर और अपीलीय उपायुक्त के आदेश के विरुद्ध उपधारा (2) के अधीन प्रत्येक अपील, उस आदेश

की, जिसके कि दिस्य अपील की जानी है, संसूचना की तारीख से साठ दिन के भीतर बोर्ड के समक्ष फाइल की जाएगी.

- (6) अपीलीय उपायुक्त अथवा कोई ऐसी प्रक्रिया के अध्यधीन रहते हुए जो कि विहित की जाए और ऐसी और जांच करने के पश्चात् जैसी कि वह उचित समझे, उपधारा (1) या (2) के अधीन किसी अपील का निपटारा करते समय:
 - कर निर्धारण या शास्ति या दोनों की पुष्टि कर सकेगा, उसे कम कर सकेगा, उसमें वृद्धि कर सकेगा या उसे बातिल कर सकेगा, या
 - कर निर्धारण या शास्ति या दोनों को, अपास्त कर सकेगा, उसमें वृद्धि कर सकेगा और उस अधिकारी को, जिसके कि कर निर्धारण आदेश के विरुद्ध अपील की गई है, यह निर्देश दे सकेगा कि वह ऐसी और जांच करने के पश्चात् जिसका कि निर्देश दिया जाये, नवीन रूप से कर निर्धारण करें, या
 - ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह उचित समझे.
- अपीलीय उपायुक्त द्वारा पारित किसी आदेश की दशा में, ऐसा आदेश, यथास्थिति, इस धारा की उपधारा (2) या धारा 49 की उपधारा (1) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए अंतिम होगा तथा बोर्ड द्वारा पारित किसी आदेश की दशा में, ऐसा आदेश, धारा 55 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए अंतिम होगा.

49. (1) आयुक्त-

आयुक्त द्वारा पुनरीक्षण की शक्ति.

- (एक) स्वप्रेरणा से किसी ऐसी कार्यवाही का, जिसमें धारा 3 की उपधारा (ख) से (च) में विनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया था, अभिलेख मंगा सकेगा,
- आदेश की तारीख से उस कालावधि के भीतर, जो कि विहित की गई हो, किसी व्यापारी या किसी व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर, किसी ऐसी कार्यवाही का, जिसमें कि कोई आदेश पारित किया गया था, अभिलेख मंगाएगा.

और उस अभिलेख के प्राप्त होने पर ऐसी जांच कर सकेगा या ऐसे जांच करवा सकेगा, जैसी कि वह आवश्यक समझे और इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उस पर जैसा आदेश, जैसा कि वह उचित समझे, जो कि उस व्यापारी या व्यक्ति पर प्रतिकृत प्रभाव न प्रतिकात के के जैसे वर्ष के नी तर डालता हो पारित कर सकेगा.

परन्तु आयुक्त इस उपधारा के अधीन किसी आदेश का पुनरीक्षण तब नहीं करेगा-

- जबिक उस आदेश के विरुद्ध अपीलीय उपायुक्त अथवा बोर्ड के समक्ष अपील लंबित है या यदि, ऐसी अपील की जो संकती है तो उस समय का, जिसके कि भीतर वह फाइल की जा सकती है, अवसान नहीं हुआ है.
- कर का भुगतान करने के संबंध में किसी व्यापारी का दायित्व अवधारित करने वाले किसी आदेश के विरुद्ध कोई पुनरीक्षण नहीं होगा या निर्धारण के लिए इस अधिनियम के अधीन जारी की गई किसी सूचना के विरुद्ध कोई पुनरीक्षण आदेश पारित किए जाने के पश्चात् ही होगा, अन्यथा नहीं, और

(ग) धारा 36 के अधीन किसी ऐसे आदेश के विरुद्ध कोई पुनरीक्षण नहीं होगा.

स्पष्टीकरण-आयुक्त के किसी ऐसे आदेश, जिसके द्वारा हस्तक्षेप करने से इंकार किया गया है, के संबंध में यह नहीं समझा जाएगा कि यह किसी व्यापारी या किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला आदेश है.

1-5' - Insent

- (2) आयुक्त स्वप्रेरणा से किसी ऐसी कार्यवाही का, जिसमें कि उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश किसी ऐसे अधिकारी द्वारा पारित किया गया है जिसे कि आयुक्त ने धारा 43 के उपबंधों के अनुसरण में अपनी शक्तियां प्रत्यायोजित कर दी है, अभिलेख मंगा सकेगा और उस अभिलेख के प्राप्त होने पर ऐसी जांच कर सकेगा या ऐसी जांच करवा सकेगा, जैसी कि वह आक्श्यक समझे और इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उस पर ऐसा आदेश, जैसा कि व उचित समझे जो कि उस व्यापारी या व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव न डालता हो, पारित कर सकेगा.
- (3) आयुक्त स्वप्रेरणा से या प्राप्त जानकारी के आधार पर, इस अधिनियम के अधीन किसी भी कार्यवाही का अभिलेख मंगा सकेगा और उसका परीक्षण कर सकेगा यदि वह यह समझता हो कि उसकी सहायता के लिए धारा 3 के अधीन नियुक्त किए गए किसी व्यक्ति द्वारा, जिसमें कोई ऐसा अधिकारी, जिसको, उसने अपनी शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं, सिम्मिलित हैं उसमें (उस कार्यवाही में) पारित किया गया कोई आदेश, उस सीमा तक, जहां तक कि वह राजस्व के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, गलत है, तो व्यापारी या व्यक्ति की सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और ऐसी जांच करने या करवाने के पश्चात् जैसी कि वह आवश्यक समझे, उस पर ऐसा आदेश, जो कि मामले की परिस्थितियों के अनुसार न्यायोचित हो, कार्यवाही शुरू होने की तारीख से एक कलेण्डर वर्ष के भीतर पारित कर सकेगा, जिसमें कर निर्धारण में वृद्धि करने वाला या उसे उपान्तरित करने वाला या कर निर्धारण को रद्द करने वाला तथा नवीन रूप से कर निर्धारण करने का निर्देश देने वाला आदेश सिम्मिलित है.

परन्तु-

- (क) उस आदेश की, जिसका कि पुनरीक्षण चाहा गया है, तारीख से तीन वर्ष का अवसान हो जाने के पश्चात् कोई भी कार्यवाही इस उपधारा के अधीन शुरू नहीं की जाएगी.
- (ख) आयुक्त इस उपधारा के अधीन किसी आदेश का पुनरीक्षण उस दशा में नहीं करेगा जबिक ऐसे आदेश के विरुद्ध बोर्ड के समक्ष द्वितीय अपील लंबित है या ऐसी अपील गुणागुण के आधार पर विनिश्चित की गई है.
- (4) आयुक्त द्वारा उपधारा (3) के अधीन पारित किए गए आदेश के संबंध में आक्षेप करने वाला कोई भी व्यापारी या व्यक्ति उसको आदेश संस्चित किए जाने की तारीख से साठ दिन के भीतर बोर्ड को अपील कर सकेगा.
- (5) उपधारा (4) के अधीन फाइल की गई अपीलों को धारा 49 की उपधारा (4), (5) तथा
 (6) के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे.
- (6) जहां आयुक्त यह मानता है कि उसके पूर्विधिकारी द्वारा या किसी अपर आयुक्त, विक्रय कर द्वारा उपधारा (1) के अधीन पारित किया गया कोई आदेश उस सीमा तक जहां तक कि वह राजस्व के हितों पर प्रतिकृल प्रभाव डालता है, गलत है, वहां वह ऐसे आदेश के विरुद्ध वोर्ड के समक्ष अपील, ऐसे आदेश की तारीख से दो वर्ष के भीतर फाइल कर सकेगा इस उपधारा के अधीन फाइल की गई अपीलों को धारा 48 के उपवंध ग्रथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे

50. कोई भी व्यापारी अपील में, अपीलीय उपायुक्त या बोर्ड या पुनरीक्षण में आयुक्त के समक्ष कोई भी अतिरिक्त साक्ष्य, चाहे वह में मौखिक हो या दस्तावेजी, उस दशा में के सिवाय पेश करने के लिए हकदार नहीं होगा जबकि दिया जाने के लिए उदिदष्ट साक्ष्य है, जिसे कि कर निर्धारण प्राधिकारों ने प्रहण करने से गलत तौर पर इंकर कर दिया था या जो सम्यक् तत्परता बरतने के पश्चात भी उस व्यापारी की जानकारी में नहीं था या उसके द्वारा कर निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष पेश नहीं किया जा सका था, या जिसके पेश किए जाने के लिए कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा पर्याप्त समय नहीं दिया गया था; और प्रत्येक ऐसे मामले में अतिरिक्त साक्ष्य लेखबद्ध कर लिया जाने पर, चुनौती देने या खण्डन करने का युक्तियुक्त अवसर आयुक्त को दिया जाएगा.

अपील या पुनरीक्षण में अतिरिक्त साक्ष्य.

51. किसी ऐसी अपील के ज्ञापन पर, जो धारा 48 के या धारा 49 की उपधारा (4) या उपधारा (6) के अधीन 'ठाइल की गई है और पुनरीक्षण संबंधी किसी ऐसे आवेदन पर, जो धारा 49 की उपधारा (1) के अधीन किया गया है, ऐसे मूल्य के, न्यायालय फीस स्टाम्प लगाए जाएंगे, जो विहित किया जाए.

अपील के ज्ञापन पर तथा पुनरीक्षण संबंधी आवेदन पर, न्यायालय फीस स्टाम्प.

52. धारा 48, 49 तथा 55 के अधीन अधिकथित की गई कालावधि की संगणना करने में, परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का सं. 36) की धारा 4 तथा 12 के उपबंध यथाशक्य लाग् होगे.

परिसीमा अधिनियम, 1963 की घारा 4 तथा 12 का लागू होना.

53. परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का सं. 36) की धारा 5 के उपबंध यथाशक्य इस अधिनियम के अधीन अपीलों तथा पुनरीक्षण के लिए आवेदनों को लागू होंगे.

कतिगय मामलों में परिसीमा काल का विस्तारण.

54. (1) यदि आयुक्त या अपीलीय उपायुक्त या बोर्ड का इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के अनुक्रम में यह समाधान हो जाता है कि व्यापारी ने अपनी कुल राशि (टर्न ओवर) या किसी माल के संबंध में क्रय कीमतों की कुल रकम छिपाई है या किसी वर्ष या उसके भाग के लिए अपनी विवरणी या विवरणियों में अपने यथास्थिति विक्रयों या क्रयों की मिथ्या विशिच्यिं दी हैं यथास्थिति, आयुक्त या अपीलीय उपायुक्त या बोर्ड इस धारा के अधीन शास्ति के अधिरोपण के लिए कार्यवाही शुरू करेगा.

कतिपय परिस्थितियों में शास्ति अधिरोपित करने की आयुक्त या अपीलीय उपायुक्त या बोर्ड की

- (2) उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही यथास्थिति, आयुक्त या अपीलीय उपायुक्त या बोर्ड द्वारा व्यापारी को सुनवाई का अवसर देने के लिए, विहित प्ररूप में सूचना जारी कर के शुरू की जाएगी. व्यापारी की सुनवाई कर ली जाने पर यथास्थिति, आयुक्त या अपीलीय उपायुक्त या बोर्ड ऐसी कार्यवाही शुरू किए जाने की तारीख से एक कैलेंडर वर्ष के भीतर, व्यापारी को इस सबंध में निदेश देते हुए आदेश पारित करेगा कि वह उसके द्वारा देव कर के अतिरिक्त शास्ति के तौर पर ऐसी रकम चुकाए जो अपवंचित कर की रकम के तीन गुने से कम किंतु पांच गुने से अधिक नहीं होगी.
- (3) यदि किसी व्यापारी द्वारा किसी कालावधि या उसके भाग के लिए अपनी विवरणी या विवरणियों के उरनुसार देय दर्शाया गया तथा चुकाया गया कुल कर धारा 18 के अधीन निधारित या पुनः निर्धारित किए गए कुल कर के अस्सी प्रतिशत से क्यम है तो ऐसे व्यापारी के सर्वध में यह समझा जाएगा कि उसने उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए अपनी कुल राशि (टर्न ओवर) या अपनी क्रय कीमतों का कुल योग छिपाया है या अपनी विवरणी या विवरणियों में अपने निव यो या क्रयों की मिध्या विशिष्टियां दी हैं या मिथ्या विवरणी या विवरणियों जब तक कि यथा स्थास्थिति आयुक्त या अपीलीय उपायुक्त या बोर्ड के समाधानप्रद रूप में यह साबित नहीं कर देता है कि उक्त कुल राशि (टर्न औवर) या क्रय कीमतों के कुल योग को छिपाना या विक्रयों या क्रयों की मिथ्या विशिष्टियां देना या मिथ्या विवरणी या विवरणियां देना उसकी ओर से किसी कपट या थोर उपेक्षा के कारण नहीं था.
- 35. (1) बोर्ड द्वारा किसी व्यापारी को या आयुक्त को धारा 48, धारा 49, धारा 56 के अधीन किसी आदेश के संसूचित किए जाने की तारीख से साठ दिन के भीतर, ऐसा व्यापारी या आयुक्त,

उच्च न्यायालय की मणते का विवरण. लिखित आवेदन द्वारा, जिसके साथ उस दशा में जबिक आवेदन किसी व्यापारी द्वारा किया जाये, एक सौ रुपये की फीस संलग्न होगी बोर्ड से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसे आदेश से उद्भूत होने वाले विधि संबंधी किसी प्रश्न को उच्च न्यायालय को निर्देशित करे, और जहां बोर्ड उच्च न्यायालय को निर्देश करने का विनिश्चये करता है, वहां वह मामले का एक विवरण तैयार करेगा तथा उसे तद्नुसार निर्देशित करेगा.

- (2) यदि बोर्ड, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, निर्देश करने से इंकार कर देता है तो आवेदक ऐसी इंकारी के संसूचित किए जाने की तारीख से साठ दिन के भीतर-
 - (क) अपने आवेदन को वापस ले सकेगा और यदि वह ऐसा करे तो उसके द्वारा दी गई फीस वापस कर दी जाएगी, या
 - (ख) उच्च न्यायालय को इस बात के लिए आवेदन कर सकेगा कि वह बोर्ड से निर्देश करने की अपेक्षा करें.
- (3) यदि उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि इन्कार न्यायोचित नहीं था, तो वह बोर्ड से वह अपेक्षा कर सकेगा कि वह मामले का विवरण दे और उसका निर्देश करे और ऐसी अध्यपेक्षा के पास होने पर बोर्ड तद्नुसार कार्य करेगा.
- (4) यदि उच्च न्यायालय का यह समाधान नहीं होता है कि वह मामला जिसका कि विवरण दिया गया है उठाये गये विधि के प्रश्न का अवधारण करने में उसे समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त है तो वह बोर्ड से यह अपेक्षा कर सकेगा कि यह उसमें ऐसे परिवर्धन या परिवर्तन करे जैसा कि न्यायालय उस संबंध में निर्देश दें.
- (5) उच्च न्यायालय इस धारा के अधीन निर्देश की सुनवाई करने के पश्चात्, उसके द्वारा उठाये गये विधि संबंधी प्रश्न का विनिश्चय करेगा और उस पर निर्णय देगा जिसमें विनिश्चय के आधार अंतर्विष्ट होंगे और निर्णय की प्रति न्यायालय की मुद्रा तथा रिजस्ट्रार के हस्ताक्षर सहित बोर्ड को भेजेगा और बोर्ड तद्नुसार उस मामले का निपटारा करेगा.
- (6) जहां उपधारा (5) के अधीन उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील उच्चतम न्यायालय द्वारा ग्रहण कर ली जाती है, वहां बोर्ड उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार मामले का निपटारा करेगा तथा इस प्रयोजन के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रति उच्च न्यायालय द्वारा, अपनी मुद्रा तथा रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर सहित बोर्ड को भेजी जाएगी.
- (7) इस धारा के अधीन निर्देश के खर्चे, जिनमें उपधारा (1) में निर्दिष्ट फीस का चयन भी सिम्मिलित है, न्यायालय के विवेकानुसार होंगे.
- (8) वह कर, जि्मके भुगतान किये जाने का आदेश बोर्ड द्वारा ऐसे आदेश द्वारा दिया गया है जिसके कि संबंध में उपधारा (1) के अधीन आवेदन किया गया है, इस बात के होते हुए भी कि ऐसा आवेदन किया गया है या उसके परिणामस्वरूप कोई निर्देश किया गया है, उस आदेश के दिये जाने पर देय होगा.
- (9) जहां इस धारा के अधीन निर्देश के परिणामस्वरूप, किसी व्यापारी से शोध्य कर उपधारा (8) के अधीन उसके द्वारा चुकाई गई रकम से कम कर दिया गया है वहां अंतर की रकम धारा 39 के उपबंधों के अनुसार उसे वापस कर दी जायेगी.

- 56. (1) भूल सुनार से अभिप्रेत है, किसी लिपिकीय या गणित संबंधी भूल जो अभिलेख के देखने से भूळों का परिशोधन. स्पष्ट है, को परिशोधित करना.
 - (2) आयुक्त -
 - (एक) अपने द्वारा पारित किए गए किसी आदेश की तारीख से छः माह के भीतर किसी भी समय, स्वप्रेरणा से या
 - (दो) व्यापारी द्वारा कोई आवेदन किया जाने पर, ऐसे आवेदन को छ: माह के भीतर, किसी आदेश को, ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, परिशोधित करेगा या जैसा वह उपयुक्त समझे आदेश पारित करेगा.

परंतु ,-

- (एक) आयुक्त, व्यापारी के किसी आवेदन को तब तक ग्रहण नहीं करेगा जब तक कि वह उस आदेश की, जिसका कि परिशोधन किया जाना चाहा गया है, तारीख से छ: माह के भीतर नहीं किया गया है:
- (दो) कोई भी ऐसा परिशोधन, यदि उसके कारण कर में वृद्धि हो जाती है, या वापसी की रकम कम हो जाती है, तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक आयुक्त ने ऐसा करने के अपने आशय की सूचना विहित प्ररूप में व्यापारी को नहीं दे दी है तथा व्यापारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया है.
- (3) (क) उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के उपबंध बोर्ड द्वारा पारित किसी आदेश में, या अपीलीय उपायुक्त द्वारा पारित किसी आदेश में किसी भूल के परिशोधन को उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि आयुक्त द्वारा किसी भूल के परिशोधन को लागू होते हैं.
 - (ख) बोर्ड अपने द्वारा पारित किये गये किसी आदेश का परिशोधन, -
 - (एक) स्वप्रेरणा से, ऐसे आदेश के पारित किए जाने की तारीख से छ: माह के भीतर किसी भी समय; और
 - (दो) व्यापारी या आयुक्त द्वारा कोई आवेदन किया जाने पर ऐसे आवेदन के प्राप्त होने की तारीख से छ: माह भीतर, किसी भी समय कर सकेगी.
- (4) जहां किसी ऐसे परिशोधन के कारण कर की रकम कम हो जाती है, वहां आयुक्त व्यापारी को शोध्य कोई रकम विहित रीति में वापस कर देगा.
- (5) जहां कोई ऐसा परिशोधन कर की रकम में वृद्धि करने या वापसी की रकम को कम करने का प्रभाव रखता है, वहां आयुक्त व्यापारी से शोध्य रकम धारा 25 में उपबंधित की गई रीति में वसूल करेगा.

अध्याय-11

कर के अपवंचन का पता लगाना तथा उसका निवारण

कर चुकाने के लिये दायी व्यापारियों द्वारा कर के अपवंचन का पता लगाने तथा उसकी जांच के लिए एक सिमृति का गठन और स्वप्रेरणा से या ऐसी सिमिति की रिपोर्ट पर किसी व्यापारी द्वारा कर के अपवंचन का अन्वेषण करने की आयुक्त की शक्ति.

- (1) राज्य सरकार इस आंधिनियम के अधीन या इस अधिनियम द्वारा निरिसत अधिनियम के अधीन कर के अपवंचन का पता लगाने के लिए तथा अन्वेषण करने के लिए एक सिमिति गठन कर सकेगी. सिमिति के इतनी संख्या में सदस्य होंगे जैसा कि राज्य सरकार अवधारित करे. सिमिति की सहायता धारा 3 में विनिर्दिष्ट ऐसे अधिकारियों द्वारा की जाएगी जिन्हें कि राज्य सरकार इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे. वह प्राधिकारी तथा उसकी सहायता के लिए नियुक्त अधिकारी ऐसे कृत्यों का पालन करेंगे जैसे कि राज्य सरकार निर्देश दे.
- (2) (क) यदि किसी ऐसी जानकारी के आधार पर, जो कि उसके कब्जे में आए, सिमिति को यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यापारी इस अधिनियम के अधीन या इस अधिनियम द्वारा निरिसत अधिनियम के अधीन कर का भुगतान करने से बच गया है या कर का अपवंचन करने में लगा हुआ है तो वह उस विषय में अपनी रिपोर्ट तैयार कर सकेगी और आयुक्त को भेज सकेगी कि वह ऐसे व्यापारी द्वारा कर का अपवंचन किए जाने के संबंध में अन्वेषण करें.
 - (ख) यदि किसी आपातिक मामले में किसी ऐसी जानकारी पर जो कि आयुक्त को प्राप्त हुई है, उसे यह संदेह करने का कारण है कि कोई व्यापारी कर के भुगतान का अपवंचन करने का प्रयत्न कर रहा है या उसे यह विश्वास करने का कारण है कि किसी व्यापारी ने कर के भुगतान का अपवंचन किया है या वह कर के अपवंचन में लगा हुआ है तो वह लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) से खण्ड (छ) में निर्दिष्ट अधिकारियों में से किसी भी अधिकारी को ऐसे व्यापारी द्वारा कर के अपवंचन का अन्वेषण करने की कार्यवाही करने का निर्देश दे सकेगा.
- (3) किसी व्यापारी के संबंध में समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर या उपधारा (2) के खण्ड (ख) के उपबंधों के अनुसरण में स्वप्रेरणा से आयुक्त ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जैसी कि विहित की जाएं :-
 - (क) व्यापारी से यह अप्रेक्षा करेगा कि वह अपने कारोबार से मुसंगत कोई लेखे, रिजस्टर या दस्तावेज उसके समक्ष पेश करे या ऐसी अन्य जानकारी प्रस्तुत करे जैसी कि वह समीक्षा के लिये उचित समझें.
 - (ख) ऐसे व्यापारी के कारबार के स्थान का निरीक्षण करेगा और इस प्रायोजन के लिये ऐसे व्यापारी के कारबार से संबंधित समस्त लेखे, रजिस्टर तथा दस्तावेज और कारबार के ऐसे स्थान में रखी गयी समस्त वस्तुएं आयुक्त के निरीक्षण के लिये खुली होंगी.
- 4) यदि उपधारा (3) के अधीन व्यापारी द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों की समीक्षा करने पर या उसके कारबार के स्थान का निरीक्षण करने पर आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि किसी व्यापारी ने किसी वर्ष के लिए देय कर के भुगतान का अपवंचन किया है तो वह लिखित में कारणों को अभिलिखित करते हुए ऐसे व्यापारी के कारबार से संबंधित ऐसे लेखाओं, रिजस्टों या दस्तावेज को जिन्हें कि वह आवश्यक समझे, जब कर सकेगा और उनके लिए व्यापारी को एक रसीद देगा और वह उन्हें केवल उतने समय तक निरुद्ध रखेगा जितना कि उनके परीक्षण के लिए या कर निर्धारण के लिए या अभियोजन के लिए आवश्यक हो.
- (5) उपधारा (3) के खण्ड (ख) के प्रयोजन के लिए आयुक्त, -

- (क) ऐसे व्यापारी के कारबार के किसी स्थान में या अन्य किसी ऐसे स्थान में, चाहै वह स्थान उसके कारबार का स्थान हो या नहीं, जिसके बारे में आयुक्त को यह विश्वास करने का कारण है कि व्यापारी अपने कारबार के लेखाओं, रिजस्टरों या दस्तावेजों को वहां रखता है या अपने कारबार से संबंधित माल का स्टाक रखता है या तत्समय रखे हुए हैं, प्रवेश कर सकेगा और तलाशी ले सकेगा और आयुक्त इस खण्ड के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए किसी दरवाजे, बाक्स, लाकर, तिजोरी, अलमारी या अन्य पात्र के ताले को उस दशा में सील कर सकेगा या तोड़कर खोल सकेगा जबिक उसकी चाबियां मांग की जाने पर पेश नहीं की जाती या उपलब्ध नहीं है; और
- (ख) किसी ऐसे व्यक्ति की भी, जो खण्ड (क) में निर्दिष्ट स्थान से जा रहा है या प्रवेश करने वाला है या पहले से ही उस स्थान में है यदि आयुक्त के पास इस बात का संदेह करने के लिए कारण है कि ऐसे व्यक्ति ने ऐसे व्यापारी के कारबार से संबंधित लेखा पुस्तकें या आय दस्तावेज अपने शरीर पर छिपा रखें हैं, तलाशी ले सकेगा.
- (6) (क) यदि व्यापारी द्वारा प्रस्तुत किए गए लेखाओं, रजिस्टरों या दस्तावेजों की संवीक्षा के अनुक्रम में या ऐसे व्यापारी के कारबार के स्थान का निरीक्षण करने के अनुक्रम में आयुक्त के पास यह विश्वास करने का कारण है कि व्यापारी ने कर योग्य माल को अपने कारबार के अनुक्रम में उसके द्वारा रखी गई पुस्तकों, रजिस्टरों या लेखाओं में उसका लेखा जोखा दिए बिना कर भुगतान का अपवंचन करने के लिए उसका प्रच्छन्न विक्रय करने की दृष्टि से, किसी ऐसे भवन, स्थान या यान में जो अनन्य रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर या दोनों में से किसी भी प्रकार से व्यापारी के स्वामित्व में या उसके नियंत्रणाधीन हो, या किसी अन्य व्यक्ति की अभिव्यक्ति या विवक्षित अनुज्ञा से, संग्रह किया है या उसे रखा है, तो आयुक्त ऐसे किसी भवन, स्थान या यान में प्रवेश कर सकेगा और उसका निरीक्षण कर सकेगा और यह सत्यापित कर सकेगा कि क्या उस माल का लेखा जोखा दिया गया है और उसको यह युक्तियुक्त विश्वास हो जाने की दशा में कि व्यापारी ने कर के अपवंचन के आशय से ऐसे माल का लेखा जोखा नहीं दिया है तो आयुक्त ऐसे समस्त माल को अभिगृहीत कर सकेगा और उसे वहां से हटाने, उसकी समुचित अभिरक्षा और उसके परीक्षण के लिए समस्त उपाय कर सकेगा:

परंतु आयुक्त द्वारा इस खण्ड के अधीन, अभिगृहीत किए गए समस्त माल की सूची कम से कम दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उपस्थिति में तैयार की जाएगी और मांग की जाने पर उसकी एक प्रति यथास्थिति, व्यापारी या उस व्यक्ति को दी जाएगी जिसके कब्जे या अभिरक्षा से उसे अभिगृहीत किया गया था.

- (छ) 'आयुक्त खण्ड (क) के अधीन माल के अभिग्रहण के पश्चात् व्यापारी, पर विहित प्ररूप में एक सूचना इस हेतु तामील करेगा कि व सूचना की तामील के तीस दिन की कालावधि के भीतर इस बाबत् कारण दर्शाए कि उसके द्वारा उसके व्यापार के अनुक्रम में रखी गई यथास्थिति लेखा पुस्तकों या रिजस्टरों या अन्य दस्तावेजों में उस माल के संबंध में प्रविष्टियां करने में, उस व्यापारी द्वारा किए गए व्यतिक्रम के लिए उस पर कर की उस रकम के पांच गुना के बराबर शास्ति क्यों न अधिरोपित की जाए, जो कि उस मूल्य पर देय और संगणनीय है, जो कि अभिग्रहण की तारीख को छत्तीसगढ़ में ऐसे माल के कल्पित विक्रय पर उसके लिए प्राप्त होता.
- (ग) यदि उस व्यापारी के स्पष्टीकरण पर विचार करने और उसे सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि उक्त माल से संबंधित प्रविष्टियां उस व्यापारी की लेखा पुस्तकों, रिजस्टरों या अन्य दस्तावेजों में नहीं की गई थी, ऐसा

- (घ) अधुक्त, खण्ड (ख) के अधीन सूचना की तामीली हो जाने के पश्चात् और खण्ड (ग) के अधीन शास्ति अधिरोपित करने वाला कोई आदेश पारित करने के पूर्व, किसी भी समय अभिगृहीत माल को निर्मुक्त कर सकेगा यदि व्यापारी या वह व्यक्ति जिससे कि माल अभिगृहीत किया गया था, प्रत्येक मामले में, आयुक्त के समाधनप्रद रूप में उतनी रकम की, जितनी कि आयुक्त प्रस्तावित शास्ति की रकम का सम्यक् ध्यान रखते हुए लिखित में आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, प्रतिभृति नकद प्रतिभृति या बैंक गारंटी के रूप में देता है. व्यापारी द्वारा खण्ड (ग) के अधीन उस पर अधिरोपित शास्ति का भुगतान कर दिये जाने पर यदि दी गई प्रतिभृति बैंक गारंटी के रूप में है तो वह बैंक गारंटी निर्मुक्त कर दी जाएगी और यदि प्रतिभृति नकद प्रतिभृति के रूप में दी गई है तो वह इस प्रकार अधिरोपित शास्ति के मद्दे समायोजित की जाएगी और अतिशेष, यदि कोई हो, व्यापारी को वापस प्रतिदाय कर दिया जाएगा.
- (ङ) जहां खण्ड (घ) के अधीन कोई प्रतिभूति नहीं दी गई है वहां व्यापारी उस शास्ति अधिरोपित करने वाले आदेश की तामील के तीस दिन के भीतर शास्ति की रकम चुकायेगा और ऐसी रकम के चुका दिए जाने पर अभिगृहीत माल तत्काल निर्मुक्त कर दिया जाएगा.
- (च) यदि व्यापारी खण्ड (ग) के अधीन अधिरोपित शास्ति का भुगतान खण्ड (ङ) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर करने में असफल रहता है तो आयुक्त, इस धारा के अन्य उपबंधों के अध्ययीन रहते हुए, उस माल का व्ययन विक्रय द्वारा ऐसी रीति में करेगा जैसी कि विहित की जाए और उसके विक्रय आगमों को अधिरोपित की गई शास्ति और उस व्ययों के प्रति उपयोजित करेगा जैसे कि ऐसे माल का अभिरक्षा, संरक्षण, परिरक्षण तथा विक्रय में उपगत हुए हों या उससे आनुषंगिक हों, और अतिशेष, यदि कोई है, व्यापारी या हकदार व्यक्ति को वापस कर देगा.
- (छ) खण्ड (ग) के अधीन अधिरोपित की गई शास्ति इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन की किसी अन्य कार्यवाही पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी.
- (ज) जहां उपखण्ड (क) के अधीन अभिगृहीत की गई संपत्ति के अभिग्रहण के संबंध में कोई आक्षेप इस आधार पर किया जाता है कि वह माल उस व्यापारी का नहीं है, या अन्यथा अभिग्रहण के दायित्वाधीन नहीं है तो आयुक्त, उस आक्षेप का विनिश्चय करने के लिए अग्रसर होगा :

परंतु ऐसे किसी भी आक्षेप को ग्रहण नहीं किया जाएगा,-

- (एक) जहां अभिगृहीत माल का विक्रय आक्षेप किए जाने के पूर्व ही कर दिया गया हो; या
- (दो) जहां आयुक्त का यह विचार है कि आक्षेप परिकल्पनापूर्वक या अनावश्यक रूप से किया गया है.
- (झ) ऐसी कार्यवाही के पक्षकारों या उनके प्रतिनिधियों के बीच उद्भूत होने वाले और ऐसे दावे या आक्षेप के न्यायनिर्णयन से सुसंगत ऐसे समस्त प्रश्न जिसमें अभिगृहीत किए गए

माल के अनुकार, हक या उसमें हित से भी संबंधित प्रश्न सम्मिलित हैं, का अवधारणा दावे या आक्षेप के संबंध में कार्यवाही करने वाले आयुक्त द्वारा किया जाएगा.

- (ञ) खण्ड (झ) में निर्दिष्ट प्रश्न का अवधारण हो जाने पर आयुक्त ऐसे अवधारण के अनुसार-
 - (एक) दावे या आक्षेप को मंजूर करेगा और अभिगृहीत माल को या तो पूर्णतः या ऐसी सीमा तक जैसी व उचित समझे, निर्मुक्त करेगा ; या
 - (दो) ऐसे दावे या आक्षेप को नामंजूर करेगा ; या
 - (तीन) ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा कि उस मामले की परिस्थितियों में ठीक समझे.
- (ट) जहां खण्ड (ज) के अधीन किसी दावे या आक्षेप का न्यायनिर्णयन किया गया है या जहां आयुक्त ने खण्ड (ज) के परंतुक के अधीन किसी दावे या आक्षेप को ग्रहण करने से इंकार कर दिया है वहां किए गए ऐसे आदेश के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह किसी व्यापारी के विरुद्ध धारा 21 के अधीन कर निर्धारण से संबंधित आदेश है और वह उन्हीं शर्तों के अध्यधीन रहते हुए होगा जो कि इस अधिनियम के अधीन अपील, पुनरीक्षण या किसी अन्य उपचार की होती है.
- (7) जहां आयुक्त, प्रवेश, तलाशी या माल के अभिग्रहण में किसी प्रतिरोध की आशंका करता है वहां वह उपधारा (3) या उपधारा (5) के खण्ड (क) या उपधारा (6) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट समस्त या किन्हीं प्रयोजनों में से किसी भी प्रयोजन के लिए अपनी सहायता के लिए राज्य सरकार के किसी भी ऐसे पुलिस अधिकारी की, जो उस स्थानीय क्षेत्र पर अधिकारिता रखता है जिसमें प्रवेश, तलाशी या अभिग्रहण किया जाना है, लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से सेवाएं अध्यपेक्षित कर सकेगा और ऐसे पुलिस अधिकारी का यह कर्त्तव्य होगा कि ऐसी अपेक्षा का पालन करें.
- (8) इस धारा के अधीन प्रवेश, तलाशी और अभिग्रहण करते समय आयुक्त, जब तक कि इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित न हो, उन्हीं शक्तियों का प्रयोग तथा उसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जिनका कि प्रयोग दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सं. 2) के उपबंधों के अधीन प्रवेश, तलाशी और अभिग्रहण के संबंध में किसी पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाता है और जिसका अनुसरण किए जाने की उससे अपेक्षा की जाती है.

58. (1) राज्य सरकार और या आयुक्त यदि उनका यह समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम के अधीन कर के अपवंचन का निवारण करने या उसे रोकने की दृष्टि से वैसा करना आवश्यक है, अधिसूचना द्वारा, राज्य के भीतर रेल परिसरों को अपवर्जित करते हुए उस स्थान या उन स्थानों पर, जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, जांच चौकियां या नाके स्थापित कर सकेंगे:

जांच चौकियों की स्थापना तथा नाकों (बेरियर्स) का

परंतु आयुक्त एक बार में छ: मास से अधिक की कालावधि के लिए कोई जांच चौकी स्थापित नहीं करेगा या कोई नाका (बेरियर) नहीं बनाएगा.

(2) (क) विक्रय कर अधिकारी की पद श्रेणी से अनिम्न पद, श्रेणी का कोई अधिकारी जांच चौकी का भारसाधक होगा (जो इसमें इसके पश्चात् जांच चौकी अधिकारी के नाम से निर्दिष्ट है) और अधिकारियों के अन्य प्रवर्ग द्वारा उसे सहायता दी जाएगी.

- (ख) इस धारा के अन्य उपबंधों के अध्ययीन रहते हुए, जांच चौकी अधिकारी इस धारा के अधीन उसे प्रदत्त समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा.
- (3) किसी यान का चालक या भारसाधक व्यक्ति या किसी यान में ले जाए जा रहे माल का कोई स्वामी या भारसाधक व्यक्ति (जो इसमें इसके परचात् परिवहनकर्ता के नाम से निर्देष्ट है) जो ऐसे माल का परिवहन कर रहा हो जो कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया जाए (जो इसमें इसके परचात् अधिसूचित माल के नाम से निर्दिष्ट है) माल के परेषक द्वारा यान में परिवहन किए जा रहे अधिसूचित माल के संबंध में ऐसी विशिष्टियां देते हुए जैसी कि विहित की जाएं, जारी किया गया बीजक, बिल या चालान या कोई अन्य दस्तावेज, जो चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, अपने साथ रखेगा.
- (4) (क) प्रत्येक परिवहनकर्ता जो किसी अधिस् वित माल का छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर परिवहन कर रहा हो, उपधारा (1) के अधीन स्थापित की गई किसी जांच चौकी या बनाए गए किसी नाके (बेरियर) को पार करने के पूर्व, जांच चौकी अधिकारी को ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी रीति में, ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट करते हुए जैसी कि विहित की जाएं, परेषक द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित एक घोषणा परिदत्त करेगा जहां माल छत्तीसगढ़ में आयात किया जा रहा हो वहां प्रत्येक परेषिती से संबंधित परेषण या परेषणों के बारे में पृथक घोषणा फाइल की जाएगी और जहां माल राज्य के बाहर भेजा जा रहा हो वहां प्रत्येक परेषक के परेषणों के बारे में पृथक घोषणा फाइल की जाएगी. यदि छत्तीसगढ़ में का परेषिती ''स्वयं'' के रूप में दर्शाया गया हो या वर्णित किया गया हो तो छत्तीसगढ़ में परिदत्त किए जाने वाले माल के संबंध में कोई भी घोषणा तब तक प्रतिगृहीत नहीं की जाएगी जब तक कि उस व्यक्ति के संबंध में पूर्ण विशिष्टियां तथा उसका पूरा पता न दिया गया हो जो कि सध्यप्रदेश में गंतव्य स्थान पर माल का परिदान प्राप्त करेगा.
 - (ख) खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट घोषणा पत्र रिजस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा विहित रीति में तथा विहित फीस का भुगतान करने पर अभिप्राप्त किया जायेगा.
- (5) परिवहनकर्ता यान को प्रत्येक जांच चौकी या नाक (बेरियर) पर रोकेगा और उसे उतने समय तक के लिए खड़ा रखेगा जितना कि जांच चौकी अधिकारी द्वारा युक्तियुक्त रूप से अपेक्षित किया जाए, और उसे यान की तलाशी लेने देगा और अधिसूचित माल का तथा उपधारा (3) में निर्दिष्ट किए गए दस्तावेजों का निरीक्षण करने देगा और यदि ऐसी अपेक्षा की जाए, उसे अपना नाम तथा पता एवं यान के स्वामी के तथा माल के परेषक एवं परेषिती का नाम तथा पता देगा.
- (6) जांच चौकी अधिकारी को ऐसे अधिसूचित माल को, या माल के साथ-साथ यान को, निरूद्ध करने या अभिगृहीत करने की शक्ति होगी, -
 - (क) जिसके कि संबंध में उपधारा (4) के अधीन कोई घोषणा नहीं है या ऐसी घोषणा या तो माल के प्रकार के या उसके परिमाण या मूल्य के संबंध में मिथ्या- या गलत है; या
 - (ख) जो उपधारा (3) में निर्दिष्ट दस्तावेजों में नहीं दर्शाया गया है या जिसके संबंध में कोई दस्तावेज नहीं हैं; या
 - (ग) जिसके संबंध में उक्त दस्तावेज मिथ्या है, या जिनके मिथ्या होने का युक्तियुक्त रूप से संदेह है.

- (7) यदि जांच चौकी अधिकारी, यान की तलाशी लेने तथा दस्तावेजों या घोषणा का सत्यापन करने के पश्चात् कोई ऐसी चूक पाता है, जो उपधारा (6) में निर्दिष्ट है, तब तक कि तत्य्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, यह उपधारणा कर सकेगा कि ऐसे माल के संबंध में कर के अपवंचन को सुकर बनाने का प्रयास किया जा रहा था, और वह उसके लिए लिखित में कारण अभिलिखित करने के पश्चात् ऐसे माल को या माल के साथ-साथ बान को ऐसी रीति में जो कि विहित की जाए, अभिगृहीत कर सकेगा.
- (8) उपधारा (7) के अधीन अधिसूचित माल के अभिग्रहण करने के पश्चात् जांच चौकी अधिकारी, ऐसे समस्त माल की एक सूची तैयार करेगा जिस पर उसके स्वयं के तथा परिवहनकर्ता के हस्ताक्षर होंगे तथा वह उसकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए समस्त उपाय करेगा.
- (9) उपधारा (7) के अधीन अधिसूचित माल या माल के साथ-साथ यान का अभिग्रहण करने वाला जांच चौकी अधिकारी मामले के समस्त तथ्यों पर भी परिवहनकर्ता का कथन अधिलिखित करेगा और अभिगृहीत माल और यान के परेषक तथा परेषिती के संबंध में विशिष्टियां भी अभिग्राप्त करेगा. इस धारा के किसी उपबंध के अतिक्रमण के कारण भी, यदि कोई हो, अभिलिखित किए जाएंगे.
- (10) यदि परिवहनकर्ता के कथन पर विचार करने के पश्चात् जांच चौकी अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि स्पष्टीकरण संतोषप्रद है तथा यह कि अभिगृहीत माल के संबंध में कर के भुगतान का अपवंचन करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था तो वह अपने निष्कर्ष, उसके लिए कारण देते हुए अभिलिखित करेगा और माल या माल के साथ-साथ यान को परिवहनकर्ता के पक्ष में ऐसी रीति में, जो कि विहित की जाए, निर्मुक्त कर देगा.
- (11) यदि जांच चौकी अधिकारी का इस प्रकार समाधान नहीं होता है तो वह परिवहनकर्ता पर विहित प्ररूप में एक सूचना, सूचना की तामील के सामान्यतः पंद्रह दिन के भीतर यह कारण दर्शाने की अपेक्षा करते हुए तामील करेगा कि कर की उस रकम के, जो कि उस दशा में देय होती जब कि अधिसूचित माल ऐसे अभिग्रहण की तारीख को राज्य के भीतर बेचा गया होता, पांच गुने से अनधिक ऐसी राशि की, जो कि सूचना में विनिर्दिष्ट हो, शास्ति उस पर क्यों न अधिरोपित की जाए.
- (12) अधिसूचित माल का अभिग्रहण करने वाला अधिकारी उपधारा (13) के अधीन कार्यवाहियां के लंबित रखने के दौरान किसी भी समय नकद प्रतिभूति या अप्रतिसंहरणीय बैंक गारंटी के रूप में ऐसी रकम की प्रतिभूति निश्चिप्त किए जाने पर, जो कि उसकी राय में उस शास्ति के लिए एयिन होगी जिसका कि अधिरोपित किया जाना संभाव्य हो, माल या/तथा यान को परिवहनकर्ता के पक्ष में निर्मुक्त कर सकेगा.
- (13) गांच चौकी अधिकारी, परिवहनकर्ता के स्पष्टीकरण पर, यदि कोई हो विचार करने के पश्चात् तथा उसे सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् यदि उसका परिवहनकर्ता के स्पष्टीकरण तथा कथन से समाधान हो जाता है तो लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से सूचना को प्रभावोन्मुक्त कर देगा तथा अभिगृहीत माल को या अभिगृहीत. माल सहित या उसके बिना यान को परिवहनकर्ता के पक्ष में ऐसी रीति में निर्मुक्त कर देगा जो कि विहित की जाए. यदि उक्त अधिकारी का इस प्रकार समाधान न हो तो वह अपना निष्कर्ष, उसके लिए कारण देते हुए तद्नुसार अभिलिखित करेगा और सूचना में निर्दिष्टि राशि से अनिधक ऐसी शास्ति अधिरोधित करते हुए, जैसी कि वह ठीक समझे, आदेश पारित करेगा

पांतु शास्ति की रकम, कर की उस रकम के, तीन गुने से अन्यून किंतु पांच गुने से अधिक नहीं होगी, जो कि यदि माल राज्य के भीतर बेचा गया होता, तो उस पर देय होती.

- (14) उपधारा (13) के अधीन शास्ति अधिरोपित करने वाले आदेश की एक प्रति परिवहनकर्ता पर तामील की जाएगी.
- (15) शास्ति या उसका ऐसा भाग, जो कि उपधारा (12) के अधीन निश्चिम की गई किसी रकम के समायोजन के पश्चात् बाकी बचे, निक्षेप शास्ति अधिरोपित करने वाले आदेश की प्रति की तामील से पंद्रह दिन के भीतर विहित रीति में किया जाएगा. इसमें व्यतिक्रम होने पर जांच चौकी अधिकारी अधिसूचित माल का विक्रय ऐसी रीति में करवाएगा, जैसी कि विहित की जाए, तथा उसके विक्रय आगमों को शास्ति हेतु उपयोजित करेगा और बाकी, यदि कोई हो, परिवहनकर्ता को वापस कर देगा. यदि माल के विक्रय आगम शास्ति की रकम को पूरा करने के लिए पर्याप्त न हों या उसके लिए प्रयत्न किए जाने के बावजूद माल का विक्रय नहीं किया जा सका हो तो उक्त अधिकारी उपरोक्त रीति में यान का विक्रय करवाएगा और उसके विक्रय आगमों को शास्ति के बकाया के हेतु उपयोजित करेगा और ऐसे विक्रय आगमों के अतिशेष को, यदि कोई हों, व्यापारी को वापस करेगा.
- (16) जहां माल का अभिग्रहण करने वाले अधिकारी की उपधारा (11) की (13) के अधीन कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान किसी भी समय, यह राय हो कि अधिसूचित माल शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयशील है, या जबकि यह संभावक हो कि उन्हें अभिरक्षा में रखने संबंधी व्यय उनके मूल्य से अधिक हो जाएंगे, वहां वह शास्ति के अधिरोपण संबंधी कार्यवाहियों के पूर्ण होने की प्रतिक्षा किए बिना उसे ऐसी रीति में बिकबा सकेगा, जैसी कि विहित की जाए, तथा उसके विक्रय आगमों को उक्त कार्यवाहियों के पूर्ण होने तक के लिए निक्षेप में रख सकेगा. निक्षेप में इस प्रकार रखी गई रकम, ऐसी शास्ति, यदि कोई हो, जो कि अधिरोपित की जाए, के हेतु उपयोजित की जाएगी तथा बाकी अतिशेष, यदि कोई हो, उपधारा (15) के उपबंधों के अनुसार परिवहनकर्ता को वापस कर दी जाएगी.
- (17) उपधारा (13) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश धारा 48 और 49 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए अंतिम होगा.
- (18) परेषक या परेषिती उस घोषणा की प्रति को तथा घोषणा के अंतर्गत माल से संबंधित उन अन्य दस्तावेजों को, ऐसी कालावधि तक बनाए रखेगां, जैसी कि विहित की जाए, और उस कालावधि के भीतर जब कभी भी कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा उनकी मांग की जाए, उन्हें उसके समक्ष पेश करेगा.

राज्य में से होकर सड़क द्वारा माल का अभिवहन तथा अभिवहन पास (ट्रांजिट पास) का जारी किया जाना.

- (1) जब राज्य के बाहर के किसी स्थान से आने वाला तथा राज्य से बाहर के किसी अन्य स्थान को जाने वाला कोई यान राज्य में से होकर गुजरता हो, तो ऐसे यान का चालक या भारसाधक अन्य व्यक्ति (जो इसमें इसके पश्चात् परिवहनकर्ता के नाम से निर्दिष्ट है) राज्य में अपने प्रवेश के पश्चात् प्रथम जांच चौकी के जांच चौकी अधिकारी से एक अभिवहन पास (ट्रांजिट पास) विहित प्ररूप तथा रीति में अभिप्राप्त करेगा तथा राज्य में से अपने निर्गम के पूर्व उसे अंतिम जांच चौकी के जांच चौकी अधिकारी को परिदत्त करेगा, ऐसा न होने पर यह उपधारणा की जाएगी कि ऐसे यान द्वारा वहन किया गया माल परिवहनकर्ता द्वारा राज्य के भीतर बेच दिया गया है.
 - (2) प्रवेश स्थान पर वह जांच चौकी अधिकारी जो अभिवहन पास (ट्रांजिट पास) जारी करता है, उस स्थान के जहां से कि परिवहनकर्ता यह घोषणा करता है कि माल राज्य के बाहर ले जाया जाएगा, निकट के जांच चौकी या नाके के जांच चौकी अधिकारी को अपने द्वारा जारी किए गए अभिवहन पास (ट्रांजिट पास) में अंतर्विष्ट जानकारी सूचित करेगा. यदि अभिवहन पास की प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर वह यान या माल जो अभिवहन पास अंतर्गत आता हो, निर्गम स्थान पर नहीं पहुंचता है तो निर्गम स्थान पर की जांच चौकी या नाके का जांच चौकी

अधिकारी तृरंत इस तथ्य को प्रवेश स्थान पर की जांच चौकी या नाके के जांच चौकी अधिकारी के ध्यान में लाएगा. तत्पश्चात् कथित अधिकारी परिवहनकर्ता से ऐसी शास्ति वसूल करने की कार्यवादी शुरू करेगा जो कि धारा 58 के उपवंधों के अधीन उद्गृहीत की जा सकती थी.

- (3) अभिवहन पास के अंतर्गत आने वाले किसी माल या माल के साथ-साथ यान के संबंध में, धारा 58 के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होगे.
- 60. विक्रय कर विभाग का कोई भी पदाधिकारी, जो सहायक विक्रय कर अधिकारी की पद श्रेणों से निम्न पद श्रेणों का न हो, जिसे आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किया जाए, ऐसे माल का उसे लादे जाने या उतारे जाने के स्थान पर उस माल का उमने हक संबंधी दस्तावेजों सहित निरीक्षण कर सकेगा और ऐसे यान का, जिसमें ऐसे माल का परिवहन किया गया हो, स्वामी या तत्समय प्रभारी व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी को इस प्रयोजन के लिए समस्त सहायता देगा.

माल लादने तथा उतारने के स्थान की जांच करने की शक्ति.

61. (1) छत्तीसगढ़ राज्य में किसी माल का सड़क द्वारा परिवहन करने वाला प्रत्येक परिवहनकर्ता प्रेषक द्वारा जारी किया गया बीजक, बिल, चालान या अन्य दस्तावेज, नाम से चाहे जो भी हो, जिसमें ऐसी विशिष्टियां दी जाएगी जो विहित की जाए, अपने साथ रखेगा.

अभिवहन में के माल की जांच करने की शक्ति.

- (2) कोई अधिकारी, जो वाणिज्यिक कर अधिकारी का पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो, जिसे आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किया जाए, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए परिवहनकर्ता से यान को किसी भी स्थान में रोकने की अपेक्षा कर सकेगा तथा उसे या उसे सहायता कर रहे अन्य व्यक्तियों को दस्तावेजों का, जो परिवहनकर्ता, के कब्जे में हों, निरीक्षण करने देगा कि क्या वे वहीं हैं जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट हैं तथा धारा 58 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट घोषणा की प्रति और क्या ऐसे समस्त दस्तावेज सुवाच्य, सही तथा पूर्ण हैं, परिवहनकर्ता, यदि उस अधिकारी द्वारा वैसी अपेक्षा की जाय तो, अपना नाम तथा पता और यान का स्वामी यान के भारसाधक व्यक्ति से भिन्न होने की दशा में स्वामी के नाम तथा पते, उनके/उसके नाम तथा पते और उनके रिजस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के क्रमांक यदि वे इस अधिनियम के अधीन रिजस्ट्रीकृत हो, भी देगा.
- (3) यदि उपधारा (2) में निर्दिष्ट अधिकारी, यान के निरीक्षण पर यह पाता है कि परिवहनकर्त्ताकारी उपधारा (1) में निर्दिष्ट दस्तावेजें नहीं ले जा रहा है या ले जा रहे दस्तावेज व्यवस्थित नहीं है या परिवहनकर्त्ता उपधारा (2) में निर्दिष्ट घोषणा की प्रतिलिपि नहीं ले जा रहा है तो वह परिवहनकर्ता को निर्देश दे सकेगा कि वह माल तथा दस्तावेज सहित यान को निकटतम जांच चौकी पर या उसके द्वारा नामित वृत्त या उप वृत्त कार्यालय पर ले जाएं और उसे वहां रोके तथा उसे उतने समय तक खड़ा रखे जितना धारा 58 के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करने हेतु अपेक्षित किया जाए.
- (4) तदुपरांत उपधारा (2) में निर्दिष्ट अधिकारी, माल और/या यान का अभिग्रहण करने तथा धारा 58 के उपबंधों के अनुसार शास्ति अधिरोपित करने की कार्यवाही आरंभ करेगा और इस प्रयोजन के लिए-
 - (एक) वह जांच चौकी अधिकारी द्वारा उस धारा के अधीन प्रयोग की जाने योग्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा :
 - (दो) वह, उस धारा में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा : तथा
 - (तीन) उस यारा के उपबंध ऐसी कार्यवाही के लिए यथा अब परिवर्तन महित लागू होंगे.

िकासी अधेषण या बुकिंग अभिकातों और माल का प्रीयक्ष्म करने वाले किसी व्यक्ति पर विश्वंत्रण तथा ऐसे अभिकातों या व्यक्ति द्वारा जामकारी का विद्या जाना.

- (1) प्रत्येक निकासी, अग्रेयण या बुकिंग एजेंट या दलाल या माल परिवहन करने वाला कोई व्यक्ति जो उसके कामबार के अनुक्रम में माल के हक के उस्तावेजों का हस्तन करता है या माल का परिवहन करता है था किसी व्यापारी के लिए या उसकी और से माल का परिवान प्राप्त करता है और जिसके कारबार का स्थान छत्तीभगढ़ राज्य में है, अपने कारबार के स्थान की जानकारी, ऐसे प्राध्यकारी की, ऐसे समय के भीतर, ऐसे प्रक्रप में देगा, जो कि विहित किया जाए.
 - (2) प्रत्येक ऐसा अधिकर्ता या व्यक्ति उसके हुए। हस्तन किए गए माल और उससे संबंधित हक के दस्तावेजों के सबध में मही और पूर्ण लेखे. एक्स्टर और दस्तावेज, संधारित करेगा और किसी व्याणीरी के माल के संव्यवहार से संबंधित सही और पूर्ण विशिष्टियां और जानकारी धारा 3 के अधीन, नियुक्त किए गए किसी ऐसे अधिकारी को, जो सहायक विक्रय कर अधिकारी की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो, उसके द्वारा जब कभी अपेक्षा की जाए, प्रस्तुत करेगा और उक्त लेखाओं, रिकेस्टरों और इस्तावेजों को, जब कभी उसके द्वारा अपेक्षा की जाए, ऐसे अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा.
 - (3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई अभिकर्ता या व्यक्ति को, जो उक्त उपधारा या उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंबन करता है, आयुक्त, ऐसे अभिकर्ता या व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उसे शास्ति के रूप में, -
 - (एक) यदि उल्लंघन उपधारा (1) के उपबंधों का हो तो उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा किए जाने वाले निरीक्षण के प्रत्येक अवसर पर एक हजार रुपये का; और
 - (दो) यदि उल्लंघन उपधारा (2) के उपबंधों से संबंधित हो तो किसी व्यापारी के संव्यवहारों में अंतर्वलित माल के संबंध में देय कर की उस रक्षम का, जो कि ऐसे व्यापारी द्वारा अपवंधित कैंग्र ली गई प्रतीत होती हो, तीन गुने से अन्यून किंतु पांच गुने से अनधिक का, भुगतान करने का निदेश दे सकेगा.

स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजन के लिए-

- (एक) "निकासी, अग्रेषण, बुकिंग अभिकर्ता या दलाल" के अंतर्गत वह व्यक्ति आता है, जो रेल्वे परिसरों, (एयर कारगों) संकुल, आधान डिपो, बुकिंग एकेंसी, माल परिवहन कंपनी के कार्यालय या माल लादने या उतारने के स्थान पर माल की निकासी, अग्रेषण या बुकिंग के लिए या माल के परेषण का परिदान लेने के लिए अपनी सेवाएं देता हो या जो किसी फीस, पुरस्कार, कमीशन, पारिश्रमिक या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए या अन्यथा, किसी क्यापारी के लिए या उसकी ओर से सौदे या संविदाओं की प्रकल्पना करता हो, उन्हें करता हो और उन्हें पूरा करता हो.
- (दो) ''माल का परिवहन करने वाला व्यक्ति '' में, स्वामी के अतिरिक्त स्वामी का प्रवंधक. अभिकर्ता, चालक, कर्पचारी, माल लादने या उतारने के स्थान का भारसाधक व्यक्ति, या किसी माल वाहन का जो कि अन्य स्थानों को ऐसा माल ले जा रहा हो, भारसाधक व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति सम्मिलित होगा, जो परेषिती को ऐसे माल के परेषण का परिदान देता हो.

वेंककरी कंपनियों और गैर वैककरी वित्तीय कंपनियों से बावकारी मंगाने की शक्क 63. आयुक्त या उसे सहायता देने के लिए धारा 3 के अधीन नियुक्त किया गया सहायक विक्रय कर अधिकारी की पद श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी का कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, किन्हीं बैंककारी या गैरबैंककारी बित्तीय कंपनियों से या उनके किसी अधिकारी से इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के लिए उपयोगी या सुसंगत कोई जानकारी देने की अपेक्षा कर सकेगा.

अध्याय-12 अपराध तथा शास्तियां

64. (1) कोई भी जो,-

अपराघ तथां शास्तियां.

- (क) धारा 11 या धारा 37 की उपधारा (1) के उपवंधों के उल्लंघन में कर के रूप में किसी स्क्रम का संग्रहण करेगा; या
- (ख) धारा 13 की उपधारा (1) के उपबंधों के उल्लंघन में आगत कर पर रिवेट का दावा करेगा; या
- (ग) (एक) धारा 16 की उपधारा (1) या उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार स्वयं को रजिस्ट्रीकृत नहीं कराएगा; या
 - (दो) धारा 16 की उपधारा (8) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार कोई जानकारी देने में उपेक्षा करेगा; या
- (घ) धारा 19 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार पर्याप्त कारण के बिना कोई विवरणी प्रस्तुत नहीं करेगा या मिथ्या विवरणी प्रस्तुत करेगा या मिथ्या विवरणी देगा; या
- (ङ) युक्तियुक्त कारण के बिना शोध्य कर का भुगतान अनुज्ञात समय के भीतर नहीं करेगा; या
- (च) धारा 41 के अधीन उससे की गई किन्हीं अपेक्षाओं के अनुसार, विक्रयों या क्रयों के लेखा या अभिलेख नहीं रखेगा, या
- (छ) धारा 42 के अधीन अपेक्षित किए गए अनुसार बिल, बीजक या केशमेमों देने अथवा बिल, बीजक या केशमेमों के प्रतिपर्ण रखने या परिरक्षित करने में चूक करेगा या उपेक्षा करेगा; या
- (ज) जानते हुए गलत लेखाओं, रजिस्टरों या दस्तावेजों को पेश करेगा या जानते हुए गलत जानकारी देगा; या
- (झ) धारा 46 या धारा 57 के अधीन उससे की गई किसी अपेक्षा का अनुपालन करने से इंकार करेगा या उसका अनुपालन नहीं करेगा; या
- (ञ) (एक) धारा 58 के अधीन घोषणा फाइल नहीं करेगा;
 - (दो) धारा 58 के अधीन किसी यान की तलाशी रोकेगा या उसमें बाधा डालेगा या किसी माल का निरीक्षण करने में बाधा पहुंचाएगा; या
 - (तीन) धारा 60 या धारा 61 के अधीन किसी यान की तलाशी रोकेगा या उसमें बाधा डालेगा या किसी माल का निरीक्षण करने में बाधा पहुंचायेगा; या
 - (चार) धारा 62 के अधीन जानकारी नहीं देगा या लेखाओं, रजिस्टरों और दस्तावैजों को प्रस्तुत नहीं करेगा; या

हरू कि इन्हें किस के DIP (पांच) धारा 63 द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार जानकरी नहीं देगा या विवरण स्मिन प्राकृति नहीं करेगा; या किस मिन्न क्या के बाह्य के स्वार्थ

- (ट) इस अधिनियम के अधीन विहित सत्यापन या घोषणा में ्सा मिथ्या विवरण देगा जिसके कि मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान है या विश्वास है या जिसके कि सत्य होने का वह विश्वास नहीं करता है तो वह व्यतिक्रम की दशा में और धारा 67 के उपबंधों के अध्ययीन रहते हुए-
 - (एक) (क) खण्ड (ख) या (ङ) के अधीन अपराध के संबंध में ऐसे कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा और ऐसे जुर्मीने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा या जो व्यापारी द्वारा असंदत्त कर की रकम के बरावर हो, इनमें से जो भी अधिक हो; और
 - (ख) खण्ड (घ), (ज) या (ट) के अधीन अपराध के संबंध में ऐसे कारावास से, जो छ: मास तक का हो सकेगा, तथा ऐसे जुर्माने से, जो दो हजार हमये तक का हो सकेगा; और
 - (दो) खण्ड (एक) के अंतर्गत न जाने वाले अपराधों के संबंध में ऐसे कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा, या जुमाने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से:

और जहां ऐसा अपराध, जिसकी बाबत जुर्माना अधिरोपित किया गया है, चालू रहने वाला अपराध है तो अपराध चालू रहने के प्रत्येक दिन के लिए, ऐसे और जुर्माने से जो प्रचास रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा.

स्पष्टीकरण- इस उपधारा के अधीन दण्डित किए जाने के दायित्व के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति व्यापारी या व्यक्ति में अभिप्रेरित होगा,-

- (क) किसी भागीदारी व्यापार संस्था (कन्सर्न) के संबंध में भागीदार;
- (ख) किसी सहकारी सोसाइटी के संबंध में प्रबंधक निकाय का अध्यक्ष तथा सचिव:
- (ग) स्वत्वधारिता वाली किसी व्यापार संस्था (कन्सर्न) के संबंध में स्वत्वधारी;
- (घ) किसी हिन्दू अविभक्त कुटुंब के संबंध में कर्ता या प्रबंधकः और
- (ङ) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 1) के अधीन निगमित किसी कंपनी के संबंध में सचिव, प्रबंधक तथा निदेशक.
- कोई भी न्यायालय इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन दण्डनीय अपराध का संज्ञान, आयुक्त की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं करेगा और प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट के न्यायालय से कोई भी अपर न्यायालय किसी ऐसे अपराध का विचारण नहीं करेगा.

- (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का तं. 2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय समस्त अपराध संज्ञेय तथा जमानतीय होंगे.
- (4) ऐसी शर्तों के अध्ययीन रहते हुए, जो कि विहित की जाएं, आयुक्त, उसकी सहायता करने के लिए धारा 3 के अधीन नियुक्त किए गए किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय समस्त अपराधों का अन्वेषण करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा.
- (5) उपधार (4) के अधीन प्राधिकृत किया गया प्रत्येक व्यक्ति ऐसे अन्वेषण के संचालन में उन शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सं. 2) द्वारा पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को किसी संज्ञेय अपराध के अन्वेषण के लिए प्रदत्त की गई है.

64-B

अञ्याय-13 प्रकीर्ण

65. केन्द्र सरकार या अन्य राज्य सरकारों या ऐसी सरकारों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का कोई विभाग या कार्यालय जो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थिति है या राज्य सरकार या कोई स्थानीय प्राधिकारी या कोई सार्वजनिक उपक्रम किसी व्यापारी के साथ उसके द्वारा तीन लाख रुपये से अधिक मूल्य के माल का विक्रय या प्रदाय करने की संविदा करने के पूर्व ऐसे व्यापारी से यह अपेक्षा करेगा कि वह ऐसे प्ररूप में ऐसे प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाने वाला, ऐसी रीति में, ऐसी कालावधि के लिए तथा ऐसे समय के भीतर जैसा कि विहित किया जाए, कर समाशोधन प्रमाणपत्र पेश करे.

कर समाशोधन प्रमाणपत्र का पेश किया जाना.

66. धारा 55 में यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन पारित किया गया आदेश या आरंभ की गई कार्यवाही किसी सिविल न्यायालय में प्रश्नगत नहीं होगी और धारा 46 तथा 47 में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी ऐसे कर निर्धारण या आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी या पुनरीक्षण के लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जाएगा.

कतिषय कार्यवाहियों का

67. इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी उपबंध के उल्लंघन के लिए कोई भी अभियोजन उन्हीं तथ्यों के संबंध में, जिनके कि आधार पर कोई शास्ति यथास्थिति इस अधिनियम या उक्त नियमों के अधीन अधिरोपित की गई है, उस दशा में संस्थित नहीं किया जाएगा जब कि शास्ति अधिरोपित करने वाले आदेश की तामील की तारीख से छह मास की कालावधि के भीतर शास्ति चुका दी गई है.

कतिपय मामलों में अभियोजन का वर्जन.

68. (1) राज्य सरंकार के किसी भी अधिकारी या सेवक के विरुद्ध, किसी भी ऐसे कार्य के लिए, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किया गया है, या जिसका इस प्रकार किया जाना तात्पर्यित है, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना, कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य कार्यवाहियां नहीं होगी.

सद्भावपूर्वक कार्य करने वाले व्यक्तियों का संरक्षण और वाद तथा अभियोजन की परिसीमा.

- (2) राज्य सरकार का कोई भी अधिकारी या सेवक, किसी भी ऐसे कार्य के संबंध में किसी सिविल या दाण्डिक कार्यवाही के लिए दायीं नहीं होगा, यदि वह कार्य इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित कर्त्तन्यों के निष्पादन या उसे न्यस्त किए गए कृत्यों के निर्वहन के अनुक्रम में सद्भावपूर्वक किया गया था.
- (3) किसी भी ऐसी बात के संबंध में, जो इस अधिनियम के अधीन की गई है या जिसका इस प्रकार किया जाना आशयित है, राज्य मरकार के विरुद्ध कोई भी वाद संस्थित नहीं किया जाएगा और

न राज्य सरकार के किसी भी सेवक के विरुद्ध कोई अभियोजन या वाद संस्थित किया जाएगा, जब तक कि वाद या अभियोजन परिवादित कार्य की तारीख से तीन मास के भीतर संस्थित न किया गया हो :

परंतु इस उपधारा के अधीन परिसीमाकाल की संगणना करने में उपधारा (1) के अधीन मंजूरी अभिप्राप्त करने के लिए लिया गया समय अपवर्जित कर दिया जाएगा.

लोक सेवक द्वारा जानकारी 69. का प्रकटन.

- (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार तैयार किए गए किसी विवरण, दी गई किसी विवरणी, या पेश किए गए किन्हीं लेखाओं या किन्हीं दस्तावेजों में या किसी दण्ड न्यायालय के समक्ष दिए गए साक्ष्य को छोड़कर इस अधिनियम के अधीन अभिलिखित किए गए साक्ष्य में अंतर्विष्ट समस्त विशिष्टियों को, उपधारा (3) में यथा उपबंधित के सिवाय, गोपनीय रखा जीएगा, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का सं. 1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी न्यायालय, यथापूर्वोक्त के सिवाय, राज्य सरकार के किसी सेवक को अपने समक्ष कोई ऐसा विवरण, विवरणी, लेखा, दस्तावेज या अभिलिखत साक्ष्य या उसका कोई भाग, पेश करने या उसके संबंध में साक्ष्य देने के लिए अपेक्षित करने का हकदार नहीं होगा.
- (2) यदि, उपधारा (3) में यथा उपबंधित के सिवाय, राज्य सरकार का कोई सेवक, उपधारा (1) में निर्दिष्ट विशिष्टियों में से किसी विशिष्टि को प्रकट करेगा, तो वह कारावास से, जो छ: मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा.
- (3) इस धारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात निम्नलिखित प्रकटनों को लागू नहीं होगी,-
 - (क) इस अधिनियम के अधीन या इस अधिनियम द्वारा निरसित किए गए अधिनियम के अधीन या भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का सं. 45) के अधीन अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन किसी अन्वेषण या अभियोजन के प्रयोजन के लिए किसी ऐसे विवरण, विवरणी, लेखाओं, दस्तावेजों, साक्ष्य, शपथ-पत्र या अभिसाक्ष्य के संबंध में किन्हीं ऐसी विशिष्टियों के प्रकटन को; या
 - (ख) किसी व्यक्ति को, जिसे इस अधिनियम के उद्देश्य को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिए इस अधिनियम का प्रशासन सौंपा गया है, किए गए किन्हीं ऐसी विशिष्टियों के प्रकटन को; या
 - (ग) किन्हीं ऐसी विशिष्टियों के प्रकटन को जब कि ऐसा प्रकटन किसी सूचना की तामील या किसी मांग की वस्ली के लिए किसी आदेशिका के या इस अधिनियम के अधीन विधिपूर्ण नियोजन के कारण हुआ है; या
 - (घ) किसी सिविल न्यायालय को किए गए किन्हीं ऐसी विशिष्टियों के प्रकटन को जो किसी ऐसे वाद में किया गया है जिसमें सरकार एक पक्षकार हो और जो इस अधिनियम के अधीन, अधिनियम क. 2 सन् 1959 के अधीन या इस अधिनियम द्वारा निरिसत अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही से उद्भृत होने वाले किसी विषय से संबंधित है; या
 - (ङ) किन्हीं ऐसी विशिष्टियों के प्रकटन को, जो इस अधिनियम या इस अधिनियम द्वारा निरिसत अधिनियम द्वारा अधिरोपित कर की प्राप्तियों या जापसी की संपरीक्षा करने के लिए नियुक्त किसी अधिकारी को किया गया है; या

- (च) किन्हीं ऐसी विशिष्टियों के प्रकटन को जहां ऐसी विशिष्टियों विक्रय वर विभाग के किसी पदधारी के आचरण की किसी जांच से सुसंगत है, वहां लोक सेवक (जांच) अधिनियम, 1850 (1850 का सं. 30) के अधीन, आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए किसी व्यक्ति, या किन्हीं व्यक्तियों को या ऐसी जांच करने के लिए अन्यथा नियुक्त किए गए किसी अधिकारों को या संविधान के अधीन स्थापित लोक सेवा आयोग को, जब कि वह ऐसी जांच से उद्भूत होने वाले किसी विषय के संबंध में अपने कृत्य कर रहा हो, किया गया है; या
- (ह) केन्द्र या किसी राज्य सरकार के किसी अधिकारी को किए गए ऐसे तथ्यों के प्रकटन को, जो कि उस सरकार को उसके द्वारा अधिरोपित किसी कर या गुल्क का उद्ग्रहण करने या उसे उगाहने में समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए आवश्यक है; या
- (ज) किन्हीं ऐसी विशिष्टियों के प्रकटन को, जब कि ऐसा प्रकटन किसी लोक सेवक द्वारा अपर्याप्त रूप से स्टाम्पित किसी दस्तावेज को परिबद्ध करने के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं.2) के अधीन उसकी शक्तियों का विधिपूर्ण प्रयोग करने के कारण हुआ है; या
- (झ) यथास्थिति अधिवक्ता, कर विधि व्यवसायी या चार्टर्ड अकाउन्टेंट का व्यवसाय करने वाले सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने के लिए सशक्त प्राधिकारी को किए गए किन्हीं ऐसे विशिष्टियों के प्रकटन को, जहां ऐसी विशिष्टियां ऐसे किसी अधिवक्ता, कर विधि व्यवसायी या चार्टर्ड अकाउन्टेंट के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन या इस अधिनियम द्वारा निरिमत किए गए अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के संबंध में अबचार के आरोप की किसी जांच से सुसंगत है; या
- (ञ) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के संवालक को किए गए किन्हों ऐसी निशिष्टियों के प्रकटन को, जो किसी वस्तु पर कर के भार की गणना करने में या व्यापार, वस्तु या व्यापारियों का कोई सांख्यिकीय सर्वेक्षण करने के लिए उसे समर्थ बनाने के लिए आवश्यक है; या
- (ट) किसी ऐसी जानकारी के इकटीकरण को, जो कि केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार के विभाग के किसी अधिकारी द्वारा किसी लोक सेवज के आचरण एवं कार्यों के अन्वेषण के प्रयोजन के लिए या किसी न्यायालय द्वारा लोक सेवज के किसी ऐसे अभियोजन के संबंध में, जो कि किसी ऐसे अन्वेषण से उत्पन्न हो, अपेक्षित की जाए.
- 20. (1) यदि किसी व्यापारी द्वारा किसी माल के संबंध में कर की दर बाबत कोई प्रश्न उठाया जाता है, तो आयुक्त व्यापारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए बिहित रीति में किए गए आवेदन की प्राप्ति की तारीख से छह मास के भीतर और ऐसी फीस का, जो विहित की जाए, संदाय करने पर ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, जैसी कि बिहित की जाए, ऐसे वाल के संबंध में, कर की दर अवधारित करते हुए आदेश करेगा.
 - (2) आयुक्त को, यदि परिस्थितियां ऐसा समर्थन करें, इस धारा के अधीन पारित किए गए किसी आदेश का पुनर्विलोकन करने तथा ऐसा आदेश पारित करने की शक्ति होगी, जैसा कि आवश्यक समझा जाए;

परन्तु -

(एक) किसी व्यापारी के आवेदन पर पारित किसी पूर्व के आदेश का पुनर्विलोकन तब तक

विवादग्रस्त प्रश्नों का उडाया जाना. नहीं किया जाएगा, जब तक कि, ऐसे व्यापारी को, जिसके कि ऐसे आदेश के पुनर्विलोकन से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना है, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया जाता; और

- (दो) आयुक्त पुनर्विलोकन में कर की दर को कम नहीं करेगा.
- (3) उपधारा (1) तथा (2) के अधीन आयुक्त द्वारा पारित किए गए किसी आदेश का भविष्यलक्षी प्रभाव होगा तथा अपीलों को छोड़कर वह इस अधिनियम के अधीन की समस्त कार्यवाहियों में धारा 3 में निर्दिष्ट प्राधिकारियों पर बंधनकारी होगा.

अध्याय-14

नियम बनाने की शक्ति, निरसन तथा व्यावृत्ति, अस्थाई उपबंध तथा कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.

नियम बनाने की शक्ति. 71. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में पूर्व प्रकाशन के पश्चात् तथा अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी या उसमें कोई संशोधन कर सकेगी :

> परन्तु यदि राज्य सरकार नियम या उसमें कोई संशोधन तत्काल प्रवृत्त करना आवश्यक समझे तो वह ऐसे नियम या उनमें संशोधन राजपत्र में पूर्व प्रकाशन के बिना बना सकेगी/कर सकेगी.

- (2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार, निम्नलिखित को विहित करते हुए नियम बना सकेगी,-
 - (क) ऐसे समस्त विषय, जिनका इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन विहित किया जाना अभिव्यक्त रूप से अपेक्षित है या जो इस अधिनियम के अधीन विहित किए जाएं;
 - (ख) धारा 2 के खंण्ड (ग) के प्रयोजन के लिए सिविल संरचना;
 - (ग) धारा 4 की उपधारा (1) तथा धारा 9 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन सीमा;
 - (घ) वह रीति जिसमें धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन कार्य्वाहियां संस्थित की जाएंगी;
 - (ङ) वह रीति जिसके द्वारा ठेकेदार अथवा उप-ठेकेदार द्वारा धारा 6 की उपधारा (1) के अन्तर्गत कर का भुगतान प्रमाणित किया जावेगा;
 - (च) संदत्त किए जाने हेतु एकमुश्त राशि के अवधारण के प्रयोजन के लिए दर तथा वह रीति जिसमें एकमुश्त राशि अवधारित की जाएगी तथा वह समय जिसके भीतर और वह रीति जिसमें ऐसी एकमुश्त राशि का संदाय धारा 10 की उपधारा (1) एवं उपधारा (2) के अधीन किया जाएगा;
 - (छ) वह रीति तथा कालावधि जिसमें धारा 13 के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा आगत कर पर छूट का दावा किया जाएगा या उसे अनुज्ञात किया जाएगा;

- (ज) (एक) वह रीति जिसमें कोई व्यापारी उपधारा (1) तथा (2) के अधीन स्वयं को रिजस्ट्रीकृत कराएगा और वह कालावधि जिसके भीतर व्यापारी धारा 16 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन स्वयं को रिजस्ट्रीकृत कराएगा, वह प्ररूप तथा रीति जिसमें रिजस्ट्रीकृत प्रमाणपत्र को प्रदान किए जाने के लिए आवेदन धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन किया जाएगा;
 - (दो) धारा 16 की उपधारा (4) के अधीन रिजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्ररूप तथा रिजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र मंजूर किए जाने की रीति और उक्त धारा के अधीन रिजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र मंजूर किए जाने के लिए आवेदन में दी गई विशिष्टियों का सत्यापन;
 - (तीन) वह समय जिसके भीतर तथा वह प्राधिकारी जिसे कारबार की तब्दीलियों के संबंध में जानकारी धारा 16 की उपधारा (8) के अधीन दी जाएगी;
- (चार) धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन करने की रीति तथा आवेदन का प्ररूप एवं धारा 17 (2) के अधीन जारी होने वाले अनन्तिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का प्ररूप;
 - (पांच) धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन रिजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने की रीति एवं प्ररूप;
 - (झ) (एक) नोटिस तामील करने की रीति और वह प्राधिकारीं जिसको वह कालावधि, जिसके लिए वह प्ररूप, वह रीति जिसमें और वे तारीखें जिन तक धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन विवरणियां दी जाएंगी;
 - (दो) वह रीति जिसमें तथा वह समय जिसके भीतर पुनरीक्षित विवरणी धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन दी जाएगी;
 - (तीन) वह प्ररूप तथा वह रीति जिसमें, वह कालावधि जिसके लिए और वह तारीख जिसके द्वारा धारा 19 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन विवरण पत्रक दिए जाएंगे;
 - (चार) धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन वह रीति, जिसमें तथा वह दिनांक जिसकी एवं अधिकारी जिसके समक्ष विवरण पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे;
 - (ञ) (एक) वे शर्ते तथा निर्बन्ध जिनके अध्यधीन रहते हुए किसी वर्ष के भाग के लिए निर्धारण किया जा सकेगा;
 - (दो) उस नोटिस का प्ररूप तथा वह रीति जिसमें कर का निर्धारण/पुन: निर्धारण धारा 21 की उपधारा (4), (5) तथा (6) के अधीन और पुन: निर्धारण धारा 22 के अधीन किया जाएगा;
 - (ट) (एक) वह फीस जिसका भुगतान करने पर कोई कर व्यवसायी या कोई व्यक्ति कर व्यवसायी के रूप में उपसंजात होने के लिए हकदार है धारा 24 की उपधारा
 (3) के अधीन स्वयं को नामांकित कराएगा;
 - (दो) धारा 24 की उपधारा (4) के अधीन नामांकन प्रमाणपत्र का प्ररूप;

- (ठ) (एक) वह रीति जिसमें वह समय जिसके भीतर तथा वे अंतराल जिन पर कर धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन चुकाया जाएगा;
 - (दो) वह रीति जिसमें शोध्य कर की रकम का भुगतान धारा 25 की उपधारा (2) के अधीन सरकार को किया जाएगा तथा वे निबंधन तथा शर्त जिनके अध्यधीन रहते हुए बही समायोजन द्वारा धारा 25 की उपधारा (4) के अधीन भुगतान के लिए अनुज्ञा दी जा सकेगी;
 - (तीन) वह प्रारूप जिसमें धारा 25 की उपधारा (5) के अधीन सूचना जारी की जाएगी;
 - (चार) वे निर्बंधन तथा शर्ते जिनके अध्यधीन रहते हुए आयुक्त द्वारा धारा 25 की उपधारा (7) के अधीन और समय प्रदान किया जा सकेगा;
 - (पांच) वह रीति जिसमें और वह कालावधि जिसके भीतर आयुक्त धारा 25 की उपधारा (11) के अधीन कर के बकाया की वसूली के संबंध में व्यापारी या व्यक्ति तथा प्राधिकारी को इत्तिला देगा;
 - (छः) उस सूचना का परूप तथा वह रीति जिसमें और वह समय जिसके भीतर अग्रिम में देय कर धारा 26 की उपधारा (3) के अधीन चुकाया जाएगा;
 - (सात) वह रीति जिसमें क्रेता या संविदा भाड़े पर देने वाले व्यक्ति द्वारा काटी गई रकम, धारा 27 की उपधारा (4) तथा (5) के अधीन चुकायी तथा समायोजित की जाएगी और धारा 27 की उपधारा (3) के अधीन जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्ररूप तथा रीति जिसमें, वह प्राधिकारी जिसको तथा वह कालाविध जिसके भीतर उक्त धारा की उपधारा (8) के अधीन विवरण दिया जाएगा;
 - (आठ) वह प्ररूप तथा रीति जिसमें, तथा वह प्राधिकारी जिसके द्वारा धारा 28 के अधीन प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा :
 - (नौ) धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन दी जाने वाली सूचना का प्ररूप ;
- (ड) (एक) धारा 37 की उपधारा (3) के अधीन दी जाने वाली सूचना का प्ररूप :
 - (दो) धारा 37 की उपधारा (5) के अधीन सूचना का प्ररूप तथा सूचना के प्रकाशन की रीति :
 - (तीन) उस आवेदन का प्ररूप जिसमें प्रतिदाय का दावा धारा 37 की उपधारा (6) के अधीन किया जा सकेगा ;
- (ढ) वह रीति जिसमें धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन प्रतिदाय किया जाएगा ;
- (ण) वह तारीख जिसके द्वारा लेखा संपरीक्षित किए जाएंगे और वह प्ररूप तथा रीति जिसमें और वह समय जिसके भीतर धारा 41 के अधीन संपरीक्षा की रिपोर्ट दी जाएगी :

- (त) वे विशिष्टियाँ जो धारा 42 के अधीन जारी किए गए बिल, बीजक, केशमेमों में दी जाएगी :
- (थ) वे निर्बन्धन तथा शर्ते जिनके अध्यधीन रहते हुए आयुक्त धारा 43 के अधीन अपनी शक्तियाँ तथा इस अधिनियम के अधीन कर्तव्य प्रत्यायोजित कर सकेगा ;
- (द) धारा 45 की उपधारा (1) के खण्ड (फ) के अधीन प्राधिकारियों और अधिक शक्तियों को विहित किया जाना ;
- (ध) (एक) वह रीति जिसमें अपील धारा 48 तथा धारा 49 की उपधारा (4) और (6) के अधीन फाइल की जा सकेगी;
 - (दो) अपील उप आयुक्त या बोर्ड द्वारा धारा 48 की उपधारा (6) के अधीन अपीलों का निपटारा करने में अनुसरण करने के लिए प्रक्रिया ;
 - (तीन) धारा 49 की उपधारा (3) के अधीन सूचना का प्ररूप ;
 - (चार) धारा 48, 49 या 56 के अधीन अपीलों, पुनरीक्षण संबंधी आवेदनों के निपटारे या भूल के परिशोधन के लिए और इस अधिनियम के अधीन अनुतोष के लिए प्रकीर्ण आवेदनों या याचिकाओं के निपटारे के लिए प्रक्रिया तथा फीस को सम्मिलित करते हुए उससे आनुषंगिक अन्य विषय ;
- (न) ऐसे न्यायालय फीस स्टाम्पों का मूल्य जो धारा 51 के अधीन अपील या पुनरीक्षण संबंधी आवेदन पर लगाये जाएंगे ;
- (प) धारा 54 की उपधारा (2) के अधीन जारी की जाने वाली सूचना का प्ररूप ;
- (फ) धारा 56 की उपधारा (1) के परंतुक के खण्ड (दो) के अधीन सूचना देने का प्ररूप ;
- (ब) (एक) धारा 57 की उपधारा (3) के अधीन वे शर्तें जिनके अध्यधीन रहते हुए, आयुक्त लेखा, रजिस्टर या दस्तावेज पेश करने अथवा अन्य जानकारी देने की अपेक्षा कर सकेगा :
 - (दो) धारा 57 की उपधारा (6) के खण्ड (ख) के अधीन तामील की जाने वाली सूचना का प्ररूप ;
 - (तीन) रीति जिसके अनुसार धारा 57 की उपधारा (6) के खण्ड (च) के अधीन माल का व्ययन किया जाएगा ;
 - (चार) (क) वह रीति जिसमें जांच चौिकयां स्थापित की जाएंगी या नाके (बेरियर्स) बनाए जाएंगे, वह रीति जिसमें और वह फीस जिसका भुगतान करने पर घोषणाषत्र अभिप्राप्त किया जायेगा, वह प्ररूप तथा रीति जिसमें घोषणा तथा अन्य दस्तावेज परिदत्त किए जाएंगे या फाइल किए जाएंगे, वह रीति जिसमें माल अभिगृहीत किया जाएगा या निर्मुक्त किया जाएगा, सूचना तामील किए जाने का प्ररूप, वह रीति जिसमें शास्ति जमा की जाएगी, वह रीति जिसमें अभिगृहीत माल बेचा जाएगा, वह

कालावधि जिस तक घोषणा तथा अन्य दस्तावेजें धारा 58 के अधीन परेषिती द्वारा रखें जाएंगे;

- (ख) वे निर्बन्धन जिनके अधीन रहते हुए धारा 58 के अधीन किसी यान को रोका जा सकेगा;
- (ग) वह प्ररूप तथा रीति जिसमें धारा 59 के अधीन पास अभिप्राप्त होगा;
- (घ) वह प्राधिकारी जिसे, वह समय जिसके भीतर तथा वह प्ररूप जिसमें धारा 62 के अधीन जानकारी दी जाएगी;
- (भ) ं वे शर्तें जिनके अध्यधीन रहते हुए, आयुक्त उसकी सहायता के लिए धारा 3 के अधीन नियुक्त किए गए व्यक्तियों को इस अधिनियम के अधीन समस्त अपराधों का धारा 64 की उपधारा (4) के अधीन अन्वेषण करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा;
- (म) वह प्ररूप तथा वह रीति जिसमें, वह प्राधिकारी जिसके द्वारा वह समय जिसके भीतर तथा वह कालावधि जिसके लिए कर समाशोधन प्रमाणपत्र धारा 65 के अधीन जारी किया जाएगा;
- (य) वह प्ररूप तथा वह रीति जिसमें प्राधिकारी को आवेदन किया जाएगा तथा वह प्रक्रिया जिसके अनुसार प्राधिकारी धारा 70 के अधीन कोई आदेश पारित करेगा;
 - (क-1)(एक) वह रीति तथा वह कालावधि जिसमें आगत कर धारा 73 के अधीन किया जाएगा या अनुज्ञात किया जाएगा ;
 - (दो) वह प्ररूप तथा रीति जिसमें तथा वह कालावधि जिसके भीतर माल के भण्डारण (स्टाक) के ब्यौरे धारा 73 की उपधारा (1) के अधीन दिए जाएंगे;
 - (ख-1)(एक) इस अधिनियम के अधीन कैसे तथा कितने समय के भीतर, आवेदन किए जाएंगे जानकारी दी जाएगी और सूचना तामील की जाएगी;
 - (दो) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रवर्तित करने के प्रयोजन के लिये नियुक्त किए गए अधिकारियों के कर्तव्य तथा उनकी शक्तियां; और
 - (तीन) साधारणतः इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया का विनियमन और उक्त कार्यवाहियों में प्रयुक्त किए जाने वाले प्ररूप;
- (3) इस धारा के अधीन नियम बनाने की शक्ति में वह शक्ति भी सम्मिलित है कि नियमों को या उनमें से किसी भी नियम को किसी ऐसी तारीख से, जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से पूर्वत्र न हो, भूतलक्षी प्रभाव दिया जाए;
- (4) कोई भी नियम बनाते समय राज्य सरकार यह निर्देश दे सकेगी कि-

- (क) उसका भंग, जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये से अधिक न हो, और यदि अपराध चालू रहने वाला है, तो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें कि अपराध चालू रहता है; ऐसे जुमिन से, जो पच्चीस रुपये से अधिक न हो, दण्डनीय होगा; और
- (ख) किसी नियम के उल्लंघन के संबंध में आयुक्त ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो पांच सौ रुपये से अधिक न हो;

परंतु ऐसी कोई भी शास्ति संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना अधिरोपित नहीं की जाएगी.

- (5) इस धारा के अधीन बनाए गए समस्त नियम, उनके बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र विधान सभा के पटल पर रखे जाएंगे.
- 72. छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिरसन तथा व्यावृत्ति. तारीखं को निरसित हो जाएगा;

परन्तु अस्ता कर । - , जी शिक्षाकि के भिन्नी की कर

(एक) ऐसे निरसन से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा,-

(क) इस प्रकार निरिसत अधिनियम या अधिनियम क्रमांक 5 सन् 1995 द्वारा निरिसत अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1959 (जो इसमें इसके पश्चात् निरिसत अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) के पूर्व प्रवर्तन पर या उसके अधीन सम्यक् रूप से की गई या भुगती गई. किसी बात पर; या

deleta (a)
paperase(15)

किसी ऐसे रिजस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा जिसने राज्य में नई औद्योगिक इकाई, स्थापित की है या जिसने ऐसी औद्योगिक इकाई का विस्तार, आधुनिकीकरण या शबलीकरण कर दिया था, कर के भुगतान से छूट के तौर पर औद्योगिक रियायत की सुविधा का लाभ उठाने के लिये उस अधिनियम के अधीन उद्भूत अधिकार या प्राधिकार जिसे इस अधिनियम के प्रारंभ होने के दिनांक से, इस हेतु जारी अधिसूचना द्वारा कर के भुगतान के आस्थगन की सुविधा में परिवर्तित किया जायेगा, के सिवाय किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार बाध्यता या दायित्व पर जो निरिसत अधिनियम के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किया गया हो;

- (ग) निरसित अधिनियम के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के संबंध में उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दण्ड पर; या
- (घ) किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व के संबंध में किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार पर, तथा ऐसा अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार संस्थित किया जा सकेगा, जारी रखी जा सकेगी या प्रवर्तित किया जा सकेगा तथा किसी ऐसी शास्ति, समपहरण या दण्ड को इस प्रकार अधिरोपित किया जा सकेगा मानो कि वह अधिनियम पारित ही नहीं किया गया था तथा उक्त अधिनियम निरसित ही नहीं किया गया था.
- (दो) जब तक कि वह अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित न हो, निरसित अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए की गई कोई बात या की गई किसी कार्यवाही (जिसके अंतर्गत कोई नियुक्त, अधिसूचना, सूचना, आदेश, नियम, प्रारूप, विनियम या प्रमाणपत्र

आता है) जहां तक कि वह इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं है, जब तक और जहां तक कि वह इस अधिनियम के द्वारा उसके अधीन अतिष्ठित न कर दी गई हो, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए की गई समझी जाएगी मानो कि यह अधिनियम उस तारीख को प्रवृत्त था जबिक ऐसी बात या कार्यवाही की गई थी और इस अधिनियम के प्रारंभ होने के समय कर के समस्त बकाया तथा शोध्य अन्य रकमें उसी प्रकार वसूल की जा सकेंगी मानो कि वे इस अधिनियम के अधीन प्रोद्भूत हुई है.

- (तीन) निरसित अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन कोई कर निर्धारण, अपील, पुनरीक्षण या उद्भूत होने वाली अन्य कार्यवाहियां तथा/या इस नियम के ठीक पूर्व कर निर्धारण करने या सुनवाई करने तथा विनिश्चित करने के लिए सम्यक्रूपेण सशक्त किसी अधिकारी या प्राधिकारी के समक्ष लंबित ऐसी अपील, पुनरीक्षण, अन्य कार्यवाही ऐसे प्रारंभ होने की तारीख को इस अधिनियम के अधीन कर निर्धारण करने या अपील या पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाहियों की इसके लिए विनिर्दिष्ट कालावधि, यदि कोई हो, के भीतर सुनवाई करने तथा विनिश्चित करने के लिए सक्षम अधिकारी या प्राधिकारी को अंतरित की जाएगी और तदपरि ऐसा कर निर्धारण निरसित अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा तथा ऐसी अपील या पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही की सुनवाई तथा उसका विनिश्चय ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार किया जाएगा मानो कि वे निरसित अधिनियम के प्रयोजन के अधीन सम्यक्रूप से सशक्त है.
- (चार) (क) निरसित अधिनियम की धारा 70 की उपधारा (1) के अधीन किसी व्यापारी या आयुक्त द्वारा उच्च न्यायालय को निर्दिष्ट करने के लिए अधिकरण को प्रस्तुत कोई आवेदनः या
 - निरसित अधिनियम की धारा 70 की उपधारा (2) के अधीन किया गया कोई ऐसा आवेदन; या
 - उच्च न्यायालय को निरसित अधिनियम की धारा 70 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किया गया कोई निदेश,

यदि इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख को लंबित है तो निरसित अधिनियम की धारा 70 के उपबंधों के अनुसार यथास्थिति, बोर्ड या उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार निपटाया जाएगा मानो कि यह अधिनियम पारित ही नहीं किया गया था और उक्त अधिनियम निरसित ही नहीं किया गया था.

(पांच) खण्ड (एक) में अंतर्विष्टि किसी बात के होते हुए भी, किसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाहियां जो निरसित अधिनियम के अधीन उद्भूत हों किन्तु इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात् प्रस्तुत की गई या आरंभ की गई है तो वह इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाहियां ग्रहण करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुनवाई की जाएगी तथा उसका विनिश्चय किया जाएगा.

संक्रमण कालीन उपबंध.

73. (1) जहां कोई रजिस्टीकृत व्यापारी इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख को अनुसूची-2 में

विनिर्दिष्ट किसी माल का स्टाक (भण्डारण) रखता है तो, वह उसकी विशिष्टियां ऐसे प्ररूप में, ऐसी कालावधि के भीतर, ऐसी रीति में तथा ऐसे प्राधिकारी को, जैसा कि विहित किया जाए, प्रस्तुत करेगा.

जहां इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख को इस अधिनियम की अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट कोई ऐसा माल रजिस्टीकृत व्यापारी द्वारा स्टाक में धारित किया गया है जो इस अधिनियम द्वारा निरसित किए गए अधिनियम के अर्थ के अंतर्गत करदत्त माल है और जो उसके द्वारा उक्त तारीख को या उसके पश्चात् छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर या अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में विक्रय के लिए है तो ऐसे माल के संबंध में, ऐसी रीति में तथा ऐसी कालावधि के भीतर, जैसी कि विहित की जाए, आगत कर के रिवेट का दावा निम्नानुसार करेगा या उसे ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा,-

- (एक) यदि माल राज्य के भीतर विक्रित हुआ है तो अनुसूची-दो के कालम (3) में विनिर्दिष्ट दर पर; तथा
- (दो) यदि ऐसा माल अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में विक्रित किया गया है, तो बार प्रतिशत की दर पर या अनुसूची दो के कालम (३) में विनिर्दिष्ट दर पर जो भी कम हो;
- (3) (क) जहां रिजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख को इस अधिनियम की अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट स्टाक में धारित किया गया कोई माल अनुसूची-तीन में विनिर्दिष्ट माल से भिन्न करदत्त माल से विनिर्मित माल है, अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट किसी माल को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया है या पेकिंग मटोरियल या खनन में विस्फोटक के रूप में उपयोग या उपभोग किया है तो ऐसा व्यापारी उक्त तारीख को या उसके छत्तीसगढ़ राज्य में अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में विक्रय के लिए ऐसे करदत्त माल के संबंध में अनुसूची-दो के कालम (3) में विनिर्दिष्ट दर या ऐसी दर पर जिस पर इस अधिनियम के द्वारा निर्रासित अधिनियम के अधीन धारित कर जो भी कम हो, आगत कर के रिबेट का दावा ऐसी रीति में तथा ऐसी कालाविध के भीतर जैसी कि विहित की जाए, करेगा या उसे ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा.
 - (ख) जहां इस अधिनियम के प्रारंभ होने की पूर्व तारीख को अनुसूची-3 में विनिर्दिष्ट माल से भिन्न अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट कोई पाल स्टाक में धारित किया गया करदत्त माल है, व्यापारी द्वारा अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट किसी कच्चे माल के रूप में उपयोग या उपभोग किया गया है या पेकिंग मटेरियल के रूप में उपयोग किया गया है या खनन के लिए विस्फोटक के रूप में उपयोग किया गया है, छत्तीसगढ़ राज्य में या अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में उसके द्वारा विक्रय के लिए किया गया है, तो वहां अनुसूची-दो के कालम (3) में विनिर्दिष्ट की गई दर से या ऐसी दर से जो इस अधिनियम द्वारा निरिसत अधिनियम के अधीन करदत्त माल के संबंध में कर बहन किया गया था, इनमें से जो भी निम्न हो, आगत कर के रिबेट का दावा ऐसी रिति में और कालावधि के भीतर जैसी कि विहित की जाए, या उसे ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा.

इस अधिनियम द्वारा निरिंसत अधिनियम के अर्थ के अंतर्गत करदत्त माल का उक्त तारीख को या उसके पश्चात् विक्रय, इस अधिनियम की धारा १ के खण्ड (दो) के अधीन, कर योग्य नहीं होगा.

स्पष्टीकरण- इस खण्ड के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति "कच्चा माल" तथा "करदत्त माल" का वहीं अर्थ होगा जो इस अधिनियम द्वारा निरिमत अधिनियम की धारा 2 के खण्ड क्रमशः (द) तथा (भ) में उनके लिए दिया गया है.

74. यदि इस अधिनियम के किसी भी उपबंध को कार्यान्वित करने में धारा 72 द्वारा निरित्तत अधिनियम के तत्स्थानी उपबंध से उक्त उपबंधों में संक्रमण होने के परिणामस्वरूप कोई शंका या कठिनाई उत्पन्न होती है तो साय सरकार, इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से दो वर्ष के भीतर राजपत्र में अधिसूचित आदेश हारा, इस अधिनियम से अनसंगत ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो कि शंका या कठिनाई दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों.

कठिगाई ट्रा करने की शक्ति.

10-

* Lit SON ATERON

214161

अनुसूची-1 (धारा 15 देखिए)

अनुक्रमांक (1)	माल का वर्णन (2)	शर्ते तथा अपवाद (3)
1.	शारीरिक रूप से कार्यान्वित या पशुओं द्वारा चलाए जाने वाले कृषि उपकरण	
2.	विकलांग व्यक्तियों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले सहायक तथा उपकरण	
3.	जलीय खाद्य, कुक्कुट खाद्य जिसमें घास, सूखी घास तथा भूसा सम्मिलित है	
4.	पान	
5.	ं पुस्तकें, नियतकालीन पत्रिकाएं (पीरियाडिकल्स) तथा जरनल्स	
6.	चरखा तथा अम्बर चरखा, हाथ करघे (हैंडलूम्स) और हाथ करघा फेब्रिक तथा गांधी टोपी.	
7.	चारकोल	
8.	धान, चावल और गेहूँ से भिन्न अपरिष्कृत अनाज	
9.	कंडोम और गर्भनिरोधक (कन्ट्रासेपटिब्ज)	
10.	काटन तथा लच्छी में सिल्क यार्न	
11.	दही, लस्सी, मक्खन, दूध तथा सेपरेटा दूध	
12.	मिट्टी के बर्तन	
13.	विद्युत ऊर्जा	
14.	जलाऊ लकड़ी (फायर बुड)	
15.	मत्स्य जाल तथा बुना हुआ जाल	
16.	ताजा दूध तथा कीटाणु रहित दूध	
17.	ताजी वनस्पति नया पौधा तथा ताजे फूल	
18.	ताजी सब्जी तथा फल	
19.	अदरक तथा लहसुन	

(1) (2) 20. कांच की चुड़ियां 21. मानव रक्त तथा मानव रक्त प्लाज्मा 22. हाथ से बनाए हुए स्वदेशी बाद्य बन्त्र 23. कुमकुम, बिंदी, आल्ता, सिंदूर 24. मांस मछली झींगा तथा अन्य जलीय उत्पाद जब अभिसाधित या स्तम्भित न हों अण्डे और पशुधन तथा पशुओं के बाल. 25. राष्ट्रीय ध्वज 26. सरकारी खजाने द्वारा बेचे गए न्यायिकेत्तर स्टाम्प पेपर सरकार सादा कागज	(3)
 21. मानव रक्त तथा मानव रक्त प्लाज्मा 22. हाथ से बनाए हुए स्वदेशी बाद्य यन्त्र 23. कुमकुम, बिंदी, आल्ता, सिंद्र 24. मांस मछली झींगा तथा अन्य जलीय उत्पाद जब अभिसाधित या स्तम्भित न हों अण्डे और पशुधन तथा पशुओं के बाल. 25. राष्ट्रीय ध्वज 	
 22. हाथ से बनाए हुए स्वदेशी वाद्य यन्त्र 23. कुमकुम, बिंदी, आल्ता, सिंद्र 24. मांस मछली झींगा तथा अन्य जलीय उत्पाद जब अभिसाधित या स्तम्भित न हों अण्डे और पशुधन तथा पशुओं के बाल. 25. राष्ट्रीय ध्वज 	
23. कुमकुम, बिंदी, आल्ता, सिंद्र 24. मांस मछली झींगा तथा अन्य जलीय उत्पाद जब अभिसाधित या स्तम्भित न हों अण्डे और पशुधन तथा पशुओं के बाल. 25. राष्ट्रीय ध्वज	
24. मांस मछली झींगा तथा अन्य जलीय उत्पाद जब अभिसाधित या स्तम्भित न हों अण्डे और पशुधन तथा पशुओं के बाल. 25. राष्ट्रीय ध्वज	
अण्डे और पशुधन तथा पशुओं के बाल. 25. राष्ट्रीय ध्वज	
26. सरकारी खजाने द्वारा बेचे गए न्यायिकेत्तर स्टाम्प पेपर सरकार सादा कागज	
सामान्यतः वेष्ट पत्र (चित्रण पत्र) द्वारा बेची गई डाक सामग्री जैसे लिफाफे, पोस्टकार्ड आदि रूपया नोट जब रिजर्व बैंक आफ इंडिया को बेचे जाएं तथा चैक खुले हुए या पुस्तक प्ररूप में .	
27. कार्बनिक खाद जिसमें गोबर सम्मिलित है	
28. कच्ची ऊन	
29. वीर्य जिसमें स्तंभित वीर्य सम्मिलित है	
30. रेशम कृमि पालन कोया (कनून) तथा कच्चा रेशम	
31. स्लेट तथा स्लेट पेंसिल्स	
32. कच्चा हरा नारियल	
33. ताड़ी नीरा तथा अर्क	
34. बिना मार्क वाली ब्रेड	
35. गैर संधारित तथा बिना मार्क वाला नमक	
36. (एक) वातित खनिज आसूत औषधीय आयनिक बैट्री अवातितजल, तथा	
(दो) सीलबंद साधनों में बेचे जाने वाले जल को छोड़कर अन्य जल	

अनुसूची-2

भाग-1

क्रमांक	विवरण	धारा 8 (एक) के अधीन कर की दर %	धारा 8 (दो) के अधीन कर की दर %
(1)	(2)	(प्रतिशत) (3)	(प्रतिशत) (4)
1.	सोने तथा चांदी की वस्तुएं जिनमें सिक्के बुलियन तथा सिक्के (स्पेसी) सम्मिलित है.	1	
2	निजी पहनने के सोने तथा चांदी के आभूषण	1	
3.	बहुमूल्य रत्न जैसे-हीरा, पन्ना, माणिक, मोती तथा नीलम चाहे वे पृथक से या किसी ऐसी वस्तु के भाग के रूप में जिसमें वे जड़े हों बेचे जाए.	1	

	भाग-2		
क्रमांक	विवरण	धारा ४ (एक)	धारा 8 (दी) के
		के अधीन कर	अधीन कर की
		看 京 %	्र वर % (प्रतिशत)
		(प्रतिशत)	
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	कृषि उपकरण शारीरिक रूप से कार्यान्वित नहीं	4	A said the
	किए जाने वाले या पशुओं द्वारा नहीं चलाए जाने		
	वाले.		N. C.
2.	संसूचना के समस्त उपस्कर जैसे-प्राइवेट ब्रांच	4	
	एक्सचेंज (पी बी एक्स) तथा इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट		
	आटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज (ई पी बी एक्स).		
3.	समस्त अभौतिक वस्तुएं जैसे कापीराइट पेटेंट रीप	4	
	लायसेंस इत्यादि.		
4.	सभी प्रकार की ईंटें जिसमें उड़ने वाली राख से	4	
	बनी ईंट ऊष्मसह ईंट असफाल्टिक रूफिंग मिट्टी		
	के टाइल्स सम्मिलित है.	THE TAXABLE AND THE	
5.	सभी प्रकार का सूत हाथ से बने कपास तथा	4	
	रेशम का सूत तथा सीने का धागा छोड़कर.		
6.	एल्युमीनियम के बर्तन तथा कलई किए हुए बर्तन	4	
7.	सुपारी पावडर तथा सुपारी	4	
8.	बांस	4	
9.	बियरिंग	4	
10.	, पट्टा (बेलटिग्स)	4	
11.	बायसिकल ट्रायसिकल सायकिल स्किशा तथा	4	
	उसके पुर्जे.		
12.	डामर	4	
13.	अस्थिचूर्ण	4 7	,
14.	मार्क वाली ब्रेड	4.	
15.	थोक औषधि	4	
16.	पूंजीगत माल जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा	4	
	विनिर्दिष्ट करे.		
17.	ढलाई (कास्टिंग)	4	
18.	सेन्ट्रीपयूगल तथा मोनोब्लाक सबमर्सीबल पंप तथा	4	
2.57	उसके पुर्जे.		
19.	काफी तथा काफी के बीच कोकोआ पोड़ हरी	4	
	चाय पत्ती तथा चिकोरी (कासनी).		
20.	रासायनियक खादें नाशक जीवमार (पेस्टीसाइड)	4	
20.	घासफूस नाशक दवाइयां (बीडी साइड्स) तथा कीटनाशक		
	द्वाइयां (इन्टसेक्टिसाइड्स).	in antible	
21.	कॉयर तथा कॉयर उत्पाद जिसमें कॉयर के गद्दे	4	10 mg
21,	सम्मिलित नहीं हैं.		
22.	कपास तथा काटन वेस्ट	4	to the state of th
23.	कुठाली (कुसीबल्स)	4	
43.	grown (Quantum)		

(1)	(2)	(3)	(4)
24.	केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 की धारा 14	4	
	में यथानिर्दिष्ट घोषित माल.		
25.	खाने का तेल खली (आइल केक) तेलरहित खली	4	*
26	इलेक्ट्रोड्स	4	
27.	अभ्यास पुस्तकें (एक्सरसाइज बुक्स) ग्राफ बुक्स	4	
	तथा प्रयोगशाला (लेबोरेट्री) नोटबुक.		
28.	ढली हुई लौह और अलौह धातु तथा एलायस	15 4	
	अलौह जैसे एल्युमिनियम तांबा जस्ता तथा उनके		
	बहिबंधन.		
29.	सभी प्रकार के फाइबर तथा फाइबर क्षेप्य	4	
30.	पिसान (फ्लोर) आटा, मैदा, सूजी, बेसन आदि	4	
31.	तले चने	4	
32.	गुड़ खांड तथा खाने योग्य राब गुड़ की किस्म	4 . 1 . 1 . 1	
33.	हैण्ड पंप तथा अतिरिक्त पुर्जे	The PET 4 Test time	16.134
34.	जड़ी छाल सूखी वनस्पति सूखी जड़ सामान्यत:	4 - 4	
	जो जड़ीबूटी .तथा सूखे फूल के रूप में जानी		
	जाती है.		
35.	होस पाइप	4	
36.	होजरी का माल	4	4
37.	भूसी तथा धान्यों की चोकर	4	
38.	बर्फ	4	
39.	धूपबत्ती सामान्यतः जो अगरबत्ती धूपकाड़ी या	4	
	धूपबत्ती के नाम से जानी जाती है.		
40.	औद्योगिक केबल्स (उच्चताप केबल्स एक्स एल पी	4	7 707
	ई केबल्स जलीफील्ड केबल्स आप्टीकल फाइबर्स).		
41.	आई टी उत्पाद जिनमें सम्मिलित है कम्प्युटर	4	-
	टेलीफोन तथा उसके पुर्जे टेलीप्रिंटर और		
	वायरलेस उपकरण तथा उसके पुर्जे.		
42.	पी डी एस द्वारा बेचा गया केरोसिन तेल	4	
43.	पत्तों से बनी प्लेट तथा कप	4	
44.	राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित औद्योंगिक	4	
	आगत तथा पेकिंग सामग्री.		
45.	मुरमुरालु (मुर्रा) पिलालु (लाई) अटुकुलू पफ्ड राइस (पोह	त) मुरी. 4	
46.	निवार	4	
47.	नेपास्लेब (रफ फ्लेरिंग स्टोन)	4	
48.	अयस्क तथा खनिज	4	
49.	धान चांवल गेहूँ तथा दालें	4	STATE OF
50.	पेपर तथा न्युजप्रिंट	4	BUILDING &
51.	सभी प्रकार के पाइप जिसमें जी आई पाइप सी	4	112 MILES
	आई पाइप डक्टाइल पाइप तथा पी वी सी पाइप	Maria Carlo Santa Contractor	
	सम्मिलित हैं.		
52.	प्लास्टिक पदत्राण (फुटवियर)	4	- 1

(1)	(2)	(3)	(4)
	छपी हुई सामग्री जिसमें सम्मिलित हैं डायरी	4	-
53.	कलैंडर इत्यादि.		
	कलंडर इत्यादिः छापे की स्याही टोनर कारतूसों को छोड़कर	4	
54.	संधारित तथा मार्क वाला नमक	4	2
55.	बांस लकड़ी तथा कागज की लुगदी	4	
56.	रेल के डिब्बे इंजन तथा वेंगन	4	
57.	बने बनाए वस्त्र	4	
58.	नवीकरणीय ऊर्जासाधन तथा अतिरिक्त पुर्जे	4	
59.	माचिस (सेफ्टी मैचेस)	4	
60.	बीज	4.	
61.	सिलाई मशीन	4	100
62.	जहाज तथा अन्य जलयान	4	
63.	रेशमी कपड़े	4	
64.	मलाई निकला हुआ दूध पावडर	4	1
65.	जैव शोधक्षम तेल से भिन्न शोधक्षम तेल	4	T (T)
66.	(आगैनिक सालवेंट आइल से भिन्न सालवेंट		
	आइल).		
67.	सभी प्रकार तथा सभी किस्म के गर्म मसाले	4	
07.	जिनमें जीरा, बीज, सौंफ, हल्दी तथा सूखी		
	मिर्च सम्मिलित है.	CONTRACTOR	
68.	पहनने के परिधान तथा पदत्राण (फुटवियर) को	4	
00.	छोड़कर खेल का सामान.		
69.	स्टार्च	4	
70.	शक्कर तथा खांड़सारी	4	-
71.	इमली	4	
72.	टेक्सटाइल फेब्रिक्स	4	
73.	तम्बाकू तथा तम्बाकू के उत्पाद	4	
74.	ट्रेक्टर हारवेस्टर तथा अनुलग्नक तथा उसके पुर्जे	4	
75.	ट्रांसिमशन टावर	4	3 7
76.	उद्यान छाते से भिन्न छाता	4	
77.	वनस्पति (उद्जनित वनस्पति तेल)	4	-
78	वनस्पति तेल जिसमें जिंगली तेल तथा भूसी का तेल सम्मिलित है	4	
79.	लेखन यंत्र	4	-

भाग-3

क्रमांक	विवरण	धारा ८ (एक) के अधीन कर की दर % (प्रतिशत)	धारा 8 (दो) के अधीन कर की दर % (प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	डीवल		25
2	पेट्रोल		25
3.	एबीएशन टरबाईन प्यूल जो केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 (1956 का 74) की धारा 14 के खण्ड (दो-घ) में विनिर्दिष्ट किए गए से भिन्न है.		25
4.	प्राकृतिक गैस		. 25

भाग-4 -

क्रमांक	विवरण	धारा 8 (एक) के अधीन कर की दर % (प्रतिशत)	धारा 8 (दो) के अधीन कर की दर % (प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	तेंदू पत्ता	12.5	12.5

भाग-5

इमांक	विवरण		धारा 8 (एक) के अधीन कर	धारा 8 (दो) के अधीन कर की
			की दर % (प्रतिशत)	दर % (प्रतिशत)
(1)	(2)	13.	(3)	(4)
L	म्हम्भत अन्व माल जो अनुसूची-1 तथा इस अनुसूची के भाग-एक से चार के अंतर्गत नहीं "		12.5	

अनुसूची-3 (धारा 13 देखिए)

東中南 (1)	माल का विवरण (2)	
1:	पेट्रोल डीजल एवीएशन टरबाइन पयुल प्राकृतिक गैस करोसिन तरलीकृत पेट्रोलियम गैस तथा कन्प्रेस्ड प्राकृतिक गैस.	
2.	ऐसा अन्य माल जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए	

रायपुर, दिनांक 11 मार्च 2005

क्रमांक एफ 2127/21-अ/प्रारुपण/05.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित अधिनिधम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 2 of 2005)

The Chhattisgarh Value Added Sales Tax Act, 2005

Table of contents

Chapter Section Particulars

Chapter I - Preliminary

- 1. Short title, extent and commencement.
- Definitions.

Chapter II - Taxing Authorities

Taxing authorities and other officers.

Chapter III - Incidence of tax -

- 4. Incidence of tax.
- 5. Determination of liability to pay tax.
- 6. Joint and several liability of certain class of dealers.
- 7. Liability of a dealer registered under Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956) to pay tax.

Chapter IV - Levy of tax

- Levy of tax.
- 9. Levy of purchase tax.
- 10. Composition of tax.
- Dealer not to pass incidence of tax to agriculturists and horticulturists under certain circumstances.
- 12. Rate of tax on container or packing material.
- 13. Rebate of input tax.
- 14. Burden of proof.
- 15. Tax free goods.

Chapter V-Registration of dealers

- 16. Registration of dealers
- 17. Provisional registration of intending manufactures
- 18. Registration of persons liable for tax deduction at source

Chapter VI-Returns Assessment, Payment and Recovery of Tax

- 19. Returns.
- Returns to be furnished by a person liable for tax deduction at source.
- 21. Assessment of tax.
- Assessment / reassessment of tax in certain circumstances.
- Exclusion of time in assessment proceedings.
- Appearance before taxing authorities.
- 25. Payment and recovery of tax, interest, penalty and other dues.
- 26. Payment of tax in advance of assessment on failure to furnish returns.
- Deduction and payment of tax in certain cases.
- 28. Saving for person responsible for deduction of tax at source.

- 29. Special mode of recovery.
- 30. Payment of tax in case of transfer or discontinuance of business.
- 31. Liability of firms.
- Transfers to defraud revenue void.
- Assessment/re-assessment of legal representatives.
- Assessment in special cases.
- Tax to be first charge.
- 36. Power to set aside an ex-parte order.
- Collection of tax by dealers.
- 38. Sales not liable to tax.

Chapter VII - Refund of Tax

- 39. Refunds.
- 40. Power to withhold refund in certain cases.

Chapter VIII - Accounts and Issue of bills, invoices or cash memoranda

- 41. Accounts.
- 42. Dealers to issue bills, invoices or cash memoranda.

Chapter IX -Certain powers of the Commissioner and delegation by the Commissioner

- 43. Delegation of Commissioner's powers and duties.
- Transfer of proceedings.
- 45. Power of commissioner and his assistants to take evidence on oath etc.
- 46. Power of commissioner to call for information in certain cases.
- 47. Power of commissioner to stay proceedings.

Chapter X -Appeals, Revisions and Rectification

- 48. Appeal.
- 49. Power of revision by commissioner.
- 50. Additional evidence in appeal or revision.
- 51. Court fee stamps on memorandum of appeal and application for revision.
- 52. Application of sections 4 and 12 of Limitation Act, 1963.
- 53. Extension of period of limitation in certain cases.
- 54. Power of commissioner or Appellate Deputy Commissioner or the Board to impose penalty in certain circumstances.
- 55. Statement of case to High Court.
- 56. Rectification of mistakes.

Chapter XI -Detection and prevention of tax evasion

- 57. Constitution of a committee for detection and checking of evasion of tax by dealers liable to pay tax and power of the commissioner to act suo motu or upon the report of such committee to investigate in to the tax evasion by a dealer.
- 58. Establishment of check post or erection of barriers.
- 59. Transit of goods by road through the State and issue of transit pass.
- 60. Power to check goods at the point of loading and unloading.
- 61. Power to check goods in transit.
- 62. Control on clearing, forwarding or booking agent and any person transporting goods and furnishing of information by such agent or person.

63. Power to call for information from Banking and non-banking financial Companies.

Chapter XII- Offences and Penalties

64. Offences and Penalties.

Chapter XIII - Miscellaneous

- 65. Production of Tax Clearance Certificate.
- 66. Bar to Certain Proceedings.
- 67. Bar of prosecution in certain cases.
- 68. Protection of persons acting in good faith and limitation of suit and prosecution.
- 69. Disclosure of information by public servant.
- 70. Determination of disputed questions.

Chapter XIV- Power to make rules, Repeal and Saving, transitory provisions and power to remove difficulties.

- 71. Power to make rules.
- 72. Repeal and savings.
- 73. Transitory provisions.
- 74. Power to remove difficulties.

Schedule I

Schedule II

Schedule III

CHHATTISGARH ACT

(No. 2 of 2005)

THE CHHATTISGARH VALUE ADDED SALES TAX ACT, 2005

An Act to levy tax on Sales and Purchases of goods in the State of Chhattisgarh

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the fifty fourth year of the Republic of India as follows:

CHAPTER-I PRELIMINARY

- 1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Value Added Sales Tax Act. 2005.
 - (2) It extends to the whole of Chhattisgarh.
 - (3) It shall come in to force on such date as the State Government may, by notification, appoint.

Short Title, Extent and Commencement.

2. In this Act, unless there is anything repugnant in the subject of context-

Definitions.

- (a) "Appellate Deputy Commissioner" means an Appellate Deputy Commissioner of Sales Tax appointed under section 3 and includes an Additional Appellate Deputy Commissioner of Sales Tax;
- (b) "Assistant Commissioner" means an Assistant Commissioner of Sales Tax appointed under section 3 and includes an Additional Assistant Commissioner of Sales Tax;
- (c) "Board" means Board of Revenue constituted under the Chhattisgarh Land Revenue Code 1959 (No. 20 of 1959);
- (d) "Business" includes, -
 - (i) any trade, commerce, manufacture or any adventure or concern in the nature of trade, commerce or manufacture, whether or not such trade, commerce, manufacture, adventure or concern is carried on with a motive to make gain or profit and whether or not any gain or profit accrues from such trade, commerce, manufacture, adventure or concern and irrespective of the volume, frequency, continuity or regularity of such trade, commerce, manufacture, adventure or concern; and
 - (ii) Any transaction of sale or purchase of goods in connection with or incidental or ancillary to the trade, commerce, manufacture, adventure or concern referred to in clause (i), that is to say -
 - (a) Goods whether or not they are in their original form or in the form of second hand goods, unserviceable goods, obsolete or discarded goods, mere scrap or waste material; and
 - (b) goods which are obtained as waste products or by-products in the course of manufacture or processing of other goods or mining or generation of or distribution of electrical energy or any other form of power;
- (e) "Capital Goods" means plants, machinery and equipment directly used in the process of manufacture excluding such civil works as may be prescribed;
- (f) "Commissioner" means the Commissioner of Sales Tax appointed under section3;

- (g) "Dealer" means any person who carries on the business of buying, selling, supplying or distributing goods, directly or otherwise, whether for cash, or for deferred payment or for commission, remuneration or other valuable consideration and includes -
 - (i) a local authority, a company, an undivided Hindu family or any society (including a co-operative society), club, firm or association which carries on such business;
 - (ii) a society (including a co-operative society), club, firm or association, which buys goods from, or sells, supplies or distributes goods to its members;
 - (iii) a commission agent, broker, a *del-credere* agent, an auctioneer or any other mercantile agent, by whatever name called, who carries on the business of buying, selling, supplying or distributing goods on behalf of the principal;
 - (iv) any person who transfers the right to use any goods including leasing thereof for any purpose, (whether or not for a specified period) in the course of business to any other person;
 - Explanation I Every person who acts as an agent of a non-resident dealer, that is as an agent on behalf of a dealer residing outside the State and buys, sells, supplies or distributes goods in the State or acts on behalf of such dealer as -
 - a mercantile agent as defined in the Sale of Goods Act, 1930 (III of 1930);
 or
 - (ii) an agent for handling goods or documents of title relating to goods; or
 - (iii) an agent for the collection or the payment of the sale price of goods or as a guarantor for such collection or payment, and every local branch of a firm or company situated outside the State,

shall be deemed to be a dealer for the purpose of this Act.

- Explanation II The Central or a State Government or any of their departments or offices which, whether or not in the course of business, buy, sell, supply or distribute goods, directly or otherwise, for cash or for deferred payment, or for commission, remuneration or for other Valuable consideration, shall be deemed to be a dealer for the purpose of this Act.
- Explanation III Any non-trading, commercial or financial establishment including a bank, an insurance company, a transport company and the like which whether or not in the course of business buys, sells, supplies or distributes goods, directly or otherwise, for cash or for deferred payment, commission, remuneration or for other valuable consideration, shall be deemed to be a dealer for the purposes of this Act.
- (h) The expression "declared goods" shall have the meaning assigned to it in the
 Central Sales Tax Act, 1956 (No.74 of 1956);
- (i) "Deputy Commissioner" means a Deputy Commissioner of Sales Tax appointed under section 3 and includes an Additional Deputy Commissioner of Sales Tax;
- (j) "Document" means title deeds, writings or inscriptions and includes "electronic record" and "electronic form" as defined in the Information Technocogy Act, 2000 (No.21 of 2000) and the like that furnishes evidence;

- (k) "Goods" means all kinds of movable property including computer software but excluding actionable claims, newspapers, stocks, shares, securities or Government stamps and includes all materials, articles and commodities, whether or not to be used in the construction, fitting out, improvement or repair of movable or immovable property, and also includes all growing crops, grass, trees, plants and things attached to, or forming part of the land which are agreed to be severed before the sale or under the contract of sale;
- "Import" means the bringing or causing to be brought of goods in to the State of Chhattisgarh from any place outside the State;
- (m) "Input tax" means an amount paid or payable by way of tax under clause (i) of section 8 by a registered dealer in respect of the purchase of any goods specified in schedule II, to a selling registered dealer and who is liable to pay tax under the said clause on the sale of such goods;
- (n) "Manufacture" includes any activity that brings out a change in an article or articles as a result of some process, treatment, labour and results in transformation into a new and different article so understood in commercial parlance having a distinct name, character use, but does not include such activity of manufacture as may be notified;
- (o) "Place of business" means any place where a dealer purchases or sells any goods or stores goods or keeps documents or accounts of his purchases or sales or both and also includes —
 - (i) the place of business of an agent where a dealer carries on business through an agent;
 - (ii) any place or building whether any business is carried on therein or not, in which the person carrying on the business, keeps any of his books of accounts, documents, stocks or other things, relating to his business;
- (p) "Prescribed" means prescribed by rules made under this Act;
- (q) "Purchase price" shall comprise of-
 - the amount payable by a dealer as valuable consideration for the purchase of goods' simplicitor;

Provided that where goods are purchased together with the packing material or container, then notwithstanding anything contained in this Act, the purchase price of such goods shall be inclusive of the price or cost or value of such packing material or container, whether such price or cost or value is paid separately or not as if such packing material or container were the goods purchased;

- (ii) transport costs, if any,
- (iii) trade commission, if any, by whatever name called;
- (iv) forwarding and handling charges, if any;
- (v) insurance charges, if any;
- (vi) local taxes, if any;
- (vii) excise duty, if any, leviable under the Central Excise Act, 1944 (No.1 of 1944);

(viii) cost of packing, if any, and

- (ix) any other charges or costs other than those specified above, if incurred or paid in respect of goods so purchased;
- Explanation -For the purpose of this clause "transport cost" includes such expenses as are incurred by the dealer on transportation of goods after taking delivery from the seller;
- (r) "Registered dealer" means a dealer registered under this Act;
- (s) "Sale" with all its grammatical variations and cognate expressions means any transfer of property in goods for cash or deferred payment or for other valuable consideration and includes -
 - (i) a transfer, otherwise than in pursuance of a contract, of property in any goods for cash, deferred payment or other valuable consideration:
 - (ii) a transfer of property in goods whether as goods or in some other form, involved in the execution of works contract;
 - (iii) a delivery of goods on hire purchase or any system of payment by installments:
 - (iv) a supply of goods by any unincorporated association or body of persons to a member thereof for cash, deferred payment or other valuable consideration;
 - a supply, by way of or as part of any service or in any other manner whatsoever, of goods being food or any other article for human consumption or any drink (whether or not intoxicating) where such supply or service is for cash, deferred payment or other valuable consideration;
 - (vi) a transfer of the right to use any goods including leasing thereof for any purpose (whether or not for a specified period) for cash, deferred payment or other valuable consideration.

and such transfer, delivery or supply of any goods shall be deemed to be a sale of those goods by the person making the transfer, delivery or supply and purchase of those goods by the person to whom such transfer, delivery or supply is made, but does not include a mortgage, hypothecation, charge or pledge:

Explanation -

- (a) Notwithstanding anything contained in the Sale of Goods Act, 1930 (III of 1930), where a sale or purchase of goods takes place in pursuance of a contract of sale, such sale or purchase shall be deemed for the purposes of this Act to have taken place in the State of Chhattisgarh irrespective of the place where the contract of sale or purchase might have been made, if the goods are within the State -
 - in the case of specific or ascertained goods, at the time the contract of sale or purchase is made; and
 - (ii) in the case of unascertained or future goods, at the time of their appropriation to the contract of sale or purchase by the seller or by the purchaser, whether the assent of the other party is prior or subsequent to such appropriation; and

- Where there is a single contract of sale or purchase of goods situated at more places than one, the provisions of clause (a) shall apply as if there were separate contracts in respect of the goods at each of such places;
- "Sale price" means the amount or any other consideration payable to a dealer as (t) valuable consideration for the sale of any goods less any sum allowed as cash discount according to ordinary trade practice but inclusive of any sum charged for anything done by the dealer in respect of the goods at the time of or before delivery thereof other than the cost of freight or delivery or the cost of installation when such cost is separately charged
 - Explanation (i) Where goods are sold on hire purchase or any system of payment by installments, the sale price of such goods shall be exclusive of insurance charges, interest and hire charges and such other charges as may be prescribed.
 - Where goods are sold by way of transfer of tight to use such goods, the sale price thereof shall be the amount of valuable consideration received or receivable by the transfer or for such transfer;
- "Sales Tax Officer" means a sales tax officer appointed under section 3 and (11) includes an Additional Sales Tax Officer.
- "Tax" means the tax payable under this Act; (v)
- "Taxable turnover" in relation to a dealer for any period means that part of (W) dealer's turnover which remains after deduction therefrom
 - the sale price of goods declared tax free under section 15;
 - in respect of goods on which tax is payable under clause (i) of section 8;
 - the sale price of goods in relation to which deduction is provided under the Act.
 - (ii) the amount arrived at by applying the following formula:-

rate of tax under section 8(i) x aggregate of sale prices 100+ rate of tax under section 8(i)

- in respect of goods on which tax is payable under clause (ii) of section 8:-
 - (i) the sale price of such goods which are in the nature of tax paid goods in the hands of such dealer.
 - (ii) the sale price of goods in relation to which deduction is provided under the Act
 - (iii) the amount arrived at by applying the following formula-

rate of tax under section 8(ii) x aggregate of sale prices arrived at after allowing deduction under paragraph (ii) of sub-clause (2) 100+ rate of tax under section 8(ii)

Provided that :-

ne deduction on the basis of the above formula under paragraph (ii) of sub-clause (2) or paragraph (iii) of sub-clause (3) shall be made if the amount of tax under clause (i) or clause (ii) of section 8 collected by a registered dealer in accordance with the provisions of the Act, has been otherwise deducted from the aggregate of sale prices;

(b) where the turnover of a dealer is taxable under clause (i) or clause (ii) of section 8 at different rates, the formula under paragraph (ii) of sub-clause (2) or paragraph (iii) of sub-clause (3) shall be applied separately in respect of such part of the turnover liable to a different rate of tax.

Explanation - For the purpose of levy of tax under clause (i) and tax under clause (ii) of section 8 the taxable turnover shall be determined separately.

- (x) "Tax paid goods" in relation to goods specified in parts III and IV of schedule II on which tax is payable under clause (ii) of section 8, means any such goods which have been purchased by a dealer from a registered dealer inside the State of Chhattisgarh within the meaning of section 4 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No.74 of 1956);
- (y) "Turnover" in relation to any period means the aggregate of the amount of sale prices received and receivable by a dealer in respect of any sale or supply or distribution of goods made during that period, whether or not the whole or any portion of such turnover is liable to tax but after deducting the amount, if any, refunded by the dealer to a purchaser, in respect of any goods purchased and returned by the purchaser within six months from the date of such sale:

Provided that -

- in the case of sale by bonafide agriculturist as defined in clause (e) of subsection (1) of section 2 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No.20 of 1959), of ghee produced by himself; or
- (ii) in case of sale by a person of agricultural or horticultural produce grown by himself or grown on any land in which he has an interest whether as owner, usufructuary mortgagee, tenant or otherwise, when such produce is sold in the form in which it was produced, without being subjected to any physical, chemical or other process for being made fit for consumption save mere dehusking, cleaning, grading or sorting, the amount of consideration relating to such sales,

shall be excluded from his turnover;

- (z) "Value added sales Tax" means a tax on sale or purchase of goods payable under this Act.
 - (a-1) 'Year' means the twelve months ending on the 31st day of March.

CHAPTER - II TAXING AUTHORITIES

Taxing Authorities and other Officers.

- (1) There may be appointed a person to be the commissioner of Sales Tax and the following category of officers to assist him, namely:
 - (a) Additional Commissioner of Sales Tax;
 - (b) Appellate Deputy Commissioner or Additional Appellate Deputy Commissioner of Sales Tax;
 - (c) Deputy Commissioner or Additional Deputy Commissioner of Sales Tax;
 - (d) Assistant Commissioner or Additional Assistant Commissioner of Sales Tax;

- (e) Sales Tax Officer or Additional Sales Tax Officer;
- (f) Assistant Sales Tax Officer; and
- (g) Inspector of Sales Tax.
- (2) The Commissioner of Sales Tax and the Additional Commissioner of Sales Tax shall be appointed by the State Government and the other officers referred to in sub-section (1) shall be appointed by the State Government or such other authority as it may direct.
- (3) The Commissioner of Sales Tax and the Additional Commissioner of Sales Tax shall exercise all the powers and perform all the duties conferred or imposed on the Commissioner by or under this Act throughout the State and for this purpose any reference to the Commissioner in this Act, shall be construed as a reference to the Additional Commissioner of Sales Tax.
- (4) Other officers referred to in sub-section (2) shall, within such areas as the appointing authority may, by general or special order specify, exercise such powers as may be conferred and perform such duties as may be imposed by or under this Act.

CHAPTER - III INCIDENCE OF TAX

4. (1) Every dealer whose turnover during a period of twelve months immediately preceding the commencement of this Act exceeds the prescribed limits which shall not exceed rupees five lacs, shall from such commencement be liable to pay tax under this Act in respect of sales or supplies of goods effected by him in Chhattisgarh. Different limits may be prescribed for different category of dealers.

Incidence of tax.

- (2) Every dealer to whom sub-section (1) does not apply shall be liable to pay tax under this Act in respect of sales or supplies of goods effected by him in Chhattisgarh with effect from the date on which his turnover in a year first exceeds the limit prescribed under in the said sub-section but for the purpose of assessment of the tax for that year, only so much of his turnover as is in excess of such limit, shall be taken into consideration.
- 5. (1) The commissioner shall, in the prescribed manner, institute proceedings for the purpose of determining the liability of a dealer to pay tax under this Act. Such liability shall be determined by an order and such determination shall be made within a period of twelve months from the date of institution of such proceedings.

Determination of liability to pay tax.

- (2) Notwithstanding anything contained in sub-section (2) of section 4, liability of a dealer to pay tax under this Act shall not be determined from a date earlier than five years prior to -
 - (i) the date of institution of proceedings under sub-section (1); or
 - (ii) the date of validity of the registration certificate, whichever is earlier.
- 6. (1) (a) Where a dealer who carries on the business of supplying goods in the course of execution of a works contract entered into by him (hereinafter referred to as a contractor) through another such dealer (hereinafter referred to as a sub-contractor) directly or otherwise, and the sub-contractor executes such works contract and each or either of them is liable to pay tax under this Act, then notwithstanding anything contained in this Act, the contractor and the sub-contractor shall be jointly and severally liable to pay tax in

Joint and several liability of certain class of dealers. respect of transfer of property in goods whether as goods or in some other form involved in the execution of such works contract.

- (b) If the contractor proves in the prescribed manner to the satisfaction of the commissioner that the tax has been paid by the sub-contractor on the turnover of the goods supplied in the course of execution of the works contract, the contractor shall not be liable to pay tax again on the turnover of such goods.
- (2) (a) Where a dealer who bonafidely buys or sells for an agreed consideration (hereinafter referred to as the commission agent) any goods specified in schedule II on behalf of his principal, such commission agent and his principal shall both be jointly and severally liable to pay tax under this Act.
 - (b) (i) If the principal on whose behalf the commission agent has sold the goods proves in the prescribed manner to the satisfaction of the commissioner that tax has been paid or payable by his commission agent on such goods, the principal shall not be liable to pay tax in respect of the sale of such goods.
 - (ii) If the commission agent who has sold goods on behalf of the principal proves in the prescribed manner to the satisfaction of the commissioner that the tax has been paid by his principal on such goods, the commission agent shall not be liable to pay tax in respect of the sale of such goods.
- (3) Where any dealer or person with a view to evade payment of tax or in order to claim any input tax rebate which he otherwise is not eligible for or was carrying on business in the name of or in association with any other person either directly or indirectly, whether as an agent, employee, manager, partner or power of attorney holder, guarantor, relative or sister concern or any other capacity, such person and the dealer in whose name the registration certificate was obtained shall jointly and severally be liable for the payment of tax assessed, reassessed, interest payable and penalty imposed under the Act and such tax, interest and penalty shall be recovered from all or any of such persons as if such person or persons are dealer under the Act.

Liability of a dealer registerd under Central Act No. 74 of 1956 to pay tax.

- (1) A dealer registered under the Central Sales Tax Act, 1956 (No.74 of 1956) who is not liable to pay tax under section 4 shall nevertheless be liable to pay tax at the rate specified in section 8 on his sales of any goods in respect of the purchases of which he has furnished a declaration under sub-section (4) of section 8 of the said Act or on the sales of any goods in the manufacture of which such goods have been used,
- (2) Every dealer to whom sub-section (1) applies shall for the purposes of section 19, 21, 25, and 41 be deemed to be a registered dealer.

CHAPTER - IV LEVY OF TAX

Levy of tax. 8. There shall be levied on goods specified in, -

- (i) parts I, II, IV and V of Schedule II, a tax at the rate mentioned in the corresponding entry in column (3) thereof on the taxable.turnover: and
- (ii) parts III and IV of the said schedule, a tax at the rate mentioned in the corresponding entry in column (4) thereof on the taxable turnover, and such tax shall be levied on the taxable turnover of a dealer liable to pay tax under this Act.

9. (1) Every dealer who in the course of his business purchases any goods specified in schedule II from any person other than a registered dealer or from a registered dealer in the circumstances in which no tax under section 8 is payable by that registered dealer on the sale price of such goods except where the goods are tax-paid goods within the meaning of clause (x) of section 2, shall be liable to pay tax on the purchase price of such goods if,-

Levy of Purchase tax.

- (a) after their purchase, the goods are not sold within the State of Chhattisgarh or in the course of inter-state trade or commerce or in the course of export out of the territory of India but are sold or disposed of otherwise, or consumed or used in the manufacture of goods declared tax-free under section 15; or
- (b) such goods covered by schedule III are used or consumed in the manufacture of goods; or
- (c) such goods not covered by schedule III, after use or consumption in the manufacture of any goods specified in schedule II.
 - the manufactured goods are disposed of otherwise than by way of sale in the State of Chhattisgarh or in the course of inter-state trade or commerce or in the course of export out of the territory of India;
 - (ii) the manufactured goods are sold in the State of Chhattisgarh or in the course of inter-state trade or commerce or in the course of export out of the territory of India; and such tax shall be levied,-
 - in respect of goods referred to in clause (a), clause (b) and sub-clause (i) of clause (c) at the rate specified in column (3) and (4) of schedule II; and
 - (b) in respect of goods referred to in sub-clause (ii) of clause (c) at the rate specified in column (4) of the said schedule, at the rate at which tax would have been levied on the sales of such goods within the State on the date of such purchase.
- (2) No tax under this section shall be levied in respect of any year on -
 - (a) a dealer whose turnover in a year does not exceed the limit prescribed under sub-section (1) of section 4,
 - (b) any other dealer who has no turnover, if his aggregate of purchase prices of all the goods does not exceed such amount as may be prescribed.
- (3) Every dealer who has no turnover and is liable to pay tax under sub-section (1) shall, for the purpose of sections 19, 21, 22, 25, 26 and 41 be deemed to be a registered dealer.
- 10. (1) (a) The commissioner may, subject to such restrictions and conditions as may be prescribed, permit any registered dealer who carries on wholly or partly the business of supplying goods in the course of execution of works contract entered into by him, to pay in liu of tax payable by him under this Act a lumpsum at such rate not exceeding 15 percent, as may be prescribed, determined in the prescribed manner, by way of composition,

(b) For the purpose of determination of the lumpsum by way of composition under clause (a) the state Government may prescribe different rates for different kinds of contracts. Composition of Tax.

- (2) (a) A registered dealer purchasing goods specified in schedule II from an other such dealer within the state after payment of tax under clause (1) of sections 8 and/or purchasing goods specified in schedule I, and whose turnover in a year dose not ordinarily exceed rupees fifteen lac may opt, in the prescribed form within one month of the commencement of the year, for payment in liu of tax payable by him under clause (1) of section 8 a lumpsum at such rate, in such manner and subject to such restrictions and conditions as may be prescribed.
 - (b) If a registered dealer during the year for which an option has been given by him contravenes any of the restrictions and conditions prescribed under clause (a) of this section, the option given by him shall stand revoked.
 - (c) A registered dealer who opts for composition of tax under clause (1) of this section shall not be eligible to any input tax rebate in respect of the goods sold during the year in relation to which such option is exercised by the dealer.
- (3) The provisions of sections 19, 21, 41 and 42 shall not apply to a registered dealer to whom permission to pay a lumpsum by way of composition has been granted under sub-section (1) in relation to the period for and the goods in respect of which such composition has been granted and to such dealer who has opted for composition of tax under such-section (2) for the period for which such option has been exercised.

Dealer not to pass incidence of tax to agriculturists and horticulturists under certain circumstances. No dealer shall collect any amount, by way of tax, from a person who sells agricultural or herticultural produce grown by himself or grown on any land in which he has an interest, whether as owner- usufructuary mortgagee, tenant or otherwise, when such produce is sold in the form in which it was produced, without being subjected to any physical, chemical or other process for being made fit for consumption save mere dehusking, cleaning, grading or sorting.

Rate of tax on Container or packing material. 12. Notwithstanding anything contained in section 8 or section 9 where any goods packed in any container or packing material are sold or purchased, the container or packing material in which such goods are so packed shall be deemed to have been sold or purchased along with such goods and the tax under section 8 or section 9 shall be levied on the sale or purchase of such container or packing material at the rate of tax, if any, applicable to the sale, or as the case may be, the purchase of the goods themselves:

Provided that no tax under section 8 or section 9 shall be levied where the container or packing material is sold or purchased along with the goods declared tax-free under section 15.

Rebate of Input tax.

- (1) Subject to the provisions of sub-section (5) and such restrictions and conditions as may be prescribed, a rebate of input tax as provided in this section shall be claimed by or be allowed to a registered dealer in the circumstances specified below,-
 - (a) When a registered dealer purchases any goods specified in schedule II, within the State of Chhattisgarh from another such dealer for sale within the State of Chhattisgarh or in the course of inter-state trade or commerce or in the course of export out of the territory of India, after payment to him of the tax under clause (i) of section 8, he shall claim or be allowed in such manner and within such period as may be prescribed, input tax rebate of the amount of such tax.
 - (b) When a registered dealer purchases any goods specified in schedule II other than those specified in schedule III within the State of Chhattisgarh

from another such dealer after payment to him of the tax under clause (i) of section 8; for use or consumption of such goods including capital goods for / in the manufacture or for/ in mining of any goods specified in schedule II for sale within the State of Chhattisgarh or in the course of inter-state trade or commerce and any goods specified in schedule I or schedule II for sale in the course of export out of the territory of India, he shall claim or be allowed, in such manner and within such period as may be prescribed, input tax rebate of the amount of such tax.

- (c) Where a dealer makes an application for grant of a registration certificate under clause (a) or clause (c) of sub-section (2) of section 16 on or after the commencement of the Act, he shall in respect of,-
 - (1) Goods specified in schedule II purchased on or after such commencement by him within the State of Chhattisgarh from another such dealer after payment to him of tax under clause (i) of section 8 for the purpose specified in clause (a); or
 - (2) Goods specified in schedule II other than those specified in schedule III, purchased on or after such commencement by him within the State of Chhattisgarh after payment to him of tax under clause (i) of section 8 for the purpose specified in clause (b),

and held in stock by him on the date of validity of the registration certificate issued to him under clause (a) of sub-section (2) of section 16, claim or be allowed,-

- (i) in respect of goods referred to in clause (a), an input tax rebate under the said clause, the amount of such tax,
- (ii) in respect of goods referred to in clause (b), an input tax rebate under the said clause of the amount of such tax, in such manner and within such period as may be prescribed,
- (2) (a) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where a registered dealer purchases any goods specified in schedule II in the circumstances stated in clauses (a) and (b) of the said sub-section and dispatches such goods or, the goods manufactured by him, to a commission agent registered under the Act for sale, the input tax rebate in respect of such goods purchased for the purpose of sale within the State of Chhattisgarh shall be claimed by or be allowed to the registered dealer who receives the goods for sale on commission,
 - (b) No input tax rebate shall be claimed by or be allowed to the dealer (principal) who dispatches such goods for the said purpose.
- (3) The input tax rebate by a registered dealer under sub-section (1) or sub-section (2) shall be adjusted in such manner as may be prescribed towards the tax payable by him under this Act or under Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956) and the balance, if any, shall be carried over for adjustment towards tax payable in the subsequent year.
- (4) The amount of input tax rebate, to which a registered dealer is entitled in respect of purchase of goods made by him for sale in the course of export out of the territory of India or for sale to a registered dealer in Special Economic Zone as per the provisions of clause (iv) of sub-section (1) of section 38, which is not adjustable towards any tax payable by him in accordance with the provisions of sub-section (3), shall be granted to him by way of refund.

- (a) (i) Where a registered dealer having purchased any goods referred to in clause (a) of sub-section (1), from another such dealer for the purpose of sale has claimed input tax rebate in respect of such goods under clause (a) or sub-clause (i) of clause (c) of the said sub-section and adjusted such rebate towards the tax payable by him according to his return or returns, such dealer shall, in the event of disposal of such goods otherwise than by way of sale within the State of Chhattisgarh or in the course of inter-state trade or commerce or in the course of export out of the territory of India, be liable to pay the amount of tax towards which input tax rebate in respect of the aforesaid goods was adjusted by him.
 - (ii) Where a registered dealer having purchased any goods referred to in clause (b) or sub-clause (ii) of clause (c) of sub-section (1) from another such dealer for the purpose of use or consumption of such goods for/in the manufacture or mining of any goods specified in schedule II has claimed input tax rebate in respect of such goods under clause (b) or clause (c) of the said sub-section, and adjusted such rebate towards the tax payable by him according to his return or returns, such dealer shall, in the event of the disposal of goods manufactured or mined, in a manner otherwise than by way of sale in the State of Chhattisgarh or in the course of inter-state trade or commerce or in the course of export out of territory of India, be liable to pay the amount of tax towards which the aforesaid input tax rebate relating to such goods was adjusted by him.
 - (iii) Where the registration certificate of a registered dealer who having purchased any goods referred to in clause (a) or clause (b) of subsection (1) and having claimed input tax rebate in respect of the said goods under the said clauses, is cancelled under sub-section (10) of section 16, such dealer shall pay the amount claimed by way of input tax rebate under the said clauses in respect of the goods held in stock by him on the date the order of cancellation of the registration certificate takes effect.
- (b) Where the amount of tax or the amount of input tax rebate which a registered dealer is liable to pay under clause (a) is not adjustable towards any input tax rebate to his credit, such dealer shall be liable to pay on the amount of tax so payable interest at the rate of one percent per month for the period commencing from the date of disposal of the goods in the manner stated in sub- clause (i) or sub-clause (ii) of clause (a) to the date of its payment.
- (6) No input tax rebate under sub-section (1) shall be claimed or be allowed to a registered dealer,-
 - in respect of any goods specified in schedule II purchased by him from another such dealer for sale but given away by him by way of free sample or gift or given to or received by him by way of replacement;
 - (ii) in respect of goods specified in schedule II for use or consumption for manufacture or mining of goods but the goods manufactured or mined are given away by him by way of free sample or gift or given to or received by him by way of replacement.
 - (iii) in respect of goods purchased by a dealer who opts for the composition of tax under the provisions of section 10.

- (7) (a) The State Government, if it deems fit, may, by notification specify any goods mentioned in part III of schedule II for the purpose of claiming or allowing input tax rebate under this section, when such goods are purchased by a registered dealer from another such dealer within the State of Chhattisgarh,-
 - (i) after payment to him of tax under clause (ii) of section 8. or
 - (ii) which are tax paid goods at the hands of the selling registered dealer, for use or consumption of such goods for / in the manufacture or for/ in mining of any goods specified in schedule II for sale within the State of Chhattisgarh or in the course of interstate trade or commerce or in the course of export out of the territory of India and thereupon the input tax rebate in respect of such goods shall be claimed or be allowed in such manner, to such extent, within such period and subject to such restrictions and conditions as may be specified in the notification.
 - (b) The provisions of sub-clause (ii) of clause (c) of sub-section (1) and sub-sections (2) to (5) shall apply to input tax rebate that may be claimed or allowed in respect of goods referred in clause (a).
- 14. The burden of proving that any sale or purchase effected by a dealer is not liable to tax under section 8 or section 9 as the case may be, or that he is eligible for an input tax rebate under section 13 shall be on the dealer.

Burden of proof.

15. No tax shall be payable on the sale or purchase of goods specified in Schedule-I, subject to the conditions and exceptions, if any, set out in the corresponding entry in the third column thereof.

Tax free goods.

CHAPTER - V REGISTRATION OF DEALERS

16: (1) Every dealer whose turnover during the tweive months immediately preceding the commencement of this Act exceeds the limits specified in sub-section (1) of section 4 shall get himself registered in the prescribed manner within thirty days of the commencement of this Act.

Registration of deal-

- (2) (a) Every dealer other than a dealer to whom sub-section (1) applies shall get himself registered within the prescribed period from the date on which his turnover in a year first exceeds the limits specified in sub-section (1) of section 4.
 - (b) Every person who is required to obtain a registration certificate in pursuance of the provisions of sub-section (6) of section 17 shall get himself registered with in the period specified in the said sub-section.
 - (c) Every dealer being a transferee of a business within the meaning of subsection (1) of section 30 shall get himself registered within thirty days from the date of transfer of the business of which he is a transferee.
- (3) (a) Every dealer required to get himself registered under sub-section (1) or sub-section (2), shall make an application to the commissioner in such form and manner as may be prescribed, giving correct and complete particulars therein. Such application shall be accompanied by an affidavit in support of the particulars given in the application and also a satisfactory proof of payment of a registration fee of five hundred rupees in that behalf in the prescribed manner to the commissioner.

(b) A dealer or person who though not liable to pay tax under section 4 desires to obtain a registration certificate voluntarily, may make an application to the commissioner in such form and manner as may be prescribed giving correct and complete particulars therein. Such application shall be accompanied by an affidavit in support of the particulars given in the application and also a satisfactory proof of payment of registration fee of five hundred rupee, in that behalf. Where a dealer or person undertaking works contract makes the application a copy of award of the contracts shall also accompany the application.

Provided that no registration fee shall be payable under clause (a) where the application is made by a person holding a provisional registration certificate under section 17.

- (4) (a) On the day the application for grant of a registration certificate as required by sub-section (1) or section (2) is received, the said authority shall grant the applicant a temporary registration certificate in the prescribed form.
 - (b) After issue of the temporary registration certificate on application referred to in clause (a), the commissioner shall require the applicant to produce before him evidence and document in respect of the particulars given in the application as also the accounts relating to the business for verification. On production of the evidence, documents and accounts the commissioner shall verify the particulars given in the application. On being satisfied about the correctness of the particulars, the commissioner shall issue to the applicant a permanent registration certificate in the prescribed form not later than thirty days of the date of receipt of the application for grant of a resistration certificate.
 - (c) If the commissioner is satisfied that the particulars given by the applicant in his application are incorrect or that the applicant has misrepresented certain facts, he shall, after giving the applicant an opportunity of being heard and recording the reasons in writing reject the application and cancel the temporary registration certificate issued to the applicant under clause (a) from the date of its issue, not later than thirty days of the date of receipt of the application.
- (5) The registration certificate granted under sub-section (4) shall take effect from-
 - (a) in a case where a dealer required to get himself registered under clause (a) or clause (b) of sub-section (2) within the period prescribed under clause (a) or specified in clause (b) of the said sub-section, the date on which his turnover in a year first exceeds the limits specified in sub-section (1) of section 4.
 - (b) in a case where a dealer required to get himself registered under subsection (2) has applied for registration after the expiry of the prescribed or specified period as the case may be, the date on which he applies for registration.
 - (c) in a case where a dealer required to apply for registration under clause (c) of sub-section (2) has applied for registration within thirty days of the transfer of business, the date of transfer of the business.
 - (d) in a case where a dealer required to get himself registered under clause (c) of sub-section (2), has applied for registration after the expiry of thirty days of the transfer of business, the date on which he applies for registration.

- (e) where a dealer has applied for registration voluntarily under sub-clause (b) of sub-section (3), the date of such application.
- Without prejudice to the provisions of sub-section (6) of section 21 when a dealer has without reasonable cause, failed to get himself registered within the prescribed time as required by sub-section (1) or sub-section (2) the commissioner may, after giving such dealer a reasonable opportunity of being heard, direct him to pay by way of penalty in addition to the fee payable, a sum not exceeding rupees five hundred.
- (7) Every dealer who at the commencement of this Act holds a registration certificate under the provisions of the Act repealed by this Act shall, on such commencement, be deemed, for all purposes of this Act, to be a dealer registered and holding a registration certificate under this section.
- (8) If any registered dealer or other dealer who is required to furnish returns under sub-section (1) of section 19.
 - (a) sells or otherwise disposes off his business or any part or place or his business or effects or comes to know of any other change in the ownership of the business, or
 - (b) discontinues his business or changes his place of business or opens a new place of business, or
 - (c) changes the name or nature of his business, he or if he dies, his legal representative shall within the prescribed time, inform the prescribed authority accordingly.
 - (9) (a) The commissioner shall-
 - (i) on an application made by a registered dealer for amendment of his registration certificate in pursuance of the provisions of sub-section
 (8) or otherwise, amend the registration certificate of the dealer or reject the application within 30 days of the date of receipt of such application, after making such enquiry as he deems fit, and
 - (ii) on being satisfied that the registration certificate issued to a dealer requires amendment with regard to certain particulars specified therein, amend the registration certificate after giving the dealer an opportunity of being heard.
 - (b) When the registration certificate is amended under sub-clause (i) of clause (a) in pursuance of any of the events specified in sub-section (8), such amendment shall take effect from the date such event has taken place and in all other cases falling under the said sub-clause the amendment shall take effect from the date of application. An amendment made under subclause (ii) of clause (a) shall take effect from the date of order for making such amendment.
 - (10) When-
 - (a) a registered dealer discontinues or transfers his business; or
 - (b) the liability of a registered dealer to pay tax ceases; or
 - (c) a registered dealer has been granted a registration certificate by mistake;

- (d) a registered dealer is in arrears of tax or penalty or any other sum due under this Act or under the Act repealed by this Act, or
- the commissioner for reasons to be recorded in writing, is of the opinion that the registration certificate should be cancelled for any other reason;

the commissioner may either on his own motion or on the application of the dealer in this behalf cancel the registration certificate but notwithstanding such cancellation the dealer shall be liable to pay tax for the period during which his registration certificate remained in force.

Provided that where the commissioner proposes to cancel the registration certificate under this sub-section, he shall give the dealer an opportunity of being heard.

(11) Any dealer,-

- whose application for registration is rejected under clause (c) of sub-section
 (4); or
- (ii) whose registration certificate is cancelled under clause (d) or clause (e) of sub-section (10);

shall for the purpose of sub-section (6) of section 21 be deemed to be a dealer, who has failed to apply for registration, but shall not be liable to pay any penalty under the said sub-section.

Provisional registration of intending manufacturers.

- (1) Any person intending to establish a business in the state for the purpose of manufacturing goods for sale of value exceeding rupees one lac in a year and who is registered with the Industries Department of the state Government for establishing a small scale industrial unit in the state or who is issued a license wherever necessary or has sent a memorandum of information to the Central Government to establish a new industrial undertaking in the State under the provision of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (No. 65 of 1951) may, notwithstanding that he is not liable for registration under section 16 make an application to the commissioner in such form and manner as may be prescribed, accompanied by a satisfactory proof of payment of registration fee of rupees five hundred in that behalf for grant of a provisional registration certificate under this Act.
- (2) On the day the application is received the said authority shall grant the applicant a provisional registration certificate in the prescribed form.
- (3) The provisional registration certificate granted under sub-section (2) shall take effect from the date on which the person had applied for registration and notwithstanding the provisions of section 4 every person who has been granted a provisional registration certificate under this section shall, during the period from such date till such certificate remains in force, be liable to pay tax under this Act.
- (4) A provisional registration certificate granted under this section shall be in force for such period as may be specified therein and the provisions of sub-sections (9) and (11) of section 16, shall, so far as may be, apply in respect thereto.

Provided that the commissioner on an application made by the holder of such certificate before the expiry of the period of validity mentioned in the certificate, may for reasons to be recorded in writing, extend the period specified in the provisional registration certificate by a further period not exceeding six months on each occasion.

- (5) Every person who has been granted a provisional registration certificate under this section shall for the purpose of this Act be deemed to be a registered dealer.
- (6) Where a person who has been granted a provisional registration certificate under this section starts manufacturing and selling of goods during the period the provisional registration certificate is in force, he shall get himself registered under section 16, before the date on which the provisional registration certificate is due to expire or within thirty days of the date on which he becomes liable to pay tax under section 4, and on the grant of the registration certificate under section 16, the provisional registration certificate shall cease to be in force as from such date.
- (7) The provisions of this section shall also apply to the Central Government or the State Government or public sector undertaking intending to establish any new industrial undertaking in the State.

Explanation - In this section the expression 'Industrial Undertaking' shall have the meaning assigned to it in clause (d) of section 3 of the Industries (Develop ment and Regulation) Act, 1951 (No. 65 of 1951).

18. (1) Every person, liable for deduction of tax at source under section 27, shall obtain a certificate of registration from the commissioner in such manner and form as may be prescribed.

Registration of persons liable for tax deduction at source.

- (2) Every person required to obtain a certificate of registration under sub-section (1), shall, within 30 days of his becoming liable to pay tax under this Act, apply for the certificate of registration to the commissioner, in the prescribed form and that authority shall, after such inquiry as it considers necessary, within 30 days of the receipt of application, if the application is in order, grant certificate of registration.
- (3) Where a person liable for registration has failed to apply for such certificate, within the time specified in sub-section (2), the commissioner may, after giving him a reasonable opportunity of being heard, impose penalty not exceeding one hundred rupees for each day of delay subject to a maximum of five thousand rupees.
- (4) Where a person liable for registration has given false information in any application submitted under this section, the commissioner may, after giving him a reasonable opportunity of being heard, impose a penalty not exceeding five hundred rupees.

CHAPTER - VI RETURNS, ASSESSMENT, PAYMENT AND RECOVERY OF TAX

19. (1) (a) (i) Every such dealer as may be required so to do by the commissioner by notice served in the prescribed manner.

Returns.

- (ii) every registered dealer, and
- (iii) every dealer whose registration certificate has been cancelled under clause (d) or clause (e) of sub-section (10) of section 16,

shall furnish return in such form, in such manner, for such period, by such dates and to such authority as may be prescribed:

Provided that the commissioner may subject to such terms and conditions as may be prescribed, exempt any such dealer from furnishing such returns and statement or permit any such dealer to furnish the return for such different period, in such other form and to such other authority, as he may direct.

- (b) Every dealer required to furnish returns, under clause (a), shall furnish a statement in such forms and manner for such period, by such date and to such authority as may be prescribed.
- (c) Every dealer required to furnish audit report under sub-section (2) of section 41 shall send such report of audit along with the statement referred to in clause (b).
- (2) If any dealer discovers any omission, error or wrong statement in any return furnished by him under clause (a) of sub-section (1) he may furnish a revised return in the prescribed manner and within the prescribed time.
- (3) Every dealer required to file return under sub-section (1) shall pay the full amount of tax payable according to the return as required by sub-section (2) of section 25 or the difference of the amount of tax payable according to the revised return as required by sub-section (3) of the said section and the full amount of interest, if any, payable under clause (a) or clause (b) of sub-section (4) and shall furnish the proof of such payment along with the return or the revised return, as the case may be
- (4) (a) If a dealer required to furnish return under sub-section (1), -
 - (i) fails to pay the amount of tax payable according to a return for any period in the manner prescribed under sub-section (2) of section 25; or
 - (ii) furnishes a revised return under sub-section (2) showing a higher amount of tax to be due than was shown by him in the original return; or
 - (iii) fails to furnish return, such dealer shall be liable to pay interest in respect of,-
 - (1) the tax payable by him according to the return; or
 - (2) the difference of the amount of tax payable according to the revised return, or
 - (3) the tax payable for the period for which he has failed to furnish return,

at the rate of 1.25 per cent per month from the date the tax so payable had become due to the date of its payment or to the date of order of assessment, whichever is earlier.

Explanation - For the purpose of this clause, -

- where the period of default covers a period less than a month the interest payable in respect of such period shall be computed proportionately.
- (2) 'month' shall mean thirty days.
- (b) If a registered dealer having furnished a return under sub-section (1) or a revised return under sub-section (2) for any period and paid the tax payable according to such return or revised return after the time prescribed herefore.

fails to pay interest along with such return or revised return in accordance with the provisions of clause (a), the commissioner shall levy the interest liable to be paid by the dealer and after giving the dealer a reasonable opportunity of being heard, may direct him to pay in addition to the tax payable or paid and the interest payable by him, by way of penalty a sum equal to two per cent per month of the amount of interest from the date such interest had become due to the date of its payment or to the date of order of assessment, whichever is earlier.

- (c) If a dealer fails without sufficient cause to comply with the requirement of notice issued under sub-section (1), the commissioner may after giving the dealer a reasonable opportunity of being heard, direct him to pay, in addition to any tax payable or paid by him, by way of penalty a sum of one hundred rupees per day of default subject to a maximum of rupees five thousand.
- (d) Where,-.
 - (i) no tax is payable by a registered dealer committing a default under sub-clause (iii) of clause (a), or
 - (ii) a registered dealer having-paid the tax payable according to a return in time fails to furnish the return in time;

The commissioner may after giving such dealer a reasonable opportunity of being heard direct him to pay by way of penalty a sum of rupees fifty per day of default subject to a maximum of rupees one thousand.

 Every person registered under section 18 shall furnish a return in such from, in such manner, for such period by such dates and to such authority as may be prescribed.

Returns to be furnished by a person liable for tax deduction at source.

- (2) Every such return shall be accompanied by a treasury challan in proof of payment of full amount of tax due according to the return A return without such proof of payment shall not be deemed to have been duly filed.
- (3) Where a person has without reasonable cause failed to file such a return with in the prescribed time, the commissioner may, after giving him a reasonable opportunity of being heard, impose upon him a penalty not exceeding one hundred rupees for each day of delay.
- (4) The State Government may, subject to such conditions as may be specified, exempt any person or class of persons from furnishing returns.
- 21. (1) The assessment of every registered dealer shall be made separately for every year:

Assessment of tax.

Provided that,

- (a) the commissioner, may, subject to such conditions and restrictions as may be prescribed assess the tax due from any dealer for any part of a year,
- (b) a registered dealer who claims a refund of input tax rebate under the provisions of sub-section (4) of section 13,-...
 - (i) in his return for any quarter of a year and makes an application for that purpose, along with such return or before the date on which the return for the subsequent quarter becomes due, or

(ii) in his returns for a year and makes an application for that purpose before the date on which the return for the first quarter of the subsequent year becomes due.

the assessment of such dealer for that quarter or year, as the case may be shall be made in accordance with the provisions of sub-section (4) within a period of three months from the date of receipt of the application.

- (2) Where a registered dealer other than the registered dealer referred to in the proviso to sub-section (1) has furnished,-
 - (i) all the returns for a year and/or
 - (ii) revised return for any quarter or quarters of such year, in the prescribed manner and within the prescribed time or before the date on which the return for the first quarter of the subsequent year becomes due,
 - (iii) has paid the tax payable according to such returns or revised returns as also interest payable, if any, and
 - (iv) has furnished the statement under clause (b) of sub-section (1) of section 19, within the prescribed time

the returns furnished or revised returns furnished by such dealer for that year shall be accepted and his assessment shall be deemed to have been made for the purpose of sub-section (1).

Provided that the assessment under this sub-section of every such registered dealer who is required to furnish audit report under sub- section (2) of section 41 shall be deemed to have been made if such dealer has furnished the audit report along with the statement referred to in sub-clause (iv).

- (3) Notwithstanding the provisions of sub-section (2), the commissioner shall select for re-assessment a number of such dealers as he deems fit whose assessment for a year is deemed to have been made under sub-section (1) in accordance with the provisions of sub-section (2) and such selection shall be made during the year immediately following the said year.
- (4) (a) The commissioner shall serve on a registered dealer referred to in the proviso to sub-section (1) or in sub-section (3) or a registered dealer who is not eligible for assessment under sub-section (2) with a notice in the prescribed form appointing a place and day and directing him,-
 - to appear in person or by an agent entitled to appear in accordance with the provisions of section 24; or
 - (ii) to produce evidence or have it produced in support of the returns, or
 - (iii) to produce or cause to be produced accounts, registers, cash memoranda or other documents relating to his business;
 - (b) The commissioner, after hearing the registered dealer or his agent and examining the evidence produced in compliance with the requirements of sub-clause (ii) or sub-clause (iii) of clause (a) and such further evidence as he may require, shall assess or re-assess him to tax.
- (5) If a registered dealer referred to in clause (a) of sub-section (4), -
 - (a) has not furnished returns and statement in respect of any period by the prescribed date, or

- (b) has knowingly furnished incomplete or incorrect returns or statement for any period; or
- (c) having furnished such returns has failed to comply with any of the terms of a notice issued under clause (a) of sub-section (4); or
- (d) (i) has not maintained any accounts, or
 - (ii) the accounts maintained by him are not in accordance with the provisions of sub-section (1) of section 41, or
 - (iii) has not regularly employed any method of accounting, or
 - (iv) the method employed is such that in the opinion of the commissioner assessment cannot properly be made on the basis thereof,

the commissioner, shall after issue of a notice in the prescribed form and in the prescribed manner, assess the dealer to the best of his judgment.

- (6) (a) If upon any information which has come into his possession, the commissioner is satisfied that any dealer, being liable to pay tax in respect of any period has failed to apply for registration, the commissioner shall within one calendar year from the date of completion of the proceedings under sub-section (1) of section 5 proceed, in such manner as may be prescribed, to assess such dealer and assess him to tax to the best of his judgment in respect of the whole of such period and shall impose upon him, by way of penalty, a sum two times of the amount of tax so assessed.
 - (b) In respect of periods, subsequent to the period referred to in clause (a), during which the dealer has failed to apply for registration, the amount of tax due from him referred to in the said clause shall be assessed separately for each year.
- (7) (i) the assessment in respect of a registered dealer referred to in clause (a) of sub-section (4) shall be made within a period of one calendar year from the end of the period for which the assessment is to be made;
 - (ii) the assessment in respect of a dealer referred to in clause (b) of sub-section
 (6) for any period shall be made within a period of one calendar year from the end of such period; and
 - (iii) in respect of a dealer, under clause (a) of sub-section (6) shall be made within a period of one calendar year from the commencement of proceedings under the said sub-section;

Provided that -

- (a) where a fresh assessment has to be made to give effect to any finding or direction contained in any order under sections 48, 49 and 55 or to any order of the Civil Court, High Court or Supreme Court, such assessment shall be made within a period of one calendar year from the date of the order containing such finding or direction or the order of the Civil Court, High Court or Supreme Court, as the case may be;
- (b) where an order of ex-parte assessment of a registered dealer referred to in clause (a) of sub-section (4) is set-aside and case reopened under section 36 for making a fresh assessment, such fresh assessment shall be made within a period of six calendar months from the date of

setting aside the ex-parte order of assessment or within the period laid down in clause (i) whichever is later; and

- (c) nothing contained in this sub-section shall apply to proceedings initiated under section 22 or any proceeding other than assessment or re-assessment of tax that may be instituted under any other provisions of this Act.
- (8) Notwithstanding anything contained in sub-section (7), where assessment or re-assessment proceedings in respect of any dealer relating to any period cannot be completed before the expiry of the period specified herefore in the said subsection, the State Government, may by notification, for reasons to be recorded in writing, extend the period for the completion of such assessment proceedings in respect of such dealers by such further period as may be specified in such notification.
- (9) (a) where, a registered dealer claims refund of tax or input tax rebate in his return for any quarter or return or returns for any year and makes an application for his assessment for that quarter or that year but his assessment is not completed within the time specified in the proviso to sub-section (1) the claim made in the return or returns for that quarter or year shall stand accepted and such dealer shall be entitled to the refund of the amount of the tax or input tax rebate.
 - (b) where the assessment for any year of a registered dealer,-
 - (i) other than a registered dealer referred to in the proviso to sub-section (1), and
 - (ii) a registered dealer who has not furnished any return or returns for that year, is to be made under the provisions of sub-section (4) or sub-section (5) is not made within the time provided in sub-section (7) or within the time extended under sub-section (8), then,-
 - (a) the returns furnished by the registered dealer in (i) above shall stand accepted and he shall be deemed to have been assessed for the purpose of the Act.
 - (b) the assessment of the registered dealer in (ii) above shall become time-barred.

••••••••••••

Assessment/reassessment of tax in certain circumstances.

- (1) Where an assessment or re-assessment of a dealer has been made under this Act or the Act repealed by this Act and for any reason any sale or purchase of goods liable to tax under this Act or the Act repealed by this Act during any period,—
 - (a) has been under assessed or has escaped assessment, or
 - (b) has been assessed at a lower rate, or
 - (c) any wrong deduction has been made while making the assessment, or
 - (d) a rebate of input tax has incorrectly been allowed while making the assessment,
 - (e) is rendered erroneous and prejudicial to the interest of revenue consequent to or in the light of any judgment or order of any Court or Board, which has become final.

- the commissioner may, at any time within a period of three calendar years from the date of order of assessment, proceed in such manner as may be prescribed, to assess or re-assess, as the case may be the tax payable by such dealer after making such enquiry as he considers necessary, and assess or re-assess to tax.
- (2) The commissioner shall, where the omission leading to assessment or reassessment made under sub-section (1) is attributable to the dealer, impose upon him a penalty not exceeding twice the amount of tax so assessed, or re-assessed but shall not be less than the amount of tax assessed.
- (3) The assessment or re-assessment under sub-section (1) shall be made within a period of two calendar years from the date of commencement of the proceedings under the said sub-section.
- 23. In computing the period of limitation prescribed for assessment or reassessment as the case may be, under section 21 or section 22, the time during which any assessment or reassessment proceedings remained stayed under the order of any civil or other competent court, or under the special or general order of the commissioner issued under section 47, shall be excluded.

Exclusion of time in assessment proceedings.

Any dealer who is entitled or required to attend or appear before any officer appointed under section 3 in connection with any proceedings under this Act, otherwise than when required under section 45 to attend personally for examination on oath or affirmation, may authorize in writing to attend or appear on his behalf, a person being a relative of or a person regularly employed by the dealer, or a legal practitioner or a chartered accountant or a tax practitioner.

Appearance before taxing authorities.

- (2) For the purpose of sub-section (1) any person who -
 - (a) before coming into force of this Act, had been enrolled as a sales tax practitioner/ tax practitioner, or
 - (b) holds a degree in law or commerce or the degree of bachelor of arts with economics as one of his subjects conferred by any Indian university incorporated by any law for the time being in force or by any other university as the State Government may, from time to time by notification, specify; or
 - (c) does not possess any of the qualifications referred to in sub-clause (b) but has held a post, in the Sales/Commercial Tax Department, not below the rank of an assistant sales tax officer / assistant commercial tax officer for at least ten years and is granted a certificate by the commissioner having regard to his record of service in the department as being a fit and proper person to appear in any proceeding under this Act, shall be entitled to appear as a tax practitioner.
- (3) Every person referred to in clause (b) or clause (c) of sub-section (2) who is eligible to appear as a tax practitioner in any proceedings under this Act shall get himself enrolled on payment of such fee as may be prescribed.
- (4) If the commissioner is satisfied that the application for enrollment is in order, he shall issue to the applicant an enrollment certificate in the prescribed form. If the commissioner, after making such enquiry as he deems fit, and after giving the applicant a reasonable opportunity of being heard is not so satisfied, he shall, for reasons to be recorded in writing, reject the application.
- (5) Notwithstanding anything contained in sub-sections (1) and (2) no person who has held any post in the commercial/sales tax department not below the rank of

a commercial/sales tax Inspector shall be entitled to represent any dealer in any proceeding under this Act:-

- if he has at any time, passed any order in such proceeding, while he was holding any post in the department;
- (ii) if the place of business of the dealer whom he desires to represent is in the district or circle within the territorial jurisdiction of which the head quarter of the office of the commercial tax department in which he had held such post was located, unless a period of two years has elapsed since he ceased to hold that post.

Provided that nothing in clause (ii) shall apply to such person if the representation is to be made before an officer holding a rank higher than the rank last held by such person.

- (6) No person who has been dismissed from Government service shall be qualified to represent any dealer under sub-section (1).
- (7) If any tax practitioner is found guilty of misconduct by the commissioner in connection with any proceeding under this Act or the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956) or the Act repealed by this Act, the commissioner may pass any order for awarding him punishment including disqualification from appearing as a tax practitioner in any proceeding under the aforesaid Acts, as he deems fit:

Provided that no such order shall be passed unless he is given a reasonable opportunity of being heard.

- (8) Any tax practitioner whose application for enrollment is rejected under subsection (4) or who is disqualified under sub-section (7) may within sixty days of the direction relating thereto, appeal to the Board.
- (9) If any advocate or chartered accountant is found guilty of misconduct in connection with any proceeding under this Act or the Act repealed by this Act, the commissioner shall refer the matter to the authority empowered to take disciplinary action against the persons of these professions for taking appropriate action.

Payment and recovery of tax, interest penalty and other dues.

- 25. (1) The tax payable for each year shall be paid in the manner hereinafter provided at such intervals as may be prescribed.
 - (2) Before any registered dealer furnishes any return as required by sub-section (1) of section 19, he shall pay in the prescribed manner and time, the full amount of tax payable according to such return and the amount of interest under sub-section (4) of section 19, if any payable by him.
 - (3) If the statement to be furnished under clause (b) of sub-section (1) of section 19 or a revised return furnished by a registered dealer in accordance with the provisions of sub-section (2) of the said section shows a higher amount of tax to be due than was shown in the original return or returns, he shall pay the difference and the interest payable, if any, under sub-section (4) of section 19 in such manner and time as may be prescribed.
 - (4) Notwithstanding anything contained in sub-section (2) or sub-section (3), where the registered dealer is the Central Government or a State Government or any of their departments, the commissioner may, subject to such terms and conditions as may be prescribed, permit such dealer to pay the amount of tax by book adjustment.

- (5) (i) The amount of tax -
 - (a) due where the returns were famished without full payment of tax, or
 - (b) assessed or re-assessed under sub-sections (4) and (5) of section 21 less the sum, if any, already paid by the dealer or person in respect of the said year together with interest, if any, required to be paid and the penalty if any, directed to be paid under clause (c) of sub-section (4) of section 19, or
 - (c) (i) assessed under sub-section (6) of section 21 or section 22 together with the interest and/or penalty, if any, directed to be paid thereunder, and
 - (ii) the amount of penalty if any imposed or directed to be paid under any provisions of this Act not covered under sub-clause (b) and (c).

shall be paid by the dealer or person in the prescribed manner by such date as may be specified in a notice in the prescribed form to be issued by the commissioner for this purpose and the date to be so specified shall-ordinarily be not less than thirty days from the date of service of such notice.

- (6) Where on an admission of a first appeal or a second appeal, the appellate authority stays the recovery of any amount of tax assessed or penalty imposed and on a decision in such appeal by it the amount of tax or penalty so stayed has been maintained in whole or in part by it, the dealer shall be liable to pay interest under sub-section (4), of section 19 on such amount at the rate of 1.25 per cent per month for the period from the date on which the recovery of such amount was stayed by the appellate authority to the date of its payment after the decision in appeal.
- (7) If, for any reason, a dealer or person, is unable to pay the tax assessed, interest payable or levied or the penalty imposed on him under this Act or the tax payable by him in advance of assessment within the time specified therefor in the notice of demand, he may apply to the commissioner in writing to grant him further time for payment of such amount or to permit him to pay such amount in installments. Subject to such conditions and restriction as may be prescribed, the commissioner may grant further time to such dealer or person or allow him to pay such amount in installments on such conditions as he may deem fit to impose. Where any extension of time or permission to pay by installments is granted, the dealer or person shall be liable to pay interest on such amount from the last date on which the amount was due to be paid in accordance with such notice of demand. The interest shall be paid at fifteen per cent per annum for the period commencing from such last date.
- (8) Where a dealer or person does not pay the tax assessed or the interest levied or the penalty imposed on him or any other amount due from him under this Act within the time specified therefor in the notice of demand and the dealer or person, has not obtained any order under sub-section (7) or has failed to pay the amount in accordance with the order passed by the commissioner under sub-section (7), the commissioner shall, after giving the dealer or person a reasonable opportunity of being heard, direct that such dealer or person shall, in addition to the amount due, pay by way of penalty a sum equal to 1.25 per cent of such amount of tax, penalty or any other amount due, for every month, for the period for which payment has been delayed by him after the last date on which such amount was due to be paid.

(9) (a) Where the State Government after such enquiry as it may deem fit, is of the opinion that genuine hardship is being caused to a dealer or person due to any proceedings initiated for recovery of any amount outstanding against him, the State Government may, subject to such restrictions and conditions as may be prescribed, grant to the dealer or person additional time to pay such amount or may grant facility to pay such amount in installments and pending the completion of such enquiry, the State Government may stay the recovery of the dues. In respect of every such facility the dealer or person shall be liable to pay interest at the rate specified in sub-section (7).

Provided that no such facility shall be granted to the dealer or person unless he has in the first instance applied in this behalf to the commissioner under sub-section (7).

- (b) If the dealer or person does not comply with any order passed by the State Government, the commissioner shall impose on him penalty under sub-section (8).
- (10) Where the commissioner is of the opinion that interest payable by a dealer to whom any facility has been given under sub-section (7) or sub-section (9) has caused him hardship, the commissioner may remit such portion of the interest payable on the dues or on the penalty imposed in accordance with the order of assessment or the order imposing penalty, as is in excess of the tax or the penalty paid or payable.

Provided that the commissioner shall not remit the interest unless the dealer has paid in full the amount of tax and/or penalty required to be paid by him.

- (11) (a) If any amount of tax, interest, penalty, or any other amount due under this Act or the Acts repealed by section 52 of Act No.2 of 1959 or the Act repealed by section 81 of Act No. 5 of 1995 or the Act repealed by this Act (hereinafter referred to as the repealed Act) remains unpaid on the expiry of the period prescribed for the payment thereof by or under this Act or the repealed Act or on the expiry of the period specified in any notice of demand or order issued or made under this Act or the repealed Act or the rules made thereunder, for the payment thereof, the dealer or person liable to pay such amount shall be deemed to be in default as to the whole of the amount then outstanding;
 - (b) When a dealer or person is in default or is deemed to be in default under clause (a), the amount outstanding shall be recoverable as an arrear of land revenue according to the provisions of Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 2 of 1959) and for the purpose of effecting the recovery of such amount -
 - the commissioner of sales tax shall have and exercise all the powers and perform all the duties of the commissioner under the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959);
 - (ii) an additional commissioner of sales tax shall have and exercise all the powers and perform all the duties of the Additional Commissioner under the said code;
 - (iii) a deputy commissioner of sales tax shall have and exercise all the powers and perform all the duties of the collector under the said code;

- (iv) an assistant commissioner of sales tax shall have and exercise all the powers and perform all the duties of the assistant or a deputy collector under the said code;
- a sales tax officer and assistant sales tax officer shall have and exercise all the powers and perform all the duties of the tahsildar under the said code.
- (c) Every notice issued or order passed in exercise of the powers conferred by clause (b), shall for the purpose of sections 48, 49, 55, 56 and 66 of this Act be deemed to be a notice issued or an order passed under this Act.
- Where in pursuance of sub-section (11) any proceedings for the recovery as an arrears of land revenue of any tax, penalty, interest or part thereof or any other amount remaining unpaid, have been commenced and the amount of tax, penalty, interest, or any other amount is subsequently modified, enhanced or reduced in consequence of any assessment made or order passed in appeal under section 48 or revision under section 49 or rectification of mistake under section 56, the commissioner shall, in such manner and within such period as may be prescribed, inform accordingly the dealer or person and the authority by whom or under whose order the recovery is to be made and thereupon such proceedings may be continued as if the amount of tax, penlty, interest or any other amount as modified, enhanced or reduced, had been substituted for the tax, penalty, interest or any other amount which was to be recovered under sub-section (11).
- 26. (1) Where any registered dealer fails to furnish any return for any period as required by sub-section (1) of section 19 and fails to pay the tax payable for such period,

Payment of tax in advance of assessment on failure to furnish returns.

- the commissioner may, if the tax payable by such dealer in a year does not ordinarily exceed ten thousand rupees; and
- (b) the commissioner shall, if the tax payable by such dealer in a year exceeds rupees ten thousand, require such dealer to pay such tax, in the manner laid down in the following sub-sections, in advance of an assessment which may be made under section 21.
- (2) The amount of tax payable in advance under sub-section (1) shall be computed by the commissioner as under:-
 - (a) Where a registered dealer has been assessed to tax for any previous year or part thereof, the tax payable in advance shall be an amount which bears to the amount of tax assessed in respect of the latest previous year or part thereof the same proportion as the period for which the tax payable in advance bears to the period for which the latest assessment was made.
 - (b) Where a registered dealer has not been assessed to tax for any previous year or part thereof but has furnished the return as required by sub-section (1) of section 19 for any period, the tax payable in advance shall be an amount which bears to the maximum amount of tax payable according to any such return the same proportion as the period for which the tax payable in advance bears to the period for which such maximum amount of tax was payable according to such return.
 - (c) Where a registered dealer has not been assessed to tax under this Act for any previous year and no returns have been furnished by him for such year or where a registered dealer has no previous year, the tax payable in advance shall be such amount as the commissioner may determine to the best of his judgment.

- (3) After the expiry of the date by which the return has become due, the commissioner may issue a notice in the prescribed form to a registered dealer who has failed to furnish such return requiring him to pay in the prescribed manner and within the prescribed time the tax payable in advance computed in accordance with sub-section (2).
- (4) If any registered dealer who is required under sub-section (3) to pay the tax in advance furnishes the return under sub-section (1) of section 19 and pays the amount of tax in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 25 on or before the date specified in the notice issued under sub-section (3) or satisfies the commissioner that the return had already been furnished by him by the date by which it was due, the said notice shall stand cancelled.
- (5) The tax payable in advance or any part thereof left unpaid within the time specified in the notice issued under sub-section (3) shall be recoverable as an arrear of land revenue for which purpose the provisions of sub-sections (11) and (12) of section 25 shall mutatis mutandis apply.
- (6) The tax paid under this section shall be adjusted towards the tax assessed or reassessed under section 19.

Deduction and payment of tax in certain cases.

- (1) Any person responsible for making payment of any sum to any dealer as a consideration for the sale or supply of any goods in pursuance of a contract between such dealer and the Central Government or a State Government (hereinafter referred to in this section as the purchaser), shall before crediting such sum to the account of the dealer or before payment thereof in cash or by issue of a cheque or draft or by any other mode, deduct an amount equal to the amount payable by the purchaser to the dealer by way of tax, where the total amount of the bill exceeds rupees five thousand and shall pay it to the State Government in such manner as may be prescribed.
- (2) Notwithstanding anything contained in any other provision of this Act, any person letting out a works contract of value exceeding rupees three lac to a contractor involving sale of any goods in the course of execution thereof by the contractor shall before making the payment of any amount towards the value of such contract to him, deduct at the rate of two percent an amount towards the tax payable by the contractor under this Act.
- (3) On deduction of the amount under sub-section (1), or sub-section (2) the person making such deduction shall issue to the dealer or the contractor, as the case may be, a certificate therefor in the prescribed form and shall deposit such amount in to the Government Treasury in such manner and within such period as may be prescribed.
- (4) Any person making the payment under sub-section (1) or sub-section (2) shall be deemed to have made the payment on the authority and on behalf of the dealer or the contractor and the receipt for such payment shall constitute a good and sufficient discharge of the liability of the purchaser to the dealer or the contractor to the extent of the amount specified in the receipt
- Where any payment under sub-section (1) or sub-section (2) is made by a purchaser or the person letting out the contract, on behalf of the dealer or the contractor such payment shall constitute a good and sufficient discharge of the hability of the dealer or the contractor to pay tax in respect of such transaction and the amount so paid shall be adjusted by him in such manner as may be prescribed.
- (6) Where a person contravenes the provisions of sub-section (1), sub-section (2), or sub-section (3) the commissioner may impose upon such person by way of

- penalty an amount which shall be 2 percent per month of the amount required to be deducted under sub-section (1) or sub-section (2), subject to a maximum of 25 percent of such amount.
- (7) Any sum which a person is required to deduct under sub-section (1) or subsection (2) or the penalty imposed under sub-section (6) if it remains unpaid, be recoverable as an arrear of land revenue.
- (8) Every person making a deduction under sub-section (1) or sub-section (2) shall furnish a statement in such form, to such authority, in such manner and within such time as may be prescribed.

Explanation - For the purpose of sub-section (2), "person" means -

- (i) Department of the Central or the State Government.
- (ii) Public Sector Undertaking,
- (iii) Municipality and Municipal Corporation,
- (iv) Authority constituted under any law for the time being in force,
- (v) Limited company.
- 28. Notwahstanding anything contained in section 27 no deduction towards tax under the provisions of the said sections shall be made from any consideration payable to a dealer or person, if such dealer or person farnishes to the person responsible for paying any amount in respect of the sale or supply of goods a certificate in writing in such form by such authority in such manner as may be prescribed.

Saving for person responsible for deduction of tax at source.

29. (1) Notwithstanding anything contained in section 25 or any law or contract to the contrary, the commissioner or any officer other than the officer appointed under clause (g) of sub-section (1) of section 3, may at any time or from time to time, by a notice in the prescribed form a copy of which shall be sent to the dealer or person, at his last address known to the officer issuing the notice, require,

Special mode of recovery.

- (a) any person from whom any amount is due or may become due to a dealer or person who has failed to comply with a notice of demand for any amount due under this Act.
- (b) any person who holds or may subsequently hold any money for or on account of such dealer or person, to pay to the Government under this sub-section, either forthwith or upon the money becoming due or being held or within the time specified in the notice (not being before the money becomes due or is held), so much of the money, as is equal the amount due from the dealer or person in respect of the arrears of the tax, interest and penalty under this Act or the whole of the money when it is less than that amount.
- Explanation For the purpose of this sub-section the amount due to a dealer or person or money held for or on account of a dealer or person, by any person shall be computed after taking into account such claims, if any, as may have fallen due for payment by such dealer or person to such person, as may be lawfully subsisting.
- (2) The Officer issuing a notice under sub-section (1) may at any time or from time to time amend or revoke any such notice or extend the time for making any payment in pursuance thereof.

- (3) Any person making any payment in compliance with a notice issued under subsection (1) shall be deemed to have made the payment under the authority of the dealer or person and the treasury receipt for such payment shall constitute a good and sufficient discharge of the liability of such a person to the dealer to the extent of the amount specified in the receipt.
- (4) Any person discharging any liability to the dealer or person after service on him of the notice issued under sub-section (1) shall be personally liable to the State Government to the extent of the liability discharged or to the extent of the liability of the dealer or person for tax or penalty or both, whichever is less.
- (5) Where a person on whom a notice is served under sub-section (1) proves to the satisfaction of the officer who issued the notice that the sum demanded or any part thereof was not due to the dealer or person or that he did not hold any money for or on account of the dealer or person, at the time the notice was served on him, then nothing contained in this section shall be deemed to require such person to pay to the Government any such money or part thereof, as the case may be.
- (6) Any amount of money, which a person is required to pay under sub-section (1) or for which he is personally liable to the State Government under sub-section (4), shall, if it remains unpaid, be recoverable as an arrear of land revenue.
 - (7) The provisions of this section shall be without prejudice to any action that may be taken for recovery of the arrears of tax, interest and penalty, if any, due from the dealer or person.

Payment of tax in case of transfer or dicontinuance of business.

30.

- (1) When the ownership of the business of a dealer liable to pay tax under this Act is entirely transferred, the transferor and the transferee shall jointly and severally be liable to pay the tax together with penalty, if any, or interest or penalty payable in respect of such business for any year or relatable to a part of any year and remaining unpaid at the time of the transfer and the transferee shall also be liable to pay the tax on the sales or purchases of goods effected by him with effect from the date of such transfer and shall within thirty days of the transfer apply for registration unless he already holds a registration certificate.
- (2) When a dealer is a firm or association of persons or a joint Hindu Family and such firm, association or family has discontinued business -
 - (a) the tax payable under this Act by such firm, association or family for the period upto the date of such discontinuance may be assessed and determined as if no such discontinuance had taken place; and
 - (b) every person who was at the time of such discontinuance a partner of such firm or a member of such association or family shall notwithstanding such discontinuance, be liable severally and jointly for the payment of the tax payable by such firm, association or family, whether such assessment is made prior to or after such discontinuance and, subject as aforesaid the provisions of this Act shall apply as if every such person or partner were himself a dealer:

Provided that when it is found that a change has occurred in the constitution of the firm or association or that such firm or association has transferred its business and the tax payable by a partner or member as aforesaid cannot be recovered from him, it may be recovered from the firm or association as reconstituted or from the transferee:

Explanation - The dissolution or reconstitution of a firm or association of persons or partition of Joint Hindu family shall be deemed to be discontinuance of business within the meaning of this sub-section.

- (3) The provisions of this section shall mutatis mutandis apply to any arrears of tax payable under the Act repealed by section 81 of Act No. 5 of 1995 or the Act repealed by this Act and due for any year or relatable to a part of any year prior to such transfer of business, discontinuance or dissolution of the partnership or the partition of undivided Hindu family, as the case may be.
- 31. Notwithstanding any contract to the contrary, where any firm is liable to pay tax under this Act, the firm and each of the partners of the firm shall be jointly and severally liable for such payment:

Liability of firms.

Provided that where any such partner retires from the firm, he shall also be liable to pay the tax, interest and the penalty, if any remaining unpaid at the time of his retirement and any tax due upto the date of retirement though un-assessed on that date.

32. Where during the pendency of any proceeding under this Act or under the Act repealed by section 81 of Act No. 5 of 1995 or the Act repealed by this Act or under the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) any dealer creates a charge on or parts with the possession by way of sale, mortgage, gift, exchange or any other mode of transfer whatsoever of any of his assets in favour of any other person with the intention to defraud revenue, such charge or transfer shall be void as against any claim in respect of any tax or any other sum payable by the dealer as a result of the completion of such proceeding under this Act or under the Act repealed by section 81 of Act No. 5 of 1995 or the Act repealed by this Act or in pursuance of such proceeding under the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959).

Transfers to defraud revenue void.

33. Where a dealer dies, his executor, administrator, or other legal representative shall be deemed to be a dealer for the purposes of this Act and the provisions of this Act shall apply to him in respect of the business of the said deceased dealer:

Assessment/reassessment of legal representatives.

Provided that in respect of any tax assessed/re-assessed or any penalty imposed or any interest payable by the deceased dealer or any tax, or penalty or interest, which would have been payable by him under this Act, if he had not died, the executor, administrator or other legal representative shall be liable to the extent of the assets of the deceased in his hands.

34. In the case of any guardian, trustee or agent of any minor or other incapacitated person carrying on business on behalf of and for the benefit of such minor or other incapacitated person, the tax shall be levied upon and recoverable from such guardian, trustee or agent, as the case may be, in the like manner and to the same extent as it would be leviable on, and recoverable from, any such minor or other incapacitated person, if he were of full age and sound mind and if he were conducting the business himself and all the provisions of this Act and rules made thereunder shall apply accordingly.

Assessment in special cases.

35. Notwithstanding anything to the contrary, contained in any law for the time being in force and subject to the provisions of section 530 of the Companies Act, 1956 (No. 1 of 1956), any amount of tax and/ or penalty or interest, if any, payable by a dealer or other person under this Act shall be first charge on the property of the dealer or such person.

Tax to be first charge.

36. Where in the proceedings for assessment reassessment of any dealer for any period an order is passed *ex-parte* the dealer may :-

Power to set aside an exparte order.

(a) if he had previous intimation of the date of hearing, within thirty days of date of hearing; and

(b) if the dealer had no previous intimation of the date of hearing, within thirty days from the date of service of such order, apply to the commissioner to set aside the order and reopen the case and if the commissioner is satisfied that the applicant did not receive notice or was prevented by sufficient cause from appearing on the date fixed, he may set aside the order and reopen the case for hearing.

Provided that :-

- (i) no application for setting aside an ex-parte assessment order shall be entertained unless it is accompanied by satisfactory proof of payment of the amount of tax admitted by the dealer;
- (ii) such an application shall be entertained only once in the course of such proceeding.

Collection of tax by 37. (1) No person other than,

- (i) a registered dealer, or
- (ii) a person who is deemed to be a registered dealer under sub-section (9), or
- (iii) a person required to deduct any amount by way of tax under the provisions of the Act.
 shall collect any amount by way of tex under this Act. No collection of tax shall be made by the person specified in (i) to (iii) above except in accordance with the provisions of this Act and the rules made thereunder.
- (2) Any amount collected by any person in contravention of the provisions of sub-section (1) or any amount reflected by any person by way of tax or in any other manner not payable under any provision of this Act and not returned by him to the person from whom it was collected shall be hable to forfeiture to the State Government.
- (3) If the commissioner, in the course of any proceeding under this Act or otherwise, has reason to believe that any amount is liable for forfeiture under sub-section (2), he shall serve, on the person who has collected such amount, a notice in the prescribed form requiring him to show cause why the said amount should not be forfeited to the State Government and on receipt of the reply, if any, thereto, the commissioner shall make enquiry and shall make such order including an order of forfeiture as he thinks fit, after giving such person a reasonable opportunity of being heard.
- (4) Where an order of forfeiture under sub-section (3) has been made, the person making the unauthorised collection shall forthwith pay the amount so forfeited to the State Government, if it has not already been paid and on his failure to do so, such amount shall be recoverable from him as if it were a tax due from him.
- (5) Where an order for forfeiture is passed, the commissioner shall publish or cause to be published in the prescribed manner a notice therefor for information of the persons from whom the amount so forfeited had been collected giving such details as may be prescribed.
- (6) On the publication of the notice under sub-section (5) a refund of such amount or part thereof may be claimed from the State Government within one year from the date of publication of the said notice by the person from whom it was unauthorisedly realised by way of tax and for this purpose the person claiming the refund shall make an application in the prescribed form.

- (7) On receipt of an application under sub-section (6) the commissioner shall hold such enquiry as he deems fit and if he is satisfied that the claim is valid and admissible and that the amount so claimed as refund was actually paid to the State Government and no refund or remission in respect of that amount was granted, the commissioner shall refund such amount or any part thereof to the person concerned.
- (8) Notwithstanding anything contained in this Act or in any other law for the time being in force where any amount collected by any person is fortested to the State Government under this section, such forfeiture shall, if the amount forfeited has been paid to the State Government, discharge him of the hability to refund the amount to the person from whom it was so collected.
- (9) A dealer specified in sub-section (11) of section 16 shall be deemed to be a registered dealer for the purpose of sub-section (1).
- 38. (1) Notwithstanding anything contained in this Act, a tax on the sale or purchase of goods shall not be imposed under this Act -

Sales not liable to tax.

- where such sale or purchase takes place outside the State of Chhattisgarh;
 or.
- (ii) where such sale or purchase takes place in the course of inter-State trade or commerce; or
- (iii) where such sale or purchase takes place in the course of import of the goods into, or export of the goods out of the territory of India.
- (iv) where sale is made to such registered dealer for the purpose of manufacture, production, processing, assembling, repairing, reconditioning, reengineering, packaging or for use as trading or packing material or packing accessories in a unit located in any Special Economic Zone, who has been authorized to establish such unit by the authority specified by the central government in this behalf.
- (2) For the purpose of this section, whether a sale or purchase takes place, -
 - (i) outside the State of Chhattisgarh; or
 - (ii) in the course of inter-State trade or commerce; or
 - (iii) in the course of the import of goods into the territory of India or the export of goods out of such territory,
 - shall be determined in accordance with the principles specified in section 3, 4 and 5 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No.74 of 1956).
 - (iv) the expression "Special Economic Zone" shall have the meaning assigned to it in clause (iii) to explanation 2 to the proviso to section 3 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944).

CHAPTER - VII REFUND

39. (1) If the commissioner is satisfied that the tax or penalty or both or interest paid by or on behalf of a dealer for any year exceeds the amount of the tax to which he has been assessed or the penalty imposed or the interest payable under this Act for that year or that a registered dealer is entitled to the refund of rebate under

Refund.

sub-section (3) of section 13, he shall, in the prescribed manner, refund any amount found to have been paid in excess in cash or by adjustment of such excess towards the amount of tax due in respect of any other year from him.

- (2) If the commissioner is satisfied that due to an error committed by the dealer while crediting any amount payable under this Act or the Act repealed by this Act or the Central Sales Tax Act, 1956 (No.74 of 1956), into Government treasury the amount so paid cannot be accounted for the purpose for which it is credited, he shall subject to the provisions of sub-section (4) refund that amount in the manner prescribed either in cash or by adjustment towards the amount of tax due in respect of any other year from him.
- (3) If the appellate authority or the commissioner is satisfied to the like effect it shall cause refund to be made of any amount found to have been wrongly paid or paid in excess.
- (4) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) or sub-section (2) or sub-section (3) the authority empowered to grant refund shall apply the refundable amount in respect of any year towards the recovery of any tax, penalty, interest or part thereof due under this Act or under the Act repealed by this Act or under the Central Sales Tax Act, 1956 (No.74 of 1956) and shall then refund the balance remaining, if any.
- (5) Where a refund of any amount under sub-section (1) or sub-section (3) is not made or is not applied for the purposes mentioned in sub-section (4) within sixty days from the date of passing of the order for refund, the dealer shall be entitled and be paid interest at the rate of one per cent per month on the amount of refund for the period commencing from the date of expiry of the said period of sixty days and ending with the day on which the refund is made to him under sub-section (1) or sub-section (3) or is applied for the purposes mentioned in sub-section (4), as the case may be.
- Explanation -(i) Under this sub-section where the period for which interest is payable covers a period less than a month, the interest payable in respect of such period shall be computed proportionately.
 - (ii) For the purpose of this sub-section "month" shall mean thirty days.

Power to withhold refund in certain cases,

Accounts.

40. Where an order giving rise to a refund is passed and the commissioner is satisfied that the grant of the refund is likely to be prejudicial to the interest of revenue and action under sub-section (3) or sub-section (6) of section 49 is required to be initiated or an application to the Board to enhance the tax levied or penalty imposed is required to be made or the said order is the subject matter of any proceeding under section 55, the commissioner may withhold the refund till such time as the aforesaid proceedings are finally decided:

Provided that the dealer shall be paid interest under sub-section (5) of section 39 on the amount of refund ultimately determined to be due as a result of the aforesaid proceedings for the period commencing after the expiry of sixty days from the date of receipt of the order giving rise to the refund.

CHAPTER - VIII ACCOUNTS AND ISSUE OF BILLS, INVOICE OR CASH MEMORANDA

41.

(1) Every registered dealer and every dealer liable to pay-tax under this Act shall maintain correct account of his purchases, sales and stocks showing value, of different kinds of goods subject to different rates of tax under this Act.

Dealers to issue bills,

invoices or cash

memoranda.

- (2) Every dealer whose turnover in a year exceeds rupees forty lac shall get his accounts audited by a Chartered Accountant before the prescribed date and furnish the report of such audit in such form and in such manner and within such time as may be prescribed.
- (3) If the commissioner considers that the accounts maintained by any dealer or any class of dealers do not sufficiently enable him to verify the returns referred to in sub-section (1) of section 19 or the assessment cannot be made on the basis thereof, he may by an order, require any dealer or by notification any class of dealers, to keep such accounts including records of manufacture, sales, purchases or transfers in such form and in such manner as he may, subject to rules made under this Act, direct.
- (4) If the commissioner considers that any class of dealers are not in a position to maintain accounts in accordance with the provisions of sub-section (1), he may, for reasons to be recorded in writing, exempt such class of dealers from the operation of the provisions of the said sub-section.
- 42. (1) Every registered dealer, for each sale made by him shall issue to the purchaser, a bill, invoice or a cash memorandum including machine generated bill, invoice or a cash memorandum signed and dated by such dealer containing prescribed particulars including the amount of tax collected, if collected separately. Every such dealer shall also maintain a counterfoil or duplicate of each bill, invoice or cash memorandum issued by him with signature, date and all other aforesaid particulars and shall preserve it for a period of not less than five years from such date or till the completion of assessment whichever is earlier;

Provided that a bill, invoice or cash memorandum may not be issued where sale of any goods of value not exceeding rupees five hundred is made to any person other than a registered dealer.

(2) If a registered dealer contravenes the provisions of sub-section (1), the commissioner may, after giving such dealer an opportunity of being heard, direct him to pay by way of penalty a sum of rupees one hundred for each sale in respect of which such contravention has taken place subject to a maximum of rupees five thousand.

CHAPTER - IX CERTAIN POWERS OF THE COMMISSIONER AND DELEGATION BY THE COMMISSIONER OF HIS POWERS

43. Subject to the provisions of this Act and to such restrictions and conditions as may be prescribed, the commissioner may, by order in writing, delegate any of his powers and duties under this Act except those under clause (b) of sub-section (2) of section 57 and under sub-section (2), of section 64 to any person appointed under section 3 to assist him:

Delegation of Commissioner's powers and duties.

Provided that powers under section 40 and 49 shall not be delegated to an officer below the rank of a Deputy Commissioner of Sales Tax.

- 44. (1) The commissioner may transfer any proceeding or class of proceedings under any provision of this Act from himself to any person appointed under section 3 to assist him and he may likewise transfer any such proceeding (including the proceeding already transferred under this sub-section) from one such person appointed under section 3 to assist him to another such person or to himself. Intimation about the transfer of any such proceeding or proceedings shall be sent to the dealer.
 - (2) Where any proceeding or class of proceedings is transferred, the person to whom such proceeding or class of proceedings is transferred shall proceed to dispose

Transfer of proceedings. it off, as if it had been initiated by the said person, irrespective of the local limits of his jurisdiction. Such transfer shall not render necessary the re-issue of any notice already issued before the transfer and the person to whom the proceeding or class of proceedings is transferred may, continue it from the stage at which it was left by the person from whom it was transferred.

Power of Commissioner and his assistants to take evidence on eath, etc.

- (1) The Board, the commissioner or any person other than the officer referred to in clause (g) of sub-section (1) of section 3 shall, for the purposes of this Act, have the powers of Court of Civil jurisdiction under the Code of Civil Procedure, 1908 (V of 1908),-
 - (i) to summon and enforce the attendance of any person and examine him on oath or affirmation.
 - (ii) to compel the production of documents or accounts and to impound or detain them;
 - (iii) to issue commissions for the examination of witness; and
 - (iv) to require or accept proof of facts by affidavits; and
 - (v) such further powers as may be prescribed.
- (2) Every proceeding under this Act before the Board or the commissioner or any person other than an inspector, appointed to assist the commissioner under subsection (1) of section 3 shall be deemed to be a judicial proceeding within the meaning of sections 193 and 228 and for the purposes of section 196 of the Indian Penal Code, 1860 (XLV of 1860).

Power of Commissioner to call for information in certain cases.

- 46. The commissioner may, for the purposes of this Act -
 - (a) require any firm or any undivided Hindu family to furnish a statement of the names and addresses of the partners of such firm, or of the names and addresses of the manager and members of such family, as the case may be;
 - (b) require any person whom he has reason to believe to be a trustee, guardian manager or agent to furnish a statement of the name and address of the person for whom he is a trustee, guardian, manager or agent;
 - (c) require any person whom he has reason to believe to have purchased goods from outside or within the State of Chhattisgarh to furnish a statement of the name and address of the person from whom he has purchased such goods and the description and price thereof and the manner in which they were delivered to him;
 - (d) require any person in respect of whom he has reason to believe that he has despatched goods to any place outside or within the State of Chhattisgarh, to furnish a statement of the name and address of the person to whom he has dispatched such goods and of the description and price thereof.

Power of Commissioner to stay proceedings.

- 47. The commissioner may by special or general order:-
 - (a) pending examination of any question of law -
 - (i) before him, or
 - (ii) before the Board on an appeal under sub-section (1) of section 55, or

- (iii) before the High Court on an application under sub-section (2) of section 55, or
- (b) for any other reason to be recorded in writing.

stay any proceeding or proceedings under section 21 in respect of any dealer or class of dealers.

CHAPTER - X - APPEAL, REVISION AND RECTIFICATION

48. (1) Any dealer or person aggrieved by an order of assessment under section 21 with or without penalty or by an order of reassessment under section 22 with or without penalty passed in respect of him or by an order imposing penalty on him or to an order resulting in the reduction of refund or the input tax rebate or by any order passed under section 56 may, in the prescribed manner appeal against such order to the appellate deputy commissioner.

Appeal.

Provided that in a case where an application made under section 36 is rejected, such dealer or person may in the like manner appeal against the ex parte order of assessment and in computing the period of limitation for filing the appeal the period from the date of filing the application under section 36 to the date of service of order rejecting such application shall be excluded.

- (2) Any dealer or person aggrieved by an order passed in appeal filed under subsection (1) may, in the prescribed manner, appeal against such order to the Board:
- (3) Notwithstanding anything contained in the rules or the regulations framed by the Board under any law for the time being in force, any officer not below the rank of deputy commissioner duly authorized by the commissioner in this behalf shall also have the right to be heard at the hearing of the appeal under subsection (2).
- (4) No appeal shall be admitted,-
 - (i) by the appellate deputy commissioner under sub-section (1), unless out of the total balance due from the dealer-
 - (a) where all the returns for the period to which the order appealed against relates have been filed and tax payable according to such returns has been paid, ten percent of such balance:
 - (b) where one or more of the returns for the period for which the order appealed against relates have not been filed and tax has not been paid or where such return of returns have been filed but tax has not been paid, such part of the balance which shall be equal to.
 - (i) thirty three per cent, where the default relates to one quarter;
 - (ii) fifty per cent, where the default relates to two quarters; and
 - (iii) seventy five per cent, where the default relates to more than two quarters.
 - (c) fifty per cent of such balance; where a penalty under section 54 has been imposed;
 - (d) fifty percent of such balance where the order appealed against has been passed under section 22 and a penalty has been imposed under the said section, and

- (e) twenty five per cent of such balance; in any other case, and
- (ii) by the Board under sub-section (2), unless out of the total balance due from the dealer after the order passed by the appellate deputy commissioner in appeal under sub-section (1), twenty percent of such balance, is paid and the memorandum of appeal is accompanied by a satisfactory proof of payment of such amount and thereupon the appellate deputy commissioner or the Board, as the case may be, shall stay the recovery of the balance of tax and/or penalty till the decision of appeal:

Provided that where in the case of an appeal being filed under sub-section (1), a dealer is covered by more than one of the sub-clauses in clause (i) the provisions of the sub-clause requiring the payment of the highest amount, shall apply to such dealer and the appeal shall be admitted by appellate deputy commissioner only after he has paid such amount;

- (5) Every appeal under sub-section (1) shall be filed within thirty days and every appeal under sub-section (2) shall be filed within sixty days from the date of communication of the order against which the appeal is to be filed.
- (6) Subject to such procedure as may be prescribed and after such further inquiry as it may think fit the appellate deputy commissioner or the Board in disposing of any appeal under sub-section (1) or sub-section (2) as the case may be, may,-
 - (a) confirm, reduce, enhance or annual the assessment of tax or the imposition of penalty or both; or
 - (b) set-aside the assessment or the imposition of penalty or both and direct the officer whose assessment or penalty order or appellate order has been appealed against to make a fresh assessment or to re-impose penalty after such further enquiry as may be directed; or
 - (c) pass such order, as it may think fit.
- (7) In the case of an order passed by the appellate deputy commissioner such order subject to the provisions of sub-section (2) of this section or sub-section (1) of section 49, as the case may be, shall be final, and in the case of an order passed by the Board, such order shall, subject to the provisions of section 55 be final.

Power of revision by 49. (1) The Commissioner-Commissioner.

- in respect of any order passed by any officer specified in clauses (b) to (f)
 of sub-section (1) of section 3, may on his own motion; or
- (ii) in respect of any order passed by any officer specified in clauses (d) to (f)
 of sub-section (1) of section 3, on an application by a dealer or person
 made within the prescribed period from the date of order, shall;

call for the record of the proceeding in which such order was passed and on receipt of the record may make such enquiry or cause such enquiry to be made, as he considers necessary and subject to the provisions of this Act may, pass such order thereon, not being an order prejudicial to the dealer or person as he thinks fit:

Provided that,-

(a) the commissioner shall not revise any order under this sub-section, where an appeal against the order is pending before the appellate deputy

commissioner or the Board or where, if such appeal lies, the time within which it may be filed has not expired;

- (b) no revision shall lie,-
 - (i) against an order determining the liability of a dealer to pay tax or against a notice issued under this Act for assessment except after an assessment order is passed; and
 - (ii) against an order passed under section 36.

Explanation - An order by the commissioner, declining interference shall not be deemed to be an order prejudicial to the dealer or person.

- (2) The commissioner may on his own motion call for the record of any proceeding in which any order under sub-section (1) has been passed by an officer to whom the commissioner has delegated his powers under this section in pursuance of the provisions of section 43 and on receipt of the record, may make such enquiry or cause such enquiry to be made as he considers necessary and subject to the other provisions of this Act, may pass such order thereon not being an order prejudicial to the dealer or person as he thinks fit.
- (3) The commissioner may on his own motion or on information received call for and examine the record of any proceeding under this Act if he considers that any order passed therein by any person appointed under section 3 to assist him including any officer to whom he has delegated his powers under sub-section (1) is erroneous in so far as it is prejudicial to the interest of the revenue, and he may, after giving the dealer or person a reasonable opportunity of being heard, and after making or causing to be made such enquiry as he deems necessary, pass within one calendar year from the date of initiation of proceeding such order thereon as the circumstances of the case justify, including an order enhancing or modifying the assessment or canceling the assessment and directing a fresh assessment:

Provided that,-

- (a) no proceeding shall be initiated under this sub-section after the expiry of three calendar years from the date of the order sought to be revised:
- (b) no order shall be revised by the commissioner under this sub-section where a second appeal against such order is pending before the Board or such appeal has been decided by the Board on merits.
- (4) Any dealer or person objecting to an order passed by the commissioner under sub-section (3) may appeal to the Board within sixty days of the date on which the order is communicated to him.
- (5) The provisions of sub-section (4), (5) and (6) of section 48 shall, *mutatis* mutandis, apply to appeals filed under sub-section (4).
- (6) Where the commissioner considers that any order passed under sub-section (1) by his predecessor or any additional commissioner of sales tax in so far as it is prejudicial to the interests of revenue he may file an appeal against such order before Board within two years from the date of such order. The provisions of section 48 shall mutatis mutandis apply to the appeals filed under this subsection.

Additional evidence in appeal or revision.

50.

A dealer shall not be entitled to produce additional evidence whether oral or documentary in appeal before the appellate deputy commissioner of the Board or in revision before the commissioner except where the evidence sought to be adduced is evidence, which the assessing authority had wrongly refused to admit or which after exercise of due diligence was not within his knowledge or could not be produced by him before the assessing authority or for the production of which adequate time was not given by the assessing authority and in every such case upon the additional evidence being taken on record reasonable opportunity for challenge or rebuttal shall be given to the commissioner.

Court fee stamps on memorandum of appeal and application for revision. 51. A memorandum of appeal filed under section 48 or sub-section (4) or sub-section (6) of section 48 and an application for revision made under sub-section (1) of section 49 shall bear court fee stamps of such value as may be prescribed.

Application of sections 4 and 12 of the Limitation Act, 1963.

52. In computing the period laid down under sections 48, 49 and 55 the provisions of sections 4 and 12 of the Limitation Act, 1963 (No. 36 of 1963), so far as may be, shall apply.

Extension of period of limitation in certain cases.

53. The provisions of section 5 of the Limitation Act, 1963 (36 of 1963), so far as may be, shall apply to appeals and applications for revision under this Act.

Power of Commissioner or Appellate Deputy Commissioner or Board to impose penalty in certain circumstances.

- 54. (1) If the commissioner or the appellate deputy commissioner or the Board, in the course of any proceedings under this Act is satisfied that a dealer has concealed his turnover or the aggregate amount of purchase prices in respect of any goods or has furnished false particulars of his sales or purchases, as the case may be, in his return or returns for any year or part thereof or has furnished a false return or returns for such period, the commissioner or the appellate deputy commissioner or the Board as the case may be, may initiate proceeding separately for imposition of penalty under this section.
 - (2) The proceeding under sub-section (1) shall be initiated by the commissioner or the appellate deputy commissioner or the Board, as the case may be, by issue of a notice in the prescribed form for giving the dealer an opportunity of being heard. On hearing the dealer, the commissioner or the appellate deputy commissioner or the Board as the case may be, shall pass an order not later than one calendar year from the date of initiation of such proceeding, directing the dealer that he shall in addition to the tax payable by him, pay by way of penalty a sum which shall not be less than three times but shall not exceed five times of the amount of tax evaded.
 - (3) If the total tax shown as payable according to the return or returns and paid by a dealer for any period or part thereof is less than eighty per cent of the total tax assessed/re-assessed under section 21 such dealer shall be deemed to have concealed his turnover or aggregate of his purchase prices or to have furnished false particulars of his sales or purchases in his return or returns or to have furnished a false return or returns for the purpose of sub-section (1) unless he proves to the satisfaction of the commissioner or the appellate deputy commissioner or the Board, as the case may be, that the concealment of the said turnover or the aggregate of purchase prices or furnishing of particulars of sales or purchases or furnishing of the false return or returns was not due to any fraud or gross negligence on his part.

Statement of case to 55. High.

With in sixty days from the date of communication by the Board of any order to as dealer or to the commissioner under section 48 or section 49 or section 56 the dealer or the commissioner may, by application in writing accompanied, where the application is made by a dealer by a fee of one hundred rupees, require the Board to refer to High Court any question of law arising out of such order and where the Board decides to make a reference to the High Court, it shall draw up statement of the case and refer it accordingly.

- (2) If for reasons to be recorded in writing, the Board refuses to make a reference, the applicant may within sixty days from the date of communication of such refusal-
 - (a) withdraw his application and if he does so, the fee paid shall be refunded, or
 - (b) apply to the High Court to require the Board to make a reference.
- (3) If upon the receipt of an application under clause (b) of sub-section (2) the High Court is satisfied that the refusal was not justified, it may require the Board to state case and refer it, and on receipt of such requisition, the Board shall act accordingly.
- (4) If the High Court is satisfied that the case stated is not sufficient to enable it to determine the question of law raised, it may call upon the Board to make such additions of alterations as the Court may direct in that behalf.
- (5) The High Court upon the hearing of a reference under this section shall decide the question of law raised therein and shall deliver judgment thereon containing the grounds of decision and shall send to the Board a copy of the judgment under the seal of the Court and the signature of the Registrar, and the Board shall dispose of the case accordingly.
- (6) Where an appeal against the judgment of the High Court under sub-section (5) is entertained by the Supreme Court, the Board shall dispose of the case in accordance with the judgment delivered by the Supreme Court and for this purpose a copy of the judgment of this supreme court shall be sent to the Board by the High Court under its seal and the signature of the Registrar.
- (7) The cost of reference under this section, including the disposal of the fee referred to in sub-section (1) shall be in the discretion of the Court.
- (8) The tax ordered by the Board to be paid by an order in respect of which an application has been made under sub-section (1) shall notwithstanding the making of such application or any reference in consequence thereof, be payable upon the making of the order.
- (9) Where as a result of a reference under this section the tax due from any dealer is reduced below the amount paid by him under sub-section (8), the difference shall be refunded to him in accordance with the provisions of section 39.
- 56. (1) Rectification means correcting any clerical or arithmetical mistake apparent from the face of the record.

Rectification of mistakes.

- (2) The commissioner may -
 - (i) on his own motion at any time within six month from the date of any order passed by him; or
 - (ii) on an application made by a dealer within six month from the date of receipt of such application, rectify such order, in such manner as may be prescribed, or pass such order as he deems fit.

Provided that, -

(i) the commissioner shall not entertain any application by the dealer unless it is made within six month from the date of the order sought to be rectified:

- (ii) no such rectification shall be made if it has the effect of enhancing the tax or reducing the amount of refund unless the commissioner has given notice in the prescribed form to the dealer of his intention so to do and has allowed the dealer a reasonable opportunity of being heard.
- (3) (a) The provisions of sub-section (1) and sub-section (2) shall apply to the rectification of a mistake in any order passed by the Board or passed by the appellate deputy commissioner as they apply to the rectification of a mistake by the commissioner.
 - (b) The Board may rectify any order passed by it-
 - on its own motion at any time within six month from the date of passing of such order; and
 - (ii) on an application made by the dealer or the commissioner, at any time within six month from the date of receipt of such application.
- (4) Where any such rectification has the effect of reducing the amount of tax, the commissioner shall in the prescribed manner refund any amount due to the dealer.
- (5) Where any such rectification has the effect of enhancing the amount of the tax or reducing the amount of the refund, the commissioner shall recover the amount due from the dealer in the manner provided in section 25.

CHAPTER - XI DETECTION AND PREVENTION OF TAX EVASION

Constitution of a committee for detection and checking of evasion of tax by dealers liable to pay tax and power of the Commissioner to act suc motu or upon the such committee to investigate into the tax evasion by a dealer.

- (1) The State Government may constitute a committee for detection and investigation of evasion of tax under this Act or the Act repealed by this Act. The committee shall consist of such number of members as the State Government may determine. The committee shall be assisted by such officers specified in section 3 as the State Government may appoint for the purpose. The authority and the officers appointed to assist it shall perform such functions as the State Government may direct.
 - (2) (a) If upon any information which has come into its possession the committee has reason to believe that any dealer has evaded payment of tax or is indulging in evasion of tax under this Act or under the Act repealed by this Act, it may draw its report in the matter and send it to the commissioner to investigate into the tax evasion by such dealer.
 - (b) If in any emergent case, upon any information which has been received by the commissioner he has reason to suspect that a dealer is attempting to evade or has reason to believe that a dealer has evaded payment of tax or is indulging in evasion of tax, he may, for reasons to be recorded in writing, direct any of the officers referred to in clauses (c) to (g) of sub-section (1) of section 3 to proceed to investigate in to the tax evasion by such dealer.
 - On the receipt of the report from the committee in respect of a dealer or on his own motion in pursuance of the provisions of clause (b) of sub-section (2), the commissioner shall, subject to such conditions as may be prescribed:
 - (a) require the dealer to produce before him any accounts, registers or documents relevant to his business or to furnish such other information as he may deem fit for scrutiny, or

- (b) inspect the place of business of such dealer and for this purpose all accounts, registers and documents relating to the business of such dealer and all the goods kept in such place of business shall be open to inspection by the commissioner.
- (4) If on scrutiny of the records produced by the dealer or on inspection of his place of business under sub-section (3), the commissioner is satisfied that the dealer has evaded payment of tax payable by him for any year, he may for reasons to be recorded in writing, seize such accounts, registers or documents relating to the business of such dealer as he considers necessary, and grant a receipt therefor to the dealer and shall retain them only for so long as may be necessary, for examination thereof or for assessment of tax or for prosecution.
- (5) For the purpose of clause (b) of sub-section (3), the commissioner may -
 - (a) enter and search any place of business of such dealer or any other place whether such place be the place of his business or not, where the commissioner has reason to believe that the dealer keeps or is for the time being keeping any accounts, registers or documents of his business or stock of goods relating to his business and the commissioner may, for exercising the powers under this clause, seal or break open the lock of any door, box, locker, safe, almirah or any other receptacle where the keys thereof are not produced on demand or are not available; and
 - (b) also search any person who leaves or is about to enter or is already in the place referred to in clause (a), if the commissioner has reason to suspect that such person has secreted about his person, books of accounts or other documents relating to the business of such dealer.
- If in the course of scrutiny of accounts, registers or documents produced (6) (a) by the dealer or in the course of inspection of the place of business of such dealer, the commissioner has reason to believe that the dealer has stored or kept goods liable to tax, without accounting for them in books, registers or accounts maintained by him in the course of his business, with a view to their surreptitious sale in order to evade payment of tax, in any building, place or vehicle under the ownership or control of the dealer in either case whether exclusively or in association with some other person or in any building, place or vehicle in each case belonging to some other person with express or implied permission of such other person, the commissioner may enter any such building, place or vehicle and inspect and verify if the goods have been accounted for and in the event of his reasonable belief that the dealer has not accounted for such goods with the intention of evading tax, the commissioner may seize all such goods and take all necessary steps for their removal, proper custody and preservation:

Provided that a list of all goods seized under this clause shall be prepared by the commissioner in presence of at least two respectable persons and a copy thereof shall, on demand, be furnished to the dealer or, as the case may be, to the person from whose possession or custody they were seized.

(b) The commissioner shall as soon as possible, after seizure of the goods under clause (a), serve upon the dealer, a notice in the prescribed form to show cause within a period of thirty days of service of such notice as to why a penalty equal to five times the amount of tax payable and calculable on the price which such goods would have fetched on their assumed sale in Chhattisgarh, on the date of seizure, be not imposed on him for the dealers default in not making entries in respect of such goods in his books

of account or register or other documents, as the case may be, maintained by him in the course of his business.

- (c) If the commissioner, after taking into consideration the explanation of the dealer and after giving him an opportunity of being heard, is satisfied that the entries relating to the said goods were not made in the books of accounts, registers or other documents of the dealer without any proper justification, the commissioner shall pass an order imposing a penalty not less than three times but not exceeding five times of the amount of tax referred to in clause (b).
- (d) The commissioner may, at any time after the service of the notice under clause (b) and before passing an order imposing penalty under clause (c), release the goods seized if the dealer or the person from whom the goods were seized furnishes security in the form of cash security or bank guarantee to the satisfaction of the commissioner, in each case for such reasonable amount as the commissioner may specify by order in writing with due regard to the amount of penalty proposed. On payment by the dealer of the penalty imposed upon him under clause (c), if the security furnished is in the form of bank guarantee, the bank guarantee shall be released and if such security has been furnished in the form of cash security, it shall be adjusted towards the penalty so imposed and the balance, if any, shall be refunded to the dealer.
- (e) Where no security is furnished under clause (d), the dealer shall pay the amount of penalty, within thirty days of the service of the order imposing penalty on him and on payment of such amount goods seized shall be released forthwith.
- (f) If the dealer fails to pay within the period specified in clause (e) the penalty imposed under clause (c), the commissioner shall, subject to other provisions of this section, dispose of the goods by way of sale in such manner as may be prescribed and apply the sale proceeds thereof towards the penalty imposed and the expenses incurred on account of and incidental to the custody, protection, preservation and sale of such goods and shall refund the balance, if any, to the dealer or person entitled.
- (g) The penalty imposed under clause (c) shall be without prejudice to any other action under any other provision of this Act.
- (h) Where any objection is made to the seizure of the goods seized under clause (a) on the ground that such goods do not belong to the dealer or are not otherwise liable to seizure, the commissioner shall proceed to decide the objection:

Provided that no such objection shall be entertained -

- (i) where, before the objection is made, the goods seized had already been sold, or
- (ii) where the commissioner considers that the objection was designedly or unnecessarily made.
- (i) All questions including question relating to right, title or interest in the goods seized arising between the parties to such proceeding or their representatives and relevant to the adjudication of the claim or objection, shall be determined by the commissioner dealing with the claim or objection.

- Upon the determination of the question referred to in clause (i), the commissioner shall, in accordance with such determination:-
 - (i) allow the claim or objection and release the seized goods either wholly or to such extent as he thinks fit, or
 - (ii) disallow the claim or objection, or
 - (iii) pass such order as, in the circumstances of the case, he deems fit.
- (k) where any claim or objection has been adjudicated upon under clause (j) or where the commissioner refuses to entertain a claim or objection under the proviso to clause (h), any such order made shall be deemed to be an order relating to assessment of tax against a dealer under section 21 and shall be subject to the same condition as to appeal, revision or any other remedy under this Act.
- (7) Where the commissioner, apprehends any resistance to entry, search or seizure of goods he may for reasons to be recorded in writing requisition the services of any police officer of the State Government, having jurisdiction over the local area in which such entry, search or seizure is to be made, to assist him for all or any of the purposes specified in sub-section (3) or clause (a) of sub-section (5) or clause (a) of sub-section (6) and it shall be the duty of such police officer to comply with such requirement.
- (8) The commissioner while making entry, search and seizure under this section shall, unless otherwise expressly provided by or under this Act exercise the same power and follow the same procedure as are exercised by and are required to be followed by a Police Officer in relation to entry, search and seizure under the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974).
- 58. (1) The State government and or the commissioner if it or he is satisfied that it is accessary so to do with a view to prevent or check evasion of tax under this Act may, by notification, setup or erect check post or barriers at such place or places within the State excluding railway premises, as may be specified in the notification:

Provided that the commissioner shall not set up a check post or erect a barrier for a period exceeding six months at a time.

- (2) An officer not below the rank of a sales tax officer shall be in-charge of the check post (hereinafter referred to as the check post officer) and shall be assisted by the other category of the officers.
 - (b) Subject to the other provisions of this section a check post officer shall exercise all powers conferred on him under this section.
- (3) The driver or person in charge of any vehicle or the owner or person in charge of the goods carried in a vehicle (hereinafter referred to as the transporter) transporting such goods as may be notified by the State Government in this behalf (hereinafter referred to as the notified goods) shall carry with him an invoice, bill or challan or any other document by whatever name called relating to the notified goods being transported in the vehicle, issued by the consignor of the goods giving such particulars as may be prescribed.
- (4) (a) Every transporter transporting any notified goods shall, before crossing any check post or barrier set up or erected under sub-section (1), deliver to the check post officer a declaration duly signed by the consignor in such manner, in such form and containing such particulars as may be

Establishment of check posts and erection of barriers. prescribed. A separate declaration shall be filed in respect of the consignment or consignments relating to each consignee where the goods are being imported into Chhattisgarh and of each consignor where the goods are being sent outside the State. No declaration in relation to goods to be delivered in Chhattisgarh shall be accepted if the consignee in Chhattisgarh is shown or described as "self" unless the full particulars and address of the person who will take delivery of the goods at the destination in Chhattisgarh are furnished.

- (b) The form of declaration specified in clause (a) shall be obtained by a registered dealer in the prescribed manner and on payment of the prescribed fee.
- (5) The transporter shall stop the vehicle at every check post or barrier and keep it stationary for so long as may reasonably be required by the check post officer and allow him to search the vehicle and inspect the notified goods and document referred to in sub-section (3) and shall, if so required, give him his name and address and the names and addresses of the owner of the vehicle and of the consignor and the consignee of the goods.
- (6) The check post officer shall have the power to detain or seize such of the notified goods or the vehicle along with the goods,-
 - (a) in respect of which there is no declaration under sub-section (4) or any such declaration filed is false or incorrect either in respect of the kind of goods or the quantity or value thereof, or
 - (b) as are not shown in the documents referred to in sub-section (3) or in respect whereof there are no such documents : or
 - (c) in respect whereof the said documents are false or are reasonably suspected to be false:
- (7) If the check post officer, after searching the vehicle and verifying the documents or the declaration, finds any omissions referred to in sub-section (6), he may presume, until contrary is proved that an attempt was being made to facilitate the evasion of tax in respect of such goods and he may, after recording the reasons therefore in writing, seize such goods or the vehicle along with the goods in such manner as may be prescribed.
- (8) After seizing the notified goods under sub-section (7) the check post officer shall prepare a list of all such goods bearing his own signature and signature of the transporter and shall take all the measures for their safe custody.
- (9) The check post officer seizing the notified goods or the vehicle along with the goods under sub-section (7) shall also record the statement of the transporter on all facts of the case and also obtain the particulars about the consignor or consignee of the goods and the vehicle seized. The reasons, if any, for violation of any provision of this section shall also be recorded.
- (10) If after considering the statement of the transporter the check post officer is satisfied that the explanation is satisfactory and that there was no attempt to evade payment of tax in respect of the goods seized, he shall record his findings giving reasons therefor and release the goods or the vehicle along with the goods to the transporter in such manner as may be prescribed.
- (11) If the check post officer is not so satisfied, he shall serve on the transporter a notice in the prescribed form requiring him to show cause ordinarily within fifteen days of the service of the notice, why a penalty of a sum not exceeding

five times the amount of tax which would have been payable if the notified goods were sold within the State on the date of such seizure, as may be specified in the notice, should not be imposed upon him.

- (12) The officer seizing the notified goods, at any time during the pendency of the proceedings under sub-section (13), may on furnishing of security in the form of cash security or irrevocable bank guarantee for such amount being deposited as, in his opinion, would be sufficient to cover the penalty likely to be imposed, release the goods or/and the vehicle in favour of the transporter.
- (13) The check post officer after taking into consideration the explanation, if any, of the transporter and giving him an opportunity of being heard, shall if he is satisfied, for reasons to be recorded in writing with the explanation and the statement of the transporter, discharge the notice and release the goods or the vehicle with or without the goods seized, in favour of the transporter in such manner as may be prescribed. If the said officer is not so satisfied, he shall record his finding accordingly giving reasons therefor and shall pass an order imposing such penalty not exceeding the sum specified in the notice, as he may deem fit:

Provided that the amount of penalty shall not be less than three times but not exceeding five times of the amount of tax which would have been payable if the goods were sold within the State.

- (14) A copy of the order imposing penalty under sub-section (13) shall be served on the transporter.
- (15) The penalty or such part thereof as remains after adjustment of any amount deposited under sub-section (12) shall be deposited in the prescribed manner within fifteen days of service of the copy of order imposing the penalty. In default the check post officer shall cause the notified goods to be sold in such manner as may be prescribed and apply the sale proceeds thereof towards the penalty and refund the balance, if any, to the transporter. If the sale proceeds of the goods are not sufficient to cover the amount of penalty or the goods cannot be sold despite the efforts made for the same, the said officer shall cause the vehicle to be sold in the aforesaid manner and apply the sale proceeds thereof towards the balance of penalty and refund the balance of such 'sale proceeds, if any, to the dealer.
- (16) Where the officer seizing the goods, at any time during the pendency of the proceeding under sub-section (11) or (13), is of the opinion that the notified goods are subject to speedy and natural decay or when the expenses of keeping them in custody are likely to exceed their value, he may cause them to be sold in such manner as may be prescribed without waiting for the completion of the proceedings relating to the imposition of penalty and keep the sale proceeds thereof in deposit till the completion of said proceedings. The amount so kept in deposit shall be applied towards such penalty, if any, as may be imposed and the balance, if any, shall be refunded to the transporter according to the provisions of sub-section (15).
- (17) Every order under sub-section (13) shall, subject to the provisions of section 48 and 49, be final.
- (18) The consignor or the consignee shall preserve the copy of the declaration and other documents relating to the goods covered by the declaration for such period as may be prescribed and produce them before the assessing authority whenever demanded by it within that period.

Transit of goods by road through the State and issue of transit pass.

- (1) When a vehicle coming from any place outside the State and bound for any other place outside the State passes through the State, the driver or other person in-charge of such vehicle (hereinafter referred to as transporter) shall obtain in the prescribed form and manner, a transit pass from the check post officer of the first check post after his entry in to the state and deliver it to the check post officer of the last check post before his exit from the State, failing which it shall be presumed that the goods carried in such vehicle have been sold within the State by the transporter.
- (2) The check post officer at the entry point who issues the transit pass shall intimate the information contained in the transit pass issued by him to the check post officer of the check post or barrier near the point from which the transporter declares that the goods shall be taken out of the State. If within a week of receipt of the transit pass the vehicle or the goods covered by the transit pass do not report at the exit point the check post officer of the check post or barrier at the exit point shall bring immediately this fact to the notice of the check post officer of the check post or barrier at the entry point. The later officer shall then initiate action to recover the penalty which could have been levied under the provisions of section 58 from the transporter.
- (3) The provisions of section 58 shall *mutatis mutandis* apply in relation to any goods or any vehicle alongwith the goods covered by the transit pass.

Power to check goods at the point of loading and unloading.

60.

Any officer appointed under section 3, not below the rank of an assistant sales tax officer may inspect the goods at the point of loading or unloading along with the documents of title to such goods and the person owning or for the time being in-charge of the vehicle in which such goods are transported, shall render all assistance to such officer for this purpose.

Power to check goods 61. in transit.

- (1) Every transporter transporting any goods by road in the state of Chhattisgarh shall carry with him an invoice, bill or challan or any other document, by whatever name called, issued by the consignor of the goods giving such particulars as may be prescribed.
- (2) Any officer, not below the rank of a commercial tax officer, as may be authorized by the commissioner, may, for the purposes of this Act, require the transporter to stop the vehicle at any place and allow him, and other persons assisting him, to search the vehicle and inspect the goods being carried, and to verify whether the document relating to such goods, which are in the possession of the transporter, are those as referred to in sub-section (1) and copy of the declaration referred to in sub-section (4) of section 58 and also whether the document are legible, correct and complete in all respects. The transporter, if so required by the officer, shall also give his name and address and the names and addresses of the owner of the vehicle, if the owner is different form the person in charge of the vehicle, and the consignor and consignee of the goods and also their registration certificate number if they are registered under this Act.
- (3) If the officer referred to in sub-section (2) finds, on the inspection of the vehicle, that the transporter is not carrying the document referred to in sub-section (1) or the document being carried are not in order or the transporter is not carrying a copy of the declaration referred to in sub-section (2), he may direct the transporter to take the vehicle along with the goods and the documents to the nearest check post or the circle of the sub-circle office to be named by him, and stop it and keep it stationary there till such time as may be required for action in accordance with the provisions of section 58.
- (4) Thereupon the officer referred to in sub-section (2), may initiate action for seizure of the goods and/or the vehicle, and for imposition of penalty in accordance with the provisions of section 58 and for that purpose.

- (i) he shall exercise all the powers exercisable by the check post officer under that section:
- (ii) he shall follow the procedure laid down therein: and
- (iii) the provisions of that section shall apply mutatis mutandis to such proceedings.
- 62. (1) Every clearing, forwarding or booking agent or broker or a person transporting goods who in the course of his business handles documents of title to goods or transports goods or takes delivery of goods for or on behalf of a dealer and having his place of business in the state of Chhattisgarh shall, furnish information about his place of business to such authority, within such time, in such form as may be prescribed.

Control on clearing, forwarding or booking agent and any person transporting goods and furnishing of information by such agent or person.

- (2) Every such agent or person shall maintain true and complete accounts, registers and documents in respect of the goods handled by him and the documents of title relating thereto and shall furnish true and complete particulars and information relating to the transaction of goods of any dealer to any officer appointed under section 3, not below the rank of an assistant commercial tax officer as and when required by him and shall produce the said accounts, registers and documents before such officer as and when required by him.
- (3) Any agent or person referred to in sub-section (1) who contravenes the provisions of the said sub-section or sub-section (2), the commissioner may, after giving such agent or person an opportunity of being heard, direct him to pay by way of penalty:-
 - (i) one thousand rupees if the contravention is of the provisions of sub-section
 (1) on each occasion of inspection by any officer referred to in sub-section
 (2); and
 - (ii) not less than three times but not exceeding five times of the amount of tax payable in respect of the goods involved in the transactions of a dealer which appears to have been evaded by such dealer, if the contravention pertains to the provisions of sub-section (2).

Explanation :- For the purpose of this section,-

- (i) "Clearing, forwarding, booking agent or broker" shall include a person who renders his services for clearing, forwarding or booking of or taking delivery of consignment of goods at railway premises, air cargo, complex, containers depot, booking agency, goods transport company office or any place of loading or unloading of goods or contrives, makes and concludes, bargains and contracts for or on behalf of any dealer for a fee, reward, commission, remuneration or other valuable consideration of otherwise.
- (ii) "Person transporting goods" shall, besides the owner, include manager, agent, driver, employee of the owner, a person in-charge of a place of loading or unloading of goods or in charge of a goods carrier carrying such goods for dispatch to other places or gives delivery of any consignment of such goods to the consignee.
- 63. The commissioner or any other person appointed under section 3 to assist him, not below the rank of an assistant sales tax officer may, for carrying out the purposes of this Act, require any banking or non banking financial companies or any officer thereof to furnish any information or statement useful for or relevant to any proceeding under this Act.

Power to call for information from banking companies and non-banking financial companies."

CHAPTER - XII OFFENCES AND PENALTIES

Offences and penal- 64. (1) Whoever -

- (a) collects any amount by way of tax in contravention of the provisions of section 11 or sub-section (1) of section 37; or
- (b) claims input tax rebate in contravention of the provisions of sub-section
 (1) of section 13; or
- (c) (i) fails to get himself registered as required by sub-section (1) or subsection (2) of section 16; or
 - (ii) neglects to furnish any information as required by sub-section (8) of section 16; or
- (d) fails, without sufficient cause, to submit any return as required by subsection (1) of section 19 or submits a false return or furnishes a false statement; or
- (e) without reasonable cause fails to pay the tax due within the time allowed;or
- (f) fails to keep accounts or records of sales or purchases in accordance with any requirement made of him under section 41; or
- (g) fails or neglects to issue bill, invoice or cash memorandum or to keep or preserve the counterfoil of the bill, invoice or cash memorandum as required under section 42; or
- (h) knowingly produces incorrect accounts, registers or documents or knowingly furnishes incorrect information; er
- (i) refuses or fails to comply with any requirement made of him under section 46 or section 57; or
- (j) (i) fails to file a declaration under sections 58;
 - (ii) prevents or obstructs the interception or search of any vehicle or obstructs inspection of any goods under section 58; or
 - (iii) prevents or obstructs the interruption or search of any vehicle or obstructs terception of any goods under section 60 or 61, or
 - (iv) fails to furnish information or produce accounts, registers and documents under section 62; or
 - (v) fails to furnish information or statements as required by section 63;
- (k) makes a false statement in a verification or declaration prescribed under this Act which he either knows or believes to be false or does not believe to be true, shall in case of default and subject to the provisions of section 67, be punishable with -
 - (i) (a) imprisonment which may extend to six months and a fine which may extend to two thousand rupees or equal to the amount of tax remained to be paid by the dealer whichever is higher, in respect of offence under clause (b) or (e); and

- (b) imprisonment which may extend to six months and a fine which may extend to two thousand rupees in respect of offence under clause (d), (h) or (k); and
- (ii) imprisonment which may extend to three months or a fine which may extend to one thousand rupees or both in respect of offences not covered by clause (i). and where the offence in respect of which a fine has been imposed, is a continuing offence a further fine which may extend to rupees fifty for every day the offence continues.

Explanation - For the purpose of liability to punishment under this sub-section the expression dealer or person shall mean ,-

- (a) the partners in relation to a partnership concern;
- (b) the president and secretary of the managing body in relation to co-operative society;
- (c) the proprietor in relation to a proprietorship concern;
- (d) the karta or manager in relation to Hindu Undivided Family; and
- the secretary, manager and directors in relation to a company incorporated under the Companies Act, 1956 (No. 1 of 1956);
- (2) No court shall take cognizance of any offence punishable under this Act or any rules made thereunder except with the previous sanction of the commissioner and no court inferior to that of a magistrate of the first class shall try any such offence.
- (3) Netwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), all offences punishable under this Act shall be cognizable and bailable
- (4) Subject to such conditions as may be prescribed, the commissioner may authorize any person appointed under section 3 to assist him to investigate all offences punishable under this Act.
- (5) Every person authorised under sub-section (4) shall, in the conduct of such investigation exercise the powers conferred by the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) upon an officer-in-charge of a police station for the investigation of a cognisable offence.

CHAPTER - XIII MISCELLANEOUS

65. Any department or office of the Central Government or other State Governments or any public sector undertaking of such Governments situated in Chhattisgarh or the State Government or any local authority or any public undertaking shall, before entering into a contract with any dealer for the sale or supply of any goods by him exceeding rupees three lac in value require such dealer to produce a tax clearance certificate in such form, to be issued by such authority, in such manner, for such period and within such time as may be prescribed.

Production of tax clearance certificate.

66. Save as provided in section 55, no order passed or proceeding initiated under this Act or the rules made thereunder be called into question in any civil court and save as

Bar to certain proceedings. provided in sections 48 and 49 no appeal or application for revision shall lie against any such assessment or order.

Bar of prosecution in certain cases.

67. No prosecution for contravention of any provision of this Act or of the rules made thereunder shall be instituted in respect of the same facts on which a penalty has been imposed under this Act or the said rules, as the case may be, if the penalty has been paid within a period of six months from the date of service of the order imposing the penalty.

Protection of persons acting in good faith and limitation of suit and prosecution.

- 68. (1) No suit, prosecution or other proceedings shall lie against any officer or servant of the State Government for any act done or purporting to be done under this Act or the rules made thereunder without the previous sanction of the State Government.
 - (2) No officer or servant of the State Government shall be liable in respect of any such act, in any civil or criminal proceeding if the act was done in good faith in the course of the execution of duties imposed on him or the discharge of functions entrusted to him by or under this Act.
 - (3) No suit shall be instituted against the State Government and no prosecution or suit shall be instituted against any servant of the State Government in respect of anything done or intended to be done under this Act unless the suit or prosecution has been instituted within three months from the date of the act complained of;

Provided that in computing the period of limitation under this sub-section the time taken for obtaining sanction under sub-section (1) shall be excluded.

Disclosure of information by public servant.

- (1) All particulars contained in any statement made, return furnished or accounts or documents produced in accordance with the provisions of this Act or in evidence recorded under this Act other than evidence given before a Criminal Court shall, save as provided in sub-section (3), be kept confidential, and notwithstanding anything contained in the Evidence Act, 1872 (1 of 1872) no Court shall, save as aforesaid, be entitled to require any servant of the State Government to produce before it, any such statement, return, account, document or recorded evidence or any part thereof or to give evidence before it in respect thereof.
- (2) If, save as provided in sub-section (3), any servant of the State Government discloses any of the particulars referred to in sub-section (1), he shall be punishable with imprisonment, which may extend to six months or with fine, which may extend to one thousand rupees or with both.
- (3) Nothing contained in this section shall apply to the disclosure -
 - (a) of any such particulars in respect of any such statement, return, accounts, documents, evidence, affidavit or deposition for the purpose of any investigation or prosecution under this Act or under the Act repealed by this Act or under the Indian Penal Code 1860 (XLV of 1860) or under any other enactment for the time being in force; or
 - (b) of any such particulars to any person entrusted with the administration of this Act for the purposes of carrying out the object of this Act; or
 - (c) of any such particulars when such disclosure is occasioned by the lawful employment under this Act or any process for the service of any notice or the recovery of any demand; or
 - (d) of any such particulars to a civil court in any suit to which the Government is a party and which relates to any matter arising out of any proceeding under this Act, under Act No. 2 of 1959 or the Act repealed by this Act; or

- of any such particulars to any officer appointed to audit receipts or refunds of the tax imposed by this Act or the Act repealed by this Act; or
- of any such particulars where such particulars are relevant to any inquiry into the conduct of an official of the sales tax department to any person or persons appointed as the commissioner under the Public Servant (Inquiries) Act, 1850 (XXX of 1850), or to any officer otherwise appointed to hold such inquiry or to a Public Service Commission established under the Constitution when exercising its functions in relation to any matter arising out of such inquiry, or
- of such facts to an officer of the Central or a State Government as may be necessary for the purpose of enabling that Government to levy or realize any tax or duty imposed by it; or
- (h) of any such particulars, when such disclosure is occasioned by the lawful exercise by a public servant of his powers under the Indian Stamp Act, 1899 (II of 1899) to impound an insufficiently stamped document; or
- (i) of any such particulars where such particulars are relevant to any inquiry into a charge of misconduct in connection with any proceedings under this Act or the Act repealed by this Act against an advocate, tax practitioner, or chartered accountant, to the authority empowered to take disciplinary action against members practicing the profession of an advocate, tax practitioner or chartered accountant, as the case may be; or
- of any such particulars to the director of economics and statistics as may be necessary, for enabling him to work out the incidence of tax on any commodity or for carrying out any statistical survey of trade, commodity or dealers; or
- (k) of such information as may be required by any officer of department of the Central Government or of a State Government for the purpose of investigation into the conduct and affairs of any public servant or by a court in connection with any prosecution of the public servant arising out of any such investigation.
- 70. (1) If any question is raised by a dealer in respect of the rate of tax on any goods, the commissioner shall, within six months from the date of receipt of the application made by the dealer for this purpose in the prescribed manner and on payment of such fee as may be prescribed, make an order determining the rate at tax on such goods in accordance with such procedure as may be prescribed.

Determination of disputed questions.

(2) The commissioner, if the circumstances so warrant, shall have the power to review any order passed under this section and pass such order as he deemed necessary:

Provided that,-

- (i) no review of an earlier order shall be made unless a reasonable opportunity of being heard is given to the dealer who is likely to be adversely affected by the review, and
- (ii) the commissioner shall not reduce the rate of tax in review.
- Any order passed by the commissioner under sub-section (1) and (2) shall have prospective effect and shall be binding on the authorities referred to in section in all proceedings under this Act except appeals.

CHAPTER - XIV POWER TO MAKE RULES, REPEAL AND SAVING, TRANSITORY PROVISIONS AND POWER TO REMOVE DIFFICULTIES

Power to make rules.

71.

(1) The State Government may, after previous publication and by notification in the official Gazette, make rules or any amendments thereto for carrying out the purposes of this Act.

Provided that if the State Government considers it necessary to bring the rules or any amendments thereto into force at once, it may make such rules or amendments thereto, without previous publication in the official gazette.

- (2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, the State Government may make rules prescribing
 - (a) all matters which under any provision of this Act are expressly required to be or may be prescribed under this Act:
 - (b) civil structure for the purpose of clause (e) of section 2,
 - (c) the limit under sub-section (i) of section 4 and clause (b) of sub-section (2) of section 9;
 - (d) The manner in which proceedings shall be instituted under sub-section (1) of section 5;
 - (e) The manner of proving the payment of tax by the contractor and by the sub-contractor under sub-section (1) of section 6;
 - (f) the rate for the purpose of determination of lumpsum to be paid, the manner in which the lumpsum may be determined and the time within which and the manner in which the payment of such lumpsum may be made under sub-sections (1) and (2) of section 10.
 - (g) the manner and period in which input tax rebate shall be claimed by or be allowed to a registered dealer under section 13.
 - (h) (i) the manner in which a dealer shall get himself registered under subsection (1) and (2) and the period within which a dealer shall get himself registered under clause (a) of sub-section 2 of section 16, the form and manner in which the application for grant of a registration certificate shall be made under sub-section (3) of section 16;
 - (ii) the form of registration certificate under sub-section (4) of section 16 and the manner of granting of registration certificate and verification of the particulars given in the application for grant of registration certificate under the said sub-section.
 - (iii) the time within which and the authority to whom information regarding changes of business shall be furnished under sub-section (8) of section 16;
 - (iv) the form and manner in which application may be made under subsection (1) of section 17 and the form in which provisional registration certificate shall be granted under sub-section (2) of section 17.
 - (v) the form and manner in which registration certificate shall be granted under sub-section (1) of section 18.

- (i) the manner of service of notice and the authority to whom, the period for which, the form in which the manner in which and the dates by which returns shall be furnished under sub-section (1) of section 19;
 - (ii) the manner in which and the time within which revised return shall be furnished under sub-section (2) of section 19;
 - the form and manner in which, the period for which and the date by which the statement shall be furnished under clause (b) of sub-section
 of section 19;
 - (iv) the manner in which and the authority to whom and the dates by which returns shall be furnished under sub-section (1) of section 20:
- (i) the conditions and restrictions subject to which assessment may be made for part of a year;
 - (ii) the form of notice and manner in which tax shall be assessed/reassessed under sub-sections (4), (5) and (6) of section 21, and reassessed under section 22;
- (k) (i) the fee on payment of which a tax-practitioner or a person entitled to appear as a tax practitioner shall get himself enrolled under sub-section
 (3) of section 24;
 - (ii) the form of enrollment certificate under sub-section (4) of section 24;
- (1) (i) the manner in which, the time within which and the intervals at which the tax shall be paid under sub-section (1) of section 25;
 - (ii) the manner in which the amount of tax due shall be paid to Government under sub-section (2) of section 25 and the terms and conditions subject to which permission for payment by book adjustment may be granted under sub-section (4) of section 25;
 - (iii) the form of notice to be issued under sub-section (5) of section 25;
 - (iv) the restrictions and conditions subject to which further time may be granted by the commissioner under sub-section (7) of section 25;
 - (v) the manner in which and the period within which the commissioner shall inform the dealer or person and the authority regarding recovery
 of arrears of tax under sub-section (11) of section 25;
 - (vi) the form of notice and the manner in which and time within which
 the tax payable in advance shall be paid under sub-section (3) of section 26;
 - (vii) the manner in which any amount deducted by the purchaser or the person letting out the contract shall be paid and adjusted under subsection (4) and (5) of section 27, the form of certificate to be issued under sub-section (3) of section 27 and the form and manner in which the authority to whom and the period within which statement shall be furnished under sub-section (8) of the said section;
 - (viii) the form and manner in which and the authority by whom the certificate shall be issued under section 28;

- (ix) the form of notice to be given under sub-section (1) of section 29;
- (m) (i) the form of notice to be given under sub-section (3) of section 37;
 - (ii) the form of the notice and the manner of publication of the notice under sub-section (5) of section 37;
 - (iii) the form of application in which refund may be claimed under subsection (6) of section 37;
- (n) the manner in which, the refund shall be made under sub-section (1) of section 39;
- (o) the date by which the accounts shall be got audited and the form and manner in which and the time within which report of audit shall be furnished under section 41;
- (p) the particulars which shall be given in the bill, invoice, cash memorandum, issued under section 42;
- (q) the restrictions and conditions subject to which the commissioner may delegate under section 43 his powers and duties under this Act;
- (r) the prescription of further powers of authorities under clause (v) of subsection (1) of section 45;
- (s) (i) the manner in which appeal may be filed under section 48 and subsections (4) and (6) of section 49;
 - (ii) the procedure to be followed by the appellate deputy commissioner or the Board in disposing of appeals under sub-section (6) of section 48;
 - (iii) the form of notice under sub-section (3) of section 49;
 - (iv) the procedure for and other matters including fees incidental to the disposal of appeals, applications for revision or rectification of mistake under section 48, 49 or 56 and other miscellaneous applications or petitions for relief under this Act;
 - (v) the value of the court fee stamps which an appeal or application for revision shall bear, under section 51;
- (t) the form of notice to be issued under sub-section (2) of section 54;
- (u) the form of notice to be given under clause (ii) of the proviso to sub-section(1) of section 56;
- (v) (i) the conditions subject to which the commissioner may require the production of accounts, register or documents or to furnish any other information under sub-section (3) of section 57;
 - (ii) the form of notice to be served under clause (b) of sub-section (6) of section 57;
 - (iii) the manner in which goods shall be disposed off under clause (f) of sub-section (6) of section 57;

- (iv) (a) the manner in which check posts be set up or barriers be erected, the manner in which and the fee on payment of which declaration shall be obtained, the form and manner in which a declaration and other documents to be delivered or filed, the manner in which goods shall be seized or released, the form of notice to be served, the manner in which penalty shall be deposited, the manner in which the goods seized shall be sold, the period for which the declaration and other documents shall be preserved by the consignee under section 58;
 - (b) the restrictions subject to which any vehicle may be intercepted under section 58;
 - (c) the form and manner in which transit pass shall be obtained under section 59:
 - (d) the authority to whom, the time within which and the form in which information shall be furnished under section 62;
- (w) the conditions subject to which the commissioner may authorise the persons appointed under section 3 to assist him to investigate under sub-section (4) of section 64 all offences under this Act;
- (x) the form and the manner in which, the authority by whom, the time within which and the period for which tax clearance certificate shall be issued under section 65;
- (y) the form and manner in which application shall be made to the authority and the procedure according to which the authority shall pass an order under section 70;
- (z) (i) the manner and period in which input tax rebate shall be claimed or be allowed under section 73;
 - (ii) the form and manner in which and the period within which the particulars of the stock of goods shall be furnished under sub-section
 (i) of section 73;
 - (a-l) (i) how and within what time applications, information and notice shall be made, furnished or served under this Act;
 - the duties and powers of officers appointed for the purpose of enforcing the provisions of this Act; and
 - (iii) general regulation of the procedure to be followed and the form to be adopted in the proceedings under this Act.
- (3) The power to make rules under this section shall include the power to give retrospective effect from a date not earlier than the date of commencement of this Act to the rules or any one of them.
- (4) In making any rule the State Government may direct that -
 - (a) a breach thereof shall be punishable with fine not exceeding five hundred rupees, and if the offence is a continuing one, with a fine not exceeding twenty five rupees for every day the offence continues; and
 - (b) in respect of contravention of any rule, the commissioner may impose a penalty not exceeding five hundred rupees:

Provided that no such penalty shall be imposed without giving the person concerned a reasonable opportunity of being heard.

(5) All rules made under this section shall, as soon as may be after they are made, be laid on the table of Legislative Assembly.

Repeal and savings.

72. The Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995) shall stand repealed on the date of coming into force of this Act:

Provided that -

- (i) such repeal shall not affect-
 - (a) the previous operation of the Act so repealed or Act No. 2 of 1959 repealed by Act No.5 of 1995 (hereinafter referred to as a repealed Act) or anything duly done or suffered, thereunder; or
 - (b) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the repealed Act, except that the facility of exemption from payment of tax extended to any registered dealer under that Act for his having established new industrial unit in the state or undertaken expansion, modernisation or diversification in such industrial unit, shall be converted into facility of deferment of payment of tax from the date of commencement of this Act by notification to be issued in this behalf.
 - (c) any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed under the repealed Act; or
 - (d) any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability; and
 - any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed, as if this Act had not been passed and the said Act had not been repealed.
- (ii) Unless it is otherwise expressly provided, anything done or any action taken (including any appointment, notification, notice, order, rule, form, regulation or certificate) in the exercise of any power conferred by or under the repealed Act shall, in so far as it is not inconsistent with the provisions of this Act, continue to be in force and be deemed to have been done or taken in the exercise of the powers conferred by or under the provisions of this Act as if this Act were in force on the date on which such thing was done or action was taken unless and until it is superseded by or under this Act and all arrears of tax and other amount due at the commencement of this Act may be recovered as if they had accrued under this Act.
- (iii) Any assessment, appeal, revision or other proceedings arising under the repealed Act and the rules made thereunder and or pending before an officer or authority duly empowered to make assessment or hear and decide such appeal, revision or other proceeding immediately preceding the commencement of this Act shall, on the date of such commencement stand transferred to the officer or authority competent to make assessment or to hear and decide appeal or revision or other proceedings under this Act and thereupon such assessment, shall be made or such appeal or revision or other proceeding shall be heard and decided within the period, if any, specified therefor, by such officer or authority in accordance with the provisions of the repealed Act or the rules made thereunder as if they were the officer or authority duly empowered for the purpose under the repealed Act.

- (iv) (a) any application by a dealer or the commissioner to the Tribunal for making a reference to the High Court under sub-section (1) of section 70 of the repealed Act; or
 - (b) any such application made under sub-section (2) of section 70 of the repealed Act; or
 - (c) any reference made to the High Court under sub-section (1) or sub-section
 (2) of section 70 of the repealed Act,

is pending on the date of commencement of this Act shall be disposed of by the Board or the High Court, as the case may be, in accordance with the provisions of section 70 of the repealed Act as if this Act had not been passed and the said Act had not been repealed.

- (v) Notwithstanding anything contained in clause (i), any appeal, revision or other proceedings arising under the repealed Act but preferred or initiated after the commencement of this Act, shall be heard and decided by the authority competent to entertain any appeal, revision or any other proceedings in accordance with the provisions of this Act.
- 73. (1) Where a registered dealer holds the stock of any goods specified in schedule II on the date of commencement of this Act, he shall furnish the particulars thereof in such form within such period, in such manner and to such authority as may be prescribed.

Transitory provisions.

- (2) Where any goods specified in schedule II of this Act held in stock by registered dealer on the date of commencement of this Act are tax paid goods within the meaning of the Act repealed by this Act, and are for sale by him on or after the said date within the State of Chhattisgarh or in the course of inter- state trade or commerce, he shall claim or be allowed in respect of such goods, in such manner and within such period as may be prescribed, an input tax rebate.
 - (i) at the rate specified in column (3) of schedule II, if such goods are sold within the State; and
 - (ii) at the rate of four percent or the rate specified in column (3) of schedule II, whichever is lower, if such goods are sold in the course of inter-state trade or commerce.
- (3) (a) where any goods specified in schedule II of this. Act held in stock by a registered dealer, on the date of commencement of this Act, are goods manufactured out of tax-paid goods other than those specified in schedule III consumed or used as raw material or used as packing material or explosives consumed in mining, of any goods specified in schedule II, for sale in the State of Chhattisgarh or in the course of inter-state trade or commerce on or after the said date, such dealer shall claim or be allowed in such manner and within such period as may be prescribed, an input tax rebate in respect of such tax paid goods, at the rate specified in column (3) of schedule II or at the rate at which such tax paid goods had borne tax under the Act repealed by this Act whichever is lower.
 - (b) where any goods specified in schedule II other than those specified in schedule III held in stock on the date of commencement of this Act are tax paid goods for consumption or use as raw material or for use as packing material or explosives for use in mining of any goods specified in schedule II, for sale by him in the State of Chhattisgarh or in the course of interstate trade or commerce such dealer shall claim or be allowed, in such manner and within such period as may be prescribed, an input tax rebate

at the rate specified in column (3) of schedule II or at the rate at which such tax paid goods had borne tax under the Act repealed by this Act whichever is lower.

(4) The sale of tax paid goods within the meaning of the Act repealed by this Act, on or after the said date shall not be liable to tax under clause (ii) of section 8 of this Act.

Explanation - For the purpose of this clause the expressions "raw material" and "tax paid goods" shall have the meaning assigned to them in clauses (r) and (x), respectively, of section 2 of the Act repealed by this Act.

Powers to remove difficulties.

If any doubt or difficulty arises in giving effect to any of the provisions of this Act in consequence of the transition to the said provisions from the corresponding provisions of the Act repealed by section 72, the State Government may within two years from the date of commencement of this Act by order notified in the official Gazette of the State make such provision not inconsistent with this Act as appear to be necessary or expedient for removing the doubt or difficulty.

SCHEDULE - I (See section 15)

S. No. (1)	Description of goods (2)
1.	Animal driven or manually operated agricultural implements
2.	Aids and implements used by handicapped persons
3.	Aquatic feed, poultry feed and cattle feed including grass, hay and straw
4.	Betel leaves
5.	Books, periodicals and journals
6	Charakha and Amber Charakha handlooms and handloom fabrics and Gandhi Topi
7.	Charoal
8.	Coarse grains other than paddy, rice and wheat
9,	Condoms and contraceptive
10.	Cotton and silk yarn in hank
11.	Curd, lussi, butter milk and separated milk
12.	Earthen pot
13.	Electrical energy
14.	Firewood
15.	Fishnet and Fishnet fabrics
16.	Fresh milk and pasturised milk
17.	Fresh plants, saplings and fresh flowers
18.	Fresh vegetables and fruits
19.	Garlic and ginger
20.	Glass bangles
21.	Human blood and blood plasma
22.	Indigenous handmade musical instruments
23.	Kumkum, bindi, alta and sindur
24.	Meat, fish, prawn, and other aquatic products when not cured or frozen; eggs and lives animal hair.
25.	National Flag

(1)	(2)
26.	Non-judicial stamp paper and plain paper, commonly known as, cartridge paper, sold by Government treasuries, postal items like envelope, post card etc., sold by Government, rupee note when sold to the Reserve Bank of India and cheques sold loose or in book form.
27.	Organic manure including dang (Gober)
28.	Raw wool
29.	Semen including frozen semen
30.	Silk worm laying, cocoon and raw silk
31.	Slate and Slate pencils
32.	Tender green coconut
33.	Toddy, Neera and Ark
34.	Unbranded bread
35.	Unprocessed and unbranded salt
36.	Water other than – (i) aerated, mineral, distilled, medicinal, ionic, battery, de-mineralized water, and
	(ii) Water sold in sealed container

SCHEDULE - II

PART - I


S. No.	Description	Rate of tax u/s, 8 (i) (percent) (3)	Rate of tax u/s. 8 (ii) (percent) (4)
(1)	(2)	12.7	
1.	Articles of gold and silver including coins, bullion and specie	1	-
2.	Gold and silver ornaments of personal wear	1	-
3.	Precious stones such as diamonds, emeralds, rubies, pearls and sapphires.	1	
	PART - II		
I.	Agricultural implements, not operated manually or not driven by animal.	4	-
2.	All equipments for communications such as, Private Branch Exchange (P.B.X.) and Electronic Private Automatic Branch Exchange (E.P.A.B.X).	4	
3.	All Intangible goods like copyright, patent, rep license.	4	
4.	All kinds of bricks including fly ash bricks, refractory bricks and ashphaltic roofing, earthen tiles.	4	-
5.	All types of yarn other than cotton and siik yarn in hank and sewing thread.	4	
6.	Aluminium utensils and enamelled utensils	4	-
7.	Areconut powder and betel nut	4	9.75-4.
8.	Bamboo	4	
9.	Bearings	4	-
10.	Beltings	4	
11.	Bicycles, tricycles, cycle rickshaws and parts	4	
12.	Bitumen	4	-
13.	Bone meal	4	
14.	Branded bread	4	-10
15.	Bulk drugs	4	-
16.	Capital goods as notified by the state government	4	-
17.	Castings	4	

(1)	(2)	(3)	(4)
18.	Centrifugal and monobloc submersible pumps and parts thereof.	4	
19.	Coffee beans and seeds, cocoa pod, green tea leaf and chicery.	4	
0.	Chemical fertilizers, pesticides, weedicides and insecticides.	4	
1.	Coir and Coir products excluding coir mattresses	4	
2.	Cotton and cotton waste	4	
3.	Crucibles	4	-
4.	Declared goods as specified in section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956.	4	
5.	Edible oils, oil cake and de-oiled cake	4	
6.	Electrodes	4	-
7.	Exercise books, graph book and laboratory note book.	4	
8.	Ferrous and non-ferrous metals and alloys; non-metals such as aluminium, copper, zinc and extrusions of those.	4	
9.	Fibres of all types and fibre waste	4	
0.	Flour, atta, maida, suji, besan	4	
i	Fried grams	4	
2.	Gur, jaggery, and edible variety of rab gur	4	
3	Hand pumps and spare parts	4	-
1.	Herb, bark, dry plant, dry root, commonly known as jari booti and dry flower.	4	
5.	Hose pipes	4	***
5.	Hosiery goods	4	
1.	Husk and bran of cereals	4	
3.	Ice	4	
).	Incense sticks commonly known as, agarbatti, dhupkathi or dhupbatti.	4	
),	Industrial cablest high voltage cables stipe cables, jelly filled cables, operal Strest	4	

(1)	(2).	(3)	(4)
1.	IT products including computers, telephone and parts thereof, teleprinter and wireless equipment and parts thereof.	4	
42.	Kerosene oil sold through PDS	4	
43.	Leaf plates and cups	4	
44.	Industrial inputs and packing materials as notified by the State Government.	4	
45.	Murmuralu (murra), pelalu (lai), atukulu, puffed rice (poha), muri.	4	
46.	Niwars	4	
47.	Nepa slabs (Rough flooring stones)	4	
48.	Ores and minerals	4	
49.	Paddy, rice, wheat and pulses	4	
50.	paper and newsprint	4	
51.	Pipes of all varieties including G.I. pipes, C.I. pipes, ductile pipes and PVC pipes.	4	
52.	Plastic Footwear	4	
53.	Printed material including diary, calendar	4	
54.	Printing ink excluding toner and cartridges	4	
53.	Processed and branded sait	4	
56.	Pulp of bamboo, wood and paper	4	
57.	Rail coaches, Engines and Wagons	4	
58.	Readymade garments	4	-
59.	Renewable energy devices and spare parts	4	
60.	Safety matches	4	-
61.	Seeds	4	
62.	Sewing machines	4	
63.	Ship and other water vessels	4	171-
64.	Silk fabrics	4	
65.	Skimmed milk powder	4	

(1)	(2)	(3)	(4)
66.	Solvent oils other than organic solvent oil	4	
67.	Spices of all varieties and forms including cumin seed, aniseed, turmeric and dry chillies.	4	
68.	Sports goods excluding apparels and footwear	4	
69.	Starch	4	-11
70.	Sugar and khandsari	4	
71.	Tamarind	4	
72.	Textile fabric	4	
73.	Tobacco and tobacco products	4	
74.	Tractors, harvesters and attachment and parts thereof.	4	
75.	Transmission towers	4	-
76.	Umbrella except garden umbrella	4	-
77.	Vanaspati (Hydrogenated Vegetable oil)	4	
78.	Vegetable oil including ginglli oil and bran oil	4	
79.	Writing instruments	4	
	PART - III		
1.	Diesel		25
2.	Petrol	-	25
3.	Aviation turbine fuel other than those specified in clause (ii-d) of section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956).		25
4.	Natural gas		25
	PART - IV		
1.	Tendu leaves	12.5	12.5
	PART - V		
1.	All other goods not covered by schedule I and part I to IV of this schedule.	12.5	-

SCHEDULE - III (See section 13)



''बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.''



पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्गः/ तक. 114-009/2003/20-01-03.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 19 जनवरी 2006-पौष 29, शक 1927

विधि और विधायी कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 9 जनवरी 2006

क्रमांक 538/21-अ/प्रारुपण/06.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 16-01-2006 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 2 सन् 2006)

छत्तीसगढ़ मृत्य संवर्धित विक्रय कर (संशोधन) अधिनियम, सन् 2006 (क्रमांक 2 सन् 2006)

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित विक्रय कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) को संशोधित करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनकें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा। प्रारंम.

- 1. (1) इस अधिनियम का नाम छत्तीसगढ़ मूल्य सवधित विकय कर (संशोधन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2006) है।
 - (2) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा,

अधिनियम के शीर्षक का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित विकय कर अधिनियम, 2005 (कमांक 2, सन् 2005), के शीर्षक में शब्द "विकय" का लोप किया जाय।

धारा 1 का संशोधन. 3. छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित विकय कर अधिनियम, 2005 (कमांक 2, सन् 2005) (जो इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है), की धारा 1 की उपधारा (1) में शब्द "विकय" का लोप किया जाय।

धारा 2 का संशोधन.

- 4. मूल अधिनियम की धारा 2 में,-
 - (1) खण्ड (ग) का लोप किया जाय।
 - (2) खण्ड (ड.) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाय, अर्थात:-
 - "(ड.) पूंजीगत माल से अभिप्रेत हैं, ऐसे उपस्कर जो कि अधिसूचित की जाय को अपवर्जित करते हुए संयंत्र (प्लांट), मशीनरी तथा उपस्कर जो प्रत्यक्षतः विनिर्माण प्रक्रियां और / या कारोबार के दौरान उपयोग में लाये जाते है।"

(3) खण्ड (ड.) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जायः-

"(इ.—क) "वाणिज्यिक कर अधिकारी" से अभिप्रेत है, धारा 3 के अधीन नियुक्त किया गया कोई वाणिज्यिक कर अधिकारी और उसमें शामिल है अपर वाणिज्यिक कर अधिकारी।

(ड.-ख) ''पके अन्त (कुक्ड फुड)'' में मिठाइयां और मिष्ठान, नमकीन, मिश्री, बताशा, चिरोंजी, श्रीखण्ड, रबडी, दूध पाक, पीने के लिए तैयार चाय और काफी सम्मिलित है किन्तु उसमें आइस्कीम, कुल्फी, आइसकेण्डी अमद्यसारिक (नान-एल्कोहलिक) पेय जो आइस्कीम से युक्त हो, केक्स, पेस्ट्रीज, बिस्किट्स, चाकलेट्स, टॉफीज चूषिकाएँ (लाजेज), पिपरमिण्ट की गोलियां और मावा सम्मिलित नहीं है,''

(4) स्पष्टीकरण (दो) के पश्चात् खण्ड (न) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाय, अर्थातः—

"(तीन) धारा 8 के अधीन करारोपण के प्रयोजन हेतु अनुसूची—2 के भाग—2 की प्रवृष्टि 42 में निर्दिष्ट औषध तथा औषधि के विकय के लिए व्यापारी को प्रदत्त या देय मूल्यवान प्रतिफल की राशि, पैकेज, जिसमें औषध तथा औषधि है, पर छपी हुई अधिकतम खुदरा मूल्य की राशि होगी।"

(5) खण्ड (प) का लोप किया जाय।

धारा 2, 3, 25,

43, 58, 60 और

63 का संशोधन.

- (6) (एक) खण्ड (ब) के उपखण्ड (3) के पैराग्राफ (तीन) का लोप किया जाय।
 - (दो) परन्तुक (अ) में शब्द एवं अंक "अथवा उपखण्ड (तीन) के पैरा (3)" और "अथवा खण्ड (दो)" का लोप किया जाय।
 - (तीन) परन्तुक (ब) में शब्द ''अथवा खण्ड (दो)'' और ''अथवा उपखण्ड (तीन) के पैरा (तीन)'' का लोप किया जाय।
- (7) खण्ड (य) में शब्द 'विकय' का लोप किया जाय।
- 5. मूल अधिनियम की धारा 2, 3, 25, 43, 58, 60 और 63 में जहां कहीं भी शब्द ''विकय कर'' आया हो, के स्थान पर शब्द ''वाणिज्यिक कर' प्रतिस्थापित किया जाय।

धार। 3-क का अंतःस्थापन,

6. मूल अधिनियम की धारा 3 के पश्चात निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाय, अर्थात:-

"3-क अधिकरण,

- (1) ऐसे नियमों के अध्यधीन रहते हुये, जो कि इस संबंध में बनाये जायें. राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, उस तारीख से, जो कि उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई हैं, अधिकरण का गठन इस हेतु कर सकेगी कि वह अधिकरण उन शक्तियों का, जो कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अधिकरण को प्रदत्त की गई हैं, प्रयोग करें तथा उन कृत्यों का, जो कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अधिकरण को प्रदत्त किये गये हैं, पालन करें।
- (2) उपधारा (1) के अधीन की अधिसूचना में चिनिर्दिष्ट की गई तारीख तक, राजरव मण्डल, छत्तीसगढ़ इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अधिकरण के रूप में कार्य करेगा तथा पूर्व वर्णित तारीख को वे समस्त कार्यवाहियाँ, जो अधिकरण के रूप में कार्य करते हुए राजरव मण्डल, छत्तीसगढ़ के समक्ष लंबित हैं, उपधारा (1) के अधीन गठित अधिकरण को अंतरित हो जायेंगी।
 - (3) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए, अधिकरण अपनी प्रक्रिया का तथा अपने कामकाज के निपटारे का विनियमन करने वाले ऐसे विनियम, जो इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों से संगत हों, समय-समय पर बना सकेगा।"

धारा 4 का संशोधन. 7. मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) में, शब्द ''जो पांच लाख रुपये से अधिक नहीं होगी'' का लोप किया जाय।

धारा ८ का

- 8. मूल अधिनियम की धारा 8 में.-
 - (1) खण्ड (एक) में शब्द तथा अंक "भाग-एक, दो, चार तथा पांच" के स्थान पर शब्द एवं अंक "अनुसूची-2 के भाग-एक, दो तथा चार" प्रतिस्थापित किया जाय।
 - (2) खण्ड (दो) में शब्द "तथा चार" का लोप किया जाय।

धारा १ का

- 9. मूल अधिनियम की धारा 9 में,-
 - (1) उपधारा (1) के खण्ड (क) में अंक 15 के पश्चात् "या 15—ख" तथा शब्द "माल के विनिर्माण में इसका उपयोग किया जाता है" के पश्चात

शब्द "जिनका भारत के राज्य के क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विकय से भिन्न प्रकार से व्ययन किया जाता है।" अंतःस्थापित किया जाय।

- (2) उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (दो) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाय, अर्थात:—
 - "(दो) विनिर्मित माल के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य में या अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में या भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्य किया जाता है,— और ऐसा कर,—

(क) खण्ड (क) और खण्ड (ख) में निर्दिष्ट माल के संबंध में अनुसूची-2 के कालम (3) और (4) में विनिर्दिष्ट दर से, और

- (ख) खण्ड (ग) के उप-खण्ड (एक) में निर्दिष्ट माल के संबंध में अनुसूची 2 के भाग 2, भाग 3 तथा भाग 4 में विनिर्दिष्ट माल पर 4 प्रतिशत की दर से, और
- (ग) खण्ड (ग) के उप-खण्ड (दो) में निर्दिष्ट माल के संबंध में उक्त अनुसूची के कालम (4) में विनिर्दिष्ट दर से, जिस दर से राज्य के भातर ऐसे माल के विकय पर ऐसे क्य की तारीख को उद्गृहीत किया गया होता, उदगृहित किया जाएगा।"

धारा 10 का संशोधन.

- 10. मूल अधिनियम की धारा 10 में,-
 - (1) उपधारा (2) के खण्ड (अ) में शब्द ''और/या अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट माल क्य कर रहा हो'' के पश्चात् शब्द ''और/या कोई रिजस्ट्रीकृत व्यापारी जो पके अन्न (कुक्ड फुड) का निर्माण करता है'' अंतःस्थापित किया जाय और शब्द ''पन्द्रह'' के स्थान पर शब्द ''पचास'' प्रतिस्थापित किया जाय।
 - (2) उपधारा (2) के खण्ड (ब) में शब्द एवं अंक "उपधारा (1) के अधीन" का
 - (3) उपधारा (2) के खण्ड (स) का लोप किया जाय।

धारा 13 का संशोधन.

- 11. मूल अधिनियम की धारा 13 में,-
 - (1) उपधारा (1) के खण्ड (क) के शब्द (क) के पश्चात अंक '(एक)'' अंतःस्थापित किया जाय।

(2) ऐसे पुनः कमांकित उपधारा (1) के उपखण्ड (क) (i) म शब्द एवं वाक्यांश "विकय के लिए क्य करता है, जब वह ऐसे कर की राशि क आगत कर के रिबेट का दावा ऐसी रीति में तथा ऐसी कालावधि के भीतर जैसी कि विहित की जाए, करेगा या उसे ऐसां करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।" के स्थान पर शब्द और अंक, "या राज्य के बाहर माल के अन्तरण के रूप में विकय के लिये क्य करता है, तब वह ऐसे कर की राशि के आगत कर के रिबेट का दावा ऐसी रीति में तथा ऐसी कालावधि के भीतर जैसी कि विहित की जाए, करेगा या उसे ऐसा करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा" स्थापित किया जाए

(3) उपखण्ड (क) (i) के पश्चात् निम्न उपखण्ड जोड़ा जाय, अर्थात :-

- "(ii) जब कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी, अनुसूची—3 में विनिर्दिष्ट माल से भिन्न कोई माल जो कि अनुसूची—2 में विनिर्दिष्ट है. छत्तीसगढ राज्य के भीतर अन्य ऐसे व्यापारी से धारा 8 के खण्ड (एक) के अधीन उसे कर का भुगतान करने के पश्चात्, छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर कारबार के दौरान पूंजीगत माल के रूप में उपभोग के लिये क्य करता है, तब वह ऐसे कर की राशि के आगत कर के रिबेट का दावा ऐसी रीति में तथा ऐसी कालावधि के भीतर जैसी कि विहित की जाए, करेगा या उसे करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा।"
- (4) उपधारा (1) के खण्ड (ख) में शब्द एवं अंक "या अनुसूची एक अथवा अनुसूची दो में विनिर्दिष्ट किसी माल के भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात, करने के अनुकम में विक्रय के लिए क्रय करता है, तब वह ऐसे कर की राशा के आगत कर के रिबेट का दावा ऐसी रीति में तथा ऐसी कालावधि के भीतर जैसी कि विहित्त की जाए, करेगा या उसे ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।"के स्थान पर शब्द एवं अंक "या राज्य के बाहर माल के अन्तरण के रूप में विक्रय के लिये या अनुसूची—1 अथवा अनुसूची—2 में विनिर्दिष्ट किसी माल के भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात करने के अनुक्य में विक्रय के लिये क्य करता है, तब वह ऐसे कर की राशा के आगत कर के रिबेट का दावा ऐसी रीति में तथा ऐसी कालावधि के भीतर जैसी कि विहित की जाए, करेगा या उसे ऐसा करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा।" स्थापित किया जाए।
- (5) उपधारा (1) के खण्ड (ग) में शब्द (ग) के स्थान पर शब्द (ख) प्रतिस्थापित किया जाय।

•

(6) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक् अंतःस्थापित किया जाय, अर्थात :-- "परन्तु, यदि आगत कर के रिबेट की राशि दो वर्षों की अवधि के पश्चात् भी समायोजन हेतु शेष रहती है, तो ऐसी रिबेट की राशि प्रतिदाय के रूप में प्रदान की जाएगी।"

- (7) उपधारा (5) के खंड (क) के उपखंड (एक) तथा (दो) में शब्द "अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में" के पश्चात् शब्द "या राज्य के बाहर माल के अंतरण के रूप में माल के विक्रय के लिये।" स्थापित किया जाए।
- (8) उपधारा (6) के खंड (तीन) के पश्चात निम्नितिखित खंड अंतःस्थापित किया जाय, अर्थात:-

"(चार) अनुसूची--2 में विनिर्दिष्ट माल के संबंध में, जिसके विकय बिल, बीजक या कैश मेमों में कर की राशि पृथक से नहीं दर्शाई गई है।"

- धारा 15 का 12. (1) मूल अधिनियम की धारा 15 में विद्यमान धारा को उपधारा (1) के रूप में संशोधन. कमांकित किया जाय।
 - (15) (2) धार (1))में निम्नलिखित उपधारा जोड़ी जाय, अर्थात्:-
 - "(2) राज्य सरकार, किसी माल के संबंध में, अधिसूचना द्वारा अनुसूची 1 में संशोधन कर सकेगी जिससे कि उसके अंतर्गत ऐसा माल आ सके जो पहले से विनिर्दिष्ट नहीं है या उसके तीसरे कॉलम में की तत्संबंधी प्रविष्टि में दी गई शर्तों तथा दिए गए अपवादों में से किसी शर्त तथा अपवाद को शिथिल कर सकेगी या लोप कर सकेगी।"
- नई ग्रारा का 13. मूल अधिनियम की धारा 15 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की अंतःस्थापन. जाय, अर्थात्ः—

"15-क अनुसूची-2 को संशोधित करने की राज्य शासन की शक्ति- (1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, अनुसूची—2 को संशोधित कर सकेगी और तदुपरि उक्त अनुसूची तद्नुसार संशोधित हो जाएगी।

परन्तु घोषित माल से मिन्न उसमें विनिर्दिष्ट किसी माल के संबंध में कर की दर अनुसूची में विनिर्दिष्ट ठीक उच्चतर स्तर में विहित कर की दर से अधिक नहीं होगी:

परन्तु यह और भी कि यदि किसी माल को अनुसूची के किसी एक भाग में से निकालकर तथा किसी दूसरे में अंतःस्थापित करके या की जाए या जोड़ी जाए तो ऐसे माल के संबंध में कर की दर अनुसूची में विनिर्दिष्ट ठीक उच्चतर स्तर में विहित कर की दर से अधिक नहीं होगी। (2) कर की दर में वृद्धि करने संबंधी कोई भी अधिसूचना, इस बाग क अधीन तब तक जारी नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसी अधिसूचना जारी करने के अपने आशय की ऐसी पूर्व सूचना, जैसी कि राज्य सरकार युक्तियुक्त समझे, राजपत्र में नहीं दे दी जाती।

(3) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, यथासभव शीध

विधानसभा के पटल पर रखी जाएगी।

व्यावृति 15ख— (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा तथा ऐसे निबन्धनों तथा शतौं के अध्यधीन रहत हुए जैसी कि उसमें विनिर्दिष्ट की जाए,

(एक) (क) व्यापारियों के किसी वर्ग को, या

- (ख) किसी माल या माल के किसी वर्ग को, पूर्णतः या अंशतः इस अधिनियम के अधीन कर के भुगतान से, ऐसी कालावधि के लिए, जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए
- (दो) किसी व्यापारी या व्यापारियों के किसी वर्ग को इस अधिनियम के किसी उपबंध से या धारा 71 के अधीन बनाए गए नियम के किसी उपबंध से ऐसी कालावधि के लिए, जैसी कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाये,

चाहे भविष्यलक्षी प्रभाव से या भूतलक्षी प्रभाव से छूट दे सकेंगी।

- (2) इस धारा के अधीन जारी की गई किसी अधिसूचना की उस कालावधि को, जिसके लिए उसे प्रवृत्त रहना था, अवसान होने के पूर्व विखण्डित किया जा सकेगा और ऐसा विखण्डन हो जाने पर ऐसी अधिसूचना प्रवृत्ता नहीं रह जाएगी। किसी पूर्ववर्ती अधिसूचना को विखंडित करने वाली अधिसूचना का भविष्यलक्षी प्रभाव होगा।
- (3) छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (छ.ग. अधिनियम कमाक 5 सन् 1995) (जो इसमें इसके पश्चात् निरिसत अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) के निरस्त हो जाने पर भी, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा—
 - (एक) (क) व्यापारियों के किसी वर्ग को, या (ख) किसी माल या माल के किसी वर्ग को पूर्णतः या अंशतः

निरसित अधिनियम के अधीन कर के भुगतान से, या

(दो) किसी व्यापारी को या व्यापारियों के किसी वर्ग को निरसित अधिनियम के किसी उपबंध से या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के उपबंध से इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व की किसी कालावधि के लिए छूट दे सकेगी और उस प्रयोजन के लिए यही और सदैव यही समझा जाएगा कि निरसित अधिनियम की धारा 17 के उपबंध, ऐसी छूट के प्रयोजन के लिए पुनः प्रवर्तित हो गए हैं।"

धारा 16 का संशोधन.

- 14. मूल अधिनियम की धारा 16 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाय, अर्थात्:—
 - "(1) प्रत्येक ऐसा व्यापारी, जिसकी कुल रिशा (टर्न ओवर) इस अधिनियम के प्रारंभ होने के ठीक पूर्ववर्ती बारह मास के दौरान धारा 4 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट की गई सीमाओं से अधिक हो जाती है, स्वयं को इस अधिनियम के प्रारंभ होने के तीस दिन के भीतर विहित रीति में रिजस्ट्रीकृत कराएगा।
 - (2) (क) ऐसा व्यापारी, जिसे उपधारा (1) लागू होती है, से भिन्न प्रत्येक व्यापारी उस तारीख से जिसको कि उसकी कुल राशि (टर्न ओवर) किसी वर्ष में धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन विहित की गई सीमाओं से प्रथम बार अधिक हो जाती है, विहित कालावधि के भीतर स्वयं को रजिस्ट्रीकृत कराएगा;
 - (ख) प्रत्येक व्यापारी धारा 30 की उपधारा (1) के अर्थ के अंतर्गत किसी कारबार का अंतरिती होने के कारण, उस कारबार के अंतरण की तारीख सें तीस दिन के भीतर जिसका कि वह एक अंतरिती है, स्वयं को रजिस्ट्रीकृत कराएगा;
 - (ग) ऐसा व्यापारी जो यद्यपि धारा—4 के अधीन कर के भुगतान के दायित्वाधीन नहीं है, स्वैच्छिक रूप से रिजस्ट्रीकरण प्रमाण—पत्र प्राप्त करने की वांछा करता है, स्वयं को इस अधिनियम के अधीन रिजस्ट्रीकृत कराएगा;
 - (घ) कोई भी व्यक्ति जो वर्ष में दो लाख रूपये से अधिक मूल्य के विक्रयार्थ माल विनिर्माण के लिये राज्य में कारोबार स्थापित करने का आशय रखता है और जो राज्य में औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिये राज्य शासन के उद्योग विभाग में रिजस्ट्रीकृत है या जिसे उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951(1951 का सं. 65) के उपबंधों के अधीन, राज्य में कोई नवीन औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिये जहाँ कहीं आवश्यक है, अनुज्ञप्ति जारी की गई है या जिसने सूचना संबंधी ज्ञापन केन्द्रीय शासन को भेजा है, इस बात के होते हुए भी कि वह उक्त खण्ड (क) के अधीन रिजस्ट्रीकरण के लिये दायी नहीं है, स्वयं को इस अधिनियम के अधीन रिजस्ट्रीकृत करायेगा।

- (3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन स्वयं को रिजरट्रीकृत कराने के लिए अपेक्षित प्रत्येक व्यापारी, या कोई व्यापारी जो उपधारा (दो) के खण्ड (ग) के अधीन स्वयं को रिजरट्रीकृत कराने की वांछा करता है या कोई व्यक्ति जो उपधारा (2) के खण्ड (ध) के अधीन स्वयं को रिजरट्रीकृत कराने की वांछा करता है, आयुक्त को ऐसे प्ररूप तथा ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, शपथपत्र में समर्थन के साथ आवेदन कर सकेगा जिसमें सही तथा सम्पूर्ण विशिष्टिया दी जाएंगी।
- (4) (क) जिस दिन, उपधारा (1) या उपधारा (2) द्वारा यथाअपेक्षित रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए आवेदन प्राप्त होता है, उस दिन उक्त प्राधिकारी, आवेदक को विहित प्ररूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करेगा;

(ग) यदि खण्ड (ख) के अधीन सत्यापन से आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि आवेदक द्वारा अपने आवेदन में दी गई विशिष्टियां सही नहीं है या आवेदक ने कतिपय तथ्यों का दुर्व्यपदेशन किया है तो वह आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् आवेदन प्राप्त होने की तारीख से जो तीस दिन के से बाद की न हो, उपधारा (10) के खण्ड (ग) या खण्ड (ड.) के उपबंधों के अनुसार आवेदक को खण्ड (क) के अधीन जारी किया गया रिजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र उसके जारी किये जाने की तारीख से रदद कर देगा।

(5) उपधारा (4) के अधीन प्रदान किया गया रिजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र-

- (क) उस मामले में, जहां कोई व्यापारी उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन विहित या खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर स्वयं को उपधारा (2) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन रिजस्ट्रीकृत कराने के लिए अपेक्षित है, या खण्ड (ख) के अधीन रिजस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है. उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको कि किसी वर्ष में उसकी कुल राशि (टर्न ओवर) धारा 4 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट की गई सीमाओं से प्रथम बार अधिक हो जाती है; या कारबार के अन्तरण के दिनांक से जैसी भी स्थिति हो;
 - (ख) उस मामले में, जहां कि उस व्यापारी ने जो उपधारा (2) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन स्वयं को रजिस्ट्रीका करा लेने के लिए अपेक्षित है यथारिथति विहित या विनिष्टे

कालावधि का अवसान होने के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर दिया है, उस तारीख से प्रभावी होगा, जिसको कि वह रजिस्टीकरण के लिए आवेदन करता है:

- (ग) जहाँ किसी व्यापारी ने जो उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन या उपधारा (2) के खण्ड (घ) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर दिया है, ऐसे आवेदन की तारीख से प्रभावी होगा और धारा 4 के उपबंधों के होते हुए भी, यथास्थिति ऐसा व्यापारी या व्यक्ति उस तारीख से उस कालावधि के दौरान जब तक कि रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रवृत्त रहता है, इस अधिनियम के अधीन कर के भुगतान का दायी होगा।
- (6) धारा 21 की उपधारा (6) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जब किसी व्यापारी ने उपधारा (1) या उपधारा (2) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार विहित समय के भीतर, युक्तियुक्त हेतुक के बिना, स्वयं को रिजस्ट्रीकृत नहीं कराया है तो आयुक्त, ऐसे व्यापारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् उसे यह निर्देश दे सकेगा कि वह पांच सौ रूपये से अनिधक की राशि का शास्ति के रूप में भुगतान करे।
 - (7) प्रत्येक ऐसा व्यापारी, जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर, इस अधिनियम द्वारा निरिसत किए गए अधिनियम के उपबंधों के अधीन रिजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र धारण करता है, ऐसे प्रारंभ पर, इस अधिनियम के समस्त प्रयोजनों के लिए इस धारा के अधीन रिजस्ट्रीकृत किया गया तथा रिजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र धारण करने वाला व्यापारी समझा जाएगा।
 - (8) यदि कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी या अन्य व्यापारी, जो धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित है–
 - (क) उसका कारबार या उसके कारबार का कोई भाग या स्थान का विक्रय करता है या अन्यथा अंतरण करता है या कारबार के स्वामित्व में कोई अन्य परिवर्तन करता है या ऐसा परिवर्तन उसकी जानकारी में आता है. या
 - (ख) उसके कारबार को बंद कर देता है या अपने कारबार के स्थान को परिवर्तित कर देता है या कारबार को नये स्थान पर खोलता है: या
 - (ग) उसके कारबार के नाम या प्रकृति को परिवर्तित कर देता है, तो

वह या यदि उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका विधिक प्रतिनिधि विहित समय के भीतर विहित प्राधिकारी को तद्नुसार सूचित करेगा।

(9) (क) आयुक्त -

(एक) किसी रिजस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा अपने रिजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को उपधारा (8) के उपबधों के अनुसरण में या अन्यथा संशोधित किया जाने के लिए आवेदन किया जान पर, ऐसी जांच जैसी कि वह उचित समझे, करने के पश्चात् उस व्यापारी के रिजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के भीतर संशोधित करेगा या संशोधन संबंधी आवेदन को नामंजुर करेगा और

यह समाधान हो जाने पर कि किसी व्यापारी को जारी किए गुए रिज़िस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में उसमें विनिर्दिष्ट की गई कतिपय विशिष्टियों के संबंध में संशोधन किया जाना अपेक्षित है तो वह व्यापारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् रिजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को संशोधित करेगा।

(ख) जब रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपंत्र उपधारा (8) में विनिर्दिष्ट किन्हीं घटनाओं के अनुसरण में खण्ड (क) के उपखण्ड (एक) के अधीन संशोधित किया जाता है तो ऐसा संशोधन ऐसी घटना होने की तारीख से प्रभावी होगा और उक्त उपखण्ड के अधीन आने वाले अन्य समस्त मामलों में संशोधन आवेदन की तारीख से प्रभावी होगा। खण्ड (क) के उपखण्ड (दो) के अधीन संशोधन, ऐसा संशोधन करने के आदेश की तारीख से प्रभावशील होगा।

(10) जब,

के प्रताननों के लिए एसा ब्यापार समझा

- (क) कोई रिजस्ट्रीकृत व्यापारी अपना कारबार बंद कर देता है या उसका अंतरण कर देता है, या
- (ख) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी का कर चुकाने का दायित्व समाप्त हो जाता है; या
- (ग) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी को भूल से रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र मंजूर कर दिया जाता है; या
- (घ) किसी रिजस्ट्रीकृत व्यापारी पर इस अधिनियम के अधीन या इस अधिनियम द्वारा निरसित अधिनियम के अधीन शोध्य कर या शास्ति या किसी अन्य राशि का बकाया है; या

(ङ) आयुक्त की लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, यह राय है कि रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र किसी अन्य कारण से रद्द कर दिया जाना चाहिए,

तो आयुक्त या तो स्वप्रेरणा से या इस संबंध में व्यापारी के आवेदन पर, रिजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकेगा; किंतु ऐसे रद्दकरण के होते हुए भी व्यापारी उस कालावधि के लिये जिसके कि दौरान उसका रिजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रवृत्त रहा है, कर चुकाने का दायी होगा:

परंतु जहां आयुक्त इस उपधारा के अधीन किसी व्यापारी का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र रदद करना प्रस्तावित करता है वहां वह ऐसे व्यापारी को सुनवाई का अवसर देगा।

अपन्य सं विभाव स्थापन स्यापन स्थापन स्थापन

कोई भी ऐसा व्यापारी जिसका रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र उपधारा (10) के खण्ड (घ) या खण्ड (ङ) के अधीन रद्द कर दिया गया है धारा 21 की उपधारा (6) के प्रयोजनों के लिए ऐसा व्यापारी समझा जाएगा जिसने रजिस्ट्रीकरण कराने के लिए आवेदन करने में चूक की है, किंतु वह उक्त उपधारा के अधीन कोई शास्ति चुकाने के दायित्वाधीन नहीं होगा।"

धारा 17 का 15. मूल अधिनियम की धारा 17 का लोप किया जाय। संशोधन.

धारा 19 का संशोधन. 16. मूल अधिनियम की धारा 19 में,-

- (1) उपधारा (4) के खण्ड (क) के उपखण्ड (3) में अंक "1.25" के स्थान पर अंक "1" प्रतिस्थापित किया जाय।
- (2) उपधारा 4 के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाय, अर्थात:-
 - "(5) (क) यदि आयुक्त को यह विश्वास करने का कारण है कि रिजस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी कालावधि के लिए उसके द्वारा प्रस्तुत की गई अपनी विवरणी या विवरणियों में दिए गए ब्यौरे सही (शुद्ध) नहीं हैं तो, वह व्यापारी को सुनवाई का अवसर देते हुए विवरणी या विवरणियों में के ऐसे ब्यौरे की शुद्धता को सत्यापित कर सकेगा।

(ख) यदि ऐसे सत्यापन पर यह पाया जाता है कि विवरणी या विवरणियों में दिए गए ब्यौरे सही नहीं हैं जहाँ तक कि उनका कर की सही दर, कर की संगणना, देय ब्याज या किसी कटौती का दावा तथा आगत कर के रिबेट के लागू होने के संबंध है, तो वह विहित्य प्ररूप में एक नोटिस जारी करके ऐसे व्यापारी से अपेक्षा करेगा कि वह ऐसे नोटिस में विनिर्दिष्ट कालाविध के भीतर उसके द्वारा देय कर की अतिरिक्त रकम तथा ब्याज का भुगतान करें।"

धारा 22, 24, 40, • 47, 48, 49, 50, 54, 55, 56 तथा 71 का संशोधन.

17. मूल अधिनियम की धारा 22, 24, 40, 47, 48, 49, 50, 54, 55, 56, तथा 71 में शब्द ''बोर्ड'' जहां कहीं भी आया हो, के स्थान पर शब्द ''अधिकरण'' प्रतिस्थापित किये जाय।

धारा 22 का 18. मूल अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) के खण्ड (ड) में शब्द ''कर संशोधन. निर्धारण आदेश'' के पश्चात् ''अथवा किसी न्यायालय या अधिकरण के । गण्यक कि जिल्ला किसी किया जाय।

धारा 25 का 19. मूल अधिनियम की धारा 25 में,—

- (1) उपधारा (6) में अंक ''1.25'' के स्थान पर अंक ''1'' प्रतिस्थापित किरे जाय।
- (2) उपधारा (7) में अंक "15" के स्थान पर "12" प्रतिस्थापित किये जाये।
- (3) उपधारा (8) में अंक "1.25" के स्थान पर अंक "1" प्रतिस्थापित किये जाये।

धारा 28 का संशोधन.

20. मूल अधिनियम की धारा 28 में शब्द ''कोई कटौती नहीं'' के पश्चात् शब्द ''अथवा कम दर से कटौती'' अंतःस्थापित किया जाय।

धारा ३९ का संशोधन.

21 मूल अधिनियम की धारा 39 के उपधारा (5) में शब्द ''एक'' के स्थान प

धारा ४२ का संशोधन 22. (1) मूल अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (1) में वर्तमान परन्तुक के पूर्व निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाय, अर्थात्:—

"परन्तु, जहां एक रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा अन्य किसी ऐसे व्यापारी को करयोग्य माल का विकय किया जाता है तो बिल, बीजक या कैश मेम में कर की राशि पृथक से दशाई जावेगी।"

(2) उपधारा (1) में वर्तमान परन्तुक में शब्द "परन्तु" के पश्चात् शब्द "यह और भी कि" अंतःस्थापित किये जाय।

धारा ४८ का संशोधन.

23. मूल अधिनियम की धारा 48 में,-

(1) उपधारा (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित किया जाय, अर्थात:—

"(6) ऐसी प्रकिया के अध्यधीन रहते हुए जैसी कि विहित की जाए तथा

ऐसी और जांच करने के पश्चात् जैसा कि वह उचित समझे,

(क) अपीलीय उपायुक्त प्रत्येक अपील का निंपटारा ऐसी अपील फाईल करने के दिनांक से एक कैलेण्डर वर्ष के भीतर करेगा. ऐसी अपील का निपटारा करते समय, अपीलीय उपायुक्त कर निर्धारण या शास्ति के अधिरोपण या दोनों की पुष्टि कर सकेगा, उसे कम कर सकेगा, उसमें वृद्धि कर सकेगा या उसे निरस्त कर सकेगा किन्तु, मामले का प्रतिप्रेषण नहीं करेगा।

(ख) अधिकरण-

(एक) कर निर्धारण या शास्ति के अधिरोपण या दोनों की पुष्टि कर सकेगा, उसे कम कर सकेगा, उसमें वृद्धि

कर सकेगा या उसे निरस्त कर सकेगा, या

(दो) कर निर्धारण या शास्ति के अधिरोपण या दोनों को अपास्त कर सकेगा और उस अधिकारी को जिसके कर निर्धारण या शास्ति के अधिरोपण आदेश के विरूद्ध अपील की गई है, यह निर्देश दे सकेगा कि वह ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी की निर्देशित की जाए, नवीन रूप से कर निर्धारण करे या शास्ति पुनः अधिरोपित करें।

(तीन) ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह उचित

समझे।

धारा 49 का संशोधन. 24. मूल अधिनियम की धारा 49 में,-

(1) उपधारा (1) के खण्ड (दो) के अंत में शब्द 'जैसा कि वह उचित समझे' के पश्चात् शब्द 'पुनरीक्षण के लिए ऐसा आवेदन फाइल करने के दिनांक से एक कैलेण्डर वर्ष के भीतर"अंत स्थापित किये जाएं।

(2) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात:-- "(1-क) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि उपधारा एक के अधीन पुनरीक्षण किसी एस पुन कर निर्धारण या शास्ति के पूनः अधिरोपण के किसी ऐसे आदेश के संबंध में है, जो अपील या पुनरीक्षण में दिए गए किसी निर्देश के अनुसरण में है, तो आयुक्त उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार आदेश पारित कर सकेगा, किन्तु मामले का प्रतिप्रेषण नहीं करेगा।"

25. धारा 57-क का अंतःस्थापन

मूल अधिनियम की धारा 57 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अतःस्थापित किया जाय, अर्थात:-

- "57-क सर्वेक्षण. (1) ऐसे व्यापारियों की पहचान करने की दृष्टि से जो अधिनियम के अधीन कर का भूगतान करने के दायी हैं किन्तु अरजिस्ट्रीकृत बने हुए हैं तो आयुक्त, समय-समय पर अरजिस्ट्रीकृत व्यापारियों का सर्वेक्षण करवाएगा।
 - (2) आयुक्त, सर्वेक्षण के प्रयोजन के लिए साधारण या विशेष नोटिस द्वारा किसी व्यापारी या व्यापारियों के वर्ग से अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसे व्यक्तियों और व्यापारियों, जिन्होंने किसी दी गई कालावधि के दौरान ऐसे व्यापारी या व्यापारियों के वर्ग से कोई माल क्य किया है या उन्हें किसी माल का विकय किया है, से संबंधित नाम, पते और ऐसी प्रविष्टियाँ जिन्हें वह आवश्यक समझे, प्रस्तृत करे।
 - (3) आयुक्त, सर्वेक्षण के प्रयोजन के लिए लोकोपयोगिता और वित्तीय संस्थाओं, जिसमें बैंकिंग कम्पनी भी सम्मिलित हैं, द्वारा उपलब्ध कराई गई ऐसी सेवाओं से संबंधित ब्योरे और विशिष्टियाँ मंगा सकेगा जो उसकी राय में सर्वेक्षण के प्रयोजन के लिए सुसंगत और उपयोगी होंगे।
 - (4) आयुक्त, सर्वेक्षण के प्रयोजन के लिए ऐसे किसी भी स्थान में प्रवेश कर सकेगा जहाँ काई व्यापारी कारबार चला रहा है किन्तू वह अरजिस्ट्रीकृत है या उसने रिजस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान किये जाने के लिए आवेदन नहीं किया है, चाहे ऐसा स्थान ऐसे कारबार का मुख्य स्थान है या नहीं है और किसी स्वामी, कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति से जो उस समय और उस स्थान पर किसी भी रीति में उपस्थित हो या कारबार में सहायता कर रहा है, अपेक्षा कर सकेगा कि वह-
 - (एक) ऐसी लेखा पुस्तकें या अन्य दस्तावेज, जिनकी वह अपेक्षा करे तथा जो ऐसे स्थान पर उपलब्ध हों, का निरीक्षण करने की आवश्यक सुविधा उसे दे,
 - नकद, स्टॉक या अन्य मूल्यवान विशिष्टियाँ या वस्तुएँ जो (दो) उसमें पाई जाएँ, की जाँच करने या सत्यापित करने की उसे आवश्यक सुविधा दे,

(तीन) ऐसी जानकारी जिसकी वह किसी मामले के बारे में अपेक्षा करें जो इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के लिए उपयोग या सुसंगत हों प्रदन करना।

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजन के लिए ऐसा स्थान जहां कोई व्यक्ति कारबार में संलग्न हो, वहाँ उसमें कोई ऐसा अन्य स्थान भी सम्मिलित होगा जिसमें कारबार में संलग्न व्यक्ति या उक्त कर्मचारी या कारबार में उपस्थित या सहायता करने वाला, अन्य व्यक्ति यह कथन करता है कि कारबार से संबंधित कोई लेखा पुस्तकें या अन्य दस्तावेज या नकद का कोई भाग, स्टॉक या अन्य मूल्यवान वस्तुएँ या चीजें वहाँ स्खी गई हैं।

- (5) आयुक्त, उस स्थान में जहाँ कोई व्यक्ति कारबार कर रहा हो, केवल ऐसे घण्टों के दौरान, जिस पर ऐसा स्थान कारबार के लिए खुला हो और उक्त स्थान या किसी अन्य स्थान की दशा में केवल सूर्योदय के पश्चात लथा सूर्यास्त के पूर्व ही प्रवेश करेगा। आयुक्त, उसके द्वारा निरीक्षण की गई लखा पुस्तकों को और अन्य दस्तावेजों के उद्धरण या उनकी प्रतियाँ बना सकेगा, बनवा सकेगा, उसके द्वारा जांचे गये या सत्यापित किए गए किसी नकद स्टॉक या अन्य मूल्यवान वस्तुओं या वीजों की एक सूची बनाएगा और ऐसे किसी व्यक्ति का कथन अभिलिखित कर सकेगा जो इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के लिये उपयोगी या सुसगत हो।
- (6) आयुक्त, इस धारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने में, उस स्थान से जहाँ उसने प्रवेश किया है, किन्हीं भी लेखा पुस्तकों, अन्य दस्तावेज या कोई नकद स्टॉक या मूल्यवान वस्तुएँ या चीजें अकारण नहीं हटाएमा या हटवाएगा।"
- 26. मूल अधिनियम की धारा 72 के वर्तमान खण्ड (एक) के उप खण्ड (खं) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड प्रतिस्थापित किया जाय अर्थात –

धारा 72 का

संशोधन.

(ख) किसी ऐसे रिजस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा जिसने राज्य में नई आद्योगिक इकाई स्थापित की है या जिसने ऐसी औद्योगिक इकाई का विस्तार, आधुनिकीकरण या शब्लीकरण कर दिया था, कर के भुगतान से छूट / कर के भुगतान के आरथगन के तौर पर आद्योगिक रियायत की सुविधा का लाम उठाने के लिये उस अधिनियम के अधीन उद्भूत अधिकार या प्राधिकार को सम्मिलित करते हुए, ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार बाध्यता या दायित्व पर जो निरिंगत अधिनियम के अधीन अजीन अजित, प्रोद्भूत या उपगत किया गया हो;

परन्तु इस अधिनियम के अंतर्गत किसी ऐसे रिजस्ट्रीकृ व्यापारी द्वारा जिसनें राज्य में नई औद्योगिक इकाई स्थापित की है या जिसनें ऐसी औद्योगिक इकाई का विस्तार, आधुनिकीकरण या शबलीकरण कर दिया था, कर के भुगतान से छूट / कर के भुगता के आस्थगन के तौर पर औद्योगिक रियायत की सुविधा को राज्य शासन द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप संशोधित / सुधारित किया जाएगा। राज्य शासन इस हेतु अधिसूचना जारी कर सकेगा या निरसित अधिनियम के अधीन जारी अधिसूचना का संशोधित कर सकेगा।"

धारा 73 का संशोधन.

27. मूल अधिनियम की धारा 73 में,-

- (1) उपधारा (2) में शब्द एवं अंक 'इस अधिनियम की अनुसूची+2 में विनिर्दिष्ट कोई ऐसा माल' के पश्चात शब्द 'जो उक्त तारीख से बारह' माह की अवधि के पूर्व क्य नहीं किया गया हो' अंत स्थापित किया जाये।
- (2) उपधारा (2) के खण्ड (दो) में शब्द 'चार प्रतिशत की दर पर' के पश्चात शब्द एवं अंक 'या केन्द्रीय विकय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 8 की उपधारा (5) के अधीन कम की गई दर पर अंतःस्थापित किये जाय।
- (3) उपधारा (3) के खण्ड (क) में शब्द 'अनुसूची—3 में विनिर्दिष्ट माल स भिन्न करदत्त माल' के पश्चात् शब्द 'जो उक्त तारीख से बारह माह क अविध के पूर्व कय नहीं किया गया हो' अंतःस्थापित किये जाये।
- (4) उपधारा (3) के खण्ड (ख) में शब्द 'अनुसूची—3 में विनिर्दिष्ट माल स भिन्न अनुसूची—दो में विनिर्दिष्ट कोई माल' के पश्चात् शब्द 'जो उक् तारीख से बारह माह की अवधि के पूर्व क्य नहीं किया गया हो अंतःस्थापित किये जाये।

अनुसूची 1 का संशोधन.

28. मूल अधिनियम की विद्यमान अनुसूची 1 के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित किया जाय, अर्थात:—

"अनुसूची—1 (धारा 15 देखिए)

अनुक्रमांक	मोल का वर्णन	शर्त तथा अपवाद जिनके अध्यधीन रहते छूट दी गई है
(1)	(2)	(3)
1	शारीरिक रूप से कार्यान्वित या पशुओं द्वारा चलाए जाने वाले कृषि उपकरण	

2	विकलांग व्यक्तियों द्वारा उपयोग में लाए जाने	
3-1-9	वाले सहायक तथा उपकरण	
3	हाथीदांत, सोने या चांदी, रोल गोल्ड तथा	
	इमीटेशन गोल्ड से बनी चूडियों से भिन्न सब	
	प्रकार की चूड़िया	
4	जलीय खाद्य, कुक्कुट खाद्य जिसमें घास.सूखी	
	घास तथा भूसा सम्मिलित है	
5	पान	
6	पुस्तकें, नियतकालीन पत्रिकाएं (पीरियाडिकल्स)	
	तथा जरनल्स जिनमें नक्शें, चार्ट तथा ग्लोब	
	सम्मिलित है	
7	ब्रेड (मार्क वाली या अन्य प्रकार की)	
8	पशुओं द्वारा चलाए जाने वाली गाड़ी	
9	चरखा तथा अम्बर चरखा,हाथ करघे (हैडलूम्स)	
	और हाथ करघा फेब्रिक तथा गांधी टोपी	
10	चारकोल क पान पानी हिंह एक हुए के शिवार	(P)
11	कंडोम और गर्भनिरोधक (कन्ट्रासेपटिब्ज)	
12	काटन तथा सिल्क यार्न लब्छी में	
13	दही, लस्सी, मक्खन, छाछ तथा सेपरेटा दूध	
14	मिटटी के बर्तन तथा मिट्टी से बनी वस्तुएं	
15	विद्युत ऊर्जा	
16	फेब्रिक्स जिन पर सेन्ट्रल एक्साइज एण्ड टेरिफ	
	एक्ट, 1985 (1986 का सं. 5) के अधीन	
to - Marie	अतिरिक्त आबकारी शुल्क उद्ग्रहीत किया	
	जाता है या उद्ग्रहणीय है और सभी प्रकार के	
H S CAN	खादी के कपड़े हाथकरघा कपड़े इसमें सिल्क,	
	सिल्क के कपड़े और टाट (हेसियन क्लाथ)	
	सम्मिलित नहीं है	
17	केसूरिना तथा यूकेलिप्ट्स की लकड़ी को	
*	छोड़कर जलाऊ लकड़ी (फायर वुड)	
18	मत्स्य जाल तथा बुना हुआ जाल	
19	फ्लाई एश	
20	(i) धान से भिन्न सभी प्रकार के अनाज तथा	
	खाद्यान्त,	
	(ii) दलहन	-
21	ताजा दूध तथा कीटाणु रहित दूध	
22	ताजी वनस्पति नया पौधा तथा ताजे फूल	
23	ताजी सब्जी (जिसमें आलू एवं प्याज सम्मिलित	
	है) तथा फल	

	24	लहसुन तथा अदरक (सूखी अदरक अपवर्जित करते हुए)	
	TANCHE		
	25	मेडिसिनल एण्ड टायलेट प्रिपरेशन्स (एक्साइल	
		ड्यूटीज) एक्ट. 1955 (क्रमाक 16 सन् 1955)	
		की अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई आंबड़ीय	2
		तथा प्रसाधनीय निर्मितियों से भिन्न माल जिस	
		पर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915	
		(क्रमांक 2 सन् 1915) के अधीन शुल्क	
		उद्गृहित किया जाता है या उदगृहित किया	
		जा सकता है	
	26	गुड तथा खांड	
	27	बेल मेटल तथा पिटवॉं लोहा से निर्मित	
		हस्तशिल्प	
	28	रक्त घटकों सहित मानव रक्त	
	29	भूसा जिसमें मूंगफली का गुसा सम्मिलित है	
		तथा धान्यों के चीकर	
	30	हाथ से बनाए हुए स्वदेशी वाद्य यन्त्र	
	31	कुमकुम, बिंदी, आल्ता, सिंदूर	
	32	सिलाई अथवा दबा कर बनाए गये पत्ते के कप	
		तथा प्लंट (दोने एवं पताल)	
	33	मांस, जिसमें कुक्कुट नास समितित है, भारती,	
		भीया तथा अन्य जलीय उत्पाद जह अभिसाधित	
		या स्तंभित अथवा सीलबंद आधानों में विक्रय	
		किया गया न हों, अण्डे और पशुधन तथा	
		पशुओं के बाल	
	34	सरकडे से बने मुड्डे	
	35	राष्ट्रीय ध्वज	
	36	सरकारी खजाने द्वारा वेचे गए न्यायिकेतर	
		स्टाम्प पेपर सादा कागज सामान्यतः वेष्ट पत्र	
		(चित्रण पत्र) सरकार द्वारा वेची गई डाक	
-		साम्रगी जैसे लिफाफे पोस्टकार्ड आदि रूपया	
		नोट जब रिजर्व बैंक आफ इंडिया को बेचे जाए	
		तथा चैक खुले हुए या पुस्तक प्ररूप में	
	37	कार्वनिक खाद जिसमें मोबर सम्मिलित है	
100	38	पापड	
	39	पोहा मुरमुरा तथा लाई	
	40	राखी	
	41	कच्ची ऊन	
	42	सबाई घास तथा सबाई घास के निर्मित रस्सी .	

43	नमक (मार्क वाला या अन्य प्रकार का)
44	मेथां धनिया तथा ऐसे बीज जो केन्द्रीय विकय
	कर अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 14) की
	धारा 14(6) में विनिर्दिष्ट पद "तेलबीज" के
	अंतर्गत आते हैं, को छाडकर सभी प्रकार के
	बीज
45	बीर्य जिसमें स्तिभेत वीर्य सिम्मिलित है
46	रेशम कृमि पालन कोया (कन्न) तथा क व्या
	रेशम
47	सिराली, बगसी, बरु, ताड परितया इनसे
	निर्मित टाकनियां, टट्टे, पंखे, पर्दे, चटाईयां
	तथा अन्य वस्तुए इस्त निर्मित सूमा तथा
	गिरमा, हस्त निर्मित चमड की बरही, बास लक्षा
	रेशेदार पौधों जैसे सबाई, शीसल आदि से बने
	वर्तन तथा सजावटी वस्तुएं
48	स्लेट रलेट वैसिल्स तथा चाक स्टीयस्
49	शक्कर और खांडसारी जिन पर सेन्ट्रल
	एक्साइज एण्ड टेरिफ एक्ट, 1985 (186 का सं
	5) के अधीन अतिरिक्त आबकारी शुल्क
4	उदग्रहित किया जाता है या उदग्रहणीय है.
	मिश्री, चिरोंजी तथा बताशा समिगलित नहीं है.
50	कच्चा हरा नारियल
51	ताडी नीरा तथा अर्क
52	तम्बाक्-विर्मित या अनिर्मित् अभिसाधित या
	अनुभिराधित तथा तम्बाक् उत्पाद जिसम
	सिगरेटें, सिगार चुरूट तथा बोडी समिलित है।
	जिन पर सेन्ट्रल एक्साइज एम्ब टेरिफ एक्ट
	1985 (1986 सं. 5) के अधीन अतिरिक्त
	आबकारी शुल्क उदग्रहींत किया जाता है या
	उद्ग्रहणीय है और गुड़ाकू
53	बिना मार्क वाली डाउडू (पुलबाहरी, झाउू)
54	(एक) वातित खनिज आसूत ओषधीय आयनिक
A STATE	बैटरी अवातितजल तथा
	(दो) सीलबंद साधनों में बेचे जाने वाले जल
	को छोड़कर अन्य जल

अनुसूची 2 का 29. मूल अधिनियम की वर्तमान अनुसूची 2 के स्थान पर निम्न अनुसूची संशोधन. प्रतिस्थापित किया जाय, अर्थात्:—

"अनुसूची-2 (धारा 8 देखिये) भाग-1

	F 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	The second secon		
		THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY.	घारा ४(एक)	धारा 8(दो)
	अनुक्रमांक	विवरण	के अधीन कर	के अधीन कर
			की दर:	की दर:
	(1)		(प्रतिशत)	(प्रतिशत)
		(2)	(3)	(4)
	1	सोने तथा चांदी की वस्तुएं जिनमें	1	(1)
		सिक्के, बुलियन तथा सिक्के (स्पेसी)		
	1 2	सम्मिलित है,	Market 1	
1	2	निजी पहनने के सोने, चांदी तथा		
		प्रवेदिया के अल्लान	1	
+	3	प्लेटिनम के आभूषण,		
1	3	वड्रमूल्य धात अथात साना चाटी	1	
1		प्लेटिनम, औसमियम, पैलेटियम, रेडियम,		
-		रूथानयम तथा इनमें से किसी का		
1	The street	ामश्रण (एलाय)	X S	
1	4-10-1	स्पष्टीकरण:- इस प्रविष्टि के प्रयोजन के		
1		लिये बहुमूल्य धातु के मिश्रण (एलाय) का		
1		अर्थ है कि ऐसे मिश्रण (एलाय) में		
1		बहमला धात की पाउना पान		
	The second	बहुमूल्य धातु की शुद्धता पचास प्रतिशत		
1	4			
1	4	बहुमूल्य रत्न जैसे- हीरा, पन्ना, माणिक,	1	
		मोती तथा नीलम चाहे वे पृथक से या		
		किसा एसी वस्तु के भाग के रूप में		
		जिसमें वे जड़े हो बेचे जाएं		

भाग-2

अनुक्रमांक	विवरण	की दर:	की दर:
(1)		(प्रतिशत)	(प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	एसिड आयल, फैटी एसिड, आयल स्लज, सोप स्टॉक, लेसी थीन	4	-

Ŧ				
	2	पेट्रोल एवं डीजल के योजक	4	
	3	कृषि उपकरण शरीरिक रूप से कार्यान्वित	4	
		नही किए जाने वाले या पशुओं द्वारा नही		
		चलाए जाने वाले	LOW DE	
	4	संसूचना के समस्त उपस्कर जैसे- प्राइवेट	4	
		ब्रांच एक्सचेंज (पी बी एक्स) तथा		
		इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट आटोमेटिक ब्रांच		
		एक्सचेंज (ई पी बी एक्स)		
	5	समस्त अभौतिक वस्तुएं जैसे कापीराइट,	4	
		पेटेंट, रीप लायसेंस इत्यादि		
	6	(एक) एच.डी.पी.ई., एल.डी.पी.ई. तथा पी.पी.	4	
		वूवन सेक्स को सम्मिलित करते हुए सभी		
		प्रकार के बेग,		
		(दो) सभी प्रकार की रस्सियां तथा डोरियां		
		(ट्वाइन) जिनमें पटसन, डोरी (ट्वाईन)		
		सम्मिलित है,		
		(तीन) आधान (कन्टेनर) तथा संवेस्टन		
		सामग्री (पैकिंग मटेरियल) के रूप में		Maria No.
		उपयोग हेतु वस्तुएं		
	7	समस्त प्रकार के रसायन, अम्ल तथा गंधक	4	
		(सल्फर)		
	8	सभी प्रकार की ईटें जिसमें उड़ने वाली	4	
		राख से बनी ईट ऊष्मसह ईंट,		
		असफाल्टिक रूफिंग, मिट्टी के टाइल्स		
		सम्मिलित है		
	9	सभी प्रसंस्कृत फल जिसमें फुट जेम, जेली,	4	
		अचार, फुट्स स्क्वेश, पेस्ट, फुट ड्रिंक्स व		
		फुट जूस सम्मिलित है (सीलबंद आधानों में		
		या अन्य प्रकार से)।		
	10	लच्छी में सूती एवं रेशमी सूत को छोड़कर	4	1 Box = 3 18 19
		सभी प्रकार का सूत तथा सिलाई का धागा	THE RESERVE	
	11	स्टील प्रबलित एल्यूमिनियम कंडक्टर	4	
	F-62-10	(ए.सी.एस.आर.)		
	12	एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम एलाय (मिश्रण)	4	
		उनके उत्पाद जिनमें बहिबंधन		
		(एक्स्ट्ररूजन) सम्मिलित है, जो इस		
		अनुसूची अथवा किसी अन्य सूची में वर्णित		
	The Late	नहीं है		
	13	बहुमूल्य धातु से बने बर्तन को छोड़कर	4	
		सभी बर्तन जिसमे प्रेशर कुकर/पैन		33000
	Maria Be	2	AL IN DA	

-	V TOACH CONTRACTOR OF THE CONT		
	सम्मिलित है		
- 14	सुपारी पावडर तथा सुपारी	4	
15	रोल्ड गोल्ड तथा इमीटेशन गोल्ड से बनी	4	
	वस्तुएं		
16	बायोगैस	4	
17	बांस	4	
18	वियरिंग	4	
19	बेडशीट, पिलोकव्हर तथा अन्य बनी हुई	4	AL WEST
	वस्तुएं		A. Train
20	पट्टा (बेलटिंग्स)	4	
21	बायसिकल, ट्रायसिकल, सायकिल रिक्शा	4	
	तथा उनके पुर्जे, टायर और ट्यूब एवं उप		
Tale La St	साधन		
22	बायोगास ब्रिकेट	4	# 2 =-
23	डामर	4	
24	अस्थिचूर्ण	4	
25	थोक औषधि (बल्क इंग्स)	4	-
26	कैण्डल (मोमबत्ती)	4	
27	पूंजीगत माल जो राज्य सरकार अधिसूचना	4	
	द्वारा विनिर्दिष्ट करे		
28	अरण्डी का तेल	4	
29.	ढलाई (कास्टिंग) सभी धातुओं की	4	
30	रासायनिक खादें, जैविक खाद जिसमें	4	
	सूक्ष्म पोषक (माइकान्यूट्रिएट) पोध विकास		
	प्रवर्तक (प्लांट ग्रोथ प्रमोटर) पौध पोषक		
	(प्लांट न्यूट्रिएंट) सम्मिलित है, हार्बिसाईड,		
	रोडेन्टीसाईड, नाशक जीवमार (पेस्टीसाइड)		
	घासफूसनाशक दवाइयां (बीडी साइड्स)		
	तथा कीटनाशक दवाइयां (इन्सेक्टिसाइड्स)		
31	सेन्द्रीपयूगल तथा मोनोब्लाक सबमर्सीबल	4	t
	पंप तथा उसके पुर्जे		
32	मिट्टी जिंसमें अग्नि सह मिट्टी (फायर	4	
	क्ले), उत्तम चायना क्ले तथा वाल क्ले		
	सिमालित है	and other and the same	
33	कोयले की सभी प्रकार की राख तथा	4	-
-	कोयले का चूरा	ALT THE	
34	काफी तथा काफी के बीज, कोकोआ पोड़,	4	
	हरी चाय पत्ती तथा चिकोरी (कासनी)		
35	कॉयर तथा कॉयर उत्पाद जिसमें कॉयर के	4	
	गदब सम्मिलित नहीं है		

36	कम्प्यूटर स्टेशनरी	4	
37	कपास तथा काटन वेस्ट	4	
38	कुठाली (क्रुसीबल्स)	4	
39	कागज तथा प्लास्टिक से बने कप एवं	4	
00	गिलास		
40	अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट माल से भिन्न	4	
	केंन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 की		
	धारा14 में यथानिर्दिष्ट घोषित माल		
41	सूखी सब्जियां तथा वनस्पति, मशक्तम और	4	-
	संसाधित सब्जियां		
42	औषध तथा औषधि सहित औषधी लाईसेंस	4	-
	के अधीन उत्पादित वैक्सीन, सिरींज और		
	ड्रेसिंग मेडिकल ओइंटमेंट		
43	अम्लीय रजक (डाईज) तथा मूल रजक	4	
	(डाईज) सहित रजक		
44	खाने का तेल वनस्पति तेल, खली (आइल	4	-
	केक), तेलरहित खली (डिआइल्ड केक)		
45	इलेक्ट्रोड्स	4	-
46	अभ्यास पुस्तकें (एक्सरसाइज बुक्स) ग्राफ	4	1=
	बुक्स तथा प्रयोगशाला (लेबोरेट्री) नोटबुक		
47	दूध पीने की बोतल, निप्पल	4	-
48	ढली हुई लौह और अलौह धातु तथा	. 4	-
	एलायस अलौह जैसे एल्युमिनियम ताबा		
	जस्ता तथा उनके बहिबंधन (एक्स्ट्रूजन)		
- 49	सभी प्रकार के फाइबर तथा फाइबर क्षेप्य	4	A - 1
50	पिसान (फ्लोर), आटा, मैदा, सूजी, बेसन	4	-
-	आदि		1273
51	तले चने तथा भुने चने	4	
52	ग्लूकोज-डी	4	
53	हैण्ड पंप तथा अतिरिक्त पुर्जे	4	-
54	जड़ी, छाल, सूखी वनस्पति, सूखी जड़,	4	-
	सामान्यतः जो जड़ीबूटी तथा सूखे फूल के		
	रूप में जानी जाती है		-
55	शहद	4	
56	होस पाइप	4	
57	होजरी का माल	4	=
58	बर्फ	4	-
59	धूपबत्ती सामान्यतः जो अगरबत्ती धूपकाडी	4	
	या धूपबत्ती के नाम से जानी जाती है	510	

60	राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित औद्योगिक आगत	4	-
61	औद्योगिक केंबल्स, उच्चताप केंबल्स, एक्स	4	Y = 2-
	एल पी ई केबल्स, जलीफील्ड केबल्स, आप्टीकल फाइबर्स		
62	इन्सूलेटर्स	4	
63	आई टी उत्पाद जिनमें सम्मिलित है	4	
	कम्प्यूटर, टेलीफोन, मोबाईल हेंडसेट एवं		
10 m	सेल्यूलर टेलीफोन तथा उसके पुर्जे		
Paris A	टेलीप्रिंटर और वायरलेस उपकरण तथा		
	उसके पूर्ज		
64	कत्था	4	
65	करोसिन लेम्प/लालटेन, पेट्रोमेक्स, काच की चिमनी	4	
66	पी डी एस द्वारा बेचा गया केरोसिन तेल	4	
67	खोवा (मावा)	T n 4	
68	बुनाई का ऊन	4	
69	लिगनाइट .	4	
70	चूना, चूने की पत्थर तथा चूने के उत्पाद	4	
71	लिनियर अल्काइल बैंजेन	4	
72	लाटरी टिकिट	4	
73	मक्का की स्टार्च, ग्लटन, अंकुर एवं तेल	4	-
74	औषधीय उपकरण (इक्वीपमेंट)/साधन	4	
	(डिवाइसेस) तथा इम्पलांट्स		
75	मिश्रित पी.वी.सी. स्थिरक	4	-
76	न्यूजप्रिंट	4	
77	निवार	4	-
78	नेपास्लेब (रफ फ्लेरिंग स्टोन)	4	-
79	नट, बोल्ट, स्कू तथा योजक (फासनर्स)	4	-
80	पुरानी तथा सेकण्ड-हैंड कार	4	-
81	अयरक तथा खनिज	4	
82	कागज (पेपर) तथा पेपर बोर्ड	4	
83	खाद्य श्रेणी को छोड़कर सभी प्रकार का	4	
The same of	पैराफीन वैक्स जिसमें मानक वैक्स, मैच		
24	वैक्स तथा रलैक वैक्स सम्मिलित है		
84	सभी प्रकार के पेन एवं रिफिल	4	-
85	पेट्रोकेमिकल्स	4	
86	सभी प्रकार के पाइप जिसमें जी आई	4	T.
A	पाइप सी आई पाइप डक्टाइल पाइप तथा		

	पी वी सी पाइप सम्मिलित है		
87	प्लास्टिक पदत्राण (फुटवियर), जिसमें	4	
	हवाई चप्पल तथा उनके पट्टे सम्मिलित		
	है		
88	प्लास्टिक के दाने, प्लास्टिक पाउडर तथा	4	
	मास्टर बैचेज		
89	दलिया (पौरिज)	4	
90	छपी हुई साम्रगी जिसमें सम्मिलित है	4	
1	डायरी कलैंडर इत्यादि		
91	छापे की स्याही टोनर कारतूसों को	4	
I was	छोड़कर		
92	प्रसंस्कृत मांस, कुक्कट मांस तथा मछली	4	
93	बांस लकडी तथा कागज की लुगदी	4	
94	रेल के डिब्बे इंजन, वैंगन तथा इनके पुर्जे	4	
95	बने बनाए वस्त्र	4	
96	नवीकरणीय उर्जासाधन तथा अतिरिक्त पुर्जे	4	
97	रेत (बालू रेत) तथा गिट्टी, बजरी	4	
98	सिलाई मशीन, इसके पुर्जे तथा उपसाधन	4	
99	जहाज तथा अन्य जलयान	4	
100	माचिस (सेफ्टी-मैचेस)	4	
101	हैंडलूम सिल्क को छोड़कर रेशमीं कपड़ें	4	
102	मलाई निकला हुआ दूध, दूध पावडर तथा	4	
	यूटीएच दूध		
103	जैव शोधक्षम तेल से भिन्न शोधक्षम तेल	4	
	(आर्गनिक सालवेट आइल से भिन्न		
	सालवेंट आइल)		
104	चश्में, उनके पूर्जे तथा घटक, कांटेक्ट लेंस	4	
	एवं लेंस क्लीनर		
105	सभी प्रकार तथा सभी किरम के मसाले	4	
	जिनमें जीरा बीज, सौफ, हल्दी, सूखी मिर्च		
	तथा हींग सम्मिलित है		
106	पहनने के परिधान तथा पदत्राण (फुटवियर)	4	
	को छोड़कर खेल का सामान		
107	स्टेनलेस स्टील की चादरें जो घोषित	4	
	वस्तुओं में सम्मिलित नहीं है,		
108	स्टार्च	4	
109	इमली, इमली के बीज एवं पाउडर	4	
110	चाय	4	-

111	दूल्स (औजार)	4	
112	ट्रेक्टर हारवेस्टर तथा अनुलग्नक तथा उसके पुर्जे	4	
113	ट्रांसफार्मर	4	
114	ट्रांसिमशन टावर	4	
115	उद्यान छाते से भिन्न छाता	4	
116	वनस्पति (उद्जनित वनस्पति तेल)	4	
117	पिंड खजूर	4	
118	लेखन यंत्र, ज्योमेट्री बाक्स, कलर बाक्स, क्रेयान, पेंसिल शार्पनर एवं लिखने की स्याही	4	-

करीचर एवं फिल्म्यर जिसमें वातालकला (एपस केंडिसार) तथा प्रशासक (रिफिजरेटस) मनिमिति

Ē,		The Grant Early Mentiles (MI)	1		
	अनुक्रमांक	विवरण	धारा 8(एक) के अधीन कर की दर :	धारा 8(दो) के अधीन कर की दर :	0000
	1 1 1		(प्रतिशत)	(प्रतिशत)	
	(1)	(2)	(3)	(4) 3	
	1	ड़ीजल		25	
	2	पेट्रोल		25	
	3	एबीएशन टरबाईन फ्यूल जो केंन्द्रीय		25	
j		विक्रय कर अधिनियम 1956 (1956 का			
		74) की धारा 14 के खण्ड (दो—घ) में			
		विनिर्दिष्ट किए गए से भिन्न है			
	4	प्राकृतिक गैस		25	
-	5	तेंदूपत्ता		25	
			Control of the Contro	/3	

भाग-4

अनुक्रमांक	विवरण	धारा ८(एक) के अधीन कर की दर : (प्रतिशत)	धारा 8(दो) के अधीन कर की दर :: (प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	समस्त अन्य माल जो अनुसूची -1 तथा इस अनुसूची के भाग -एक से चार के अंतर्गत नहीं आते हैं	12.5	

भनुसूची 3 का 30. संशोधन. मूल अधिनियम की अनुसूची--3 के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित किया जाय, अर्थात्:-

"अनुसूची—3 🕦

अनुकमांक	माल का विवरण
(1)	(2)
(1)	पेट्रोल डीजल एवीएशन टरबाइन पयुल प्राकृतिक गैस केरोसिन तरलीकृत पेट्रोलियम गैस तथा कम्प्रेस्ड प्राकृतिक गैस,
(2)	निर्माण अथवा व्यवसाय में उपयोग के लिए भूमि एवं सिविल निर्माण जिसमें कार्यालय भवन तथा अन्य संबंधित निर्माण सम्मिलित है, पर किया गया पूंजीगत व्यथ।
(3)	सेकेण्ड हेण्ड पूंजीगत माल,
(4)	फर्नीचर एवं फिक्श्चर, जिसमें वातानुकूलन (एयर कंडिश्नर) तथा प्रशीतक (रेफिजरेटर्स्) सम्मिलित है,
(5)	मोटर कार, दो पहिया मोटरयान, उनके पूर्जे तथा उप साधन,
(6)	विद्युत / शक्ति, जिसमे केंप्टीव शक्ति उत्पादन संयंत्र सम्मिलित है, के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाला पूंजीगत माल,
(7)	निर्माण, व्यवसायिक गतिविधियां तथा सेवा का प्रदाय जो अधिनियम के अंतर्गत करमुक्त है, में प्रयुक्त होने वाला पूंजीगत माल,
(8)	ऐसा अन्य माल जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय"

रायपुर, दिनांक 9 जनवरी 2006

क्रमांक 538/21-अ/प्रारुपण/06.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ मूल्य संविधित विक्रय कर (संशोधन) अधिनियम, 2006 (क्र. 2 सन् 2006) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

> ् छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ADHINIYAM (No. 2 of 2006)

CHHATTISGARH VALUE ADDED SALES TAX (AMENDMENT) ACT, 2006 (No. 2 of 2006)

An Act to amend Chhattisgarh Value Added Sales Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the fifty sixth year of the Republic of India as follows:-

Short title and Commencement.

- 1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Value Added Sales

 Tax (Amendment) Act, 2005 (No. 2 of 2006).
 - (2) It shall come in to force on such date as the State Government may, by notification appoint.

Amendment of the title of the Act.

2. In the title of the Chhattisgarh Value Added Sales Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) the word "Sales" shall be omitted.

Amendment of Section 1.

3. In sub-section (1) of section 1 of the Chhattisgarh Value Added Sales Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) (here in after referred as Principal Act), the word "Sales" shall be omitted.

Amendment of Section 2.

- 4. In section 2 of the Principal Act,-
 - (1) Clause (c) shall be omitted.
 - (2) For clause (e) the following shall be substituted, namely:-
 - "(e) "Capital goods" means plants, machinery and equipments directly used in the process of manufacture and / or in the course of business excluding such equipments as may be notified."
 - (3) After clause (e) the following clause shall be inserted, namely:-

"(e-a) "Commercial Tax Officer" means a Commercial Tax Officer appointed under section 3 and includes an Additional Commercial Tax Officer.

- (e-b) Cooked food includes sweets and sweetmeats, namkeen, mishri, batasha, chironji, shrikhand, rabadi, doodhpak, prepared tea and prepared coffee but excludes ice-cream, kulfi, ice-candy, non-alcoholic drink containing ice-cream, cakes, pastries, biscuits, chocolates, toffees, lozenges, peppermint drops and mawa."
- (4) In clause (i) after Explanation (ii) the following shall be inserted, namely:-
 - "(iii) The amount of valuable consideration paid or payable to a dealer for the sale of Drugs and Medicines specified in entry 42 in part II of Schedule II shall be the maximum retail price printed on the package containing the Drugs and Medicines, for the purposes of levy of tax under section 8."
- (5) Clause (u) shall be omitted.
- (6) (i) Paragraph (iii) of sub clause (3) of clause (w) shall be omitted.
 - (ii) In proviso (a) of clause (w) the words and figures "or paragraph (iii) of sub-clause (3)" and "or clause (ii)" shall be omitted.
 - (iii) In proviso (b) of clause (w) the words and figures "or clause (ii)" and "or paragraph (iii) of sub clause (3)" shall be omitted.
- (7) In clause (z) the word "sales" shall be omitted.

wherever the words "sales tax" occur in section 2, 3, 25, 43, 58, ection 2, 3, 25, 43,

60 and 63 of the Principal Act, the words "commercial tax" shall be substituted.

Insertion of section 3A.

6. After section 3 of the Principal Act, the following section shall inserted, namely:-

"3A- Tribunal

- (1) Subject to such rules as may be made in this behalf, to State Government may, by notification, with effect from a date specified therein, constitute Tribunal to exercise the powers and perform the functions conferred on the Tribunal by or under the Act.
- (2) Till the date specified in the notification under sub-section (1), the Board of Revenue, Chhattisgarh shall act as Tribunal for the purpose of this Act and on the date aforementioned proceedings pending before the Board of Revenue, Chhattisgarh, acting as Tribunal shall stand transferred to the Tribunal constituted under sub-section (1).
- (3) Subject to the previous approval of the State Government the Tribunal may, from time to time make regulations not inconsistent with the provisions of this Act regulating procedure and disposal of its business."

Amendment of Section 4.

7. In sub section (i) of section 4 of the Principal Act, the work "which shall not exceed rupees 5 Lacs" shall be omitted.

Amendment of Section 8.

8. In section 8 of the Principal Act,-

- (1) In clause (i) for the words and figures "part I, II, IV and the words and figures "parts I, II and IV" shall be substitute.
- (2) In clause (ii) the figures "IV" shall be omitted.

Amendment of section 9.

9. In section 9 of the Principal Act,-

(1) In clause (a) of sub section (1) after the words "under section 15" the following shall be inserted, namely:-

"and section 15(b) which are disposed off otherwise than by way of sale in the course of export out of the territory India."

- (2) For sub clause (ii) of clause (c) of sub section (1) the following shall be substituted, namely:-
 - "(ii) the manufactured goods are sold in the State of Chhattisgarh or in the course of inter-state trade or commerce or in the course of export out of the territory of India;

and such tax shall be levied,-

- (a) in respect of goods referred to in clause (a) and clause (b) at the rate specified in column (3) and (4) of schedule II; and
- (b) in respect of goods referred to in sub clause (i) of clause (c) at the rate of 4% on the goods specified in part II, part III and part IV of schedule II; and
- (c) in respect of goods referred to in sub- clause (ii) of clause (c) at the rate specified in column (4) of the said schedule, at the rate at which tax would have been levied on the sales of such goods within the State on the date of such purchase."

10. In section 10 of the Principal Act,-

Amendment of

section 10.

section 13.

- (1) In clause (a) of sub-section (2) after the words "and/or purchasing goods specified in schedule I" the words "and/or a registered dealer who manufactures cooked food" shall be inserted and for the word "fifteen" the word "fifty" shall be substituted.
- (2) In clause (b) of sub-section (2) the words "under clause (a) of this section" shall be omitted.
- (3) Clause (c) of sub-section (2) shall be omitted.

Amendment of 11. In section 13 of the Principal Act,-

(1) Clause (a) of sub-section (1) after words "(a)" the figure "(i)" shall be incerted

- (2) In clause (a) of sub-section (1), for the words and figures starting from "after payment to him, of the tax under clause (i) of section 8, he shall claim or be allowed in such manner and within such period as may be prescribed, input tax rebate of the amount of such tax," the words and figures "or for sale out side the state by way of stock transfer after payment to him of the tax under clause (i) of section 8, he shall claim or be allowed input tax rebate of such amount of tax, in such manner and within such period as may be prescribed." shall be substituted.
- (3) After clause (a) of sub-section (1) the following shall be added, namely:-
 - "(ii) When a registered dealer purchases any goods specified in schedule II other than those specified in Schedule III within state of Chhattisgarh from another such dealer after payment to him of the tax under clause (i) of section 8, for use as capital goods in the course of business within the state of Chhattisgarh, he shall claim or be allowed input tax rebate of such amount of tax, in such manner and within such period as may be prescribed."
- (4) In clause (b) of sub-section (1) for the words and figures "and any goods specified in schedule I or schedule II for sale in the course of export out of the territory of India, he shall claim or be allowed, in such manner and within such period, input tax rebate of the amount of such tax", the words and figures "or for sale out side the state by way of stock transfer and any goods specified in schedule I or schedule II for sale in the course of export out of the territory of India, he shall claim or be allowed input tax rebate of such amount of tax in such manner and within such period as may be prescribed." shall be substituted.
- (5) In clause (c) of sub-section (1) for the word (c) the word (b) shall be substituted.
- (6) After sub-section (3) the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that, if the amount of input tax rebate, which remains un adjusted even after two years, it shall be granted to him by way of refund."

- (7) In sub clauses (i) and (ii) of clause (a) of sub-section (5) for the words "interstate trade or commerce" the words, "or by way of sale outside the state, by way of stock transfer." shall be added.
- (8) In sub-section (6) after clause (iii) the following clause shall be inserted, namely:-
 - "(iv) in respect of any goods specified in schedule II for which the amount of tax is not shown separately in the sale bill, invoice or cash memoranda."

- Amendment of section 15.
- 12. (1) In section 15 of the Principal Act, the existing section shall be numbered as sub-section (1).
 - (2) In section (15) the following sub-section shall be added:-
 - "(2) The State Government may in respect of any goods, by notification amend Schedule-I, so as to include therein any goods not already specified or may relax or omit any of the conditions and exceptions set out in the corresponding entry in the third column thereof."

- nertion of new
- 13. After section 15 of the Principal Act, the following section shall be inserted, namely:-
- "15A. Power of State Covernment to mend Schedule II-
- (1) The State Government may, by notification, amend the Schedule II and thereupon the said Schedule shall stand amended accordingly:

Provided that the rate of tax in respect of any goods specified therein other than the declared goods shall not exceed the r. te of tax prescribed in the next higher slab of the rate of tax specified in the Schedule.

Provided further that if any goods are transposed by deleting them from one of the parts of the Schedule and inserting or adding them to another, the rate of tax in respect of such goods shall not exceed the rate of tax prescribed in the next higher slab of the rate of tax specified in the Schedule.

- (2) No notification enhancing the rate of tax, shall be issued under this Section without giving in the Gazette such previous notice as the State Government may consider reasonable of its intention to issue such notification;
- (3) Every notification issued under sub-section (1) shall, as soon as may be, be laid on the table of the Legislative Assembly.

15B saving-

- (1) The State Government may, by notification and subject to such restrictions and conditions as may be specified therein, exempt whether prospectively or retrospectively,-
 - (i) (a) any class of dealers; or (b) any goods or class of goods, in whole or in part,

from the payment of tax under this Act for such period as may be specified in the notifications;

- (ii) any dealer or class of dealers from any provision of this Act or any provision of a rule made under section 71 for such period as may be specified in the notification.
- (2) Any notification issued under this section may be rescinded before the expiry of the period for which it was to have remained in force and on such rescission such notification shall cease to be in force. A notification rescinding an earlier notification shall have prospective effect.
- (3) Notwithstanding the repeal of the Chhattisgarh Commercial Tax Act, 1994 (C.G. Act No. 5 of 1995) (hereinafter referred to as the repealed Act) the State Government may, by notification exempt -
 - (i) (a) any class of dealers; or
 - (b) any goods or class of goods in whole or in part, from the payment of tax under the repealed Act; or

(ii) any dealer or class of dealers from any provision of the repealed Act or the provision of any rule made there under,

for any period before the commencement of this Act and for that purpose it shall and shall always be deemed that the provision of Section 17 of the repealed Act have been revived for the purpose of such exemption."

- mendment of ection 16.
- 14. For section 16 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely:-
- "16: (1) Every dealer whose turnover during the twelve months immediately preceding the commencement of this Act exceeds the limits specified in sub-section (1) of section 4 shall get himself registered in the prescribed manner within thirty days of the commencement of the Act.
 - (2)(a) Every dealer other than a dealer to whom subsection (1) applies shall get himself registered within the prescribed period from the date on which his turnover in a year first exceeds the limits prescribed under sub-section (1) of section 4.
 - (b) Every dealer being a transferee of a business vection the meaning of sub-section (1) of section 30 shall get himself registered within thirty days from the date of transfer of the business of which he is a transferee.
 - (c) A dealer who though not liable to pay tax under section 4 desires to obtain a registration certificate voluntarily may get himself registered under this Act.
 - (d) Any person intending to establish a business in the State for the manufacture of goods for sale of value exceeding rupees two lac in a year and who is registered in the Industries Department of State Government for establishing an industrial unit in the State or who is issued a licence wherever necessary or has sent a memorandum of information to the Central Government to establish a new industrial undertaking in the State under the provisions of the Industries (Development and Registration) Act,

1951 (No. 65 of 1951), may, notwithstanding that he is not liable for registration under clause (a), get himself registered under this Act.

- (3) Every dealer required to get himself registered under sub-section (1) or clause (a) or clause (b) of sub-section (2), or a dealer who desires to get himself registered under clause (c) of sub section (2), or a person who desires to get himself registered under clause (d) of sub-section (2) shall make an application supported with an affidavit to the commissioner in such form and such manner as may be prescribed, giving correct and complete particulars therein.
- (4) (a) On the day the application for grant of a registration certificate as required by sub-section (1) or sub-section (2) is received, the said authority shall grant the applicant a registration certificate in the prescribed form.
 - (b) After issue of the registration certificate on application referred to in clause (a), the commissioner shall verify the particulars given in the application in such manner as may be prescribed.
 - (c) If the commissioner on verification under clause (b) is satisfied that the particulars given by the applicant in his application are incorrect or that the applicant has misrepresented certain facts, he shall, after giving the applicant an opportunity of being heard and recording the reasons in writing, cancel the registration certificate issued to the applicant under clause (a) in accordance with the provisions of clause (c) or clause (e) of sub section (10) from the date of its issue, not later than thirty days of the date of receipt of the application.
- (5) The registration certificate granted under sub-section(4) shall take effect from-
 - (a) in a case where a dealer required to get himself registered under clause (a) or clause (b) of subsection (2) has applied for registration within the period prescribed under clause (a) or specified in clause (b) of the said sub-section, the date on which his 'turnover in a year first exceeds the limits

prescribed under sub-section (1) of section 4 or the date of transfer of business as the case may be;

(b) in a case where a dealer required to get himself registered under clause (a) or clause (b) of subsection (2) has applied for registration after the expiry of the prescribed or specified period, as the case may be, the date on which he applies for registration;

(c) where a dealer has applied under clause (c) or a person has applied under clause (d) of sub section (2) for registration, the date of such application and notwithstanding the provisions of section 4, such dealer or person as the case may be, shall be liable to pay tax under the Act, during the period from the said date of application till his registration certificate remains in force.

- (6) Without prejudice to the provisions of sub-section (6) of section 21, when a dealer has without reasonable cause, failed to get himself registered within the prescribed time as required by sub-section (1) or clause (a) or clause (b) of sub-section (2) the commissioner may, after giving such dealer a reasonable opportunity of being heard, direct him to pay by way of penalty, a sum not exceeding rupees five hundred.
- (7) Every dealer who at the commencement of this Act holds a registration certificate under the provisions of the Act repealed by this Act shall, on such commencement, be deemed, to be a dealer registered and holding a registration certificate under this section.
- (8) If any registered dealer or other dealer who is required to furnish returns under sub-section (1) of section 19-
 - (a) sells or otherwise disposes off his business or any part or place of his business or effects or comes to know of any other change in the ownership of the business, or
 - (b) discontinues his business or changes his place of business or opens a new place of business, or

- (c) changes the name or nature of his business, he or if he dies, his legal representative shall within the prescribed time, inform the prescribed authority accordingly.
- . (9) (a) The commissioner shall,
 - on application made by a registered dealer for amendment of his registration certificate in pursuance of the provisions of sub-section (8) or otherwise, amend the registration certificate of the dealer or reject the application within 30 days of the date of receipt of such application, after making such enquiry as he deems fit; and
 - on being satisfied that the registration certificate issued to a dealer requires amendment with regard to certain particulars specified therein, amend the registration certificate after giving the dealer an opportunity of being heard.
 - (b) When the registration certificate is amended under sub-clause (i) of clause (a) in pursuance of any of the events specified in sub-section (8), such amendment shall take effect from the date such event has taken place and in all other cases falling under the said sub-clause the amendment shall take effect from the date of application. An amendment made under sub-clause (ii) of clause (a) shall take effect from the date of order for making such amendment.
- (10) When,
 - (a) a registered dealer discontinues or transfers his business; or
 - (b) the liability of a registered dealer to pay tax ceases; or
 - (c) a registered dealer has been granted a registration certificate by mistake; or
 - (d) a registered dealer is in arrears of tax or penalty or any other sum due under this Act or under the Act repealed by this Act; or

(e) the commissioner for reasons to be recorded in writing, is of the opinion that the registration certificate should be cancelled for any other reason;

the commissioner may either on his own motion or on the application of the dealer in this behalf cancel the registration certificate but notwithstanding such cancellation the dealer shall be liable to pay tax for the period during which his registration certificate remained in force.

Provided that where the commissioner proposes to cancel the registration certificate under this subsection, he shall give the dealer an opportunity of being heard.

(11) Any dealer whose registration certificate is cancelled under clause (d) or clause (e) of sub-section (10) shall, for the purpose of sub-section (6) of section 21 be deemed to be a dealer, who has failed to apply for registration, but shall not be liable to pay any penalty under the said sub-section."

Amendment of section 17.

15. Section 17 of the Principal Act shall be omitted.

mendment of section 19.

16. In section 19 of the Principal Act,-

- (1) In sub-clause (iii) of clause (a) of sub-section (4), for the figures "1.25" the figures "1" shall be substituted.
- (2) After sub-section (4) the following sub-section shall be added namely:-

"(5) (a) If the commissioner has reason to believe that the particulars given by a registered dealer in his return or returns furnished by him for any period under sub-section (1) or sub-section (2) are not correct he may, by giving the dealer an opportunity of being heard, verify the correctness of such particulars in the return or returns

(b) If on such verification it is found that the particulars given in the return or returns are not correct in so far as they relate to the application of the correct rate of tax, the calculation of tax or interest payable or claim of any deduction and input tax rebate, he shall by issue of a notice in the prescribed form require such dealer to make the payment of the additional amount of tax and or interest payable by him within the period specified in such notice."

Amendment of section 22, 24, 40, 47, 48, 49, 50, 54, 55, 56 and 71.

Wherever the word "Board" occurs in section 22, 24, 40, 47, 49, 48, 50, 54, 55, 56 and 71 of the Principal Act, the word "Tribunal" shall be substituted.

Amendment of section 22.

18. In clause (e) of sub-section (1) of section 22 of the Principal A, after the words "from the date of order of assessment" the words "or from the date of judgment or order of any court or tribunar" shall be inserted.

Amendment of section 25.

19. In section 25 of the Principal Act,-

- (1) In sub-section (6) for the figures "1.25" the figures "1" shall be substituted.
- (2) In sub-section (7) for the word "fifteen" the word "twelve" shall be substituted.
- (3) In sub-section (8) for the figures "1.25" the figures "1" shall be substituted.

Amendment of section 28.

20. In section 28 of the Principal Act, after the words "no deduction" the words "or deduction at a lower rate" shall be inserted.

Amendment of section 39.

21. In sub-section (5) of section 39 of the Principal Act, for the word "one" the word "half" shall be substituted.

Amendment of section 42.

22. (1) In sub-section (1) of section 42 of the Principal Act, before existing proviso the following proviso shall be inserted.

"Provided, that when sale of taxable goods is made by a registered dealer to another such dealer, the amount of tax shall be shown separately in the bill, invoice or cash memoranda."

- (2) In sub-section (1) in the existing proviso after the word "provided" the word "further" shall be inserted.
- Amendment of ection 48.
- 23. For sub-section (6) of section 48 of Principal Act, the following shall be substituted, namely:-
 - "(6) Subject to such procedure as may be prescribed and after such further inquiry as it may think fit.
- (a) the Appellate Deputy Commissioner shall dispose of every appeal within one calendar year from the date of filling of such appeal. In disposing of such appeal, the Appellate Deputy Commissioner may confirm, reduce, enhance or annul the assessment of tax or imposition of penalty or both but shall not remand the case.
 - (b) the Tribunal may,
 - (i) confirm, reduce, enhance or annul the assessment of tax or imposition of penalty or both; or
 - (ii) set aside the assessment or the imposition of penalty or both and direct the officer whose order of assessment or imposition of penalty has been appealed against to make a fresh assessment or reimpose penalty, after making such enquiry as it may direct; or
 - (iii) pass such order as it may deem fit."

Amendment of Oction 49.

- 24. In section 49 of Principal Act,-
 - (1) In clause (ii) of sub-section (1) after words "he thinks fit", the words "within one calendar year from the date of filling such application for revision" shall be added.
 - (2) After sub-section (1) the following sub-section shall be inserted, namely:-

"(I-A) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), if the revision under sub-section (1) is in respect of an order of re-assessment or re-imposition of penalty in pursuance to of any direction given in appeal or revision, the Commissioner may pass an order in accordance with the provisions of sub-section (1), but shall not remand the case."

Insertion of section 57-A.

After section 57 of the Principal Act, the following section shall 25. be inserted, namely:-

"57-A. Survey,

- With a view to identify dealers who are liable to pay tax (1) under the Act, but have remained unregistered, the commissioner, may from time to time, cause a survey of unregistered dealers to be taken.
 - (2) For the purpose of the survey, the commissioner may, by general or special notice require any dealer or class of dealers to furnish the names, addresses and such other particulars as he may find necessary relating to the persons and dealers who have purchased any goods from or sold any goods to such dealer or class of dealers during any given period.
 - (3) For the purpose of survey, the commissioner may call for details and particulars regarding the services provided by public utilities and financial institutions including banking companies, which he is of the opinion will be relevant and useful for the purposes of the survey.
 - (4) The commissioner may, for the purposes of the survey enter any place where a dealer is carrying business, but is unregistered or has not applied for grant of the certificate of registration, whether such place is principal place of business or not and require any proprietor, employee or any other person who may at that time and place be attending in any manner to, or helping in, the business,-

- (i) to afford him the necessary facility to inspect such books of accounts or other documents as he may require and which may be available at such place,
- (ii) to afford him the necessary facility to check or verify the cash, stock or other valuable particulars or things which may be found therein, and
- (iii) to furnish such information as he may require as to any matter which may be useful for, or relevant to any proceedings under this Act.

Explanation- For the purpose of this section a place where the person is engaged in business will also include any other place in which the person engaged in business or the said employee or other person attending or helping in business states that any of the books of accounts or other documents or any part of the cash, stock or other valuable articles or thirgs relating to business are kept.

- (5) The commissioner shall enter the place where the person is carrying on business only during the hours at which such place is open for business and in case of the said place or any other place, only after sunrise and before sunset. The commissioner may make or cause to be made extracts or copies from books of accounts, and other documents inspected by him, make an inventory of any cash stock or other valuable articles or things checked or verified by him and record the statement of any person which may be useful for or relevant to any proceeding under this Act.
- (6) The commissioner, in exercise of the powers under this section, shall not remove or cause to be removed on any account from the place, where he has entered any books of accounts, other documents or any cash, stock or other valuable articles or things."

Amendment of section 72.

- 26. For sub clause (b) of clause (i) of section 72 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely:-
 - "(b) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the repealed Act, including the facility of exemption from payment of tax/deferment of payment of tax extended to any registered dealer under that Act for his having established new industrial unit in the state or undertaken expansion, modernisation or diversification in such industrial unit.

Provided that the facility of exemption from payment of tax / deferment of payment of tax extended to any registered dealer under that Act for his having established new industrial unit in the state or undertaken expansion, modernisation or diversification in such industrial unit, shall be suitably amended / modified as per the provisions of this Act. For this purpose the state government may issue fresh notification or amend the notification issued under the repealed Act."

Amendment of 27. section 73.

27. In section 73 of the Principal Act,-

- (1) In sub-section (2) after the words "on the date of commencement of this Act" the words "which have been purchased not earlier than twelve months from such date and" shall be inserted.
- (2) In clause (ii) of sub-section (2) after the words "at rate of four percent" the words "or at the rate reduced under sub-section (5) of section 8 of Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956)" shall be inserted.
- (3) In clause (a) of sub-section (3) after the words "are goods manufactured out of tax paid goods" the words "which have been purchased not earlier than twelve months from such date" shall be inserted.
- (4) In clause (b) of sub-section (3) after the words "on the date of commencement of this Act" the words "which have been purchased not earlier than twelve months from such date and" shall be inserted.

Amendment of Schedule I.

28. For existing Schedule I of the Principal Act, the following shall be substituted, namely:-

" SCHEDULE I (See section 15)

S.No.	Description of goods	Conditions and exceptions subject to which exemption has been allowed
(1)	(2)	(3)
1	Animal driven or manually operated agricultural implements	
2	Aids and implements used by	
ALCOHOL: NAME OF THE PARTY OF	handicapped persons	
3	All kinds of bangles excluding those made	
100	of ivory, gold, silver rolled gold and	
1500	imitation gold	
4	Aquatic feed, poultry feed and cattle feed	
	including grass, hay and straw	
5	Betel leaves	
6	Books, periodicals and journals including maps, charts and globe	
7	Bread (branded or otherwise)	
8	Cart driven by animals	
9	Charakha and Amber Charakha	
	handlooms and handloom fabrics and Gandhi Topi	
10	Charcoal	
11	Condoms and contraceptive	
12	Cotton and silk yarn in hank	
13	Curd, lussi, butter milk and separated milk,	
14	Earthen pot and articles made of clay.	
15	Electrical energy	
16	Fabrics on which Additional Excise Duty is levied or leviable under the Central Excise and Tariff Act, 1985 (No. 5 of 1986) and all varieties of khadi cloth, (handloom cloth) but excluding silk, silk	
	cloth and hessian cloth.	

17	Firewood excluding Casurina and	
	Eucalyptus, timber	
18	Fishnet and Fishnet fabrics	
19	Fly Ash	
20	(i) Food grains and cereals of all types	
	excluding paddy	
	(ii) Pulses	
21	Fresh milk and pasturised milk	
22	Fresh plants, saplings and fresh flowers	
23	Fresh vegetables (including potatoes and	
	onion) and fruits	
24	Garlic and ginger (excluding dried ginger)	
25	Goods on which duty is or may be levied	
	under the Chhattisgarh Excise Act, 1915	
	(No.2 of 1915) other than medicinal and	
	toilet preparations specified in the	
	Schedule to the Medicinal and Toilet	
	Preparations (Excise Duties) Act, 1955	
	(No. 16 of 1955).	
26	Gur & Jaggery	
27	Handicraft made out of wrought iron and	
	bell metal	
28	Human blood including blood	
	components.	
29	Husk including groundnut husk and bran	
20	of cereals	
30	Indigenous handmade musical instruments	
31	Kumkum, bindi, alta and sindur	
32	Leaf plates and cups pressed or stitched	
20	(Done and Pattal)	
33	Meat including flesh of poultry, fish,	
-	prawn, and other aquatic products when	
1	not cured or frozen or sold in sealed	
1 2 2 3	containers; eggs and livestock and animal	
24	hair	
34	Muddas made of sarkanda	
35	National Flag	The second secon

-			
	36	Non-judicial stamp paper and plain paper,	
		commonly known as cartridge paper, sold	
		by Government treasuries. Postal items	
		like envelope, post card etc. sold by	
1		Government, rupee note when sold to the	
		Reserve Bank of India and cheques sold	
		loose or in book form	
	37	Organic manure including dung (Gober)	
L	38	Papad	PATE ALE
	39	Poha, Murmura and lai	
	40	Rakhi	
	41	Raw wool	
1	42	Sabai grass and rope made of sabai grass	
	43	Salt (branded or otherwise)	
	44	Seeds of all types other than methi,	
10		dhaniya and the seeds which are covered	And the second
1		by the term "oilseeds" specified in Section	
		14(vi) of the Central Sales Tax Act, 1956	
1		(No. 74 of 1956).	
	45	Semen including frozen semen	
	46	Silk worm laying cocoon and raw silk	
	47	Sirali, bageshi, barroo, date leaves,	
1		baskets, tattas, fans, curtains, matting and	
		other goods made thereof, handmade	
1		sooma and germa, handmade barahi of	
1		leather, utensils and decorative articles	
P		made only of bamboo and fibrous plants	T.
		like sabai / shishal	THE REAL PROPERTY.
	48	Slate, Slate pencils and chalk stics	
	49	Sugar and khandsari on which additional	
		excise duty is levied or leviable under the	
		Central Excise and Tariff Act, 1985 (No. 5	
		of 1986), excluding mishri, chironji and	
		batasha.	THE BURNEY
	50	Tender green coconut	
L	51	Toddy, Neera and Ark	The second

52	Tobacco manufactured or un- manufactured, cured or uncured and tobacco products including cigarettes, cigars, cheroots and bidis, on which additional excise duty is levied or leviable under the Central Excise and Tariff Act, 1985 (No. 5 of 1986) and gudakhu.	
53	Unbranded broomsticks (Jhadoo, Phoolbahari)	
54	i) Aerated, mineral, distilled, medicinal, ionic, battery, de- mineralized water, and ii) Water sold in sealed container	

Amendment of Schedule II.

29. For the existing Schedule of the Principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"SCHEDULE II (See section 8) PART I

S.No.	Description of goods	Rate of tax u/s. 8(i) (%)	Rate of tax u/s. 8(ii)(%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Articles of gold and silver including coins, bullion and specie.	1	
2	Gold, silver and platinum ornaments and jewelry of personal wear.	1	
3	Precious metals that is to say gold, silver, platinum, osmium, palladium, rhodium, ruthenium and alloy of any of them. Explanation:- For the purpose of this entry, an alloy of precious metal means a precious metal of fineness of not less than 50 percent.	1	
4	Precious stones such as diamonds, emeralds, robberies, pearls and sapphires, whether sold loose or as forming part of any article in which they are set.	1	

PART II

	S.No	Description	Rate of tax u/s.8(i) (percent)	Rate of tax u/s.8(ii) (percent)
	(1)	(2)	(3)	- (4)
	1	Acid oil, Fatty acid, oil sludge, soap stock, lecithin	4	-
	2	Additives of petrol and diesel	4	
	3	Agricultural implements, not operated manually or not driven by animal	4	
	4	All equipments for communications such as, Private Branch Exchange (P.B.X.) and Electronic Private Automatic Branch Exchange (E.P.A.B.X)	4	
	5	All Intangible goods like copyright, patent, rep license	4	
	6	(i) All kinds of bags including HDPE, LDPE and PP woven sacks	4	
		(ii) All kinds of ropes and twines including jute twine.(iii) All goods for use as containers and packing materials		
	7	All kinds of chemicals, acids and sulphur	4	
	8	All kinds of bricks including fly ash bricks, refractory bricks and ashphaltic roofing, earthen tiles	4	-
		All processed fruits including fruit jams, jellies, pickles, fruit squash, paste, fruit drink and fruit juice (whether in sealed containers or otherwise)	4	
		All types of yarn other than cotton and silk yarn in hank and sewing thread	4	
L	11	Aluminum conductor steel reinforced (ACSR)	4	
	12	Aluminum, Aluminum alloys, their products (including extrusions) not elsewhere mentioned in this schedule or in any other schedule	4	
	13	All utensils including pressure cookers/pans except utensils made of precious metals	4	

14	Areconut powder and betel nut	4	
15	Article made of rolled gold, imitation gold and imitation jewellery	4	
16	Biogases	4	
17	Bamboo	4	
18	Bearings	4	
19	Bed sheets, pillow covers and other made ups	4	
20	Beltings	4	
21	Bicycles, tricycles, cycle rickshaws, parts, tyres and tubes and accessories thereof	4	
22	Biomass briquettes	4	
23	Bitumen (coal-tar)	4	
24	Bone meal	4	
25	Bulk drugs 1900 amainimula an alone alaten-	4	
26	Candles	4	
27	Capital goods as notified by the state government	4	
28	Castor oil	4	
29	Castings of all metals	4	
30	Chemical fertilisers, bio fertilisers including micro nutrients, plant growth promoter, plant nutrients, herbicides, rodenticides, pesticides, weedicides and insecticides	4	
31	Centrifugal and monobloc submersible pumps and parts thereof	4	
32	Clay including fire clay, fine china clay and ball clay	4	
33	Coal ash of all types and coal powder	4	
34	Coffee beans and seeds, cocoa pod, green tea leaf and chicory	4	
35	Coir and Coir products excluding coir mattresses	4	-
36	Computer stationery	4	
37	Cotton and cotton waste	4	
38	Crucibles	4	
39	Cups and glasses of paper and plastics	4	
40	Declared goods as specified in section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956, other than those specified in Schedule I	4	

	Dehydrated vegetables and vegetable mushrooms Processed vegetables	4	
42	Drugs and medicines including vaccine, syringes and dressings, medicated ointments produced under drug license	4	
43	Dyes including acid dyes and basic dyes	4	
	Edible oil, vegetable oil, oil cake and de-oiled cake	4	*
45	Electrodes	4	
	Exercise books, graph book and laboratory note book	4	424
47	Feeding bottles, nipples	4	222
48	Ferrous and non-ferrous metals and alloys;	4	
-	non-metals such as aluminium, copper, zinc and extrusions of those	ab Bu	
49	Fibres of all types and fibre waste	4	
50	Flour, atta, maida, suji, besan	4	
51	Fried grams and parched grams	4	
52	Glucose D	4	222
53	Hand pumps and spare parts.	4	
54	Herb, bark, dry plant, dry root, commonly known as jari booti and dry flower	4	
55	Honey	4	
56	Hose pipes	4	
57	Hosiery goods	4	
58	Ice	4	F
59	Incense sticks commonly known as agarbatti, dhupkathi or dhupbatti, dhoop and lobhan	4	
60	Industrial inputs as notified by the State Government.	4	
61	Industrial cables, high voltage cables, xlpe cables, jelly filled cables, optical fibres	4	
62	Insulators	4	
63	IT products including computers, telephones, mobile, handsets / cellular telephones and parts thereof, Teleprinter and Wireless equipment and parts thereof, DVD & CD	4	
64	Kattha	4	

65	Kerosene lamp / lantern, petromax, glass chimni	4	
66	Kerosene oil sold through PDS	4	
67	Khoa (Mawa)	4	
68	Knitting wool	4	
69	Lignite	4	
70	Lime, lime stone, products of lime	4	12-44
71	Linear alkyl benzene	4	
72	Lottery tickets	4	
73	Maize starch, maize gluten, maize germ and oil	4	
74	Medical equipments/devices and implants	4	
75	Mixed PVC stabilizer	4	
76	News print	4	- ,/222
77	Niwars	4	
78	Nepa slabs (Rough flooring stones)	4	
79	Nuts, bolts, screws and fasteners	4	
80	Old and second hand cars	4	
81	Ores and minerals	4	
82	Paper and paper board	4	
83	Paraffin wax of all grade standards other than food grade standard including standard wax and match wax, Slack wax	4	
84	Pens of all kinds including refills	. 4.	
85	Petrochemicals	4	
86	Pipes of all varieties including G.I. pipes, C.I. pipes, ductile pipes and PVC pipes	. 4	-
87	Plastic Footwear including hawai chappal and straps thereof	4	
88	Plastic granules, plastic powder and master batches	4	
89	Porridge	4	
90	Printed material including diary, calendar	4	
91	Printing ink excluding toner and cartridges	4	
92	Processed meat, poultry and fish	4	7.00
93	Pulp of bamboo, wood and paper	4	
94	Rail coaches, Engines, Wagons and part thereof	4	
95	Readymade garments	4	

96	Renewable energy devices and spare parts	4	
97	Sand (river sand) and grit	4	
98	Sewing machines, its parts and accessories	4	
99	Ship and other water vessels	4	
100	Safety matches	4	
101	Silk fabrics excluding handloom silk	4	
102	Skimmed milk, milk powder and UTH milk	4	240
103	Solvent oils other than organic solvent oil	4	
104	Spectacles, parts and components thereof, contact lenses and lens cleaner	4	-
105	Spices of all varieties and forms including cumin seed, aniseed, turmeric, dry chillies and hing (asafoetida)	4	
106	Sports goods and articles excluding apparels and footwear	4	
107	Stainless Steel sheets not falling under declared goods	4	and art 400
108	Starch	4	
109	Tamarind, tamarind seed and powder	4	
110	Tea	4	1 22
111	Tools	4	
112	Tractors, harvestors and attachment and parts thereof	4	
113	Transformers	4	
114	Transmission wires and towers	4	
115	Umbrella except garden umbrella	4	-
116	Vanaspati (Hydrogenated Vegetable oil)	4	
117	Wet dates	4	12
118	Writing instruments, geometry boxes, crayons, pencil, sharpners and writing ink	4	

PART III

S.No	Description	Rate of tax u/s.8(i) (percent)	Rate of tax u/s.8(ii) (percent)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Diesel		25
2	Petrol	-7-	25

3	Aviation turbine fuel other than those specified in clause (ii-d) of section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956).		25
4	Natural gas		25
5	Tendu leaves	777	25

PART IV

S.No	Description	Rate of tax u/s,8(i) (percent)	Rate of tax u/s.8(ii) (percent)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	All other goods not covered by schedule I and schedule II	12.5	"

Amendment of Schedule III.

30. For Schedule III of the Principal Act, the following be substituted, namely:-

" SCHEDULE III

S.No.	Description of goods	
(1)	(2)	
1	Petrol, diesl, aviation turbine fuel, natural gas, kerosene, liquefied petroleum gas and compressed natural gas.	
2	Capital expenditure on land and civil construction for use in manufacture or trade, including office building and other related constructions.	
3	Second hand capital goods.	
4	Furniture and Fixtures including air conditioners and refrigerators.	
5	Motor cars, two wheelers, parts and accessories thereof.	
6	Capital goods used in generation of energy / power including captive power plant.	
7	Capital goods used in manufacture, providing service or trading activities not liable to tax under the Act.	
8	Such other goods, as may be notified by the State Government."	

कचारक, मुद्रण तथा लेखन मामग्री, छनीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदर्गाव से मुद्रित तथा प्रकाणित—2006

''बिजनेस पोस्ट' के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि.से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.''



पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ/दुर्ग/ तक. 114-009/203/20-1-03.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 221]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक । सितम्बर 2006- भाद्र 10, शक 1928

विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 सितम्बर 2006

क्रमांक 11179/288/21-अ/प्रारूपण/06. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 28-08-2006 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 26 सन् 2006)

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम 2006

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम "छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2006 है.
- (2) यह 1 अप्रैल, 2006 से प्रवृत्त होना माना जावेगा.

घारा 2 का संशोधन.

- छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल्य अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है), की धारा 2 में .—
 - (1) खण्ड (ड) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाय, अर्थात् :-
 - ''(ड) ''आगत कर'' से अभिप्रेत है, अनुसूची-दो के भाग 1, 2 तथा 4 में विनिर्दिष्ट किसी माल के क्रय के संबंध में किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा, धारा 8 के अधीन, विक्रय करने वाले किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी को जो ऐसे माल के विक्रय पर कर का संदाय करने का दायी है, कर के रूप में संदत्त की गई या देय कोई रकम.''
 - (2) खण्ड (ब) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाय, अर्थात् :--
 - ''(ब) किसी कालावधि के लिये किसी व्यापारी के संबंध में ''कर योग्य कुल राशि'' से अभिप्रेत है, किसी व्यापारी की कुल राशि का वह भाग जो उसमें से निम्नलिखित घटाने के पश्चात् बाकी बचे:—
 - (एक) धारा 15 या धारा 15-ख के अधीन करमुक्त घोषित किये गये माल का विक्रय मूल्य,
 - (दो) ऐसे माल का विक्रय मूल्य जो ऐसे व्यापारी के हाथ में करदत्त माल के रूप में हो,
 - (तीन) धारा 8 के अधीन कर के रूप में वसूल की गई राशि, अथवा वह रकम जो निम्नलिखित सूत्र लागू करके आती है,—

कर की दर X विक्रय मूल्य का योग

परन्तु, उपर्युक्त सूत्र के आधार पर कोई कटौती नहीं की जावेगी यदि इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में कर की रकम किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा वसूल की जाकर विक्रय मूल्य में से अन्यथा घटाई जा चुकी हो,

स्पष्टीकरण:— जहां किसी व्यापारी की कुल राशि भिन्न-भिन्न दरों पर कर योग्य है, वहां कर की भिन्न-भिन्न दर से संदायी कुल राशि के भाग के संबंध में पृथक से सूत्र लागू किया जावेगा. "

- (3) खण्ड (भ) में शब्द तथा अंक ''भाग-3 तथा 4'' के स्थान पर ''भाग-3'' प्रतिस्थापित किया जाय तथा शब्द तथा अंक ''खण्ड (दो) के'', का लोप किया जाय.
- मूल अधिनियम की धारा 8 के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित किया जाय, अर्थात् :--

धारा ८ का संशोधन.

"अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट माल पर कर ऐसी दर से जो उसके कॉलम (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित है, उद्गृहीत किया जायेगा और ऐसा कर, इस अधिनियम के अधीन कर का चुकारा करने के लिये दायी व्यापारी की करयोग्य कुल राशि पर उद्गृहीत किया जायेगा."

4. मूल अधिनियम की धारा 9 में ,-

धारा 9 का संशोधन.

- (1) उपधारा (1) के खण्ड (ख) में शब्द एवं अंक ''अनुसूची-3'' के पूर्व शब्द एवं अंक ''अनुसूची-2 के भाग 3 और/या'' अंतःस्थापित किया जाय.
- (2) उपधारा (1) के खण्ड (ग) एवं उसके पश्चात्वर्ती पैरा के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाय, अर्थात्:—
 - '(ग) ऐसा माल जो अनुसूची-2 के भाग 1, 2 तथा 4 में वर्णित है और अनुसूची-3 में वर्णित नहीं है, अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट किये गये किसी माल के विनिर्माण में उपयोग या उपभोग के पश्चात्, विनिर्मित माल छत्तीसगढ़ राज्य में या अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में या भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय से भिन्न रूप में व्ययन किया जाता है.

और ऐसा कर,

- (एक) खण्ड (क) और (ख) में निर्दिष्ट माल के संबंध में अनुसूची-2 के कालम (3) में विनिर्दिष्ट दर से, और
- (दो) खण्ड (ग) में निर्दिष्ट माल के संबंध में 4 प्रतिशत की दर से या अनुसूची-2 के कालम (3) में विनिर्दिष्ट दर से, जो भी कम हो,

उदगृहीत किया जाएगा."

स्पष्टीकरण:— अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट कर की दर वह दर होगी, जिस दर से राज्य के भीतर ऐसे माल के विक्रय पर ऐसे कर की तारीख को कर उद्गृहीत किया गया होता.

मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) के खण्ड (अ) में शब्द "जो पके अन्न का निर्माण करता है" के पश्चात् शब्द "और ऐसे माल का राज्य के भीतर विक्रय करता है" अंतःस्थापित किये जाय और जहां कहीं भी शब्द एवं अंक "खण्ड (एक) के " आया हो का लोग किया जाय. धारा 10 का संशोधन.

धारा 13 का संशोधन.

(1) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाय, अर्थात् :--

- "(1) उपधारा (5) के उपबंधों और ऐसे निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जो कि विहित की जाएं, इस धारा में यथा उपबंधित आगत कर के रिबेट का दावा नीचे विनिर्दिष्ट की गई परिस्थितियों में किसी रजिस्टीकृत व्यापारी द्वारा किया जाएगा या उसे ऐसा करने के लिए अनुजात किया जाएगा,-
- (क) (i) जब कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी, अनुसूची-2 के भाग 1, 2 तथा 4 में विनिर्दिष्ट कोई माल छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर अन्य ऐसे व्यापारी से, आगत कर का भुगतान करने के पश्चात छत्ती सगढ़ राज्य के भीतर विक्रय के िये या अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में या भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में या राज्य के बाहर माल के अंतरण के रूप में विक्रय के लिए क्रय करता है, और
 - (ii) जब कोई रिजस्ट्रीकृत व्यापारी, अनुसूची-3 में विनिर्दिष्ट माल से भिन्न कोई माल जो कि अनुसूची-2 के भाग 1, 2 तथा 4 में विनिर्दिष्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर अन्य ऐसे व्यापारी से आगत कर का भुगतान करने के पश्चात्, छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर कारबार के दौरान पूंजीगत माल के रूप में उपभोग के लिये क्रथ करता है, और
- (ख) जब कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी, अनुसूची-3 में विनिर्दिष्ट माल से भिन्न कोई माल जिसमें पूंजीगत माल सिमालित है, जो कि अनुसूची-2 के भाग 1, 2 तथा 4 में विनिर्दिष्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर अन्य ऐसे व्यापारी से आगत कर का भुगतान करने के परचात् ऐसे माल का अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट किसी माल के राज्य में विनिर्माण के लिए/विनिर्माण में या खनन के लिये/खनन में उपयोग या उपभोग के लिये छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर या अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में या राज्य के बाहर माल के अंतरण के रूप में विक्रय के लिये या अनुसूची-1 और/या अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट किसी माल के भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात करने के अनुक्रम में विक्रय के लिए अथवा धारा 38 की उपधारा (1) के खण्ड (चार) के प्रावधानों के अनुरूप विशेष आर्थिक क्षेत्र में पंजीयत व्यवसायी को विक्रय के लिये क्रय करता है,

तब वह ऐसे कर की राशि के आगत कर के रिबेट का दावा ऐसी रीति में तथा ऐसी कालावधि के भीतर जैसी की विहित की जाए, करेगा या उसे ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा;

- (ग) जहां कोई व्यापारी, इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर या उसके पश्चात् धारा 16 की उपधारा (2) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन किसी रिजस्ट्रीकरण प्रमाणप्रत्र के प्रदान किए जाने के लिए कोई आवेदन करता है, तब वह,-
 - (1) इस अधिनियम के ऐसे प्रारंभ पर या उसके पश्चात् उसके द्वारा रूत्तीसगढ़ राज्य के भीतर आगत कर का भुगतान करने के पश्चात्, क्रय किए गए माल के संबंध में जो अनुसूची-2 के भाग 1, 2 तथा 4 में विनिर्दिष्ट है, खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए; या
 - (2) इस अधिनियन के ऐसे प्रारंभ पर या उसके पश्चात् उसके द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर, आगत कर का भुगतान करने के पश्चात् क्रय किए गए ऐसे माल के संबंध में जो अनुसूची- 2 के भाग 1, 2 तथा 4 में विनिर्दिष्ट है किंतु जो अनुसूची-3 में विनिर्दिष्ट माल से भिन्न है, खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए, और उसे, धारा 16 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन जारी किए गए रिजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की वैधता की तारीख को उसके द्वारा धारित स्टाक के संबंध में आगत कर का

दावा ऐसी रीति में तथा ऐसी कालावधि के भीतर जैसी कि विहित की जाए, करेगा या उसे

ऐसा करने के लिए अनुजात किया जाएगा.''

- (2) उपधारा (2) में शब्द एवं अंक ''अनुसूची-2'' के पश्चात् शब्द एवं अंक ''के भाग 1, 2 तथा 4'' अंतःस्थापित किया
- (3) उपधारा (3) में शब्द एवं अंक "उपधारा (2)" के पश्चात शब्द एवं अंक "और धारा 73" अंत-स्थापित किया जाय.
- (4) उपधारा (6) में वर्तमान खण्ड (चार) को खण्ड (पांच) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाय और खण्ड (तीन) के पश्चात् निम्न खण्ड अंतःस्थापित किया जाय, अर्थात् :—

(चार) धारा 10 के प्रावधानों के अधीन कर के प्रशमन का विकल्प लेने वाले व्यवसायियों से क्रय किये गये माल के संबंध में"

- (5) उपधारा (7) में शब्द एवं अंक "खण्ड (हा) के" का लीप किया जाय.
- 7. मूल अधिनियम की धारा 21 में,

वारा 21 का संशोधन.

- (1) उपधारा (3) में शब्द ''के ठीक आगामी वर्ष के दौरान'' के स्थान पर शब्द ''से एक केलेण्डर वर्ष के भीतर''प्रतिस्थापित किया जाय.
- (2) उपधारा (7) के खण्ड (एक) तथा (दो) में शब्द "एक" के स्थान पर शब्द "दो" प्रतिस्थापित किया जाय.
- (3) उपधारा (7) के परन्तुक (क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाय, अर्थात् :--
 - "(क) जब धारा 48, 49 तथा 55 के अधीन किसी आदेश में अंतर्विष्ट किसी निष्कर्ष या निदेशों को या किसी सिविल न्यायालय या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के किसी आदेश को कार्यान्वित करने के लिए नवीन कर निर्धारण किया जाना है, तब ऐसा आदेश,-
 - (एक) धारा 48, 49 तथा 55 के अधीन किसी आदेश में अंतर्विष्ट किसी निष्कर्ष या निदेशों के आदेश दिनांक से, और
 - (दो) किसी सिविल न्यायालय, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में कर निर्धारण/पुनःकरनिर्धारण की कार्यवाही प्रारंभ करने के दिनांक से,

एक कैलेण्डर वर्ष की अवधि के भीतर किया जायेगा.

8. मूल अधिर्ग यम को धारा 45 की उपधारा (1) तथा (2) में शब्द ''बोर्ड'' के स्थान पर शब्द ''अधिकरण'' प्रतिस्थापित किया जाय.

घारा 45 का संशोधन.

9. मूल अधिनियम की धारा 64 के पश्चात् निम्न धारा अंतःस्थापित की जाय, अर्थात् :--

धारा 64-क का अंतस्थापन "64-क अपराधों का शमन- ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो कि विहित की जायें, आयुक्त या अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के प्रारंभ किये जाने के पूर्व या उसके पश्चात् किसी ऐसे व्यक्ति को धि पर इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गये किसी नियम के अधीन अपराध का आरोप लगाया गया है, हजार रुपये से अनिधक ऐसी राशि का, जो कि आयुक्त अवधारित करे, भुगतान करने पर, उस अपराध की अनुज्ञा दे सकेगा.

परन्तु जहां अपराध धारा 64 की उपधारा (1) के खण्ड (ख), (ग) और (घ) के अधीन अपराध और कर की रकम, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा उस दशा में देय होती जबकि उसने इस अधिनियम के उपबंधी का पालन किया होता, पांच सौ रुपये से अधिक है, वहां आयुक्त ऐसी राशि का भुगतान करने पर शमन की अर् दे सकेगा जो कि उस रकम के दुगने से अधिक न हो. शमन पश्चात् कथित कार्यवाही समाप्त हो जावेगी.

- धारा 69 का संशोधन. 10. मूल अधिनियम की धारा 69 की उपधारा (3) के खण्ड (च) में शब्द ''विक्रय कर'' के स्थान पर शब् ''वाणिज्यिक कर'' प्रतिस्थापित किया जाय.
- धारा 71 का संशोधन. 11. मूल अधिनियम की धारा 71 की उपधारा (2) के खण्ड (ज) के उपखण्ड (चार) का लोप किया जाय.
- धारा 72 का संशोधन. 12. मूल अधिनियम की धारा 72 के परन्तुक के खण्ड (चार) में शब्द ''बोर्ड'' के स्थान पर शब्द ''अधिकरण''प्रतिस्थापित किया जाय.
- धारा 73 का संशोधन. 13. मूल अधिनियम की धारा 73 में ,—
 - (1) उपधारा (3) के खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाय, अर्थात् :-

''परन्तु यह कि धारा 10 के प्रावधानों के अधीन प्रशमन का विकल्प लेने वाले पंजीयत व्यवसायी द्वारा अधिनियम के प्रारंभ होने के दिनांक को उसके द्वारा स्टाक में धारित माल पर आगत कर रिबेट का न तो दावा किया जा सकेगा और न ही उसे अनुज्ञात किया जा सकेगा.''

(2) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाय, अर्थात् ,--

''इस अधिनियम की अनुसूची-दो के भाग 3 में विनिर्दिष्ट माल के विक्रय जो इस अधिनियम के अर्थ में करदत्त माल है इस अधिनियम द्वारा निरिसत है, उक्त तारीख को अथवा इसके पश्चात्, इंस अधिनियम के अधीन कर का दायी नहीं होगा.''

अनुसूची-2 का संशोधन. 14. मूल अधिनियम की अनुसूची-2 में ,-

- (1) भाग 1, 2 तथा 4 में कॉलम (4) का लोप लिया जाय तथा कॉलम (3) के शीर्षक में शब्द तथा अंक ''धारा 8 (एक) के अधीन कर की दर (प्रतिशत)'' के स्थान पर शब्द एवं अंक ''धारा 8 के अधीन कर की दर (प्रतिशत)'' प्रतिस्थापित किये जायं.
- (2) भाग 3 में कॉलम (3) का लोप किया जाय तथा कॉलम (4) को कॉलम (3) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाय. इस प्रकार पुनर्क्रमांकित कॉलम (3) के शीर्षक में शब्द तथा अंक ''धारा 8 (दो) के

अधीन कर की दर (प्रतिशत)" के स्थान पर शब्द एवं अंक "धारा 8 के अधीन कर की दर (प्रतिशत)" प्रतिस्थापित किये जायं.

भाग 4 की प्रविष्टि क्रमांक (1) में शब्द एवं अंक "समस्त अन्य माल जो अनुसूची-1 तथा इस अनुसूची के भाग-एक से चार के अंतर्गत नहीं आते हैं" के स्थान पर शब्द एवं अंक "समस्त अन्य माल जो अनुसूची-1 तथा इस अनुसूची के भाग-1, 2 तथा 3 के अंतर्गत नहीं आतें हैं '' प्रतिस्थापित किये जायें.

रायपुर, दिनांक 1 सितम्बर 2006

क्रमांक 11179/288/21-अ/प्रारूपण/06. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 26 सन् 2006) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT (No. 26 of 2006)

THE CHHATTISGARH VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) ACT, 2006

An Act further to amend Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the fifty seventh year of the Republic of India as follows .-

This Act may be called the Chhattisgarh Value Added Tax (Amendment) Act, 2006 (No. of 2006).

Short title and Commencement.

- It shall be deemed to have come in to force with effect from 1st April, 2006.
- In section 2 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) here in after referred as Principal Act,-

Amendment Section 2

- For clause (m) the following shall be substituted, namely :-
 - "Input tax" means an amount paid or payable by way of tax under section 8 by a registered dealer in respect of the purchase of any goods; specified in parts I, II and IV of schedule II, to a selling registered dealer who is liable to pay tax on the sale of such goods."
- (2)For clause (w) the following shall be substituted, namely,-
 - "Taxable turnover" in relation to a dealer for any period means that part of dealer's turnover which remains after deduction therefrom-

या तो इस ाक्ति को, जिस या गया है, एक अपराध के

नि अपराध है.

ो जावेगी.

र शब्द वसायी पिबेट भेक अर्थ अर्थ, इंस

- (i) the sale price of goods declared tax free under section 15 or under section 15-B.
- the sale price of such goods which are in the nature of tax paid goods in the hands of such dealer,
- (iii) the amount collected by way of tax under section 8 or the amount arrived at by applying the following formula —

rate of tax × aggregate of sale prices

Provided that, no deduction on the basis of above formula shall be made if the amount of tax collected by a registered dealer in accordance with the provisions of the Act, has been otherwise deducted from the aggregate of sale prices;

Explanation - where the turnover of a dealer is taxable at different rate, the formula shall be applied separately in respect of such part of the turnover liable to a different rate of tax;"

(3) In clause (x) for the words and figures "parts III and IV" the word and figure "part III" shall be substituted and the words and figure "clause (ii) of " shall be omitted.

Amendment Section 8.

3.

For section 8 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"There shall be levied on goods specified in Schedule II, a tax at the rate mentioned in the corresponding entry in column (3) thereof; and such tax shall be levied on the taxable turnover of a dealer liable to pay tax under the Act."

Amendment Section 9.

of 4

In section 9 of the Principal Act,-

- (1) In clause (b) of sub-section (1) before the word and figure "schedule III" the words and figures "part III of Schedule II and / or" shall be inserted.
- (2) For clause (c) of sub-section (1) and subsequent paragraphs thereafter, the following shall be substituted, namely: –
 - "(c) such goods covered by part I, II and IV of schedule II and not covered by schedule III, after use or consumption in the manufacture of any goods specified in schedule II, the manufactured goods are disposed of otherwise than by way of sale in the state of Chhattisgarh or in the course of interstate trade or commerce or in the course of export out of the territory of India.

and such tax shall be levied,-

- in respect of goods referred to in clauses (a) and (b) at the rate specified in column (3) of schedule II, and
- (ii) in respect of goods referred to in clause (c) at 4% or at the rate specified in column (3) of schedule II whichever is lower.

Explanation:- The rate of tax specified in schedule II shall be the rate at which tax would have been levied on the sale of such goods within the State on the date of such purchase."

5. In clause (a) of sub-section (2) of section 10 of the Principal Act, after the words "who manufacture cooked food" the words "and sells such goods within the state" shall be inserted and wherever words and figure "clause (1) of " occur shall be omitted.

Amendment of Section 10.

6. In section 13 of the Principal Act,-

Amendment o Section 13.

- (1) For sub-section (1) the following shall be substituted, namely :-
 - "(1) Subject to the provisions of sub-section (5) and such restrictions and conditions as may be prescribed, a rebate of input tax as provided in this section shall be claimed by or be allowed to a registered dealer, in the circumstances specified below,-
- (a) (i) when a registered dealer purchases any goods specified in parts I, II and IV of schedule II, within the State of Chhattisgarh from another such dealer for sale within the State of Chhattisgarh or in the course of inter-state trade or commerce or in the course of export out of the territory of India, or for sale outside the state by way of stock transfer after payment to him of input tax, and
 - (ii) When a registered dealer purchases any goods specified in parts I, II and IV of schedule II other than those specified in Schedule III within the state of Chhattisgarh from another such dealer after payment to him of input tax, for use as capital goods in the course of business within the State of Chhattisgarh, and
- (b) When a registered dealer purchases any goods including capital goods specified in parts I, II and IV of schedule II other than those specified in schedule III within the State of Chhattisgarh from another such dealer after payment to him of input tax, for use or consumption of such goods for / in the manufacture or for / in mining in the state of any goods specified in schedule II for sale within the State of Chhattisgarh or in the course of interstate trade or commerce or for sale outside the state by way of stock transfer and of any goods specified in schedule I and / or schedule II for sale in the course of export out of the territory of India, or for sale to a registered dealer in Special Economic Zone as per the provisions of clause (iv) of subsection (1) of section 38,

he shall claim or be allowed, input tax rebate of such amount of tax, in such manner and within such period as may be prescribed.

(c) Where a dealer makes an application for grant of a registration certificate under clause (a) or clause (b) of sub-section (2) of section 16 on or after the commencement of the Act, he shall in respect of,-

small be ler in herwise inferent art of word d figure

ered

e of any

- (i) Goods specified in parts I, II and IV of schedule II purchased on or after such commencement by him within the State of Chhattisgarh after payment to him of input tax for the purpose specified in clause (a); or
- (ii) goods specified in parts I, II and IV of schedule II other than those specified in schedule III, purchased on or after such commencement by him within the State of Chhattisgarh after payment of input tax for the purpose specified in clause (b),

and held in stock by him on the date of validity of the registration certificate issued to him under clause (a) of sub-section (2) of section 16, claim or be allowed input tax rebate of such amount of tax in such manner and within such period as may be prescribed.

- (2) In sub-section (2) after the words "goods specified in" the words and figures "parts I, II and IV of "shall be inserted.
- (3) In sub-section (3) after the words and figure "sub-section (2)" the words and figure "and section 73" shall be inserted.
- (4) In sub-section (6), the existing clause (iv) shall be renumbered as clause (v) and after clause (iii) the following clause shall be inserted, namely, -
 - "(iv) in respect of goods purchased from a dealer who opts for the composition of tax under the provisions of section 10."
- (5) In sub-section (7) the words and figure "clause (ii) of" shall be omitted.

Amendment of 7. In section 21 to the Principal Act, – Section 21.

- (1) In sub-section (3) for the words "during the year immediately following" the words "within one calendar year from" shall be substituted.
- (2) In clauses (i) and (ii) of sub-section (7) for the word "one" the word "two shall be substituted.
- (3) For proviso (a) to sub-section (7) the following shall be substituted;
 - "(a) Where a fresh assessment has to be made to give effect to any finding or direction contained in any order under sections 48, 49 and 55 or to any order or judgment of the Civil court, High court, Supreme court; such assessment shall be made within one calendar year:
 - (i) from the date of the order under section 48, 49 and 55 containing any finding or direction, and
 - (ii) from the date of initiation of assessment / re-assessment proceeding in pursuance to the order, or judgment of Civil Court, High Court or Supreme Court, and".
- Amendment of 8. In sub-sections (1) and (2) of section 45 of the Principal Act, for the word "Board" the word "Tribunal" shall be substituted.

rh se

9

ipot tax

m or be

ures

-

11.

for the

owing"

Ewo"

miding 55 or upreme

nd 55

of Civil

After section 64 of the Principal Act, the following section shall be inserted, namely,—
"64-A Compounding of offences

Insertion of Section 64-A.

Subject to such conditions as may be prescribed, the commissioner may, either before or after the initiation of proceedings under this Act, permit any person charged with an offence under the Act or the rules made there under to compound the offence on payment of such sum not exceeding one thousand rupees as the commissioner may determine

Provided that if the offence charged is under clause (b) or clause (c) or clause (d) of sub-section (1) of section 64 and the amount of tax which would have been payable by such person had he complied with the provisions of this Act, is more than five hundred rupees, the commissioner may allow composition on payment of a sum not exceeding twice such amount. After composition said proceedings shall stand terminated."

10. In clause (f) of sub-section (3) of section 69 of the Principal Act, for the words "sales tax" the words "commercial tax" shall be substituted.

Sub-clause (iv) of clause (h) of sub-section (2) of section 71 of the Principal Act shall be omitted.

12. In clause (iv) of the proviso of section 72 of the Principal Act, for the word "Board" the word "Tribunal" shall be substituted.

In section 73 of the Principal Act,-

- (1) In clause (b) of sub-section (3) the following shall be added, namely, "Γrovided that, no input tax rebate shall be claimed by or be allowed to a
 registered dealer on the goods held in stock on the date of commencement of
 the Act, who opts for composition under the provisions of section 10."
- (2) For sub-section (4) the following shall be substituted, namely:-

"The sale of goods specified in part III of schedule II of the Act, which are tax paid goods within the meaning of the Act, repealed by this Act, on or after the said date shall not be liable to tax under the Act."

14. In schedule II of the Principal Act,-

(1) In part I, part II and part IV, column No. (4) shall be omitted and in column No. (3) in heading for the words and figures "Rate of tax u/s. 8 (i) (percent)" the words and figure "Rate of tax u/s. 8 (percent)" shall be substituted.

- (2) In part III column No. (3) shall be omitted and column No. (4) shall be renumbered as column No. (3) and in heading of the so renumbered column No. (3) for the words and figures "Rate of tax u/s. 8 (ii) (percent)" the words and figure "Rate of tax u/s. 8 (percent)" shall be substituted.
- (3) In part IV in entry No. (1) for the words and figures "All other goods not covered by schedule I and schedule II" the words and figures "All other goods not included in schedule I and in part I, part II and part III of this schedule" shall be substituted.

Amendment of Section 69.

Amendment of Section 71.

Amendment of Section 72.

Amendment of Section 73.

Amendment of Schedule II.

मं एक्क परण तथा लेखन सामगी कत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2006

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114/-009/2003/20-01-03.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 232]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 29 अगस्त 2007-भाद्र 7, शक 1929

विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 अगस्त 2007

क्रमांक 7518/डी. 189/21-अ/प्रा./छ. ग./07.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 17-08-2007 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम (क्रमांक 11 सन् 2007)

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2007

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के अट्ठावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

- संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.
- इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2007
 है.
 - (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.
- धारा-2 का संशोधन.
- छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है), धारा 2 में,—

खण्ड (न) में स्पष्टीकरण-(तीन) का लोप किया जाय.

- अनुसूची-1 का संशोधन.
- मूल अधिनियम की अनुसूची-1 में अनुक्रमांक 52 से संबंधित प्रविष्टि का लोप किया जाय.
- निरसन.
- छत्तीसगढ़ मृल्य संवर्धित कर् (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (क्रमांक 2 सन् 2007) एतदृद्वारा निरस्त किया जाता
 है.

रायपुर, दिनांक 29 अगस्त 2007

क्रमांक 7518/डी. 189/21-अ/प्रा./छ. ग./07:—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 11 सन् 2007) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT (No. 11 of 2007)

CHHATTISGARH VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) ACT, 2007

An Act to amend the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty-eighth Year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Value Added Tax (Amendment) Act, 2007.

Short title and Commencement.

- (2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In Section 2 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) (hereinafter referred to as the Principal Act),—

Amendment of Section-2.

Explanation (iii) in clause (t) shall be omitted.

3. In Schedule-I of the Principal Act, the entry relating to serial No. 52 shall be omitted.

Amendment Schedule-I.

 Chhattisgarh Value Added Tax (Amendment) Ordinance, 2007 (No. 2 of 2007) is hereby repealed. Repeal.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्य/ तंक. 114-009/2003/20\01-03.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 134]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 15 मई 2008-वैशाख 25, शक 1930

विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 मई 2008

क्रमांक 4982/डी-139/21-अ/प्रारूपण/08.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 03-05-2008 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, उमेश कुमार काटिया, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम (क्रमांक 12 सन् 2008)

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधने) अधिनियम, 2008

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नॉलिखित रूप में अधिद्वियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1.

- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2008 है.
- (2) यह 1 अप्रैल, 2008 से प्रवृत्त होगा.

धारा 10 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है), की धारा 10 की उपधारा (2) के खण्ड (क) में शब्द "एक माह" के स्थान पर शब्द "तीन माह" प्रतिस्थापित किया जाय तथा शब्द "ऐसे वर्ष के प्रारंभ होने" के पश्चात् शब्द "या रजिस्ट्रेशन के दिनांक, जो कि व्यवसाय प्रारंभ होने के पश्चात् उस वर्ष में जारी किया गया है, यथास्थित" अंत:स्थापित किया जाय.

धारा 13 का संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (3) में वर्तमान परन्तुक के स्थान पर निम्न परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाय, अर्थात्—

"परन्तु, यदि आगत कर के रिबेट की राशि असमायोजित रहती है, और व्यवसायी द्वारा कर निर्धारण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो आवेदन दिनांक से एक वर्ष के भीतर कर निर्धारण किया जायेगा तथा ऐसी राशि वापसी के रूप में प्रदाय की जायेगी."

धारा 27 का संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (2) में निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाय, अर्थात—

"परंतु, उपधारा (1) अथवा उपधारा (2) के अधीन कोई कटौती नहीं की जाएगी यदि कर की राशि ऐसे व्यवसायी या व्यक्ति द्वारा किसी माल के विक्रय के संबंध में अंतर्राज्यीय व्यापार या व्यवसाय के दौरान या भारतीय क्षेत्र में निर्यात या भारतीय क्षेत्र में आयात या राज्य से बाहर निर्यात के दौरान देय हो."

धारा 49 का संशोधन.

- मूल अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (6) के पश्चात् निम्न उपधारा जोड़ी जाय, अर्थात्—
 - "(7) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुंए भी, किंतु ऐसे निर्बन्धनों तथा शर्तों के, जैसा कि विहित किया जाय, अध्यधीन रहते हुए, जहां किसी व्यापारी द्वारा किये गये आवेदन के प्राप्त होने पर, राज्य सरकार की यह राय है कि किसी व्यापारी को किसी ऐसे आदेश, जो कि धारा 25 के अधीन के किसी आदेश से या किसी ऐसे आदेश से, जो अधिकरण या सिविल न्यायालय, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के किसी आदेश के अनुसरण में या उसके परिणामस्वरूप पारित किया गया है, भिन्न है, के कारण कष्ट हो रहा है, वहां राज्य सरकार आयुक्त को यह निर्देश दे सकेगी कि वह ऐसे आदेश के संबंध में उपधारा (1) के अधीन कार्यवाहियां शुरू करे तथा ऐसा निर्देश होने पर आयुक्त ऐसी कार्यवाहियों को विधि के अनुसार इस प्रकार निपटा सकेगा मानों कि वे कार्यवाहियां उसके द्वारा उपधारा (1) के खण्ड (दो) के अधीन शुरू की गई थी:

परन्तु कोई ऐसा निर्देश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि-

क) व्यापारी ने वे उपचार, जो कि उसे, यथास्थिति धारा 36, धारा 48, इस धारा की उपधारा (1), या धारा 56 के अधीन उपलब्ध है नि शोध नहीं कर लिये हैं या जन

तक कि उस कालाविध का, जिसके भीतर पूर्वोक्त उपबंधों के अधीन कोई उपचार किया जा सकता है, अवसान नहीं हो गया है, तथा/या

(ख) उपधारा (1) के अधीन पुनरीक्षण संबंधी उसका आवेदन गुणागुण के आधार पर नामंजूर नहीं कर दिया गया है :

> परन्तु यह और भी कि ऐसा कोई आवेदन राज्य सरकार द्वारा केवल एक बार ग्रहण किया जाएगा."

रायपुर, दिनांक 15 मई 2008

क्रमांक 4982/डी-139/21-अ/प्रारूपण/08.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2008 (क्रमांक 12 सन् 2008) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, उमेश कुमार काटिया, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT (No. 12 of 2008)

THE CHHATTISGARH VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) ACT, 2008

An Act further to amend the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the fifty-ninth year of the Republic of India, as follows:-

- 1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Value Added Tax (Amendment) Act, 2008 (No. of 2008).
- Short title and Commencement.

- (2) It shall come in to force from 1st April, 2008.
- In clause (a) of sub-section (2) of section 10 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) here in after referred as Principal Act for the words "one month" the words "three months" shall be substituted, and after the words "commencement of the year" the words "for which the option is made, or from the date of registration, issued after the commencement of the business, in that year, as the case may be" shall be inserted.

Amendment of Section 10.

Amendment Section 13. 3.

In sub-section (3) of section 13 of the Principal Act, for the existing proviso the following proviso shall be substituted, namely,—

"Provided that, if the amount of input tax rebate remains un adjusted and the dealer makes an application for refund of such amount, the assessment shall be made within one year from the date of application and such amount shall be granted by way of refund."

Amendment Section 27.

f 4.

In section 27 of the Principal Act, after sub-section (2) the following proviso shall be inserted, namely—

"Provided that no deduction shall be made under sub-section (1) or sub-section (2), if the amount of tax payable by such dealer or person is in respect of sales of any goods, in the course of inter-state trade or commerce or in the course of export out of the territory of India or import in to the territory of India or export out side the State."

Amendment Section 49.

5.

In section 49 of the Principal Act, after sub-section (6) the following sub-section shall be added, namely,—

"(7) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), but subject to such restrictions and conditions as may be prescribed, where on an application made by a dealer the State Government is of the opinion that hardship is being caused to such dealer due to any order passed under any of the provisions of this Act other than an order under section 25 or an order passed in pursuance or in consequence of an order by the Tribunal or the Civil Court, High Court or Supreme Court, the State Government may direct the Commissioner to initiate proceedings under sub-section (1) in repect of such order and on such direction the Commissioner shall dispose of such proceeding according to law as if the proceedings had been initiated by him under clause (ii) of sub-section (1):

Provided that no such direction shall be given unless-

- (a) the dealer has exhausted the remedies available to him under section 36, section 48, sub-section (1) of this section or section 56, as the case may be, or the period within which any remedy under the afore said provisions can be sought has expired, and/or
- (b) his application for revision under sub-section (1) has been rejected on merit.

Provided further that such an application shall be entertained by the State Government only once."

छत्तीसंगढ़ आधितियम (क्रमांकं 13 सन् 2011)

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2011

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) को और संशोधित करने हेतु आधितियम्।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

 (एक) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, संक्षिप्त नाम 2011 कहलाएगा।

(दो) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होगा।

2. छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है), की धारा 16 की जप—धारा (4) के खंड (क), (ख) एवं (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:—

धारा 16 का संशोधन

- "(4) (क) जिस दिन उप—धारा (1) या उप—धारा (2) द्वारा यथा अपेक्षित रिजस्ट्रीकरण प्रमाण—पत्र के प्रदान किये जाने के लिए आवेदन प्राप्त होता है, उस दिन उक्त प्राधिकारी, आवेदक को विहित प्रारूप में अनंतिम रिजस्ट्रीकरण प्रमाण—पत्र प्रदान करेगा।
- (ख) अनंतिम रिजस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के जारी करने के पश्चात् आयुक्त, आवेदन में दी गई विशिष्टियों के संबंध में आवश्यक साक्ष्य तथा दस्तावेज जिसमें कारोबार से संबंधित लेखायें भी होंगी, सत्यापन के लिये अपने समक्ष प्रस्तुत करने हेतु आवेदक से अपेक्षा करेगा। साक्ष्य, दस्तावेज तथा लेखाओं के प्रस्तुत हो जाने पर, आयुक्त, आवेदन में दी गई विशिष्टियों का सत्यापन करेगा। विशिष्टियों के सही होने के संबंध में समाधान हो जाने पर, आयुक्त, रिजस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान किये जाने हेतु आवेदन प्राप्त होने की तारीख से जो पंद्रह दिवस के बाद की न हो, आवेदक को विहित प्रारूप में रिजस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करेगा।
- (ग) आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये अमिलेखों के सत्यापन होने के पश्चात् यदि आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि आवेदक द्वारा उसके आवेदन में दी गई विशिष्टियां सही नहीं हैं या आवेदक ने कतिपय तथ्यों का दुर्व्यपदेशन किया है, तो वह आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् तथा लिखित में कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् आवेदन नामंजूर करेगा तथा आवेदन प्राप्त होने की तारीख से जो पन्द्रह दिवस के बाद की न हो, आवेदक को जारी किया गया अनंतिम रिजस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र इसके जारी किये जाने की तारीख से रद्द करेगा।"

धारा 19 का संशोधन

- 3 मूल अधिनियम की धारा 19 की उप—धारा (4) के खण्ड (क) के उप—खण्ड (तीन) में, प्रविष्टि कमांक (3) के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाये, अर्थात्:—
 - "(4) यदि कोई व्यापारी, ऐसे देय कर की राशि जो शोध्य हो गया था, का भुगतान अगामी बर्ष की प्रथम तिमाही के विवरण पत्र प्रस्तुत करने की तारीख के पूर्व करने में विफल रहता है, तो ऐसी तारीख से उप—खंड (तीन) की प्रविष्टि कमांक (3) के अधीन मुगतान योग्य ब्याज के अतिरिक्त 1 प्रतिशत की दर से ब्याज भुगतान करने के लिये दायी होगा।"

धारा 41 का संशोधन 4. मूल अधिनियम की धारा 41 की उप—धारा (2) में शब्द "चालीस लाख" के स्थान पर, शब्द "साठ लाख" प्रतिस्थापित किया जाए।

धारा 48 का संशोधन

- मूल अधिनियम की घारा 48 में,—
 - (एक) उप—धारा (1) की अंतिम पंक्ति में शब्द "ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील," के पश्चात् शब्द "जो धारा 3 की उप—धारा (1) के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा पारित किया गया था, अपर आयुक्त को तथा धारा 3 की उप—धारा (1) के खंड (घ), (ड) तथा (च) में विनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील," अंतःस्थापित किये जाएं।
 - (दो) उप—धारा (4), (5), (6) तथा (7) में, जहां कहीं शब्द ''अपीलीय उपायुक्त' आया हो उसके पूर्व, शब्द ''अपर आयुक्त या' जोड़ा जाए।
 - (तीन) उप—धारा (5) के पश्चात् निम्निलखित उप—धारा (5—क) जोड़ी जाए— "(5—क) जहां आयुक्त यह मानता है कि किसी अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा प्रारित किया गया कोई आदेश, जहां तक कि वह राजस्व के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, तो वह ऐसे आदेश की तारीख से दो वर्ष के भीतर अधिकरण में अपील प्रस्तुत (फाइल) कर सकेगा"

घारा ४१ का संशोधन मूल अधिनियम की घारा 49 की उप—घारा (1) के परन्तुक के खण्ड (क) में शब्द "अपीलीय उपायुक्त" के पूर्व शब्द "अपर आयुक्त या" अंतःस्थापित किया जाए।

धारा 50 का संशोधन 7. मूल अधिनियम की धारा 50 में जहां कहीं शब्द "अपीलीय उपायुक्त" आया हो उसके पूर्व शब्द "अपर आयुक्त या" अंतःस्थापित किया जाए।

मूल अधिनियम की घारा 54 में जहां कहीं शब्द "अपीलीय उपायुक्त" आया हो, उसके पूर्व शब्द "अपर आयुक्त या" अंतःस्थापित किया जाए। धारा 54 का संशोधन

 मूल अधिनियम की धारा 56 की उप–धारा (3) के खंड (क) में शब्द "अपीलीय उपायुक्त" के पश्चात् शब्द "तथा अपर आयुक्त" जोड़ा जाए। घारा 56 का संशोधन

10. मूल अधिनियम की धारा 71 में,
(एक) उप—धारा (4) के खंड (क) में शब्द "पांच सौ रूपये" के स्थान पर, शब्द "दस हजार रूपये" तथा शब्द "पच्चीस रूपये" के स्थान पर, शब्द "एक सौ रूपये" प्रतिस्थापित किया जाए।

धारा 71 का संशोधन

(दो) उप—धारा (4) के खंड (ख) में शब्द "पांच सौ रूपये" के स्थान पर, शब्द "दस हजार रूपये" प्रतिस्थापित किया जाए।

CHHATTISGARH ACT

(No. 13 of 2011)

THE CHHATTISGARH VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) ACT, 2011.

Ah Act further to amend the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No.2 of 2005).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the sixty-second year of the Republic of India, as follows:-

 (1) This Act may be called the Chhattisgarh Value Added Tax (Amendment) Act, 2011.

Short title and commencement.

- (2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
- For clause (a), (b) and (c) of sub-section (4) of Section 16 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No.2 of 2005) (hereinafter referred to as the Principal Act), the following clause shall be substituted, namely:-

Amendment of Section 16.

- "(4) (a) On the day the application for grant of a registration certificate as required by sub-section (1) or sub-section (2) is received, the said authority shall grant the applicant a provisional registration certificate in the prescribed form.
- (b) After issue of the provisional registration certificate the Commissioner shall require the applicant to produce before him essential evidence and documents in respect of the particulars given in the application as also the accounts relating to

the business for verification. On production of the evidence, documents and accounts the Commissioner shall verify the particulars given in the application. On being satisfied about the correctness of the particulars, the Commissioner shall issue to the applicant a registration certificate in the prescribed form not later than fifteen days of the date of receipt of the application for grant of a registration certificate.

- (c) If on verification of records produced by the applicant, the Commissioner is satisfied that the particulars given by the applicant in his application are incorrect or that the applicant has mis-represented certain facts, he shall, after giving the applicant an opportunity of being heard and recording the reasons in writing, reject the application and cancel the provisional registration certificate issued to the applicant from the date of its issue, not later than fifteen days of the date of receipt of the application."
- 3. In sub-clause (iii) of clause (a) of sub-section (4) of Section 19 of the Principal Act, after the entry number (3), the following entry shall be added, namely:-

1.

"(4) If a dealer, fails to pay the amount of tax payable which had become due, before the date of filing return for the first quarter of the next year, be liable to pay 1 percent interest in addition to the interest payable under entry number (3) of sub-clause (iii) from such date,"

Amendment of Section 19. In sub-section (2) of Section 41, for the words "forty lac" the words "sixty lac" shall be substituted.

> Amendment of Section 48.

Amendment of Section 41.

- In Section 48 of the Principal Act,-
 - (i) In the last line of sub-section (1), after the words "Appeal against such order to the" the words " Additional Commissioner, where such order is passed by any officer specified in clause (c) of sub-setion (1) of Section 3 and where such order is passed by an officer specified in clause (d), (e) and (f) of sub-section (1) of Section 3 to the " shall be inserted.
 - (ii) In sub-section (4), (5), (6) and (7) before the words "Appellate Deputy Commissioner" wherever they occur the words " Additional Commissioner or " shall be added.
 - (iii) After sub-section (5), the following subsection (5-A) shall be inserted:-
 - " (5-A) Where the Commissioner considers that any order passed by any Additional Commissioner of Commercial Tax in so for as it is prejudicial to the interests of revenue he may file an appeal to the Tribunal within two years from date of such order."
- 6. In clause (a) of proviso of sub-section (1) of Section 49 of the Principal Act, before the words "Appellate Deputy Commissioner" the words "Additional Commissioner or" shall be inserted.
- In Section 50 of the Principal Act, before the words "Appellate Deputy Commissioner" wherever they occur the words "Additional

Amendment of Section 49.

Amendment of Section 50. Commissioner or shall be inserted.

8. In Section 54 of the Principal Act, before the words "Appellate Deputy Commissioner" wherever they occur the words "Additional Commissioner or" shall be inserted

Amendment of Section 54.

9. In clause (a) of sub-section (3) of Section 56 of the Principal Act, after the words "Appellate Deputy Commissioner" the words "and Additional Commissioner" shall be added.

Amendment of Section 56.

10. In Section 71 of the Principal Act,-

Amendment of Section 71.

- (i) In clause (a) of sub-section (4) for the words "five hudnred rupees" the words "ten thousand rupees" and for the words "twenty five rupees" the words " one hundred rupees" shall be substituted.
 - (ii) In clause (b) of sub-section (4), for the words "five hundred rupees" the words "ten thousand rupees" shall be substituted.

छत्तीसगढ़ आधितियम (क्रमांक 14 सन् 2013)

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2013

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम्।

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

- 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर संक्षिप्त नाम (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहलाएगा। तथा प्रारंभ.
 - (2) यह 1 अप्रैल 2013 से प्रवृत्त होगा।
- 2. छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 धारा 10 का (कमांक 2 सन् 2005) (जो इसमें इसके पश्चात् संशोधन. मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 10 की उप—धारा (2) के खण्ड (अ) में शब्द "पचास लाख" के स्थान पर, शब्द "साठ लाख" प्रतिस्थापित किया जाये।
- मूल अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (4) के धारा 19 का खण्ड (क) के उप–खंड (तीन) की प्रविष्टि कमांक संशोधन.
 (3) में, अंक एवं शब्द "1 प्रतिशत" के स्थान पर, अंक एवं शब्द "1.5 प्रतिशत" प्रतिस्थापित किया जाये।
- 4. मूल अधिनियम की धारा 22 की उप—धारा (1) में, धारा 22 का शब्द "तीन कैलेण्डर वर्ष" के स्थान पर, शब्द संशोधन. "पांच कैलेण्डर वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाये।
- 5. मूल अधिनियम की धारा 25 की उप–धारा (7) में, धारा 25 का अंक एवं शब्द "12 प्रतिशत" के स्थान पर, शब्द संशोधन. "अठ्ठारह प्रतिशत" प्रतिस्थापित किया जाये।

6. मूल अधिनियम की धारा 41 की उप—धारा (2) में, शब्द "साठ लाख" के स्थान पर, शब्द "एक करोड़" प्रतिस्थापित किया जाये। धारा 41 का संशोधन.

 मूल अधिनियम की धारा 49 की उप—धारा (1) में, खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:—

धारा 49 का संशोधन.

"(घ) कोई पुनरीक्षण, तब तक ग्रहण नहीं किया - जाएगा, जब तक कि व्यापारी या व्यक्ति, कर निर्धारण आदेश के अनुसार कुल देय राशि में से, ऐसे कर और ब्याज की राशि, जो उनके द्वारा देय होना मान्य हो, का भुगतान नहीं कर देता।"

CHHATTISGARH ACT

(No. 14 of 2013)

THE CHHATTISGARH VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) ACT, 2013.

An Act further to amend the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No.2 of 2005).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-fourth Year of the Republic of India, as follows:-

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Value Added Tax (Amendment) Act, 2013.

Short title and commencement.

- (2) It shall come into force from 1st April, 2013.
- 2. In clause (a) of sub-section (2) of Section 10 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No.2 of 2005) (hereinafter referred to as the Principal Act), for the words "fifty lacs", the words "sixty lac" shall be substituted.

Amendment of Section 10.

3. In entry number (3) of sub-clause (iii) of —clause (a) of sub-section (4) of Section 19 of the Principal Act, for the figure and word "1 per cent", the figure and word "1.5 per cent" shall be substituted.

Amendment of Section 19.

4. In sub-section (1) of Section 22 of the Principal Act, for the words "three calendar years", the words "five calendar years" shall be substituted.

Amendment of Section 22.

5. In sub-section (7) of Section 25 of the Principal Act, for the words "twelve per cent", the words "eighteen per cent" shall be substituted.

Amendment of Section 25.

6. In sub-section (2) of Section 41 of the Principal Act, for the words "sixty lacs", the words "one crore" shall be substituted.

Amendment of Section 41.

7. In sub-section (1) of Section 49 of the Principal Act, after clause (c) the following shall be added, namely:-

Amendment of Section 49.

"(d) No revision shall be admitted unless the dealer or the person has paid the tax and interest admitted to be payable by him out of the total amount due as per the assessment order."

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 28 सन् 2013)

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम्, 2013

छत्तीसगढ़ मूल्य सवंधित कर अधिनियम, 2005 (कमांक 2 सन् 2005) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम्।

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

 (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहलाएगा।

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंम

- (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन तारीख से प्रवृत्त होगा।
- 2. छत्तोसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (कमांक 2 सन् 2005,) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है,) की अनुसूची–1 के सरल कमांक 25 से संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्न प्रविष्टि प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात :

अनुसूची–1 का संशोधन.

- "(एक) मेडिसिनल एंड टायलेट प्रिपरेशन्स (एक्साइज ड्यूटीज) एक्ट, 1955 (क. 16 सन् 1955) की अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई औषधीय तथा प्रसाधनीय निर्मितियों, तथा
- (दो) एफ.एल.—10 अनुज्ञप्तिधारी वितरक द्वारा विक्रय की जाने वाली विदेशी तथा भारत में निर्मित विदेशी मदिरा'' से भिन्न माल जिस पर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क. 2 सन्

1915) के अधीन शुल्क उद्गृहित किया जाता है या उद्गृहित किया जा सकता है। "

 मूल अधिनियम की अनुसूची—2 के भाग—3 में सरल कमांक 6 के पश्चात निम्नलिखित सरल कमांक और उससे संबंधित प्रविष्टि जोड़ी जाए, अर्थात्ः

अनुसूची—2 का संशोधन.

"7	एफ.एल.—10 अनुज्ञप्तिधारी		7"
**	व्यवसायी द्वारा विकय की		
	जाने वाली विदेशी तथा		J. Yana
	भारत में निर्मित विदेशी	an 2	.e a
7.0	मदिरा		1 y 1

CHHATTISGARH 'ACT (No. 28 of 2013)

The Chhattisgarh Value Added Tax (Amendment) Act, 2013.

An Art further to amend the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-fourth Year of the Republic of India, as follows:-

- 1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Value Short title and Added Tax (Amendment) Act, 2013.
 - (2)It shall come into force from the date of its publication in Official Gazette.
- 2. For the Entry of Serial No. 25 of Schedule-I of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), (hereinafter referred to as the Principal Act), the following shall be substituted, namely:-

"Goods on which duty is or may be levied under the Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. 2 of 1915), other than-

- (i) Medicinal and Toilet preparations specified in the Schedule to the Medicinal and Toilet Preparations (Excise Duties) Act, 1955 (No. 16 of 1955), and
- (ii) Foreign and Indian-made foreign liquor sold through dealer holding F.L.-10 license."
- 3. After Entry No. 6 of Part-III of Schedule-II of the Principal Act, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely:

Amendment of Schedule-II.

"7	Foreign and Indian- made foreign liquor sold through dealer	-	7"
x.	holding F.L10		*

commencement.

Amendment of Schedule-I

'विजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 578]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 30 दिसम्बर 2015 — पीष 9, शक 1937

विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 दिसम्बर 2015

क्रमांक 12352/डी. 359/21-अ/प्रारू./छ.ग./15. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित (संशोधन) छत्तीसगढ़ मूल्य संविधित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (क्रमांक 5 सन् 2015) एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

> छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आवेशानुसार, ए. के. सिंघल, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ् अध्यादेश

(क्र. 5 सन् 2015)

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2015

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005) को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

यत:, राज्य विधान मण्डल का सत्र चालू नहीं है और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तत्काल कार्यवाही करें :

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त प्रक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंम. 1.

- यह अध्यादेश छत्तीसगढ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2015 कहलाएगा.
- (2) यह 1 जनवरी, 2016 से प्रवृत्त होगा.

छत्तीसगढ मृत्य संवर्धित कर अधिनयम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005) को अस्थायी रूप से संशोधित किया जाना. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान, छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है), इस अध्यादेश की धारा 3 में विनिर्दिष्ट संशोधन के अध्याधीन रहते हुये, प्रभावी होगा.

अनुसूची-2 का 3. संशोधन

- (1) मूल अधिनियम की अनुसूची-2 के भाग-3 के कॉलम (3) के शीर्षक में, शब्द, चिन्ह तथा अंक "धारा 8 के अधीन कर की दर (प्रतिशत)" के स्थान पर, शब्द, अंक तथा चिन्ह "कर की दर धारा 8 के अधीन कुल कर योग्य राशि के प्रतिशत के रूप में और, कॉलम (2) के सरल क्रमांक 1 और 2 के सामने सूचीबद्ध माल के मामले में, कुल कर योग्य राशि का प्रतिशत और कर की विनिर्दिष्ट दर" प्रतिस्थापित किया जाये.
- (2) मूल अधिनियम की अनुसूची-2 के भाग-3 के स. क्र. 1 के कॉलम (3) में, अंक "25" के स्थान पर, अंक, चिन्ह तथा शब्द "25 (प्रतिशत) + 1 रुपया प्रति लीटर" प्रतिस्थापित किया जाये.
- (3) मूल अधिनियम की अनुसूची-2 के भाग-3 के स. क्र. 2 के कॉलम (3) में, अंक "25" के स्थान पर, अंक, चिन्ह तथा शब्द "25 (प्रतिशत) + 2 रुपया प्रति लीटर" प्रतिस्थापित किया जाये.

रायपुर, दिनांक 30 दिसम्बर 2015

क्रमांक 12352/डी. 359/21-अ/प्रारू./छ. ग./15 . — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 30 दिसम्बर 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. सिंघल, अतिरिक्त सन्त्रिव.

CHHATTISGARH ORDINANCE (No. 5 of 2015)

THE CHHATTISGARH VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) ORDINANCE, 2015

An Ordinance further to amend the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005).

Promulgated by the Governor of Chhattisgarh in the Sixty-sixth Year of the Republic of India.

Whereas, the State Legislature is not in session and the Governor of Chhattisgarh is satisfied that, the circumstances exist, which render it necessary for him to take immediate action:

Now therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Aricle 213 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh is pleased to promulgate the following Ordinance:-

- This Ordinance may be called the Chhattisgarh Value Added Tax (Amendment)
 Ordinance, 2015.
- Short title and commencement.

- It shall come into force from 1st January, 2016.
- During the period of operation of this Ordinance, the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), (hereinafter referred to as the Principal Act), shall have effect subject to the amendment specified in Section 3 of this Ordinance.

The Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) to be temporarily amended.

3. (1) In the heading of column (3) of PART III of Schedule-II of the Principal Act, for the words, symbols and figure "Rate of tax u/s 8 (percent)", the words, figures and symbols "Rate of Tax under Section 8 as a percentage of taxable turnover and, in respect of goods listed against S. No. 1 and 2 in column (2), a percentage of taxable turnover and a specific Rate of Tax" shall be substituted. Amendment of Schedule-II.

- (2) In column (3) of S. No. 1 of PART-III of Schedule-II of the Principal Act, for the figure "25", the figures, symbols and words "25 (percent) + 1 Rupee per litre" shall be substituted.
- (3) In column (3) of S. No. 2 of PART-III of Schedule-II of the Principal Act, for the figure "25", the figures, symbols and words "25 (percent) + 2 Rupees per litre" shall be substituted.

छत्तीसगढ़ अधिनिधम (क्रमांक 17 सन् 2015)

छत्तीसगृढ़ मूल्य सर्वर्धित कर (संशोधन) अधिनियम् 2015.

छत्तीसगढ़ मूल्य सर्वर्धित कर अधिनियम, 2005 (क. 2 सन् 2005) को और संशोधित करने हेतु अधिनिधम ।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

(1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहलाएगा।

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

- (2) यह 1 अप्रैल, 2015 से प्रवृत्त होगा।
- छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क. 2 सन 2005) जो इसमें इसके पश्चात मूल अधिनियम के रुप में निर्दिष्ट है, की अनुसूची-1 में,-

अनुसूची-1 में संशोधन.

- (एक) सरल कमांक 16 के कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "खादी क्लाथ और हैण्डलूम क्लाथ" प्रतिस्थापित किया जाये; तथा
- (दो) सरल कमांक 49 तथा उससे संबंधित प्रविष्टि का लोप किया जाये ।
- मूल अधिनियम की अनुसूची-2 के भाग-1 के सरल कमांक 4 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:-

अनुसूची-2 में संशोधन.

(1)	(2)	(3)
"5.	सभी प्रकार के कपड़े (खादी क्लाथ, हैण्डलूम क्लाथ, हेसियन क्लाथ एवं सिल्क क्लाथ की छोड़कर)	1
6.	शक्कर एवं खांडसारी (मिश्री, चिरौंजी (इलायची दाना) और बताशा को छोड़कर)	1"

(No. 17 of 2015)

THE CHHATTISGARH VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) ACT, 2015.

An Act to further amend the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixtysixth Year of the Republic of India, as follows:-

- (1) This Act may be called the Chhattisgarh Short title and Value Added Tax (Amendment) Act, commencement. 2015.
 - (2) It shall come into force from 1st April, 2015.
- 2. In Schedule-I of the Chhattisgarh Value Amendment to
 Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) Schedule-I.
 hereinafter referred to as the Principal
 Act, -
 - (i) For entry in column (2) of serial number 16, the entry "Khadi cloth and handloom cloth" shall be substituted; and
 - (ii) Serial number 49 and entry relating thereto shall stand deleted.
- 3. After serial number 4 and entries Amendment to relating thereto of Part I of Schedule-II of Schedule-II. the Principal Act, the following shall be added, namely:-

(1)	(2)	(3)	
"5.	All varieties of cloth		
	(excluding khadi cloth,		
	handloom cloth, hessian		
	cloth and silk cloth)		
6.	Sugar and khandsari	1"	
	(excluding mishri, chironji		
	(elaichi dana) and batasha).		

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत, क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगद/दुर्ग/09/2013-2015.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 435]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 18 अगस्त 2015-- श्रावण 27, शक 1937

विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 अगरत 2015

क्रमांक 7946/डी. 253/21-अ/प्रारू./छ. ग./15. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 07-08-2015 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है,

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम (क्रमांक 29 सन् 2015)

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2015

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- संक्षिप्त नाम तथा प्रारंम. 1.
- (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ मूत्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहलाएगा.
- (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.
- धारा 21 का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005) की धारा 21 की उप-धारा (3) में, शब्द "एक" के स्थान पर, शब्द "तीन" प्रतिस्थापित किया जाये.

रायपुर, दिनांक 18 अगस्त 2015

क्रमांक 7946/डी. 253/21-अ/प्रारू./छ. ग./15 . —भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 18-08-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदूद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT (No. 29 of 2015)

THE CHHATTISGARH VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) ACT, 2015

An Act to further amend the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

- Short title and commencement.
- (1) This Act may be called the Chhattisgarh Value Added Tax (Amendment) Act, 2015.
- (2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
- Amendment of 2. In sub-section (3) of Section 21 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), for the word "one", the word "three" shall be substituted.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ/दुर्ग/09/2013-2015.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 121]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 1 अप्रैल 2016- चैत्र 12, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2016

क्रमांक-3330/डी. 109/21-अ/प्रारू./छ. ग./2016. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 01-04-2016 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम (क्र 12 सन 2016)

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2016.

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम 1. तथा प्रारंम.

- (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहलायेगा।
- (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
- घारा 8 का 2. संशोधन.

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 8 में,—

- (क) शब्द "अनुसूची—2 में विनिर्दिष्ट माल" के पूर्व, कोष्टक एवं अंक "(1)" अंतःस्थापित किया जाये: तथा
- (ख) उप-धारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-
 - "(2) उप—धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अनुसूची—2 के भाग 3 के अनुक्रमांक 1 एवं 2 में विनिर्दिष्ट माल के विक्रय पर, उप—धारा (1) के अधीन कर की दर और ऐसी विनिर्दिष्ट रकम प्रति लीटर, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया जाये, उद्ग्रहित की जा सकेंगी।"
- घारा 13 का 3. संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 13 में,-

- (क) उप-धारा (1) में,-
 - (एक) खण्ड (क) के उप-खण्ड (i) में; तथा
 - (दो) खण्ड (ख) में,

शब्द "या राज्य के बाहर माल के अन्तरण के रूप में" को विलोपित किये जाये; तथा

- (ख) उप—धारा (5) के खण्ड (क) के उप—खण्ड (एक) तथा (दो) में, शब्द "या राज्य के बाहर माल के अन्तरण के रूप में माल के विक्रय के लिए" को विलोपित किये जाये।
- घारा 19 का 4. संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 19 में,-

- (क) उप—धारा (2) में, शब्द एवं कोष्टक ''खण्ड (क)'' के पश्चात्, शब्द एवं कोष्टक ''या खण्ड (ख)'' अन्तःस्थापित किया जाये; तथा
- (ख) उप—धारा (4) के खण्ड (क) के उप—खंड (तीन) की प्रविष्टि (4) को विलोपित की जाये।
- घारा 22 का **5**. संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 22 की उप—धारा (2) में, शब्द "इस प्रकार निर्धारित या पुनः निर्धारित की गई कर की रकम के दो गुने से अनधिक ऐसी शास्ति व्यापारी पर अधिरोपित करेगा किन्तु वह निर्धारित की गई कर की रकम से कम की नहीं होगी." के स्थान पर, शब्द, अंक एवं कोष्टक "धारा 19 की उप—धारा (4) के खण्ड (क) के उप—खण्ड (तीन) में विनिर्दिष्ट दर से ब्याज के अतिरिक्त, इस प्रकार निर्धारित या पुनः निर्धारित की गई कर

की रकम के दो गुने से अनिधक किन्तु निर्धारित की गई कर की रकम के डेढ़ गुने से अन्यून, शास्ति उस पर अधिरोपित करेगा." प्रतिस्थापित किया जाये।

6. मूल अधिनियम की धारा 48 की उप—धारा (4) के खंड (एक) के उप—खंड (क) में, शब्द "दस" के स्थान पर, शब्द "पन्द्रह" प्रतिस्थापित किया जाए।

घारा 48 का संशोधन

7. मूल अधिनियम की धारा 49 की उप—धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:— घारा 49 का संशोधन

"(1) आयुक्त, स्वप्रेरणा से किसी ऐसी कार्यवाही का, जिसमें धारा 3 की उप—धारा (ख) से (च) में विनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया था, अभिलेख मंगा सकेंगा और उस अभिलेख के प्राप्त होने पर ऐसी जांच कर सकेंगा या ऐसी जांच करवा सकेंगा, जैसी कि वह आवश्यक समझे और इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुये, उस पर ऐसा आदेश, जैसा कि वह उचित समझे, जो कि उस व्यापारी या व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव न डालता हो, पारित कर सकेंगा:

परन्तु,-

8.

- (क) आयुक्त इस उप—धारा के अधीन किसी आदेश का पुनरीक्षण तब नहीं करेगा, जबिक उस आदेश के विरुद्ध अपीलीय उपायुक्त अथवा बोर्ड के समक्ष अपील लंबित है या यदि, ऐसी अपील की जा सकती है तो उस समय का, जिसके कि भीतर वह फाइल की जा सकती है, अवसान नहीं हुआ है:
- (ख) कोई पुनरीक्षण नही होगा,-
 - (एक) कर के भुगतान करने के संबंध में किसी व्यापारी का दायित्व अवधारित करने वाले किसी आदेश के विरुद्ध या निर्धारण के लिये इस अधिनियम के अधीन जारी की गई किसी सूचना के विरुद्ध, निर्धारण आदेश पारित किये जाने के पश्चात् को छोड़कर; और
 - (दो) धारा 36 के अधीन पारित किसी आदेश के विरुद्ध.

स्पष्टीकरण.—आयुक्त के किसी ऐसे आदेश, जिसके द्वारा हस्तक्षेप करने से इंकार किया गया है, के संबंध में यह नहीं समझा जायेगा कि यह किसी व्यापारी या किसी व्यक्ति पर प्रतिकृल प्रभाव डालने वाला आदेश है.

मूल अधिनियम की धारा 54 की उप—धारा (2) में, शब्द 'शास्ति के तौर पर ऐसी रकम चुकाए जो अपवंचित कर की रकम के तीन गुने से कम किन्तु पांच गुने से अधिक नहीं होगी'' के स्थान पर, शब्द, अंक एवं कोष्टक ''धारा 19 की उप—धारा (4) के खण्ड (क) के उप—खण्ड (तीन) में विनिर्दिष्ट दर से ब्याज के अतिरिक्त, शास्ति के तौर पर ऐसी रकम चुकाए जो अपवंचित कर की रकम के डेढ़ गुने से कम किन्तु दो गुने से अधिक नहीं होगी'' प्रतिस्थापित किया जाये।

घारा 54 का संशोधन.

9. मूल अधिनियम की धारा 64—क के परंतुक में, शब्द "वहां आयुक्त ऐसी राशि का भुगतान करने पर शमन की अनुज्ञा दे सकेगा जो कि उस रकम के दुगुने से अधिक न हो." के स्थान पर, शब्द, अंक और कोष्टक "वहां आयुक्त, धारा 19 की उप—धारा (4) के खण्ड (क) के उप—खण्ड (तीन) में विनिर्दिष्ट दर से ब्याज के अतिरिक्त, ऐसी राशि के भुगतान करने पर शमन की अनुज्ञा दे सकेगा जो कि उस रकम के दुगुने से अधिक न हो." प्रतिस्थापित किया जाये।

घारा 64–क का संशोधन.

अनुसूची-2 का 10. संशोधन

मूल अधिनियम की अनुसूची-2 में,-

- (क) भाग-1, 2 एवं 4 के कॉलम (3) के शीर्षक में, अंक "8" के स्थान पर, अंक एवं कोष्टक "8(1)" प्रतिस्थापित किया जाये;
- (ख) भाग—2 के अनुक्रमांक 44 के कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:—
 'खाने का तेल, वनस्पति तेल एवं खली (आइल केक)

'खाने का तल, वनस्पति तल एव खली (आइल केक) किन्तु नारियल तेल को छोड़कर"

- (ग) भाग—3 के कालम (3) के शीर्षक में, शब्द, चिन्ह, अंक एवं कोष्टक "धारा 8 के अधीन कर की दर (प्रतिशत)" के स्थान पर, शब्द, अंक तथा कोष्टक "धारा 8(1) के अधीन कर की दर एवं धारा 8(2) के अधीन कर की विनिर्दिष्ट रकम प्रति लीटर" प्रतिस्थापित किया जाये:
- (घ) भाग-3 के अनुक्रमांक 1 के कॉलम (3) में, अंक "25" के स्थान पर, अंक, कोष्टक, शब्द तथा चिन्ह "25 (प्रतिशत) + 1 रुपया प्रति लीटर" प्रतिस्थापित किया जाये;
- (ड.) भाग—3 के अनुक्रमांक 2 के कॉलम (3) में, अंक "25" के स्थान पर, अंक, कोष्टक, शब्द तथा चिन्ह "25 (प्रतिशत) + 2 रुपया प्रति लीटर" प्रतिस्थापित किया जाये; तथा
- (च) भाग-4 के अनुक्रमांक 1 के कॉलम (3) में, अंक "14" के स्थान पर, अंक "14.5" प्रतिस्थापित किया जाये।

निरसन तथा व्यावृत्ति.

11.

- (1) छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (क्र. 5 सन् 2015) को एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।
 - (2) उप—धारा (1) में उल्लिखित अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई या अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत कोई दायित्व, मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया कार्य, की गई कार्रवाई, अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत दायित्व समझी जाएगी।

रायपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2016

क्रमांक-3330/डी. 109/21-अ/प्रारू./छ. ग./2016. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 1-4-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT (No. 12 of 2016)

THE CHHATTISGARH VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) ACT, 2016.

An Act to further amend the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No.12 of 2005).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-seventh Year of the Republic of India, as follows:-

 (1) This Act may be called the Chhattisgarh Value Added Tax (Amendment) Act, 2016. Short title and commencement.

- (2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In Section 8 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) (hereinafter referred to as the Principal Act),-

Amendment of Section 8.

- (a) before the words "There shall be levied on goods", the parentheses and figure "(1)" shall be inserted; and
- (b) after sub-section (1), the following shall be added, namely:-
 - "(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), on the sale of goods specified in serial number 1 and 2 of PART III of Schedule II, there may be levied a rate of tax under sub-section (1) and a specific amount per litre as may be notified by the State Government, from time to time."
- In Section 13 of the Principal Act,-

Amendment of Section 13.

- (a) in sub-section (1),-
 - (i) in sub-clause (i) of clause (a); and
 - (ii) in clause (b),

the words "or for sale outside the state by way of stock transfer" shall be deleted; and

- (b) in sub-clauses (i) and (ii) of clause (a) of sub-section (5), the words "or by way of sale outside the State, by way of stock transfer" shall be deleted.
- In Section 19 of the Principal Act,-

Amendment of Section 19.

- (a) in sub-section (2), after the words and parentheses "clause (a)", the words and parentheses "or clause (b)" shall be inserted; and
- (b) entry (4) of sub-clause (iii) of clause (a) of sub-section (4) shall be deleted.
- In sub-section (2) of Section 22 of the Principal Act, for the words "impose upon him a penalty not exceeding twice the amount of tax so assessed, or re-assessed but shall not be less than the amount of tax assessed", the words, figures and parentheses "in addition to interest at the rate specified in sub-clause (iii) of clause (a) of sub-section (4) of Section 19, impose upon him a penalty not exceeding twice the amount of tax so

Amendment of Section 22.

assessed or re-assessed but not less than one and half times of the amount of tax assessed" shall be substituted.

Amendment of Section 48.

6.

7.

In sub-clause (a) of clause (i) of sub-section (4) of Section 48 of the Principal Act, for the word "ten", the word "fifteen" shall be substituted.

Amendment of Section 49.

For sub-section (1) of Section 49 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"(1) The Commissioner in respect of any order passed by any officer specified in clauses (b) to (f) of sub-section (1) of Section 3, may on his own motion call for the record of the proceeding in which such order was passed and on receipt of the record may make such enquiry or cause such enquiry to be made, as he considers necessary and subject to the provisions of this Act may, pass such order thereon, not being an order prejudicial to the dealer or person as he thinks fit:

Provided that .-

- (a) the Commissioner shall not revise any order under this subsection, where an appeal against the order is pending before the appellate deputy commissioner or the Board; or where, if such appeal lies, the time within which it may be filed has not expired;
- (b) no revision shall lie,-
 - (i) against an order determining the liability of a dealer to pay tax or against a notice issued under this Act for assessment except after an assessment order is passed; and
 - (ii) against an order passed under Section 36.

Explanation.—An order by the Commissioner, declining interference shall not be deemed to be an order prejudicial to the dealer or person.

Amendment of Section 54. 8.

In sub-section (2) of Section 54 of the Principal Act, for the words "pay by way of penalty a sum which shall not be less than three times but shall not exceed five times of the amount of tay evaded", the words figures and

exceed five times of the amount of tax evaded", the words, figures and parentheses "in addition to interest at the rate specified in sub-clause (iii) of clause (a) of sub-section (4) of Section 19, pay by way of penalty a sum

which shall not be less than one and half times but shall not exceed two times the amount of tax evaded" shall be substituted.

Amendment of Section 64-A.

9.

In the proviso to Section 64-A of the Principal Act, for the words "the Commissioner may allow composition on payment of a sum not exceeding twice such amount.", the words, figures and parentheses "the Commissioner may allow composition on payment of a sum not exceeding twice such amount, in addition to interest at the rate specified in sub-clause (iii) of clause (a) of sub-section (4) of Section 19." shall be substituted.

In Schedule-II of the Principal Act,-

Amendment of Schedule-II.

- (a) in the heading of column (3) of PART I, II, and IV, for the figure "8", the figures and parentheses "8(1)" shall be substituted;
- (b) for the entry in column (2) of serial number 44 of PART II, the following shall be substituted, namely:-
 - "Edible oil, vegetable oil and oil cake excluding coconut oil"
- (c) in the heading of column (3) of PART III, for the words, symbol, figure and parentheses "Rate of tax u/s 8 (percent)", the words, figures and parentheses "Rate of Tax under Section 8(1) and, a specific amount per litre under Section 8(2)" shall be substituted;
- (d) in column (3) of serial number 1 of PART III, for the figure "25", the figures, parentheses, words and symbol "25 (percent) + 1 Rupee per litre" shall be substituted;
- (e) in column (3) of serial number 2 of PART III, for the figure "25",
 the figures, parentheses, words and symbol "25 (percent) + 2
 Rupees per litre" shall be substituted; and
- (f) in column (3) of serial number 1 of PART IV, for the figure "14", the figure "14.5" shall be substituted.
- The Chhattisgarh Value Added Tax (Amendment) Ordinance, 2015 (No. 5 of 2015) is hereby repealed.

Repeal and saving.

(2) Notwithstanding the repeal of the Ordinance mentioned in sub-section (1), anything done or any action taken, or any liability acquired, accrued or incurred, under the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken, acquired, accrued or incurred under the corresponding provisions of the Principal Act.

"विजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुक्क के नगर भुगतान्। विना डाक टिकट) के प्रपण हेत् अनुमत अमांक जी 2-22-इन्तीसगढ गजर / 38 सि. सं भिलाई दिनाक 30-05-2001"



पंजीयन क्रमांक ''छन्नीसगढ 'दुर्ग / 09 / 2013 - 2015 '''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

EMIE 365

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 24 अगस्त 2017 — भाद्रपद 2, शक 1939

विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर दिनाक 24 अगस्त 2017

क्रमांक 7916 A/डी 185/21-अ प्रास् /छ २./17 — छल्तीसगढ विधान सभा का निम्नर्तिखन अधिनियम जिस पर दिनांक 14-08-2017 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हा चुकी है, एतदुद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाणित किया जाता है

> छलीसगढ़ के राज्यपान के नाम से तथा आदेशानुसार, व्हीं के होता, अतिरिक्त सचिव

छत्तीसगढ अधिनियम (क्रमांक 11 सन् 2017)

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2017

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम. भारत गणराज्य के अडसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो -

उप-चारा (१) में, श्रन्ट एवं अंक "अनुसूची-१ के भाग ("के रक्षान पर, श्रन्ट "अनुसूची" प्रतिस्थापित

- यह अधिनियम छल्तीसगढ मृत्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2017 कहलायेगा संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा पारंभ इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ राज्य में होगा (2) (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा छलोसगढ़ मृत्य संबंधित कर अधिनियम, 2005 (क. 2 सन् 2005) (जो इसमें इसके पञ्चात मृत अधिनियम के धारा ३ का संशोधन रूप में निर्दिष्ट है। में, धारा 2 में,-खण्ड (ड) का लांप किया जाए (E) खण्ड (इ -ख) व । लोप किया जाये (四) लाएड (ड) में शब्द एवं अक "अनुसूची-2 के भाग । 2 तथा 4" के स्थान पर, शब्द "अनुसूची" (31) प्रतिस्थापित किया जाए (13) खण्ड (म) में, जन्द एवं अक "अनुसूची-1 के भाग-तीन" के स्थान पर, जन्द "अनुसूची" प्रतिस्थापित किया जाए, और खण्ड (म) में परन्क का लाप किया जाए (E) मूल अधिनियम की धारा 6 में,-धारा ६ का संशोधन उप-धारा (1) का लाप किया जाए और (E) उप-धार (१) में चण्ड (क) में ब्रन्ड एवं अंक "अनुसूची-१" के स्थान पर शन्न "अनुसूची" (=1) प्रतिस्थापित किया जाए मुल अधिनियम की धारा 8 में -धारा ८ का संशोधन उप-धार ()) में प्रस्त एवं अंक "अनुसूची-)" के स्थान पर प्रस्त "अनुसूची प्रतिस्थापित किया आए आर
- धार र 10 11 एवं 12 का इ. मूल अधिनियम की धारा १ 10, 11 एवं 12 का लोप किया जाए नाप

किया जाए

(羽)

	are trep are in (a) and (b)	
	सह सिक्यु कार (क) को (क) (क) (क) कि (सिक्) है कि के (क) है कि के (क) है कि	
	THE RESIDENCE (E) ON (E) EAR- (E)	
erajisi) 19 tz izira	- û (1) rew-pr. û it reip lê awelidik sep	5
र्माक एक २७ एवट	ज़ाह गएको स्थान तक हुव लाख ति सारक्षीक्षीर स्पूम	1.1
	लाह एक्से एक्स (१६) हम (३म) इम्फ्-एड , में (८) इम्फ्- (छ)	
	पोर्ट प्राप्त प्रस्ते मिल (क "ए)) (स) कर हम इस्ट में (क) इपल (क)	
sufies de to biu	- में (1) स्मार-पट , में ६० स्मार कि बार-निर्माट स्मा	5.1
र्माह रक बर केंग्र 82 छ।	जह एको एक एक एक ४८ एक दि प्रक्रिकीय सुम	71.
	ग्राम् स्टाम् म्योस्टम्स	
	", गुरुस्म प्यः । यः मण्यापट व्यक्तिपरः । इ. । । । । । । । । । । । । । । । । ।	
	क (1) लाए-एट कि र लाथ एकार एक्स हम्म दिस एक्स कि क्यांत क्यांत है कि एक्स किया कि किया है किया	
	प्रशासका में (छ) हम् (छ) हम्ह के (४) लाध-मह कि र लाध अशार एक्स हम्म कर हम्म इन्छ , यम सायर के पायर ह	
	क्त कि मस्याप्ट समिपिषः अपिष इत्यनी कं एर्डीष भिषायाइ पिकारीए पिकी प्रशिमिती में (छ) एटम (ङ) (छ)	
	इण्ड क (1) लाए-एड कि । लाए एकि कि क्ष्मुंगर प्याद , एए एक एक्स्ने क्लीए एक्ड सिक्सीट किस्ने प्रदेशिति	
Fullight fir Mp. 1914.	म (६) इच्छ के (1) लग्न-मह कि र लग्न कि कह के कह में (1) लग्न-मह कि 81 लग्न कि महनीयीह छुम्	11
PIE 178		
साधा १८, २०, २७ एवं १४	मार एक्से गांक एक १४ छ। १४ ११ ११ १ एक कि सम्पर्धायोध कुम	0.1
	hie med entiseer helee."	
entine to a SI tetr	मून अभिनयम की साथ 15-क में जहां को जब कि अंध अनुनुनी-2" आया हो के मान क्या	0.
ettiris ce m. 21 tent	wer in the reference "c flatters" we in see forther ret for a sent flatter than	, M
र्णाह एक है। एसस	शाह करते क्षांत क है। त्यार कि मधनीयीछ सूम	×
enfiris ra \$1 pris	,गास फकी मांस कर "ए छाष्ट फि" करूं छुए छन्छ ,में t.1 लगध कि मधनीप्रीद हमू	4
	ं है 155क छक्र दिलों के ध्यादी	
	क विभक्तक नज़ित्र में हाई करियर गरेही अमुर के नियश्वा के (आर.) इच्छा के	
	(1) मिडि-पट कि 85 मिड़ मिल्क के म्ल्क मिनक् के एक मिल के एक सिका के किल उस-हामा (1)	
	भाम के प्याप्त काम क्षेत्र प्रकामिया में विनुकृष्ट निवाब सकुष्टिकों है है के छह (छ)	
	मींह ,है । स्पन्न एक धनी के छकारी में मक्तृम्ह के लीधनी	
	रहार के हरें। प्रताप के हराम हास्लाम के हरक मानापूर के एक हालाह, एर शिमाद्र हिंगे प्रसाद	
	रनमि कं छाए जापप्तिरक जाम शंक प्रदेशिनिजि में किपूर्क्छ निरमाक प्रकृड्रिक्छीर इति छछ (क)	
	- , निक्स, ताज़ार फर्की नाहनुस्ह कुठी के छउन तरक छट पर ताज़ार फर्का	
	ाह भिएमक कर्का देशता किया है। है। इस महाराज्य स्थाप कर कर कर कर है। के उस स्थाप कर है। इस स्थाप कर स्थाप कर स	
	,गुड़ हैडर मिथकार वं ,ग्राप्ट एकी हड़ीली की एस्टें ,मिल एक्त फिक्सेक्से हमें - ड्राइंस कर क कापार 1."	
entire de El Bin	- जिथर, ग्राह एउसी नगीएएकीए महर्गकीसमी ,क मारू में ११ एगए कि मएनीसीर मसू	9

धार १४ का संशोधन ्र	16.	मूल अधिनियम की धारा 72 में, परन्तुक में, खण्ड (एक) में, उप-खण्ड (ख) में, श्रन्ध "सम्मिलित करते हुए" के स्थान पर, श्रन्ध "छोड़कर" प्रतिस्थापित किया जाए
अनुसूची-1, 2 एवं 3 का	17	मूल अधिनियम की अनुसूची-1, 2 एवं 3 के स्थान पर, निम्निलिखित प्रतिस्थापित किया जाये

"अनुसूची [धारा 8 की उप-धारा (1) एवं (2) देखिए]

बनुक	वस्तु का विवरण	कर की दर
(1)	(2)	(3)
1	हाई स्मीड डीजल	25 प्रतिशत + 1 रुपया प्रति लोटर
2	पेट्रान	25 प्रतिश्रत + 2 रुपया प्रति लीटर
1	पेट्रोलियम कुड	25 মনিসন
4	प्राकृतिक गैस	25 प्रतिजत
5.	एविएशन टरबाईन फ्यूल	25 प्रतिशत
6	एफ एल - 10 अनुज्ञानिधारी व्यवसायी द्वारा विक्रय की जाने वाली विदेशी तथा भारत में निर्मित विदेशी मंदिरा	s ṣ પ્રતિગત''

रायपुर दिनाफ १४ आगन्त २०१७

क्रमाक १९१६ ४/डी 185/21-अ/प्रास /छ २८/17 — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (३) के अनुसरण में इस विभाग की समसन्द्रक अधिसूचना दिनांक 24-8-2017 का अंग्रेजो अनुवाद राज्यपाल के पाधिकार से एतद्द्रारा प्रकाणित किया जाता है

> छल्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम में नधा आवेशानुसार की. के. होता, अनिरियन सचिव

CHHATTISGARH ACT (No. 11 of 2017)

THE CHHATTISGARH VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) ACT, 2017.

An Act further to amend the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005).

India.	Be it en as follows	acted by the Chhattisgarh legislature in the Sixty-eighth Year of the Republic of		
1	(1)	This Act may be called the Chhattisgarh Value Added Tox. (Amendment) Act. 2017	Short title, c	
	(2)	It extends to the whole State of Chhattisgarh		
	(3)	It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette		
2		Thhattisgarh Value Added Tax. Act. 2005. (No. 2 of 2005). (hereinafter referred the Principal Act). in Section 2,-	Amendment Section 2.	of
	(a)	clause (c) shall be omitted.		
	(b)	clause (e-b) shall be omitted;		
	(c)	in clause (m), for the words and figures "Parts I, II and IV of the schedule II" the word "Schedule" shall be substituted:		
	(d)	in clause (x), for the words and figures "Part III of schedule II", the word "Schedule" shall be substituted; and		
	(0)	in clause (y), the proviso shall be omitted.		
3	In Sect	ion 6 of the Principal Act	Amendment Section 6	of
	(a)	sub-section (1) shall be omitted, and		
	(b)	in sub-section (2), in clause (a), for the word and figure "schedule Π^* , the word "Schedule" shall be substituted.		
4	In Sect	ion 8 of the Principal Act.	Amendment Section 8	of
	(a)	in sub-section (1), for the word and figure "Schedule II", the word "Schedule" shall be substituted, and		
	(b)	in sub-section (2), for the word and figures "Part III of the schedule II", the word "Schedule" shall be substituted.		
*	Section	19-10, 11 and 12 of the pemerpal Act shall be omitted	Omission of Se 9, 10, 11 and 1	
ts.	Lor Sec	tion 13 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely -	Amendment Section 13	of
	-13	Rebate of Input Tax - Subject to such restrictions and conditions, as may be prescribed a rebate of input tax in this Section shall be claimed by or be allowed to a Registered Dealer in the following circumstances, namely -		

when any Registered Dealer purchases any goods specified in the Schedule, from another such dealer within the State of A bhattisgath

III but II I stoled is

unimprisqus.

7_ mm1335

12 0001338

F9 0001335 tasmbasm/

he par ke

St nonios

mambaamz 18, 20, 27 and 28, notices of Section

1-51 111111335

membasmi

ti mmaas

нэшризигу

nodood to noissimo.

mamphamy

morrows to mossing)

mutaas to mussimO

tusubnami

territory of India: and after payment of input tax for sale in the course of export outside the

- ".8£ noitoo2 To Economic Zone as per the provisions of chause (iv) of sub-section (1) after payment of input tax for sale to a Registered. Dealer in Special Schedule, from another such dealer within the State of Chhattisgarh, when any Registered Dealer purchases any goods specified in the (9)
- In Section 14 of the Principal Act, the words and figure "or Section 9" shall be omitted
- they occur, the word "Schedule" shall be substituted In Section 15-A of the Principal Act. for the word and figure "Schedule II", wherever
- Sections 18, 20, 27 and 28 of the Principal Act shall be omitted
- sub-section (1) of Section 5 to the Appellate Deputy Commissioner" shall be substituted Section 2 and where such order is passed by an officer specified in clause (c) and (f) of such order is passed by any officer specified in clause (c) and (d) of sub-section (1) of Deputy Commissioner", the words and figures "to the Additional Commissioner, where specified in clause (d), (e), (f) of sub-section (1) of Section 5 to the Appellate clause (c) of sub-section (1) of Section 3 and where such order is passed by an officer Additional Commissioner, where such order is passed by any officer specified in In sub-section (1) of Section 48 of the Principal Act. for the words and figures "to the
- Section 58 and 59 of the Principal Act shall be omitted

Section 15 of the Principal Act shall be omitted

- (1) In Section 64 of the Principal Act, in sub-section (1).
- in clause (a) the words and figure "section 11 or" shall be omnited, and
- to clause (1), sub-clause (1) and (11) shall be omitted
- Section of the Principal Act shall be omitted
- In Section 71 of the Principal Act, in sub-section (2.1,-
- clause (c) and (f) shall be omitted. (C)
- to clause (a) in sub-clause (iv) parailat (b) and (c) shall be omitted; and (4)
- panimo ad finds (x) asimpa
- word including the word "excluding shall be substituted In Section 22 of the Principal Act in provise, in charse (1), in sub-clause (b), for the 91
- botoficials of this grizzolot off 157 legional off to HI bin II. Colobolot of I

[Section (1) and (2) of Section 8] 11 (0.111.)8-

L Braylog 25	faz a(1 basez 4 a))	1
(· · · · ·	(_k ⁺)	+ 4.1
2011/0/2010/	shoot) to notiquesed	11 110

Bulber per time.

1	(2)	(3)
	Petrol	25 percent + 2 Rupees per litre
	Petroleum Crude	25 percent
	Natural Gas	25 percent
	Aviation Turbine Fuel	. 25 percent
,	Foreign and Indian-made foreign liquor sold through Dealer holding F. L = 10 license	8.5 percent [®]